खण्ड-06 सत्र -07 (भाग-02) / अंक-82

बुधवार 06 जून, 2018 / 16 ज्येष्ठ, 1940 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

R;eso t;rs

छठी विधान सभा

सातवां सत्र

अधिकृत विवरण

(सत्र-06, सत्र-07 (भाग-02) में अंक 82 के अंक 85 सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

fo"k; lwph

सत्र-7 भाग (2) बुधवार, 6 जून, 2018/16 ज्येष्ठ, 1940 (शक) अंक-82

Øl-	fo"k;	i"B l-
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1—2
2.	बधाई प्रस्ताव (सीबीएसई परीक्षाओं में सरकारी) विद्यालयों द्वारा उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने पर)	4—12
3.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	12—13 और 61—62
4.	तारॉकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (1, 3—6, 7—20)	13—61
5.	तारॉकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (2 एवं 7—20 (14, 16, एवं 19 को छोड़कर))	63—122
6.	अतारॉकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (1 से 37 (4, 9, 10, 31 एवं 36 को छोड़कर))	122—325
7.	विशेष उल्लेख (नियम 280)	325—339
8.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	339—340
9.	सरकारी संकल्प (नियम—90)	341—400

fnYyh fo/kku lHkk
dh
dk;Zokgh

सत्र-7 भाग (2) बुधवार, 6 जून, 2018/16 ज्येष्ठ, 1940 (शक) अंक-82

fnYyh fo/kku lHkk

lnu vijkgu 2%00 cts leosr gqvkA
lnu esa mifLFkr lnL;ksa dh lwph%

1. श्री शरद कुमार
2. श्री पवन कुमार शर्मा
3. श्री अजेश यादव
4. श्री महेन्द्र गोयल
5. श्री सुखवीर सिंह दलाल
6. श्री ऋतुराज गोविन्द
7. श्री संदीप कुमार
8. श्री रघुविन्द्र शौकीन
9. श्रीमती बंदना कुमारी
10. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
11. श्री राजेश गुप्ता
12. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
13. श्री सोमदत्त
14. सुश्री अलका लाम्बा
15. श्री आसिम अहमद खान
16. श्री विशेष रवि
17. श्री हजारी लाल चौहान
18. श्री गिरीश सोनी
19. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
20. श्री जरनैल सिंह
21. श्री राजेश ऋषि
22. श्री महेन्द्र यादव

23. श्री नरेश बाल्यान
24. श्री गुलाब सिंह
25. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
26. सुश्री भावना गौड़
27. श्री सुरेन्द्र सिंह
28. श्री विजेन्द्र गर्ग
29. श्री प्रवीण कुमार
30. श्री मदन लाल
31. श्री सोमनाथ भारती
32. श्रीमती प्रमिला टोकस
33. श्री नरेश यादव
34. श्री करतार सिंह तंवर
35. श्री अजय दत्त
36. श्री दिनेश मोहनिया
37. श्री सौरभ भारद्वाज
38. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
39. श्री सही राम
40. श्री नारायण दत्त शर्मा
41. श्री अमानतुल्लाह खान
42. श्री राजू धिंगान
43. श्री मनोज कुमार
44. श्री नितिन त्यागी
45. श्री एस. के बग्गा
46. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
47. श्रीमती सरिता सिंह
48. मो. इशराक
49. श्री श्रीदत्त शर्मा
50. चौ. फतेह सिंह
51. श्री जगदीश प्रधान
52. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही[1]

सत्र-7 भाग (2) बुधवार, 06 जून, 2018/ज्येष्ठ 16, 1940 (शक) अंक-82

Inu vijkgu 2-05 cts leor gqvkA

माननीय अध्यक्ष महोदय ¼Jh jke fuokl xks;y½ *पीठासीन हुए ।*

(राष्ट्रीय गीत वन्देमातरम्)

Ekkuuh; v/;{k% सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत।

Jh lkSjHk Hkkj}kt % अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न नंबर 16...

ekuuh; v/;{k % एक सेकण्ड सौरभ जी, एक सेकण्ड।

दिल्ली विधान सभा के सातवें सत्र के द्वितीय भाग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप शांतिपूर्वक सदन की कार्यवाही में भाग लेंगे तथा कार्यवाही के सुचारू रूप से संचालन में मुझे पूरा सहयोग करेंगे।

Jh lkSjHk Hkkj}kt % अध्यक्ष जी, अखबार के अंदर.... कॉल से शुरू होने से पहले मैं आपका ध्यान और इस पूरे सदन का ध्यान मेरे प्रश्न नंबर, 16, जो तारांकित प्रश्न था, स्टार्ड क्वेश्चन नंबर 16, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न था, रेवेन्यू डिपार्टमैंट का प्रश्न था। 1997 से 2005 में करोड़ों रुपये की...

---

1. www.delhi assembly.nic.in पर उपलब्ध।

ekuuh; v/;{k % अभी आयेंगे, उसको करेंगे।

Jh lkjHk Hkkj}kt % फिलिंग्स नहीं हैं, उसके बारे में मैने जानकारी मांगी थी। मुझे जानकारी नहीं मुहैय्या कराई गयी है और इस प्रश्न का पहले भी ऐसे ही होता था, पिछले हाउस के सेशन में भी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया था और इस बार भी इस तरीके का हो रहा है कि प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे हैं। मुझे ध्यान पड़ता है कि बीच में ऐसा हुआ था तो उस वक्त के मुख्य सचिव, श्री कुट्टी को इस विधान सभा से हिदायत दी गयी थी कि आप ये एन्श्योर करें कि सारे प्रश्नों के उत्तर आयें और ये फिर से...

ekuuh; v/;{k % वो मैं करता हूं, सौरभ जी।

Jh lkjHk Hkkj}kt % तो आप यथोचित इसपे कार्रवाई कीजिए।

ekuuh; v/;{k % मैं देखता हूं जरा, अभी कौन–कौन नहीं आया...मैं करता हूं।

c/kkbl iLrko ¼fu;e&114½

Jherh lfjrk flag % अध्यक्ष महोदय,

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष जी,

Jherh lfjrk flag % अध्यक्ष महोदय...

Jh fotUn xIrk % ये...

Jh lfjrk flag % अध्यक्ष जी, शायद आपकी मदद से लेके...

ekuuh; v/;{k % मेरे पास है। मैं दे रहा हूं।

Jherh lfjrk flag % मैं आगे इतना कहती हूं। मैं संदेश देना चाहूंगी, अगर आपकी परिमिशन हो तो।

ekuuh; v/;{k % हां, दीजिए।

Jherh lfjrk flag % मैं माननीय शिक्षा मंत्री, जो हमारे बीच में बैठे हैं, मैं पूरी दिल्ली की जनता की तरफ से आपको बधाई देना चाहती हूँ। दिल्ली के हरेक छात्र, हर छात्रा, हर माता–पिता की तरफ से आपको बधाई देना चाहती हूं। क्यांकि इस बार जो बारहवीं का रिजल्ट आया है, वो हम सबने देखा। 20 साल बाद दिल्ली में ऐसा बारहवीं का रिजल्ट आया है। ढ़ाई परसेंट रिजल्ट बढ़े हैं, लगभग तीन सौ स्कूलों में सौ परसेंट रिजल्ट आया है जो अपने आप में सराहनीय है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत गर्त हो गयी थी, बिल्कुल नाश हो गयी थी पर जिस तरह पिछले तीन सालों में आपने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मेहनत करी है; आपने, आपकी पूरी टीम ने, सारे प्रिसिंपल्स ने, सारे अध्यापकों ने जिस तरह से दिल्ली की सरकार ने जो वादा किया था कि शिक्षा और स्वास्थ्य, हमारी प्रॉयरिटी है तो शिक्षा और स्वास्थ्य में सबसे बेहतरीन काम दिल्ली की सरकार ने किया है।

अध्यक्ष महोदय, और मैं एक और बधाई देना चाहती हूं कि तीन सौ से ज्यादा छात्रों ने, दिल्ली सरकार के स्कूला से निकले हुए बारहवीं के बच्चों ने आईआईटी जेई का एग्ज़ाम क्लीयर किया है जो अपने आप में बड़ी बात है। वो गरीब घर के बच्चे हैं, जो सपना था कि हम कभी जिंदगी में आईआईटी जा पायेंगे कि नहीं, कभी हमारा नाम आईआईटी दिल्ली,

आईआईटी रूड़की, आईआईटी कानपुर में आयेगा या नहीं, पर ऐसे बच्चें तीन सौ से ज्यादा बच्चे आज आईआईटी में एडमिशन लेंगे। इसके लिए आप बहुत ज्यादा बधाई के पात्र हैं, पूरी दिल्ली सरकार बधाई की पात्र है, पूरी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए बधाई की पात्र है। हम सबकी तरफ से आपको बहुत–बहुत बधाई।

...(व्यवधान)

ekuuh; v/;{k % इसी विषय पर बधाई में?

Jh euftnj flag fljlk % सर, जब बधाई सब दे रहे हैं तो विपक्ष कहीं बधाई देने में पीछे न रह जाये। हमारी बहन ने बताया कि ढ़ाई परसेंट बच्चे जो हैं, वो बारहवीं में ज्यादा पास हुए हैं, मैं उसके लिए...

ekuuh; v/;{k % रिजल्ट ढ़ाई परसेंट बढ़ा है।

Jh euftnj flag fljlk % कोई नहीं, वो पास हुए हैं या नहीं हुए, अभी तो उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। पर मैं तो आज तक यही समझता था कि जो दसवीं में है, वो भी हमारे मंत्री जी के पास है। ऐसा सुनने में आया कि दसवीं के बच्चे जो हैं, वो 18 परसेंट ज्यादा फेल हुए हैं। तो मैं बधाई के साथ–साथ इस बात की चिंता भी करता हूं कि हमारे मंत्री जी एक तो आंकड़ों की स्पष्टता करें कि क्या जो अखबार में छपा कि 18 परसेंट बच्चे... आप भी बड़े मुस्कुरा रहे हैं। हमें भी बड़ी खुशी है इस बात की कि बच्चे पास हो गये।

ekuuh; v/;{k % नहीं नहीं, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं सिरसा जी...

Jh euftanj flag fljlk % लेकिन फेल होने पर दर्द होता है।

ekuuh; v/;{k % सिरसा जी।

Jh euftanj flag fljlk % आप इसे भावना समझ सकते हैं, मैं बधाई देने के लिए खड़ा न होता अगर हमारी बहन दसवीं के बच्चों के लिए भी बधाई दी होती तो ये बात समझ में आ गयी कि दाल काला है। जो वो बच्चे फेल हो गये हैं, वो तो किसी और की जिम्मे डाल देंगे। शायद उनको... मोदी जी ने उनकी कापी छीन ली होगी वापिस और जो बढ़ गए हैं नम्बर, वो हमारे हो गये। तो ऐसा मैं जानना चाहता हूं कि वो वाकई में ऐसा हुआ है कि उनकी कापी–किताब मोदी जी चोरी करके ले गए हों और जितने...

ekuuh; v/;{k % एक सेकण्ड ऋषि जी, मैं इसको इस चर्चा में लम्बा नहीं करना चाहूंगा...

Jh euftanj flag fljlk % तो मैं जरूर चाहूंगा कि इसका स्पष्टीकरण आये कि क्या वाकई ही 16 परसेंट बच्चे फेल हुए हैं, ये स्पष्टीकरण सरकार का आना चाहिए और सरकार को सफाई देनी चाहिए। और अगर ऐसा हुआ है तो सरकार को अपनी नाकामी मानते हुए इस बात की जिम्मेवारी तय करनी चाहिए कि क्यों 18 परसेंट बच्चे दसवीं के.... हमारा वो भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है और हमारे देश का भविष्य अगर इस तरह 18–18 परसेंट बच्चे जो सरकार की जानकारी के अंदर आये, हमें उसकी चिंता करनी चाहिए।

...(व्यवधान)

ekuuh; v/;{k % चलो भई, बात हो गयी ना। नहीं, ऋषि जी दो मिनट बैठिए प्लीज, प्लीज दो मिनट।

...(व्यवधान)

ekuuh; v/;{k % नहीं, अब हो गया। सिरसा जी, अब हो गया, नहीं–नहीं मैं दूसरी, मैं सफाई नहीं दे रहा हूं। नहीं मैं दूसरी बात कह रहा हूं। नहीं बोल रहा मैं, नहीं बोल रहा मैं किसी चीज पे नहीं बोल रहा हूं।

...(व्यवधान)

ekuuh; v/;{k % ऋषि जी दो मिनट बैठिए प्लीज। आपने सिरसा जी, सिरसा जी, आपने मेरी मुस्कुराहट पर टिप्पणी की, मैं इसलिए कह रहा हूं हंसना अच्छी बात है। हंसना चाहिए ये जो रिजल्ट की बात आपने रखी है दसवीं की, ये हम सब के संज्ञान में है। पहली बार सीबीएससी का बोर्ड का एग्जाम हुआ था, बहुत सालों बाद पहली बार। अब इसमें चर्चा नहीं। नहीं अब, बारहवीं का तो पीछे से होता आ रहा है।

...(व्यवधान)

ekuuh; v/;{k % नहीं भई, विजेन्द्र जी, ऐसा नहीं, आपको पता है सारा। चलिए, अगर मान लिया मंत्री जी उत्तर देना चाहेंगे, देना चाहेंगे, देंगे।

...(व्यवधान)

ekuuh; v/;{k % नहीं, सफाई नहीं दे रहा हूं मैं एक्चुअल पोजिशन बता रहा हूं। एक्चुअल पोजिशन ये है, पहली बार वो बच्चे... चलिए ठीक है। बैठिए। बैठिए। माननीय मंत्री जी खड़े हैं।

ekuuh; mi e[;ea=h ¼Jh euh"k fl lksfn;k½ % धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी दिल्ली के सभी शिक्षकों को, पैरेंट को, हमारे पूरे शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी, कर्मचारी जो पिछले तीन–चार साल से लगे हुए हैं, दिन–रात एक करके सारे छुट्टियां केंसल कर–कर के, उनको सबको बधाई कि दसवीं और बारहवीं, दोनों के रिजल्ट बहुत शानदार रहे। बारहवीं के इसलिए जैसे सरिता जी ने बोला कि पहली बार 90 परसेंट से ऊपर पास आउट का आंकड़ा गया है और ये तो शुरूआत है, धीरे–धीरे हम इस स्थिति में भी आयेंगे कि दिल्ली के बच्चों के 90 परसेंट से ज्यादा मार्क्स को भी उस तरह से हम बतायेंगे कि किस तरह से, कितने सारे बच्चों ने 90 परसेंट से... अभी वो संख्या उतनी नहीं है जितनी हम सोचते हैं कि होनी चाहिए और जितनी और... हम तो चाहेंगे कि दिल्ली का हर बच्चा 90 परसेंट से ऊपर लेके आये, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमैंट स्कूल और सब में। तो उस तरफ लेके क्वालिटेटिव इंप्रूवमैंट अभी तो बच्चे फेल हो रहे थे। शुरूआत तो... जैसा मैंने सदन में भी कई बार कहा है, तीन साल पहले यहां से हुई थी कि एक क्लास रूम में बैठके 174 बच्चे अगर एनरोल कर दिये जाएंगे तो टीचर तो क्या, शिक्षक विभाग तो क्या, भगवान भी अगर आ जाये तो उनको नहीं पढ़ा सकता। वहां से निकाल के नये कमरे बनाने का जो प्रयास हुआ। टीचर्स ने... कई नये इन्नोवेटिव आइडियाज आये, 'चुनौती' जैसे कार्यक्रम विभाग की तरफ से लागू हुए और सब टीचर्स ने उसको बुनियाद को सफलता पूर्वक लागू किया। दसवीं के बारे में इन्होंने सवाल किया है, मुझे लगता है कि कन्फ्यूज़न न फैलाया जाये। दसवीं के ये बच्चे कौन हैं? ये बच्चे वो हैं, जो नो–डिटेन्शन पॉलिसी के तहत हर साल... हर साल पास किए जा रहे थे और धीरे–धीरे करके

अब दसवीं में पहुंचे हैं। जब हमने दसवीं की शुरूआत में, जब हमने इनका आठवीं में टैस्ट लिया था तो इनमें से लगभग–लगभग तीन चौथाई बच्चे ऐसे थे... जो रिकॉर्ड पे है, मैंने इस सदन में भी वो रिकॉर्ड रखे हैं, डेटा रखा है, कई बार चर्चा की है उसकी, लगभग यही बच्चे जो आज दसवीं पास करके गये हैं, 70 परसेंट बच्चे ये जब आठवीं में पढ़ते थे तो हमारा अपना सर्वे टीचर्स का अपना सर्वे, टीचर्स के अपने असेसमैंट बताते थे कि लगभग–लगभग दो तिहाई बच्चों को अपनी टैक्स्ट बुक और बैसिक मैथ्स स्किल्स तक नहीं आते थे। आठवीं क्लास में इनकी ये हालत थी। धीरे–धीरे इनपे मेहनत हुई, जब दसवीं का, साल के शुरूआत में हमने इनका टैस्ट लिया बच्चों का तो बारह परसेंट बच्चे पास हुए। फिर खूब मेहनत की टीचर्स ने सख्ती भी हुई, प्यार से भी बात हुई, नयी ट्रेनिंग्स भी करायी, जब हमने इनका दूसरा टैस्ट लिया तो 30 परसेंट बच्चे पास हुए, कैसे पास होंगे तो मैं आपके उसी रिकॉर्ड को बता रहा हूं कि उसी में दो महीने–तीन महीने की और टीचर्स की मेहनत के बाद विभाग के लोगों ने मेहनत की और 30 परसेंट से वो रिजल्ट 70 परसेंट पहुंचा। इसलिए बहुत शानदार है नो–डिटेन्शन जैसी पॉलिसी बिना तैयारी के लागू की गई और पूरे के पूरे दिल्ली में एक माहौल बना हुआ था कि सारी की सारी सरकार, सारे के सारे विभाग को प्राइवेट सकूलों के सामने नतमस्तक करके बैठी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे सरकारों का काम सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को प्रोटेक्ट करना है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी ऑर्डर को दिया, प्राइवेट स्कूल के खिलाफ तो फाइलों में दबा के बैठना है। सरकारी स्कूल तो टीचर्स चला ही लेंगे अगर उनको फैमली रजिस्टर भरवाने में उनको वोटर बनवाने के अलावा और उनके अलावा समय बचा तो टीचर्स सरकारी स्कूल

चला ही लेंगे। मिड–डे मील में करप्शन और इन सब के बाद कोई पैसा बचा तो मिड–डे मील बांट ही दिया जायेगा... इन सब स्वीकृतियों से निकाल के गवर्नमैंट स्कूल को लेकर आये हैं अध्यक्ष महोदय, और बहुत खुशी के साथ और बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हालांकि अभी शुरूआत है लेकिन बहुत अच्छी शुरूआत है। दिल्ली में एक ऐसे समय में जब देश भर में अब तो पता है सबको देश के ज्यादातर राज्यों में किसकी सरकार है। आप गूगल करके देख लीजिए ये नयी वाली पार्टियां, जो नयी सरकारें चारों तरफ दिखाती है कि इन राज्यों में भी, हम इस राज्य में भी हम, इस राज्य में भी हम... उस राज्य में बात भगवा नहीं है बात ये है कि सरकारी स्कूलों को बंद करने का परचम लहरा रहा है। आप किसी भी सरकारी... किसी भी राज्य को उठाके देख लीजिए; हिमाचल में देख लीजिए, जम्मू–कश्मीर में इनकी सहयोग की सरकार है, वहां देख लीजिए, हर जगह सरकारी स्कूलों को जान–बूझ के बंद करने की व्यवस्थायें चलायी जा रही हैं ताकि प्राइवेट स्कूलों के पक्ष में माहौल बनाया जा सके और पेरेंटस मजबूर हों, प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को मोटी फीस में भेजने के लिए।

आज दिल्ली सरकार ने देश के सामने पिछले तीन साल में ये मॉडल सिद्ध करके दिया है कि अगर सरकार, शिक्षा विभाग और अध्यापक तीनों मिलके शिद्दत से काम करने लगें तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा हो सकता है और इतना अच्छा हो सकता है इम्प्रूव... एक–एक करके आगे तक इम्प्रूव हो सकता है तो इसमें इसको पूरे प्रदर्शन में यही देखें कि जहां इनकी पार्टी की सरकारी है, वहां एक ही धंधा खोल रखा है; प्राइवेट स्कूलों को आगे बढ़ाओ, सरकारी स्कूलों को बंद कराओ। इनके तो नगर–निगम में भी स्कूल हैं। इनसे नगर–निगम के स्कूल चलाये नहीं

जा रहे, इन्होंने प्राइवेट संस्थाओं को देने शुरू कर दिये हैं, बोले, ''हमसे तो नहीं चलाये जा रहे जी, प्राइवेट संस्थाओं को दे देते हैं।'' वहां तो नगर–निगम के सरकारी स्कूल भी प्राइवेट संस्थाओं को दिये जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार का धर्म है। दिल्ली के हर बच्चे को सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा दिलवाना हमारा धर्म है। हमें खुशी है इस बात की। और मैं अध्यापकों की तरफ से, सभी पेरेंटस की तरफ से, सबकी तरफ से आश्वासन दिलाना चाहता हूं दिल्ली को, कि आप चिंता मत करिए, देश में चाहे सारे स्कूल बंद कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर ले, उनको बर्बाद करने की कोशिश कर लें, दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों को बढ़िया से बढ़िया करते रहेंगे और आगे करके दिखाएंगे, धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

ekuuh; v/;{k }kjk 0;oLFkk

...(व्यवधान)

ekuuh; v/;{k % नहीं विजेन्द्र जी देखों ये चर्चा का विषय है, सिरसा जी बोल चुके हैं, मैं मंत्री जी के बाद नहीं, सिरसा जी ने मांग की, कि मंत्री जी उत्तर दें। नहीं, देखिए विजेन्द्र जी, मैं अब इस पर चर्चा नहीं, सिरसा जी ने मांग की, मैंने नहीं की। सिरसा जी की मांग पर, नहीं, आप प्लीज।

मुझे कई माननीय सदस्यों से नियम–54, नियम–55 तथा नियम–89 के तहत विभिन्न सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जैसा कि आपको विदित है कि यह सत्र विशेष प्रयोजन के लिए बुलाया गया है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए सदन में विस्तार से चर्चा होनी है। सदन के समय के

अधिकतम सदुपयोग तथा सभी सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए, कार्य सूची में सूचीबद्ध विषयों के अलावा किसी अन्य विषय को विचारार्थ नहीं लिया जायेगा। अतः मैं किसी भी सूचना को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। क्वैश्चन नंबर वन। भई विजेन्द्र जी।

...(व्यवधान)

rkjkfdr iz'uks ds ekf[kd mÙkj

v/;{k egksn; % नहीं कोई कीमत नहीं बढ़ी, बैठिए आप। स्टार्ड क्वैश्चन प्रश्न संख्या–एक, श्री विजेन्द्र गुप्ता जी, आपका प्रश्न संख्या–एक लगा हुआ है।

...(व्यवधान)

ekuuh; v/;{k % जिसपे भी लगा हुआ है आप उत्तर नहीं चाहते। आप बोलते रहिए। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे स्टार्ड क्वेश्चन पूरा करने दो। जो विषय सूचीबद्ध है, मुझे उसके बारे में देखना है।

...(व्यवधान)

ekuuh; v/;{k % विजेन्द्र गुप्ता जी, आपने जो करना है, मनजिंदर कर लीजिए। आपने जो कुछ करना है करिए।

Jh euftanj flag fljlk % हमारा ये कहना है।

v/;{k egksn; % बैठिए अब, सिरसा जी, बैठिए, बैठिए आप प्लीज। विजेन्द्र जी, आप प्रश्न संख्या–एक रख रहे हैं या नहीं? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं स्टार क्वेश्चन शुरू कर चुका हूं।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % प्रश्न संख्या–दो, श्री ओम प्रकाश जी। अनुपस्थित, प्रश्न संख्या–तीन श्री सुरेन्द्र सिंह जी।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % अब बैठिए प्लीज, हां, बैठिए प्लीज।

Jh lqjsUn dqekj % माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से क्वैश्चन नं.–तीन का उत्तर जानना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % बैठिए प्लीज, आप चैंबर में बात करिएगा। फिर मैं बात करता हूं, आप चैंबर में आके बात करें, चैंबर में बात करते हैं।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % मैं बिल्कुल एश्योर नहीं कर रहा हूं, मैं पहले एक बार बैठकर चैंबर में बात करना चाह रहा हूं। आप चैंबर में आ जाइए, चार बजे, मैं एश्योर कर रहा हूं, मेरे चैंबर में आइए, चार बजे चैंबर में आइए, मुझे उचित लगेगा... मैं बिल देख लूं। उचित लगेगा, मैं बात करवाऊंगा। नहीं, अब ऐसा नहीं, मैं चार बजे चैंबर में बुला रहा हूं आपको। विजेन्द्र जी, मैं चार बजे चैंबर में बुला रहा हूं। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। आप चार बजे चैंबर में आइए। मैं एश्योर कर रहा हूं। विजेन्द्र गुप्ता जी प्रश्न संख्या–एक।

Jh fufru R;kxh % सर, ये कोई तरीका नहीं होता। डिस्टर्ब भी करेंगे और प्रश्न भी पूंछेंगे।

v/;{k egkn; % त्यागी जी, ओर समय खराब हो रहा है।

Jh fufru R;kxh % नहीं सर, ये नहीं चल चलेगा। यहां पर ये ड्रामेबाजी भी दिखाएंगे, उसके बाद ये प्रश्न भी पूछेंगे, ये नहीं चलने देंगे यहां।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % त्यागी जी, बैठिए प्लीज। सुरेन्द्र जी, बैठिए, बैठिए प्लीज। प्रश्न संख्या एक। जल्दी करिए भई।

Jh fotsUnz xqIrk % अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या—एक प्रस्तुत है:

क्या माननीय mi eq[;ea=h यह बताने कि कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सत्य है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 2009 में गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में फीस की वृद्धि के मामले को अदालत में चुनौती दी गई थी;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के अभिभावक महासंघ व अन्य बनाम दिल्ली सरकार व अन्य की 2009 की (डब्ल्यूपी (सी) 7777, 8147, 8610 और 10801) में निर्णय के बाद जस्टिस अनिल देव सिंह समिति ने 575 स्कूलों को बढ़ी हुई फीस को 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया था;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि सरकार अभी तक अभिभावकों को बढ़ी हुई फीस वापस लौटना सुनिश्चित करने में नाकाम रही है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त आदेशों को लागू कराने में नाकाम रहने के कारण सरकार के विरुद्ध न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की गई है; और

(ङ) उपरोक्त 575 स्कूलों का उनके द्वारा लौटाई जाने वाली राशि सहित पूर्ण विवरण क्या है?

ekuuh; v/;{k % उप मुख्यमंत्री जी।

ekuuh; mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–एक का उत्तर प्रस्तुत हैः

(क) जी हां, यह सत्य है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 2009 में गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में फीस की वृद्धि के मामलों को अदालत में चुनौती दी गई थी।

(ख) अभी तक इस कमेटी (पूर्व नाम जस्टिस अनिल देव सिंह समिति) ने 10 अंतरिम रिपोर्ट और मासिक अंतरिम रिपोर्ट जून, 2016 से जनवरी, 2018 तक में 575 स्कूलों को बढ़ी हुई फीस को 9% ब्याज सहित लौटाने की सिफारिश की है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं; और

(ङ) उपरोक्त सभी 575 स्कूलों की कमेटी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट विभाग की वेबसाइट www.edudel.nic.in पर उपलब्ध है।

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष जी, मेरा पूरक प्रश्न है, शिक्षा मंत्री जी बताएं अभी तक कितने अभिभावकों को कोर्ट के आदेश के अनुसार नौ प्रतिशत ब्याज के साथ फीस वृद्धि वापस दी गई है और उसका टोटल अमाउंट कितना है, उसकी सूची भी हमें दी जाए?

ekuuh; mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इसकी जो पूरी जो जानकारी है क्योंकि अलग–अलग रिपोर्टस में 575 स्कूलों की रिपोर्ट में अलग–अलग कैल्कुलेशंस की गई है अलग–अलग हिसाब से, अभिभावकों को जो अलग–अलग रिपोर्टस के अनुसार पैसा दिया गया है, उसमें से कुछ जानकारी अभी में यहां दने की स्थिति में हूं कि क्योंकि इसमें समिति के आदेश और उसके बाद कोर्ट में क्योंकि अभी भी मामला चल रहा है तो इसके अलग–अलग श्रेणियों में इसपे स्टैप उठाए जा रहे हैं। 106 करोड़ रुपये जो अभिभावकों से ज्यादा लिया गया था, वो अभी कोर्ट में जमा किया गया है।

Jh fotUn xIrk % अभिभावकों को कितना मिला है?

v/;{k egkn; % भई, वो उत्तर तो दे रहे हैं, बार–बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। विजेन्द्र जी, मैं अलाउ नहीं करूंगा ऐसे।

ekuuh; mi e[;e=h % आपका छूट जाए, आप एक पूरक प्रश्न ओर पूछ लीजिएगा।

ekuuh; v/;{k % आपको अलाउड है ना। आप बार–बार डिस्टर्ब कर रहे हैं मंत्री जी को।

ekuuh; mi e[;e=h % तो 106 करोड़ रुपये प्राइवेट स्कूलों से माननीय हाइकोर्ट में जमा करवा गया है। दूसरा 68 करोड़ रुपए अभी तक पेरेंटस को लौटा दिया गया है। ये 226 स्कूलों में the number of schools which have claimed partial refund in 226 schools and amount claimed to have refunded 68 करोड़ 87 लाख रुपये करीब लौटा दिया गया है। इसमें

माइनॉरिटीज स्कूल्स का भी इशू है। 44 इसमें से माइनॉरिटीज स्कूल हैं जिनके बारे में कमेटी ने रिपोर्ट दी है। 11 स्कूल्स ने कमेटी के रिकमन्डेशन्स को चैलेंज किया हुआ है। इन 11 में से 9 स्कूलों ने, 9 माइनॉरिटीज स्कूलों ने 7 करोड़ 81 लाख रुपया उन्होंने जमा करा दिया है कोर्ट में। तो ये अभी तक स्टेटस है; 68 करोड़ में से किस–किस पेरेंट को कितना पैसा लौटाया गया है, ये स्कूल वाइज जानकारी हम ले सकते हैं। अगर जैसे उपलब्ध हो जाएगी, वैसे सदन को उपलब्ध करा देंगे।

Jh fotsUnz xqIrk % मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं...

v/;{k egksn; % नहीं विजेन्द्र जी, एक सप्लीमेंटरी ओर पूछ लीजिए आप।

Jh fotsUnz xqIrk % मैं उसी से रिलेटिड है बिल्कुल, उसी से रिलेटिड है जो पैसा आप कह रहे हैं, लौटा दिया है, उस अभिभावक का नाम, विद्यालय का नाम, अमाउंट इसकी सूची आप सदन को प्रोवाइड करवा दें।

ekuuh; mi eq[;ea=h % इस संबंध में जितनी भी अधिकतम सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है, क्योंकि मैं खुद जानता हूं, बहुत सारे पेरेंटस की तो...

Jh fotsUnz xqIrk % एक भी अभिभावक को शिक्षा मंत्री जी मैं आपके ध्यान में डाल रहा हूं मैं याचिकाकर्ता हूं एक भी अभिभावक को, एक भी रुपया नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय, 10 साल हो गए, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, मैं याचिकाकर्ता हूं। हमारा ये कहना है कि आप सूची दे दीजिए। दूसरा,

हमारा ये कहना है, ये भी अपने आप में एक स्कैंडल होगा। आप सूची दीजिए एक बात...

v/;{k egkn; % एक सैकंड, माननीय मंत्री जी सदन के अंदर स्टेटमैंट दे रहे हैं; 68 करोड़ रुपये अभिभावकों को वापस किया गया है।

Jh fotsUnz xqIrk % आप सूची दीजिए, दूसरा...

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % अवतार जी, प्लीज बाजपेयी जी, प्लीज। बाजपेयी जी, प्लीज, बाजपेयी जी प्लीज।

ekuuh; mi eq[;ea=h % इनको पूरा करने दो, इनके पास है क्या? प्राइवेट स्कूलों को प्रोटेक्शन देने के अलावा, क्या है इनके पास बताएं?

Jh fotsUnz xqIrk % अध्यक्ष जी, दूसरा मेरा ये कहना है...

ekuuh; v/;{k % भई विजेन्द्र जी, माननीय मंत्री ने जो स्टेटमैंट दिया है, उसको चैलेंज किया है कि एक भी विवाद को नहीं हटाया।

Jh fotsUnz xqIrk % मैं ये कह रह हूं, मैं ये नहीं कह रहा...

ekuuh; v/;{k % न–न, अभी वापस... अब वापस नहीं ले पायेंगे।

Jh fotsUnz xqIrk % एक मिनट, सुनिए आप।

ekuuh; v/;{k % नहीं, पहले पूरी बात करने दीजिए।

Jh fotsUnz xqIrk % आप बात ही नहीं करने देते। अजीब सी बात करते हैं।

ekuuh; v/;{k % अब आपको पीड़ा हो रही है। आपने स्टेटमैंट सदन में ये दिया है कि एक भी अभिभावक को पैसा नहीं लौटाया है।

Jh fotsUnz xqIrk % वो मेन्युलेट हुआ है स्कूलों में, मैं ये कह रहा हूं। उस पर जांच होनी चाहिए। आप बात को पूरी नहीं सुनते। हम तो कह रहे हैं, आप सूची दीजिए और उसकी जांच करवाइए। अगर एक भी अभिभावक को विद्यालयों ने पैसा दिया हो।

ekuuh; v/;{k % ऐसा नहीं है। चलिए।

Jh fotsUnz xqIrk % अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी की बात को नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो सूची आप देंगे, उसकी जांच करवाइए। एक भी स्कूल ने... मैंने कैल्कुलेट किया है। एक बात, दूसरा, मेरा ये कहना है, मैं मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि इस बात को इससे पहले भी मैंने कई बार आपके समक्ष रखा है विभिन्न माध्यमों से कि फैसला 2011 का है, केस डाला था 2009 में।

ekuuh; v/;{k % भई सप्लीमेंटरी क्वेश्चन करिए आप। ये हिस्ट्री में मत जाइए। विजेन्द्र जी, ऐसे नहीं चल पाएगा। आपका क्वेश्चन क्या है?

Jh fotsUnz xqIrk % और आज तक एक भी अभिभावक को जेन्युइनली पैसा नहीं मिला। आप इन स्कूलों के बैंक एकाउण्ट अटैच क्यों नहीं करते और अटैच करके इनसे पैसा क्यों नहीं निकालते, हम ये जानना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

ekuuh; v/;{k % माननीय मंत्री जी खड़े हैं, समय खराब हो रहा है, चलिए।

ekuuh; mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बयान दिया है सदन में कि एक भी अभिभावक को पैसा नहीं लौटा है। मैं चाहता हूं, ये सदन के रिकॉर्ड में रख लिया जाए जाए और अगर सदन में इस बात की जानकारी आई कि अभिभावकों को पैसा लौटा है तो फिर नेता प्रतिपक्ष को सदन में माफी मांगनी पड़ेगी कि गलत बयानी की थी।

ekuuh; v/;{k % अरे भई, आप विजेन्द्र जी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? विजेन्द्र जी, बैठ जाइए अब। नहीं सिरसा जी, ये तरीका ठीक नहीं है। आप नेता विपक्ष होकर गैर–जिम्मेदाराना बात नहीं कर सकते। बैठ जाइए, बेठिए, विजेन्द्र जी, आप बैठिए प्लीज।

ekuuh; mi e[;e=h % अगर मैंने यहां...

ekuuh; v/;{k % विजेन्द्र जी, अब माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं। आप बैठ जाइए।

ekuuh; mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट एक मिनट–एक मिनट...

ekuuh; v/;{k % माननीय मंत्री जी ठीक लेन पर चल रहे हैं, आप बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)

ekuuh; v/;{k % ऋषि जी, सोमनाथ जी, बैठिए। वो घिर गए, वो स्टेटमैंट देकर घिर गए हैं।

ekuuh; mi eq[;ea=h % अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट स्कूलों और प्राइवेट अस्पतालों से इनकी मौहब्बत जगजाहिर है। मैं बता रहा हूं पूरे देश में इन लोगों ने सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पतालों का बेड़ा गर्क इसलिए करा।

ekuuh; v/;{k % विजेन्द्र जी, आप घिर गए हैं। बैठ जाइए आप। आपके बयान से ही घिर गए हैं आप।

ekuuh; mi eq[;ea=h % क्योंकि प्राइवेट स्कूलों और अस्पतालों को लाइन पे ला सके। जब से मैं ये बात कह रहा हूं कि मैं इस सदन के समक्ष रखूंगा क्योंकि इन्होंने सरकार पर सवाल उठाया है और सरकार इस बात को सदन के सामने रखेगी कि सरकार ने डण्डा चलाकर कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करवाया है और पेरेंट्स को पैसा वापिस दिलवाया है। अगर पेरेंट्स को पैसा वापिस दिलवाने का सबूत मैंने यहां सरकार की ओर से रख दिया तो क्या नेता प्रतिपक्ष माफी मांगेंगे।

...(व्यवधान)

ekuuh; v/;{k % ये क्या हो रहा है? विजेन्द्र जी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? ये क्या परेशानी है, ये कौन सा तरीका है? ये तरीका ठीक नहीं है, कोई माइक नहीं खुलेगा। नो बॉडी एलाउड हिम। आप बोल कैसे रहे हैं? आप झूठ बोल रहे हैं। वो सदन में बोल रहे हैं।

Jh fotsUnz xqIrk %xxx[2]

...(व्यवधान)

---

xxx[2] अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार चिन्हित अंश सदन की कार्रवाई से निकाला गया।

ekuuh; v/;{k % विजेन्द्र गुप्ता जी ने अब जो भी शब्द बोले हैं, वो कार्यवाही से निकाल दिए जाएं। वो xxx शब्द बोला है, कार्रवाई से निकाला जाए। विजेन्द्र जी, ये कोई तरीका है ये? नहीं, ये क्या तरीका है? आप झूठ बोल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं?

ekuuh; mi eq[;ea=h % आपने सरकार पर तोहमत लगाई है। अरे! हम सब कुछ करेंगे, हम आपकी भी करवा देंगे। आप चिंता मत करो।

...(व्यवधान)

ekuuh; v/;{k % बाकी माननीय सदस्य बैठें प्लीज। लाइन पर चल रहा है मामला। आप बैठिए प्लीज। नहीं, बैठिए।

ekuuh; mi eq[;ea=h % आपके और आपके नेताओं के जितने स्कूल हैं, उनके खानदान के एकाउण्ट अटैच करवा देंगे, चिंता मत करो। एकाउण्ट तो अटैच करवा देंगे।

...(व्यवधान)

ekuuh; v/;{k % बैठिए—बैठिए। सिरसा जी, ये ठीक नहीं है।

ekuuh; mi eq[;ea=h % आपकी पार्टी के और आपके मौसेरे भाइयों की पार्टी के जितने भी नेताओं के एकाउण्ट हैं, सबको फ्रीज करवा देंगे, चिंता मत करो। लेकिन सिर्फ ये बताओ, आपने ये कहा कि एक भी पेरेंट को पैसा वापिस नहीं दिया गया, अगर मैंने सबूत लाकर रख दिया कि पेरेंट्स को पैसा वापिस मिला तो सदन में झूठ बोलने के आरोप में आप माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, ये बताइए?

ekuuh; v/;{k % आप बैठिए अभी, अभी लिस्ट आ जाएगी।

...(व्यवधान)

ekuuh; mi eq[;ea=h % 68 करोड़ रुपया वापस दिलवाया गया है।

...(व्यवधान)

ekuuh; v/;{k % आप बैठिए। मैं इसको खत्म कर रहा हूं। प्रश्न संख्या–एक हो गया ठीक है। प्रश्न संख्या–तीन, सुरेन्द्र जी। भई, अब बैठ जाइए।

Jh lqjsUnz flag % माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से क्वेश्चन नं.–तीन का आन्सर जानना चाहता हूं:

(क) दिल्ली कन्टूनमैंट विधानसभा के धौला कुआं क्षेत्र झुग्गी वासियों को बिजली आपूर्ति कब तक कर दी जाएगी;

(ख) क्या यह सत्य है कि ये झुग्गियां पीडब्ल्यडी की भूमि पर स्थित हैं;

(ग) यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(घ) क्या धौला कुँआ, रिंग रोड पर इन झुग्गियों के पास 11000 केवी का कोई ट्रांसफार्मर स्थित है;

(ङ) क्या झुग्गियों को पास में स्थित ट्रांसफार्मर्स से बिजली उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान है; और

(च) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

ekuuh; v/;{k % मंत्री जी।

ekuuh; Åtk e=h ¼Jh lR;Un tu½ % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–तीन का उत्तर इस प्रकार है।

(क) से (च) तक यह क्षेत्र दिल्ली छावनी बोर्ड से संबंधित है जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है और दिल्ली सरकार के नहीं आता है;

यहां पर बिजली की आपूर्ति मिनिटरी इंजीनियरिंग सविसेज (एमईएस) द्वारा की जाती है जो कि दिल्ली कन्टूनमैंट बोर्ड के नियंत्रण में है;

यह प्रश्न (एमईएस) को भेजा गया था और उन्होंने प्रस्तुत किया है वर्तमान में वे इन जेजे क्लस्टर को बिजली आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं होंगे और उन्हें इसके लिए रक्षा मंत्रालय की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

ट्रांसफॉर्मर के संबंध में उन्होंने यह भी बताया है कि ट्रांसफॉर्मर इस क्षेत्र में मौजूद है लेकिन उन्हे अधिकृत लोड की आपूर्ति के लिए डिजाइन किया गया है और उनके पास अतिरिक्त लोड की कोई क्षमता नहीं है।

एमईएस से प्राप्त उत्तर की प्रति संलग्नक के रूप में संलग्न है।

lyXud d

Tele: 25691966

SPEED POST
Garrison Engineer (Utility)
Elect Supply
Delhi Cantt-10

4100/EC/ 16/E4

01 Jun2018

Govt. of National Capital Territory of Delhi
(Department of Power)
Delhi Secretariat 8th Level, B-Wing,
I.P. Estate New Delhi-110002

ISSUE OF NEW ELECTRICITY CONNECTION TO JUGGI JHOPDI ADJOINING CANTONMENT AREA

1. Reference your letter No. F.I 1{85)/2016/Power/LS&RS/1460 dt 30.05.2018.

2. Parawise replies as asked in above ref ietter are as under:-

Para 3(a):	At present MES can not provide any electric supply to Juggi Jhopdi as mentioned in above cited letter. Necessary approval of MoD is required.
Para 3(b):	Not applicable.
Para 3(c):	Not applicable.
Para 3(d):	Yes, But only designed for authorized load and have no capacity for additional load.
Para 3(e):	No, There is no provision
Para 3(f):	Not Applicable.

(Ariz Ahmed, IDSE)

EE

Garrison Engineer

ekuuh; v/;{k % हां सुरेन्द्र जी, सप्लीमेंटरी।

Jh lqjsUnz flag % अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि रक्षा मंत्री के वहां से जो जवाब आया है, एमईएस के माध्यम से जो जवाब आया है, वो झुग्गी कलस्टर डिफेंस के एरिया में पड़ते हैं, बरार के झुग्गी कलस्टर हैं और किर्बी प्लेस झुग्गी कलस्टर है। साथ में वहां केन्द्रीय विद्यालय के पास 5–10 घर हैं, उनमें भी बिजली की मैं लगातार गुहार लगा रहा हूं पिछले 4 साल से। तो वहां पर बिजली दी गई है लगभग 9 रुपये 45 पैसे पर रीडिंग के हिसाब से उन घरों को। जो ये झुग्गी कलस्टर का मैंने मुद्दा रखा है, ये बिल्कुल प्रॉपर जो धौला कुँआ का सर्कल है, उसके बीच में ये झुग्गी कलस्टर आता है। जो कि दिल्ली कैंट बोर्ड का जो आफिस है।

ekuuh; v/;{k % सुरेन्द्र जी क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन करें, प्लीज।

ekuuh; ÅtkZ ea=h ¼Jh lR;sUnz tSu½ % एक बार प्रॉपर पूरा बता देता हूं। जो छावनी परिषद का क्षेत्र है, वो धौला कुँआ पार्ट–दो जो चौकी बनी हुई है, वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद एनडीएमसी का क्षेत्र शुरू हो जाता है जो रोड के इस तरफ जो आर्मी का भी कैंप है, वो भी एनडीएमसी के अंदर आता है और उसमें एनडीएमसी वहां पे बिजली सप्लाई करती है। ये जो प्वाइंट है, ये पीडब्ल्युडी की लैंड के ऊपर ये झुग्गियां हैं। धौला कुँआ के बीच रिंग रोड के बीचों–बीच ये झुग्गी बनी हुई है और दूसरा, वहां पर जो है, पीडब्ल्यू का ट्रांसफार्मर वगैरह लगे हुए हैं, पॉवर हाउस जो बिजली, रोड लाइट में सप्लाई करती है, वो है। तो ये एमईएस का मुद्दा नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी से इसका जो है, पीडब्ल्युडी और जो है ना, ऊर्जा विभाग का वो है, इसका एमईएस का यहां पर कोई लेना–देना नहीं है।

ekuuh; v/;{k % कौन सी झुग्गी बस्ती है, झुग्गी बस्ती का नाम क्या है इसका?

Jh lqjsUnz flag % धौला कुंआ, झुग्गी बस्ती।

ekuuh; Åtkz ea=h % मैं बता देता हूं। जो ये जमीन है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं एमएलए साहब। जमीन ये लोक निर्माण विभाग की है और 46 से 50 झुग्गियां शायद यहां पर हैं। परन्तु इसमें जो बिजली का जो प्रोविजन करना है, वो पीडब्ल्यूडी को नहीं करना होता है। बिजली का प्रोविजन जो है... क्योंकि ये कंटून्मैंट बोर्ड के अंदर ही आता है तो इसके अनुसार उनको नहीं करना है।

ekuuh; v/;{k % नहीं, उनका क्वेश्चन ये है कि वो जगह पीडब्ल्यूडी की है। लैंड अगर पीडब्ल्यूडी की है, झुग्गियां उस पर बस गई हैं। उनमें बिजली कौन सप्लाई करेगा।

ekuuh; Åtkz ea=h % देखिए, बिजली का प्रोविजन ऐसे तो दिल्ली के अंदर ना रेवेन्यू की लैंड के ऊपर भी झुग्गियां बनी है। अलग–अलग डिपार्टमैंट में बनी हुई है तो डिपार्टमैंट कभी भी बिजली का प्रोविजन कहीं नहीं करता है।

Jh lqjsUnz flag % अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि वो जो झुग्गी क्लस्टर है। वहां पे जो है, उन लोगों ने बिजली के तार वहां पे लगाए। पीडब्ल्यूडी की बिजली में लगाए या किसकी में लगाए पर तो ट्रेड के जो

बिल दिए गए, चोरी के जो वहां बिल दिए गए हैं, वो बीएसईएस ने वहां पर बिल दिए हैं। चोरी की उन लोगों के ऊपर जो पेनल्टी लगाई है, अगर वो एमईएस का क्षेत्र है और वहां पर बीएसईएस का कोई लेना देना नहीं बनता तो चोरी के वहां बिल झुग्गी वालों को वो लोग कैसे दे के आ गए, मैं ये जानना चाहता हूं?

ekuuh; v/;{k % बिल लाए हैं कोई?

Jh lqjsUnz flag % बिल आए हैं।

ekuuh; ÅtkZ ea=h % माननीय अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में बिजली के कोई मीटर नहीं लगाए गए हैं। मीटर तो नहीं लगे है ना?

Jh lqjsUnz flag % मीटर नहीं है।

ekuuh; ÅtkZ ea=h % कोई मीटर नहीं लगाए गए हैं और जैसे एमएलए साहब ने बताया, इसकी जांच कराई जाएगी कि भई किसने भेजे हैं क्योंकि कोई मीटर लगाए नहीं गए तो इका पता नहीं है। चोरी वो कहां से करके लाए हैं और ये ऐसा इन्होंने कहा है कि किसी जगह से वो मीटर तार लगा के ले आए। जिसकी चोरी करी है तो उसने बिल भेजे होंगे तो पता किया जाएगा; किसने चोरी की है।

Jh lqjsUnz flag % तो इसपे मैं ये ही बोलना चाह रहा था जो विजेन्द्र गुप्ता जी अभी बिल दिखा रहे थे।

ekuuh; v/;{k % भई, हो गया।

Jh lqjsUnz flag % भारत सरकार तो बिजली लगाने नहीं दे रही है, वो तो बिल दिखा रहे थे। कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरी विधान सभा

का... 10 रुपये यूनिट के हिसाब से गरीबों को बिजली बेची जा रही है और मैं यहां बार–बार अनुरोध कर रहा हूं कि दिल्ली सरकार जिस तरह से बिजली के कम–से–कम बिल सब्सिडी से दे रही है, उस माध्मय से हमारे वहां बिजली लगाई जाए एक खाली एनओसी के लिए भी माननीय मंत्री जी ने कोशिश की है।

ekuuh; v/;{k % बैठिए बैठिए। प्रश्न संख्या–चार, जरनैल जी।

Jh tjuly flg % माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय प्रश्न संख्या–चार का जवाब देने की कृपा करें।

क्या माननीय lekt dY;k.k e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनु.जाति/जन.ज./अ.पि.व. के विद्यार्थियों के कल्याण के लिए विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का विवरण क्या है;

(ख) ट्यूशन फीस के भुगतान हेतु वर्ष 2015–16, 2016–17 व 2017–18 में प्राप्त हुए आवेदनों का विवरण क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि वर्ष 2015–16 में प्राप्त आवेदनों का भुगतान अभी तक लंबित है;

(घ) इस मामले में हुई देरी के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन योजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ekuuh; lekt dY;k.k e=h % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–चार का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) अनु.जाति/जन.ज./अ.पि.व. के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजनाओं का पूरा विवरण अनुलग्नक 'क' में वर्णित है;

उपरोक्त छात्रवृत्ति योजनाओं के अतिरिक्त विद्यार्थियों के कल्याण हेतु विभाग द्वारा निम्न योजनाओं का कार्यान्वित भी किया जा रहा है:

1. जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजनाः इस योजना के तहत दिल्ली में अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित पात्रताधारी विद्यार्थियों को दिल्ली सरकार यू.पी.एस.सी./एस.एस.सी. इत्यादि द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षाओं तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों द्वारा कोचिंग उपलब्ध करा रही है;

2. एक आवासीय विद्यालय कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (केआईएसएस), जो कि कलिंगा इंस्टीट्यूट आूफ सोशल सांइसेस (केआईटीटी), भुवनेश्वर एवं दिल्ली सरकार के संयुक्त उद्यम में एमओयू के तहत चलाया जा रहा है। इनमें रहने वाले छात्र छात्राओं को शिक्षा, आवास, खाना, यूनिफार्म, लेखन सामग्री, किताबें तथा प्राथमिक उपचार की सुविधाएं निशुल्क दी जाती हैं;

3. विभाग द्वारा अनु.जाति/जन.ज./अ.पि.व. के विद्यार्थियों के लिए दिलशाद गार्डन में दो होस्टलों का संचालन किया जा रहा है जिनमें 160 विद्यार्थी (छात्र–100 व छात्रा–60) लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें रहने वाले छात्र छात्राओं को आवास एवं खाने–पीने की सुविधाएं निशुल्क दी जाती हैं;

4. यह विभाग, डीएसएफडीसी (DSFDC) के माध्यम से अनु.जाति/जन.ज./अ.पि.व. तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है;

(ख) ट्यूशन फीस के भुगतान हेतु वर्ष 2015–16 में 32.717, वर्ष 2016–17 में 25,174 और 2017–18 में कुल 26,399 आवेदन प्राप्त हुए।

(ग) जी हां।

(घ) आवेदकों द्वारा वांछित दस्तावेजों को जमा नहीं करना।

(ङ) आवेदकों को वांछित दस्तावेज जमा करने के लिए पत्र और संदेश भी भेजे जा चुके हैं। उन्हें दस्तावेज जमा कराने का अंतिम अवसर 25 जून, 2018 तक देने का निर्णय किया गया है।

vuyXud ^d**

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों (कक्षा 1 से 12) को स्टेशनरी (लेखन सामग्री) खरीदने के लिए वित्तीय सहायता:–

कक्षाएं	छात्रवृत्ति	आय सीमा	आय प्रमाणपत्र
(1 कक्षा से 8 तक)	रु. 1000/– प्रति वर्ष	रु 2,00,000/– वार्षिक	स्व घोषित
(कक्षा 9 से 12 तक)	रु. 2000/– प्रति वर्ष		
दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूल/दिल्ली सरकार स्कूल/दिल्ली सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल/केन्द्रीय विद्यालय/एनडीएमसी/दिल्ली छावनी बोर्ड/दिल्ली नगर निगम परिषद			

2. अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों (कक्षा 1 से 12) को छात्रवृत्ति/योग्यता छात्रवृत्तिः–

कक्षाएं	छात्रवृत्ति	आय सीमा	आय प्रमाणपत्र
(1 कक्षा से 12 कक्षा तक) दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूल/दिल्ली सरकार स्कूल/दिल्ली सरकार द्वारा सहायता प्राप्त	(i) अ.ज./अ.जन./अल्पसंख्यक 1 से 8 कक्षा रु. 1000/– प्रति वर्ष (अंक % की कोई सीमा नहीं)	अनुसूचित जाति/जनजाति कोई आय सीमा नहीं अन्य पिछड़ा वर्ग/	स्व घोषित (केवल अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदाय)

कक्षाएं	छात्रवृत्ति	आय सीमा	आय प्रमाणपत्र
स्कूल/केंद्रीय विद्यालय/एनडीएमसी/ दिल्ली छावनी बोर्ड/दिल्ली नगर निगम परिषद	(ii) अन्य पिछड़ा वर्ग (6 से 8) के लिए:– 55 से 60% अंक पिछली कक्षा 600/– प्रति वर्ष 60% से ऊपर अंक पिछली कक्षा रु. 720/– प्रति वर्ष उपर्युक्त (i) और (ii) के दावों के लिए 9 से 10 कक्षा:– रु. 1620/– प्रति वर्ष (55% से 60% अंक पिछली कक्षा) रु. 2040/– प्रति वर्ष (60% से ऊपर अंक पिछली कक्षा) 11 से 12 कक्षा:– रु. 3000/– प्रति वर्ष (55% से 70% अंक पिछली कक्षा) रु. 4500/– प्रति वर्ष (70% से ऊपर अंक पिछली कक्षा)	अल्पसंख्यक रु 2,00,000/– वार्षिक	

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों ट्यूशन फीस की अदायगीः–

कक्षाएं	ट्यूशन फीस अदाएगी	आय सीमा	आय प्रमाणपत्र
(1 कक्षा से 12 कक्षा तक) दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूलः–	60,000/– तक वार्षिक आय के लिए 100	रु. 2,00,000/– वार्षिक	राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा जारी
पिछली कक्षा में (6 से 12) के लिए न्यूनतम 50% अंक और 80% उपस्थिति			

4. कॉलेज और व्यावसायिक संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्तिः–

कक्षाएं	छात्रवृत्ति	आय सीमा	आय प्रमाण पत्र
(कॉलेज/तकनीकी/व्यावसायिक संस्थान)	(i) हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए रु. 9,468/– से 22,320/– प्रति वर्ष	(i) अनुसूचित जाति/जनजाति कोई आय सीमा नहीं	राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा जारी
पिछले परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक	(ii) गैर हॉस्टल (डे स्कॉलर) छात्रों के लिए रु. 5,040/– से रु. 11,520/– प्रति वर्ष (कोर्स के आधार पर)	(ii) अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक रु. 2,00,000/– वार्षिक	

5. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर टापर्स पुरस्कार

कक्षाएं	छात्रवृत्ति	आय सीमा	आय प्रमाणपत्र
टापर्स छात्रों की सूची सूचीबद्ध शिक्षण संस्थान से मांगी जाती है।	8000 रुपये प्रति कोर्स	कोई आय सीमा नहीं	लागू नहीं होता है।

dUn&ik;kftr dk;Øe ¼lkekftd U;k; vkj vf/kdkfjrk e=ky;] Hkkjr ljdkj½

1. अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजनाः–

कक्षाएं	छात्रवृत्ति	आय सीमा	आय प्रमाणपत्र
(कक्षा 11, 12 एवं उच्च शिक्षा)	अनुरक्षण भत्ता होस्टल रु. 260/– से रु. 750/– प्रति माह गैर हॉस्टल (डे स्कॉलर) रु. 160/– से रु. 350/– प्रति माह अन्य भत्ते तथा शुल्क, योजना के अनुसार	अन्य पिछड़ा वर्ग रु. 1,00,000/– वार्षिक	राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा जारी

2. अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजनाः–

कक्षाएं	छात्रवृत्ति	आय सीमा	आय प्रमाणपत्र
(कक्षा 1 से 10)	होस्टलर (3 से 10)	रु. 2,50,000/– वार्षिक	स्व घोषित

दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूल/दिल्ली सरकार स्कूल/दिल्ली सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल/केंद्रीय विद्यालय/एनडीएमसी/दिल्ली छावनी बोर्ड/दिल्ली नगर निगम परिषद	रु. 500/– प्रति माह (दस महीनों के लिए) गैर हॉस्टल (डे स्कॉलर) (1 से 12):– रु. 100/– प्रति माह (दस महीनों के लिए) (पिछली कक्षा में न्यूनतम उपस्थिति 60% से अधिक)

3. अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजनाः–

कक्षाएं	छात्रवृत्ति	आय सीमा	आय प्रमाणपत्र
कक्षा 9 और 10	डे स्कॉलर रु. 225/– प्रति माह 10 महीनों के लिए और बुक और एडहॉक अनुदान प्रति वर्ष रु. 750/– होस्टलर रु. 525/– प्रति माह 10 महीने और बुक और एडहॉक अनुदान प्रति वर्ष रु. 1000/–	रु. 2,50,000/– वार्षिक	स्व घोषित

4. अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजनाः—

कक्षाएं	छात्रवृत्ति	आय सीमा	आय प्रमाणपत्र
(कक्षा 11, 12 एवं उच्च शिक्षा)	अनुरक्षण भत्ता होस्टलर रु. 380/— से रु. 1200/— प्रति माह डे स्कॉलर रु. 230/— से रु. 550/— प्रति माह अन्य भत्ते तथा शुल्क, योजना के अनुसार	अनुसूचित जाति रु. 2,50,000/— वार्षिक	राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा जारी

(विस्तृत जानकारी के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.scstwelfare.delhigovt.nic.in देखें।)

Jh tjuSy flag % सप्लीमेन्टरी, अध्यक्ष जी।

ekuuh; v/;{k % हां।

Jh tjuSy flag % अध्यक्ष जी, मेरा कन्सर्न ये है कि जैसे मेरा विधान सभा क्षेत्र भी है, बड़ी संख्या में माइनोरिटी कम्युनिटी रहती है वहां पर और आंकड़ें भी कुछ वैसा ही बता रहे हैं कि 2015–16 में 32,717 आवेदन थे। ऐसा नहीं है कि लोग बहुत ज्यादा वेलअप हो गए हैं पिछले 3–4 सालों में... 10 लाख के आस–पास ऐसे परिवार हैं जो गरीब लोग हैं, जिनको इस स्कीम का लाभ मिलना चाहिए पर आवेदन ही सिर्फ 32,717 आए और वो भी तीन साल में साल दर साल घट के कभी 26,399 हो चुके हैं और जो रीजन है, मैंने पूछा है कि इस मामले में देरी के क्या कारण हैं तो विभाग द्वारा बताया गया है कि आवेदकों द्वारा वांछित दस्तावेजों को जमा नहीं करना। ऐसा नहीं है अध्यक्ष जी, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं और 2015–16 की फीसेज अभी तक नहीं आई। लोगों को ये लगता है शायद फीस आनी ही नहीं है या लोगों का...

ekuuh; v/;{k % नहीं क्वेश्चन क्या है इसमें?

Jh tjuSy flag % क्वेश्चन ये था अध्यक्ष जी, माइनॉरिटीज को जो रिफंड मिलता है, ट्यूशन फीस का वो स्कीम पूरी तरह से जमीन पर पहुंच नहीं पा रही। 10 लाख के आस–पास परिवार हैं, लगभग 26 हजार परिवारों ने आवेदन किया है तो वो स्कीम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए और जिन लोगों के आवेदन हुए पड़े हैं, उनमें से बड़ी संख्या में पेडिंग पड़ा है, विभाग स्वीकार कर रहा है पर उसका समाधान कोई नजर नहीं आ रहा। उसके लिए कुछ मतलब बनती कार्रवाई की जाए।

ekuuh; v/;{k % माननीय मंत्री जी।

ekuuh; lekt dY;k.k ea=h % जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि केवल इस बार 26,399 आवेदन आए, तो मैं सभी सम्मानित सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि जब पहले ये एड निकला, इसमें 31 जनवरी लास्ट डेट थी। 31 जनवरी तक भी सब लोगों ने जमा नहीं किए एप्लीकेशंस। ये डिमांड आई कि डेट को बढ़ाया जाए तो हमने एक महीना बढ़ा के 28 फरवरी डेट कर दी। 28 फरवरी करने के बाद भी एप्लीकेशंस.... फिर ये पता लगा कि अभी कुछ लोग रह गए हैं, फिर से डेट बढ़ाई जाए। फिर हमने दोबारा से एड निकाला अखबार में और हमने डेट बढ़ा के 31 मार्च कर दी। 31 मार्च करने के बाद भी फिर भी कुछ रिक्वेस्ट इस तरह की आई तो हमने अप्रैल की 10 तारीख की तो बार–बार अखबार में एंड निकालने के बाद भी बार–बार अवसर देने के बावजूद अगर एप्लीकेशंस लोग नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए तो सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अगर उनको लगता है, इतनी ज्यादा संख्या है तो वो लोगों को इसकी जानकारी दें कि लोग अप्लाई करें, ऑन लाइन अप्लाई करने की सुविधा दी गई है। लोग नहीं करेंगे तो फिर उसमें तो फिर गवर्नमैंट उसके लिए दोषी नहीं सकती।

ekuuh; v/;{k % नहीं, इनका दूसरा भी था सप्लीमेन्टरी।

Jh tjuly flg % मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, अगर 2015–16 से रिएम्बर्समैंट पेंडिंग पड़ी है तो वो लगता है शायद आना ही नहीं है इसलिए लोग डेमोटिवेट होते हैं आगे अप्लाई करने के लिए। तो पिछली पेंडेंसी खत्म की जाए और आगे से और ऑप्शंस भी दी जाए मेरे

ख्याल खाली ऑन लाइन ऑप्शन है, इसकी ऑफ लाइन ऑप्शन भी शुरू की जाए और...

ekuuh; lekt dY;k.k e=h % ये जो कुछ लोगों की नहीं आई थी, उनके खुद के डाक्युमैंट कम्प्लीट नहीं थे। अगर देखा जाए तो वो बंद हो चुकी थी। लेकिन सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझी और फिर से मौका दिया है और 25 तारीख लास्ट डेट रखी है कि कम–से–कम अभी भी यहां आप अपने पेपर पूरे दे दें जो रिक्विजिट डाक्युमैंट उनके रह गए हैं। तो हम अभी भी उनको उनका पैसा देना चाहते हैं।

ekuuh; v/;{k % 25 इसी महीने की?

ekuuh; lekt dY;k.k e=h % तो अगर ऐसे केसिज हैं...

ekuuh; v/;{k % 25 जून लास्ट डेट है।

ekuuh; lekt dY;k.k e=h % 25 जून दी हुई है अखबार में, ऐड बहुत काफी बड़ा एड परसों के अखबार में आया है।

...(व्यवधान)

ekuuh; v/;{k % नहीं, अब नहीं दो से ज्यादा नहीं। जगदीप जी प्लीज।

Jh txnhi flg % मैं छोटी सी बात मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि पिछला पेंडेंसी काफी बहुत बड़ी पड़ी हुई है, उसका एक टाइम बाउंड कर दिया जाए कि उनकी फीस वापस कर दी जाए जैसे कि जरनैल ने बताया कि लोगों का विश्वास उठ गया है तो लोग अभी ऐसी स्कीमों में अप्लाई

ही नहीं कर पा रहे। तो एक बारी जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनको बुला के आप संज्ञान लें कि किस–किस ईयर में कितनी कितनी फीसें जो वापिस जानी हैं, उसका पूरा ब्यौरा बना के आप उसको टाइम बाउंड करें कि वो टाइमली आ जाए ताकि वो गरीब लोग हैं, उनको बहुत इस पैसे की जरूरत है।

ekuuh; lekt dY;k.k e=h % मैं छोटी सी बात मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो पिछला पेंडेंसी काफी बहुत बड़ी पड़ी हुई है, उसका एक टाइम बाउंड कर दिया जाए कि उनकी फीस वापस कर दी जाए जैसे कि जरनैल ने बताया कि लोगों का विश्वास उठ गया है तो लोग अभी ऐसी स्कीमों में अप्लाई ही नहीं कर पा रहे। तो एक बारी जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनको बुला के आप संज्ञान लें कि किस किस ईयर में कितनी कितनी फीसे जो वापिस जानी हैं, उसका पूरा ब्यौरा बना के आप उसको टाइम बाउंड करें कि वो टाइमली आ जाए ताकि वो गरीब लोग हैं, उनको बहुत इस पैसे की जरूरत है।

ekuuh; lekt dY;k.k e=h % मैं एक एडिशनल जानकारी दे दूं, वर्ष 2014–15 में टोटल 3410 केसिज और 2015–16 में 4447 केसिज... हमने करीब छः लाख स्कॉलरशिप क्लीयर की हैं। ढूंढ़–ढूंढ के लोगों को चिट्ठियां भेज के एसएमएस भेज के लोगों को बुलाया कि आप पेपर कम्प्लीट करें तो इतना बड़ा काम... एडिशनल वर्क फोर्स लगाई। हमारे एडिशनल हमारे पास आप जान के ताज्जुब करेंगे, हमारे पूरे डिपार्टमेंट की हालत इतनी खराब है कि हम 50 परसेंट से भी कम स्टॉफ पे अपना काम कर रहे हैं और हमने दूसरे डिपार्टमैंट से स्टॉफ ले के हायर करके पिछले छः लाख के आस–पास केसिज को हमने शॉर्ट आउट किया। तो मैं माननीय सदस्यों

से निवेदन करूंगा कि अगर कोई ऐसे केसिज हैं चूंकि अब ये संख्या बहुत ज्यादा नहीं रह गई है। ये संख्या केवल आठ हजार के आस–पास है तो अगर ऐसे केसिज उनके कोई संज्ञान में आते हैं तो उनको भेजिए, वो अपने पेपर 25 जून तक पूरे कर दें ताकि हम उनको क्लीयर कर दें और आगे के लिए मैं सम्मानित सदस्यों को सूचना देना चाहता हूं।

ekuuh; v/;{k % आप पर्सनली मिल लीजिएगा... कुल गो उसमें।

ekuuh; lekt dY;k.k e=h % हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि अगले साल से जितने भी एप्लीकेशन आएंगी, हम अप्रैल तक उनको पैसा दे दिया करेंगे और लेकिन सब लोग उसमें कोऑपरेट करें कि जिनको जानकारी नहीं है, हम अखबार में तो छाप देते हैं और बड़े बड़े एड भी लगा देते हैं, उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो एड या अखबार नहीं पढ़ते तो अगर उनकी खुद की नोटिस में ऐसे लोग हैं तो वो लोग अप्लाई करें, थैंक्यू।

ekuuh; v/;{k % चलिए।

Jh tjuSy flag % अध्यक्ष जी, मंत्री जी से छोटा सा निवेदन है कि कुछ लोगों को मिल भी रही है पर इसमें बहुत ज्यादा...

...(व्यवधान)

ekuuh; v/;{k % सप्लीमेंटरी हो गया ना? और आपने पूछना है? नहीं, चलिए।

...(व्यवधान)

Jh tjuSy flag % इसमें थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा।

ekuuh; v/;{k % सिरसा जी, एक सप्लीमेंटरी... एक सप्लीमेंट, श्री मनजिंदर सिंह सिरसा पूछेंगे?

ekuuh; lekt dY;k.k ea=h % ठीक है, एक मीटिंग कर लेते हैं।

ekuuh; v/;{k % सिरसा जी, एक सप्लीमेंटरी पूछना चाह रहे हैं।

Jh eufltanj flag fljlk % अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा तो मंत्री जी से ये निवेदन है, जो आपने ये फीगर बताई 25174 और 26399। मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं, थोड़ी सी इसमें गलती है जैसे आपने अभी भी कहा कि मेरे ख्याल से काफी हजारों लोगों की एप्लीकेशन आई हुई हैं या तो खाली एससी, एसटी के है और माइनॉरिटी भी इसी के अन्दर आता है। क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन रह गयी। लोगों को ज्यादा मिला। लेकिन एक मैं अध्यक्ष जी, सप्लीमेन्टरी के तौर पर भी कहना चाहता हूं कि अगर हम इसको जैसे आपने माइनॉरिटी का और एससी के लिए आप अगर डिस्ट्रिक्टवाइज इसको अगर आप एप्लीकेशन लेनी... रिसीव करें तो क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं। माइनॉरिटी सेल हमने अपना बना रखा है और तकरीबन 30–40 हजार एप्लीकेशन हम ही हर साल लेके आते हैं तो ये सही है कि आपके पास स्टॉफ की कमी है। ये हमने भी नोटिस किया है। हम अपने आदमी भी आपको दे रहे हैं। लेकिन ये मेरी आपसे वितनी है कि पिछला... अगर हम इसको क्लीयर नहीं कर पाएंगे तो ये बच्चों का साल दर साल बढ़ता जा रहा है। अब 2016 का अगर पेन्डिंग है तो स्वाभाविक तौर पर जब हम उनको कहते हैं; अपना

सर्टिफिकेट बनवाओ, अपना इन्कम सर्टिफिकेट बनवाओ तो मानने को तैयार नहीं होते। अगर आप इसको जल्दी क्लीयर करके दे दें कि हमें 2018 तक के सारे केसेज क्लीयर कर लिए तो आगे बच्चे और मां–बाप और ज्यादा से ज्यादा एप्लाइ करेंगे, धन्यवाद।

...(व्यवधान)

ekuuh; v/;{k % नहीं, अब इस पर और नहीं। बहुत सप्लीमेन्टरी... प्लीज, ये रह जाएगा। 15 मिनट रह गये हैं।

Jh lnhi dekj % अध्यक्ष महोदय, अभी हमने सरकार ने एक 'जय भीम प्रतिभा योजना' मंत्री जी ने बताया, बड़ा जोर–शोर से वो लांच की थी लेकिन उसमें शिकायत ये आ रही है कि दलितों में भी एक विशेष वर्ग की जाति के बच्चों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और ये नहीं पता लग रहा है बच्चों को कि इसके पैरामीटर्स क्या हैं और ये कौन–कौन से इंस्टीट्यूट में हैं। बहुत ज्यादा मतलब अनभिज्ञता है लोग इससे... और एक दूसरी बात और शिक्षा मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूं मनीष जी से।

ekuuh; v/;{k % नहीं–नहीं भाई, मनीष जी का कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं, बैठिए। मैं एलाउ नहीं कर रहा हूं।

Jh lnhi dekj % नहीं सर, एससी, एसटी से रिलेटेड है।

ekuuh; v/;{k % उनसे रिलेटेड नहीं है। राजेन्द्र जी का क्वेश्चन है तो है। तो बात करिए।

Jh lanhi dqekj % हम गौतम जी से ही पूछ लेते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था एक बार जब अम्बेडकर जयन्ती मनाई थी बीजेपी वालों ने तो तुम सावरकर को पढ़ाओ, हम अम्बेडकर को पढ़ाएंगे। मुझे ये बता देंगे, कौन से स्कूल में अम्बेडकर पढ़ाया जा रहा है? हम भी अपने बच्चों को वहां भेज देंगे। तो ये चीजें थोड़ा सा इम्प्लीमैण्ट भी होना चाहिए।

ekuuh; v/;{k % ठीक है। चलिए, बैठिए। प्रश्न संख्या पांच, श्री महेन्द्र गोयल जी।

Jh egsUnz xks;y % आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या–पांच निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

क्या माननीय **fodkl ea=h** यह बताने की कृपा करेंगेः

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड का रिठाला गांव में विकास कार्यों का कोई प्रस्ताव है;

(ख) इन कार्यों के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड द्वारा कार्यों के क्रियान्वयन की पूर्ण प्रक्रिया का विवरण क्या है;

(घ) रिठाला गांव में इन कार्यों के क्रियान्वयन में देरी के क्या कारण हैं;

(ङ) पिछले तीन वर्षों में दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड को कितना बजट आबंटित किया गया है;

(च) पिछले तीन वर्षों में दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड द्वारा कितनी राशि खर्च की गई है; और

(छ) क्या सभी गांवों में ग्रामीण विकास समितियों का गठन किया जा रहा है; और

(ज) यदि हां, तो रिठाला गांव में गठित की गई ग्रामीण विकास समिति के सदस्यों का विवरण क्या है?

ekuuh; v/;{k % माननीय मंत्री जी।

ekuuh; fodkl ea=h % माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या–पांच का उत्तर निम्नानुसार है:

(क) हां, यह सत्य है;

(ख) रिठाला गांव के विकास से संबंधित पांच प्रस्ताव स्थानीय विधायक द्वारा प्राप्त हुए हैं जिन्हें दिल्ली विकास बोर्ड ने अनुमोदित कर दिया है। इनमें से एक प्रस्ताव की मिसिल पर उपायुक्त कार्यालय से भूमि स्थिति रिपोर्ट आनी शेष है तथा अन्य चार प्रस्तावों की मिसिलें सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई उपरांत दिनांक 30.05.2018 को ग्राम विकास विभाग में प्राप्त हुई है जिन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है;

(ग) दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के कार्यो के क्रियान्वयन के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की प्रतिलिपि संलग्न है;

(घ) सभी प्रस्तावों पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है;

(ङ) दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड का गठन 20/12/2017 को किया गया था। वर्ष 2017–18 के लिए रु. 100.00 करोड़ आबंटित किए गए थे (संशोधित प्रस्ताव) तथा वर्ष 2018–19 के लिए रु. 200.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

(च)

वर्ष	व्यय लाखों में
2017–18	9663.56 एमएच–4515 200.91 एमएच–2515
2018–19	शून्य

(छ) जी हां।

(ज) रिठला गांव में गठित की गई ग्रामीण विकास समिति के सदस्य जो कि स्थानीय विधायक की संस्तुति पर दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए गए हैं, का विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र.सं.	नाम	क्र.सं.	नाम
1.	सुशील प्रसाद	7.	प्रीती
2.	मीना कुमारी	8.	रनवीर सिंह
3.	सोनाली	9.	जय प्रकाश
4.	ओमवती	10.	वीरेन्द्र सिंह
5.	प्रिया	11.	बीरपाल सिंह
6.	मंजू देवी	12.	भरत सिंह

OFFICE OF THE PROJECT DIRECTOR (RURAL DEVELOPMENT)
DEVELOPMENT DEPARTMENT
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
GROUND LEVEL, KASHMERE GATE ISBT, DELHI

No.4/(63)PDRD/Admn/2017/151-200 Dated: 10-01-2018

OFFICE MEMORANDUM

In supercession of all previous orders/OMs and consequent upon constitution the Delhi Village Development Board(DVDB)in place of erstwhile Delhi Rural Development Board (DRDB), the Competent Authority is pleased to notify the following Standard Operating Procedure (SOP) for dealing with project proposals related to the rural and urban villages to be dealt by the Rural Development unit of Development Department, which are recommended bv Hon' ble MLAs/ Hon' ble MPs:-

I. The area MLA/MP shall give a request for the proposed work/ scheme, alongwith the estimate of the said scheme by the Executing Agency, to the Rural Development:

(A) WORKS TO BE UNDERTAKEN BY THE RD UNIT:

The following nature of works may be recommended by the Hon' ble MPs/ MLAs in the rural and urban villages of NCT of Delhi in Lai Dora areas, sizra roads and public utilities on Govt, land, except in unauthorized colonies of anv status and resettlement colonies and JJ bastis falling under the jurisdiction of DUSIB:-

(i) Construction of approach roads/ link roads/ village roads.

(ii) Development of Ponds/ Water Bodies.

(iii) Development of cremation grounds, parks, playgrounds, vyamshalas, village libraries.

(iv) Construction of drainage facilities.

(v) Construction/repair/ maintenance of chaupals, baratghars, community centres.

(vi) Other need based works, like drinking water facility; street lights etc.

The works will be executed by the land/asset owning agency as far as possible. Works will be carried out by the Executing Agency which had done it earlier or by any other agency only after obtaining the NOC from land/asset owning agency/ previous Executing Agency, as the case may be.

(B) WORKS NOT TO BE UNDERTAKEN BY THE RURAL DEVELOPMENT:

(i) Constructions/repairs/maintenance works of schools falling in the domain of Directorate of Education/MCD:

(ii) Constructions/repairs/maintenance works of dispensaries/primary health centres/hospital, falling in the domain of Health Department/MCD;

(iii) Constructions/repairs/maintenance works of Anganwadis, etc. falling in the domain of Social Welfare Department, &

(iv) Constructions/repairs/maintenance works of Election Department/State Election Commission

2. The Rural Development unit shall acknowledge the receipt of only those project proposals of Hon' ble MPs/MLAs, which are accompanied by detailed estimates prepared by the Executing Agency. It is made clear here that project proposals, which are not accompanied by detailed estimate shall not be accepted by the Rural Development unit.

3. The project proposals alongwith detailed estimates prepared by the concerned Executing Agency will be forwarded by the Rural Development

unit to the concerned DM within 10 days of its receipt for seeking land status/encroachment report/litigation report, on the nine point proforma given in (4) below:

4. After receipt of the case file from the Rural Development unit, the Revenue Dept. shall give a clear report and recommendation on the noting nortion covering following points:-

   (i) Revenue records of the land for the proposed work (specific to sizra/ non-sizra status);

   (ii) Total area of the land;

   (iii) Ownership of the land;

   (iv) Status of the land;

   (v) Whether the land has been fenced/ walled earlier? If so, details thereof;

   (vi) Litigation position of the land, if any, with details thereof;

   (vii) Status of encroachment(s), if any, with details thereof;

   (viii) Whether the village is Rural or Urban, Unauthorised Colony of any status, Resettlement Colony, JJ Basti and

   (ix) Whether the work is required in public interest and specific recommendations of the DM thereof.

ekuuh; v/;{k % सप्लीमेन्टरी, महेन्द्र जी।

Jh egsUnz xks;y % अध्यक्ष जी, प्रश्न के भाग 'ख' का चार फाइलें अनुमोदित की हैं। मैं यू पूछना चाहूंगा कि क्या ये टेन्डर प्रक्रिया पर है या ये फाइलें अभी जैसे आपने बताया कि ये पास कर दी गयी हैं। सभी

आफिसों से क्लीयर हो गयी हैं। लेकिन जो मुझे अभी पता लगा है इसके अन्दर डीएसआर, 2014 का पहले एस्टीमेट बनवाया गया था लेकिन अब फिर से 2016 की एस्टीमेट बनवाने के लिए भेज दिया गया है। क्या ये फाइलें ऐसी ही चक्कर काटेंगी। क्या इस साल में काम हो जएगा। ये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा।

ekuuh; v/;{k % माननीय मंत्री जी।

ekuuh; fodkl e=h % माननीय अध्यक्ष महोदय, ये निश्चित रूप से ये प्रश्न काफी जेनुइन है। जिस ग्राम विकास बोर्ड ने इस तरह की लगभग 100 प्रस्तावों को पिछले लास्ट बोर्ड की मीटिंग में पास कर दिया था जिनका सैंक्शन जारी होना था। बोर्ड मीटिंग के दो दिन बाद विभाग को एक लैटर फाइनेन्स विभाग से आया है कि अब सारे प्रस्ताव जो पास किए जाएंगे, वो 2016 के जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार होंगे। वो सारा जो है, करीब 200 से ज्यादा प्रस्ताव जो बोर्ड पास कर चुका है, वो 2014 की गाइडलाइन के अनुसार किया है। तो मैं सदन के माध्यम से भी फाइनेन्स विभाग को और मैं पर्सनली भी वित्त मंत्री साहब से मिलूंगा कि जो बोर्ड से फाइलें पास हो चुकी हैं, कम से कम उनको 2014 के गाइडलाइन के अनुसार काम करने दिया जाए। नये जो, जिस दिन से सर्कुलर जारी हुआ है, उसके बाद की जितने प्रस्ताव आएं हैं, वो 2016 के अनुसार लिया जाए।

ekuuh; v/;{k % ठीक है, महेन्द्र जी।

Jh egUnz xky; % मैं आपके इस उत्तर से संतुष्ट हूं और यहीं चाहूंगा कि जितने भी प्रस्ताव, 2014 के आये हैं, क्योंकि सभी के सभी विधान सभा के सदस्य इससे काफी दुःखी हैं। ये फाइलें अभी तक यूं ही चक्कर काटती रहीं हैं और...

ekuuh; v/;{k % हो गया, महेन्द्र जी, हो गया। कोई और सप्लीमेन्टरी है? राखी जी। भाई एक और है इसमें, आखिरी।

lqJh jk[kh fcM+yk % अध्यक्ष जी, मेरा सिर्फ माननीय मंत्री जी से यही सवाल है कि हम जो फाइल प्रोसेस करते हैं, उसकी कोई समय समय सीमा है? क्योंकि मेरी एक फाइल जो है, इस बोर्ड में प्रस्ताव भी पास हो गये। जो पिछले दो सौ इन्होंने प्रस्ताव पास करे हैं। लेकिन अभी तक उसकी क्लीयरेन्स नहीं हो पायी है। चार से पांच महीने का समय होता है।

ekuuh; v/;{k % माननीय मंत्री जी।

ekuuh; fodkl e=h % माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दो तरह की दिक्कतें आ रही हैं; बोर्ड में पहले जो रूरल एरिया के गांव थे, उनके विकास का काम करता था। फिर सरकार ने निर्णय लिया और बजट भी बना कि शहरी और ग्रामीण जितने भी गांव हैं, उनके विकास का काम होगा। लेकिन लगातार बार–बार सर्विसेज से रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी डिपार्टमैण्ट को कर्मचारी और अधिकारी नहीं दिये जा रहे हैं। बोर्ड लगातार मीटिंग कर रहा है। गठन के बाद, हर महीने मीटिंग हो रही है, प्रस्ताव पारित हो रहे हैं लेकिन इसमें दो स्टेप है। एक स्टेप है कि सारे प्रस्तावों को डीएम के यहां से क्लीयरेन्स आना है। चार–चार महीने, पांच–पांच महीने से फाइलें पड़ी हुई हैं। कोई क्लीयरेन्स नहीं आ रहा है। बोर्ड की जब मिटिंग हो रही है या हमारे द्वारा मीटिंग जब बुलायी जाती है तो अधिकारी नहीं आते हैं, डीएम नहीं आते हैं। इस तरह से ये काम को ठप्प करने की स्थिति चारों तरफ से बनी हुई है। दूसरा न तो कर्मचारी, अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं और जो है भी, वो काम करने को नहीं तैयार हैं। तो ये बात सच है कि

आज लगातार बोर्ड निर्णय ले रहा है लेकिन निर्णय लेने के बाद जो क्लीयरेन्स आना है, उसके न आने की वजह से फाइलें लगातार पेन्डिंग हैं। किसी तरह से ये सौ काम जो है, फाइनल स्टेज में आए थे, उसमें जो हैं फाईनेन्स डिपार्टमैण्ट ने अपना अड़ंगा डाल दिया कि वो भी काम बन्द हो जाए। तो अभी स्थिति यही है। मुझे लगता है कि इस पर सदन को भी सोचने की जरूरत है। जो परिस्थिति बनी है और फाईनेन्स डिपार्टमैण्ट से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि इस पर पुनर्विचार करे।

ekuuh; v/;{k % श्री सुखवीर सिंह दलाल जी। नहीं अब नहीं, झा साहब। मैं एक दो क्वेश्चन और निकल जाएंगे, रह जाएगा।

Jh lq[kohj flag nyky % अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से गुजारिश कर रहा हूं। हमें पिछले साल 600 करोड़ रुपये थे ग्रामीण के लिए। लेकिन अब इन्होंने बताया अभी सौ करोड़ कर दिया। हमने इतनी मेहनत करके वहां 600 करोड़ के अपने प्रोजेक्ट पास किए हुए है। अगर वो गवर्नमैण्ट के डिले से हमारा बजट अभी तक पिछले आठ महीने में 70 विधायक हैं। अगर एक विधायक भी ये कह दे कि मैंने एक रुपये की सैंक्शन मतलब जो है, किसी गांव के लिए मिली है। ये 70 के 70 में से मैं गारण्टी के साथ कहता हूं। हम बोर्ड की मीटिंग करते हैं। वा यूजलेस होती है। या तो बार्ड की इतनी पॉवर दी जाएं कि वो बार्ड अपनी मीटिंग में पास करके वहां ये अफसरों को कहा जा सकता है। जब बोर्ड एक मीटिंग पास कर देता है, उसके बाद भी कई अड़चनें आती हैं। भाई ऐसे नहीं हो सकता। अब हमें बताया गया था पिछले बोर्ड की मीटिंग में कि भाई, हमारे पास 100 सैंक्शन इश्यू हो जाएंगी, अगले दस दिन में। आज उस बोर्ड की मीटिंग को 15 दिन हो चुके हैं। शायद मेरा तो हुआ नहीं।

ekuuh; v/;{k % दलाल जी, वो बताया न मंत्री जी ने उत्तर दिया अपना। आपकी बात का उत्तर दिया है अभी।

Jh l[kohj flg nyky % उस पुराने बजट की भी बात करो ना। जो 500 करोड़ रुपया है हमारा, वो लेप्स नहीं होना चाहिए... सदन के माध्यम से।

ekuuh; v/;{k % बिल्कुल नहीं, एक सप्लीमेंटरी प्लीज।

Jh l[kohj flg nyky % मैं बजट की बात कर रहा हूं अध्यक्ष जी।

ekuuh; v/;{k % मंत्री जी, दलाल जी का उत्तर देंगे कुछ? माननीय मंत्री जी, दलाल जी की बात का, इस क्वेश्चन को अब मैं यही रोक रहा हूं, बस।

...(व्यवधान)

ekuuh; v/;{k % महेन्द्र जी, हो गया।

Jh lkeukFk Hkkjr % इस पर चर्चा कराइये, यह बड़ा मुद्दा है। इस बोर्ड के कारण विकास का कार्य नहीं हो रहा है दिल्ली में।

lJh jk[kh fcMyk % अध्यक्ष जी, इस सवाल को क्वेश्चन एण्ड रेफरेंस कमेटी में दे दीजिए।

Jherh cnuk dekjh % अध्यक्ष जी, दिल्ली की जनता को हमें जवाब देना पड़ता है अधिकारियों को नहीं, दिल्ली की जनता हमसे जवाब मांगती है।

...(व्यवधान)

ekuuh; v/;{k % सोमनाथ जी, एक सेकण्ड रुकिए। मैं डायरेक्शन दे रहा हूं। जिन माननीय सदस्यों ने ग्रामीण विकास बोर्ड में या शहरीकृत ग्रामीण विकास बोर्ड बनने के बाद अपने प्रपोजल भेजे थे, वो एक लैटर मुझे लिखें अपने प्रपोजल के साथ, कब भेजे थे, उसकी डेट, वो लिखकर भेजें मेरे पास। ठीक है, मैं उसको कमेटी को रेफर करता हूं।

प्रश्न संख्या–छः श्री एस.के. बग्गा जी। यह अंतिम रहेगा।

Jh ,l- d- cXxk % अध्यक्ष महोदय, रोजगार मंत्री प्रश्न संख्या–छः का उत्तर देने की कृपा करें:

क्या माननीय jkstxkj ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2015–16, 2016–17 व 2018–18 में आयोजित किए गए रोजगार मेलों में कितने लोगों को रोजगार मेलों में कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया;

(ख) वर्ष 2015–16, 2016–17 व 2017–18 में रोजगार कार्यालय द्वारा कितने पंजीकरण किए गए;

(ग) रोजगार कार्यालय द्वारा पंजीकरण के पश्चात् कितने समय में रोजगार प्रदान किया जाता है; और

(घ) रोजगार प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ekuuh; v/;{k % मंत्री जी।

ekuuh; jkstxkj ea=h ¼Jh xksiky jk;½ % अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–छः का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) रोजगार निदेशालय द्वारा बेरोजगार अभ्यर्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण तथा नियोक्ताओं को नाम प्रेषित करने के अलावा, वर्ष 2015 से अब तक 7 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है, इसमें निजी नियोक्ताओं ने कुल 78001 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया तथा 30380 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया है:

वर्ष	रोजगार मेले की तारीख	शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थी		
		मेलानुसार		कुल
2015—16	1 अगस्त — 8 अगस्त, 2015	2000		
	16 नवंबर — 5 दिसंबर, 2015	12000	—	1400
2016—17	17 मार्च — 18 मार्च, 2017	112	—	112
2017—18	12 मई, 2017	168		
	11 जुलाई — 15 जुलाई, 2017	1184		
	7 नवंबर — 8 नवंबर, 2017	8921		
	15 फरवरी — 16 फरवरी 2018	5995	—	16268

(ख) वर्ष	रजिस्ट्रेशन
2015—16	129713
2016—17	71117
2017—18	84463

(ग) रोजगार निदेशालय, दिल्ली सरकार रिक्तियों का सृजन नहीं करता अपितु नियोक्ताओं की मांग के अनुसार पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची नियोक्ता को उनके द्वारा वांछित आवश्यक शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, अनुभव, श्रेणी तथा कौशल आदि के आधार पर प्रेषित कर रोजगार दिलाने में सहायता करता है। अतः पंजीकरण मात्र ही नियोजक को नाम प्रेषित करने की गारंटी नहीं है, अभ्यर्थी की योग्यतानुसार रिक्तिों का प्राप्त होना भी अपेक्षित है; और

(घ) प्रश्न संख्या 'क' के अनुसार।

ekuuh; v/;{k % सप्लीमेंटरी। दैट्स ऑल। अब नहीं, प्लीज। मैं सदन के सामने एक चीज रख रहा हूं जो बड़ा गम्भीर विषय है।

l|Jh Hkkouk xkM· % अध्यक्ष महोदय, एक सेकण्ड लूंगी मैं आपका। इसमें स्टार्ड और अनस्टार्ड में मेरे एक–एक क्वेश्चन लगे हैं लेकिन उसका लिखित में भी जवाब नहीं आया।

ekuuh; v/;{k % मैं बता रहा हूं। उसी चीज को ले रहा हूं। स्टार्ड क्वेश्चन में संख्या 14 व 16, ये दोनों क्वेश्चन रेवेन्यू से रिलेटिड थे। इन दोनों के उत्तर नहीं आए। सौरभ जी ने भी अपनी बात रखी थी।

l|Jh Hkkouk xkM· % रेवेन्यू ने भी कोई जवाब नहीं दिया है।

ekuuh; v/;{k % क्वेश्चन संख्या–19, यह सुरेन्द्र जी का था, एजुकेशन से रिलेटिड। इसमें मुख्य रूप से यह था कि अध्यापकों की कमी, उसका डिपार्टमैंट ने यह उत्तर देकर भेज दिया है 'दैट दिस इज अ सर्विस रिलेटेड इश्यू।' यह एक बड़ा दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा, घोर अन्याय है। अनस्टार्ड क्वेश्चन्स, संख्या–चार, जगदीश प्रधान जी... सेम उत्तर है। संख्या–नौ, एस.के. बग्गा जी का सेम उत्तर है।

Jh lkseukFk Hkkjrh % विधान सभा का मजाक बना रखा है। विधान सभा के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब...

...(व्यवधान)

ekuuh; v/;{k % एजुकेशन जो है, प्रश्न संख्या–10, अब विजेन्द्र जी नहीं बोलेंगे। राखी बिड़ला जी का प्रश्न संख्या–13, जगदीश प्रधान जी का पॉवर से रिलेटेड है। बड़े अफसोस के साथ यह बात कह रहा हूं। प्रश्न संख्या–31, भावना गौड़ जी का रेवेन्यू से रिलेटेड है। प्रश्न संख्या–36 जगदीश प्रधान जी का है। मैं सारे क्वेश्चन्स, क्वेश्चन्स एण्ड रेफरेंस कमेटी को, एक सेकण्ड मुझे...

...(व्यवधान)

Jh tjuSy flag % अध्यक्ष जी, मेरे क्वेश्चन के जवाब में लिखा है, 'सूची संलग्न है।' मेरे पास सूची नहीं आई।

ekuuh; v/;{k % आप लिखकर दीजिएगा जिनकी नहीं आई। मैं एक बार पूरी बात कर लूं, इसके अलावा कोई और प्रश्न छूट गया है किसी भी कारणवश, जिनके उत्तर संतोषजनक नहीं आए हैं वो भी मुझे लिखकर दे दें, मैं क्वेश्चन एण्ड रेफरेंस कमेटी को ये सारे क्वेश्चन्स भेज रहा हूं।

Jh fo'ks"k jfo % क्या यही चलता रहेगा हर बार हम सवाल पूछेंगे, जवाब नहीं आएंगे?

ekuuh; v/;{k % कोई निर्णय निकालते हैं। इसका हल निकालते हैं, बैठकर हल निकालेंगे। इसका डेफिनेटली हल निकालेंगे। ऐसे नहीं चलेगा।

देखिए, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, किसके इशारे पर एलजी इस ढंग की डायरेक्शन देकर दिल्ली की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। इस पर कुछ न कुछ गम्भीर विचार हमको करना पड़ेगा। पूरे सदन को गम्भीर विचार करना पड़ेगा। कर रहे हैं बात।

...(व्यवधान)

ekuuh; v/;{k % बैठिये, बैठिए प्लीज। दो मिनट बैठिए। सभी माननीय सदस्य बैठें। प्लीज बैठिए। मैं खड़े होकर के यह बात कह रहा हूं, समझ लीजिए, सुनिए, बैठिए एक बार, जरा बैठिए। यह आपातकाल से भी बड़ा अघोषित आपातकाल हैं पूरे भारत में, दिल्ली में नहीं कि प्रश्न पूछे गए हो। चुने हुए नुमाइंदों द्वारा, अंग्रेजों के शासन काल की याद दिलाता है। मैं बोल रहा हूं, कुछ मुझे बोलने दीजिए, प्लीज। ऋतुराज जी, बैठिए।

...(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्य वैल में आए)

ekuuh; v/;{k % मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, अब एक बार बैठें जरा। मुझे निर्णय लेने दें। मुझे किसी निर्णय की घोषणा तो करने दें। बैठिए, आप प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

ekuuh; v/;{k % आप बैठिए, जरा बैठिए।

...(व्यवधान)

ekuuh; v/;{k % आप बैठिए तो सही। मुझे निर्णय तो लेने दीजिए। बैठिए जरा प्लीज।

...(व्यवधान)

ekuuh; v/;{k % बाजपेयी जी, आइये बैठिए।

...(व्यवधान)

ekuuh; v/;{k % मैं माननीय सदस्यों से...

...(व्यवधान)

ekuuh; v/;{k % मैं 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करता हूं और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि एक बार कक्ष में मिलें।

(सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित की गई)

lnu vijkg~u 3-40 cts iqu% leosr gqvkA

ekuuh; v/;{k egksn; ¼Jh jke fuokl xkSy½ ihBklhu gq,A

ekuuh; v/;{k }kjk O;oLFkk

ekuuh; v/;{k % अभी सदन को स्थगित करना पड़ा था। सदस्यों की भावना को मैं समझता हूं और सदन इस विषय पर बड़ा गंभीर है। जिस ढंग से अधिकारियों ने रवैया अपनाया है, मैंने कहा, ये आपातकाल से भी बढ़कर के है। लोकतंत्र के अधिकारों पर कुठाराघात है। मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं रेवेन्यू डिपार्टमैंट – उत्तर नहीं आये हैं, ऐजूकेशन डिपार्टमैंट – उत्तर नहीं आये हैं, पॉवर डिपार्टमैंट – उत्तर नहीं आये हैं। इसमें तीन

स्टार्ड कवैश्चन्स थे; दो रेवेनयू के, एक एजूकेशन का। उन तीनों कवैश्चन्स को, कल स्टार्ड कवैश्चन्स में दोबारा से लिया जायेगा और तीनों के प्रिंसिपल सैक्रेटरी यहां उपस्थित हों और मंत्री महोदय के माध्यम से उसके उत्तर आने चाहिए। यहां मैं ये भी टिप्पणी कर रहा हूं कि किसी विधायक द्वारा ये पूछना कि शिक्षा विभाग में, हेल्थ विभाग में, हेल्थ विभाग में कितनी वकेन्सीज हैं या किसी भी विभाग में... इसको किस कानून के अंतर्गत उसका उत्तर नहीं देना उचित बनता है, सदन ये भी जानकारी नहीं ले सकता कि कितनी वकेन्सीस हैं! ये सदन का ही नहीं, लोकतंत्र का घोर अपमान है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और कल मंत्री महोदय के माध्यम से इनके उत्तर आने चाहिए और तीनों डिपार्टमैंट के प्रिंसिपल सैक्रेटरीज यहां उपस्थित रहने चाहिए।

lJh Hkkouk xkM+ % अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इस टिप्पणी की प्रशंसा करती हूं। क्योंकि आपने, विधायकों ने जो भी बातें अभी आपके सामने रखी है, उसे आपने ससम्मान स्वीकार किया है। स्वाभाविक तौर पर जब चार पांच महीने बाद में हाऊस होता है, हम सब विधायकों के मन में होता है, अगर हम रेवेन्यू के आफिसर के पास जा रहे हैं, वो बात नहीं कर रहा। हम उसको पत्र बनाकर दे रहे हैं तो कोई जवाब नहीं आ रहा, तो हम लोगों के दिमाग में एक बात जरूर होती है कि कम से कम हाऊस एक ऐसी जगह है जहां पर जवाब मिलेगा और अधिकारी वहां मजबूर होगा अपनी बात को बताने के लिए। लेकिन हंसकर के यहां से वापिस चले जाना, ये किसी चीज का हल नहीं है। मैं धन्यवाद देती हूं सर, आपके निर्णय का।

Rkkjkfdr iz'uksa ds fyf[kr mÙkj

02- Jh vke izdk'k 'kekZ % क्या mi eq[;ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सरकार द्वारा कितने नये स्कूलों का निर्माण किया गया है;

(ख) इनमें से कितने स्कूल इस सरकार द्वारा अधिगृहित की गई भूमि पर बनाए गए हैं;

(ग) स्कूलों के निर्माण हेतु सरकार के पास वर्तमान में कितने भू–खण्ड उपलब्ध हैं;

(घ) सरकार द्वारा कितने नये स्कूल खोलने का प्रस्ताव है;

(ङ) वर्तमान सरकार के कार्यकाल में स्कूलों में कितने नये कमरों का निर्माण किया गया है; और

(च) इन कमरों के निर्माण पर कितनी राशि खर्च की गई है?

ekuuh; mi eq[;ea=h % (क) सरकार द्वारा 24 नये स्कूलों का निर्माण किया गया है।

(ख) सभी स्कूलों के लिए भूमि का अधिगृहण सरकार द्वारा ही किया जाता है।

(ग) स्कूलों के निर्माण हेतु सरकार के पास वर्तमान में लगभग 78 भूखण्ड उपलब्ध है।

(घ) सरकार द्वारा 31 नये स्कूल भवनों के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ङ) वर्तमान सरकार के कार्यकाल में स्कूलों में 8000 से ज्यादा नये कमरों का निर्माण किया गया है।

(च) इन कमरों के निर्माण पर लगभग रु. 1100/- करोड़ की राशि खर्च की गई है।

07- Jh fo'k"k jfo % क्या ekuuh; Åtk यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीएसईएस यमुना पावर रिहाइशी इलाकों में चल रही औद्योगिक इकाइयों को घरेलु अथवा औद्योगिक कनेक्शन देता है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रक्रिया का पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) करोल बाग में स्थित मिलिट्री रोड, बापा नगर में इस प्रकार के कितने बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं;

(घ) यदि बीएसईएस इन इकाइयों को घरेलु/व्यवसायिक/औद्योगिक कनेक्शन नहीं देता है तो इन औद्योगिक इकाइयों को नियम के विरूद्ध जा कर किस अथॉरिटी द्वारा कनेक्शन दिए गए हैं; और

(ङ) मिलिट्री रोड, बापा नगर में इन कनेक्शनों की संख्या व विवरण क्या है;

(च) क्या बीएसईएस का इन कनेक्शनों का काटने का कोई प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो उसका क्रियान्वयन कब तक हो जाएगा;

(ज) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है?

ekuuh; Åtk e=h ¼ (क) और (ख) डीईआरसी के स्वीकृत टेरिफ आर्डर के अनुसार बीएसईएस यमुना पावर घरेलु श्रेणी के कनेक्शन देता है, जिनकी सूची सलंग्न है (सलंग्नक 'क') जिसके अनुसार उपभोक्ता अपने निवास स्थान से घरेलु श्रेणी में 5 किलोवाट तक छोटी व्यावसायिक इकाई/दुकानों के लिए बिजली इस्तेमाल कर सकता है।

जबकि औद्योगिक कनेक्शन डीईआरसी (आपूर्ति कोर्ड निष्पादन मानक) विनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार और इसके तहत आदेश 31.08. 2017 के अनुसार, प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने और आवेदकों द्वारा आवश्यक शुल्कों का भुगतान करने पर जारी किया जाता है (संलग्नक 'ख')*

आवेदक को औद्योगिक कनेक्शन आवेदन करते समय, आवेदन को आश्वासन देना होगा, कि उसके पास वैध औद्योगिक लाइसेंस/फैक्ट्री लाईसेंस/ग्रामीण गांव के मामले में, लालडोरा प्रमाण पत्र है।

(ग) और (घ) बीएसईएस यमुना पावर के अनुसार मिलिट्री रोड़, बापा नगर करोलबाग क्षेत्र में 1913 घरेलु, 719 व्यावसायिक और 01 औद्योगिक कनेक्शन लगे है।

(च) से (ज) यदि कोई डीईआरसी के नियमों के विरूद्ध बिजली का उपयोग कर रहा है तो यह पूरी तरह से अवैध है और जब भी ऐसी कोई इकाई बीएसईएस के नोटिस में आती है तो वे बिजली को डिस्कनेक्ट करने के साथ नियमानुसार अन्य उचित कार्रवाई करते हैं।

---

* www.delhi assembly.nic.in पर उपलब्ध।

08- lJh jk[kh fcMyk % क्या ekuuh; lekt dY;k.k ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगोल पुरी विधान सभा में वृद्धावस्था/विधवा/विकंलागता पेंशन पाने वाले लाभार्थियों का विवरण क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि वरिष्ठ नागरिकों को अपनी पेंशन के लिए संबंधित विभागों के बार–बार चक्कर काटने पड़ते हैं;

(ग) उपरोक्त पेंशन राशियों का शीघ्रता से भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या यह सत्य है कि विभिन्न योजनाओं का विवरण व पेंशनों के भुगतान के दिशा–निर्देशों में बदलाव की सूचना विधायकों को नहीं दी जाती है;

(ङ) विभिन्न योजनाओं का विवरण और उनमें संशोधनों से संबंधित जानकारी विधायकों और उनके कार्यालयों में तुरंत देना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) मगोल पुरी विधान सभा में पेंशन पाने वाले नये लाभार्थियों का विवरण क्या है?

ekuuh; lekt dY;k.k ea=h % (क) मंगोल पुरी विधान सभा में वृद्धावस्था/विधवा/विकंलागता पेंशन पाने वाले लाभार्थियों का विवरण निम्न प्रकार है–

योजना	लाभार्थी
वृद्धावस्था पेंशन	9074
विकलांग पेंशन	1525
विधवा पेंशन	3930

सी.डी. में संलग्न है।

(ख) विभाग का भरसक प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। लगभग 78% वृद्धजनों को बढ़ी हुई पेंशन सुचारू रूप से जा रही है। केवल वही वृद्धजन विभाग के कार्यालयों में अपनी समस्या लेकर आते हैं जिन्हें बढ़ी हुई पेंशन उनके बैंक खातों में नहीं मिल रही है क्योंकि या तो उनके बैंक खाते आधार पर लिंक नहीं हैं या उनके आधार में किसी प्रकार की त्रुटि (निष्क्रिय) है और उनके बैंक खाते PFMS पोर्टल पर पेंशन भेजने हेतु Validate नहीं हो पाते हैं।

(ग)

* पेंशन PFMS के माध्यम से बैंको द्वारा सत्यापित (वैरिफाइड) खातों के प्रेषित की जा रही है।
* जिला कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी होने के कारण विभाग द्वारा अन्य कार्यालयों से सत्यापन हेतु 55 कर्मचारियों को अपने कार्य के अतिरिक्त इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया जिससे कि आवेदनों का सत्यापन शीघ्रतापूर्ण किया जा सके।

* जिन आवेदनों में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जा रही है उसके त्वरित समाधान हेतु संबंधित जिला कार्यालयों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकताओं को घर–घर भेजकर आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करवाए जा रहे हैं एवं यथासंभव त्रुटियों का निवारण करके बकाया राशि सहित पेंशन प्रेषित की जा रही है।

* विभाग समय–समय पर समाचारपत्रों में विज्ञापन के माध्यम से तथा प्रचार कैंप आदि लगवाकर Pamphlet/Poster आदि द्वारा लाभार्थियों को अपे बैंक खाते को आधार से लिंक करवाने की हिदायत दे रहा है।

* प्रत्येक जिला समाज कल्याण कार्यालयों में लिखित रूप से यह सूचना दर्शायी गई है सभी लाभार्थी अपने बैंक खातों को सब्सिडी हेतु आधार से लिंक कराएं।

* नए ऑनलाइन आवेदनों की स्वीकृति एवं पेमेंट की स्थिति संबंधी जानकारी समय–समय पर क्षेत्रीय विधायकों को भी दी जा रही है।

* लाभार्थियों की पेंशन संबंधी किसी भी प्रकार की समस्याओं के निवारण हेतु सभी जिला कार्यालयों एवं मुख्यालय में जन संपर्क खिड़की की व्यवस्था है।

* इसके अतिरिक्त विभाग माध्यमों जैसे– आरटीआई, पीजीएमएस, ईमेल, वीआईपी रेफरेंसेस इत्यादि से प्राप्त पेंशन संबंधी शिकायतों/समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान कर दिया जाता है।

* पेंशनधारियों की कठिनाइयों का ध्यान रखते हुए विभाग एक नया केबिनेट नोट प्रस्तावित करने की प्रक्रिया में है जिससे सभी लाभार्थियों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जा सके जब तक कल्याण योजनाओं के लिए आधार लिंकिंग हेतु उच्चतम न्यायालय का कोई अंतिम निर्णय प्राप्त हो जाये। क्योंकि पूर्व केबिनेट निर्णय संख्या 2462 दिनांक 06.01.2017 के अनुपालन में केवल आधार लिंक खातों में ही बढ़ी हुई पेंशन दिये जाने की मंजूरी है।

(घ) और (ङ) विभाग द्वारा सभी योजनाओं से संबंधित संशोधनों की जानकारी क्षेत्रीय विधायकों को दी जा रही है। इसके अतिरिक्त समय–समय पर पेंशन डाटा की सीडी भी क्षेत्रीय विधायकों को प्रेषित की जाती है।

जो भी दिशा निर्देशों में बदलाव होते हैं उनकी अधिसूचना की जाती है तथा विभाग की वेबसाइट (www.socialwelfare.delhigovt.nic.in) (www.wcddel.in) पर डाल दी जाती है।

(च) मंगोल पुरी विधान सभा में पेंशन पाने वाले नये लाभार्थियों का विवरण निम्न प्रकार है–

योजना	लाभार्थी
वृद्धावस्था पेंशन	1036
विकलांग पेंशन	76
विधवा पेंशन	140

सी.डी. में संलग्न है।

09- Jh latho >k % क्या ekuuh; efgyk ,oa cky fodkl foHkkx यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बीपीएल कार्ड धारकों की पुत्रियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या निकट भविष्य में इस प्रकार की कोई योजना कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव है?

ekuuh; efgyk ,oa cky fodkl foHkkx % (क) जी नहीं बीपीएल कार्ड धारकों की पुत्रियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है। विभाग द्वारा विधवा/निराश्रित महिलाओं की पुत्री/अनाथ कन्या विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। विस्तृत जानकारी संलग्न है।

(ख) उपरोक्त के अनुसार।

(ग) उपरोक्त के अनुसार।

(घ) विभाग द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

lyXud ^d*

efgyk ,o cky fodkl foHkkx
jk"Vªh; jkt/kkuh {ks=] fnYyh ljdkj
1] dSfuax ysu] dLrwjck xka/kh ekxZ
ubZ fnYyh&110001

vkfFkZd lgk;rk vuqHkkx

xjhc fo/kok efgyk ,o vukFk dU;k ds fookg gsrq vkfFkZd lgk;rk ;kstuk

1. गरीब विधवा महिला एवं अनाथ कन्या के विवाह हेतु आर्थिक सहायता योजना का लक्ष्य और उद्देश्य–

(क) गरीब विधवाओं को अपनी लड़की का विवाह करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।

(ख) अनाथ लड़की के अभिभावक जिसमें गृह/संस्था अथवा पोषक माता–पिता अथवा अनाथ लड़की को अपने विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।

(ग) यह अनुदान सिर्फ एक बार के लिए है।

गरीब विधवा महिला एवं अनाथ कन्या के विवाह हेतु आर्थिक सहायता योजना पात्रता और भुगतान का तरीका–30,000/– रुपये की एकमुश्त सहायता केवल आवेदक के नाम P.F.M.S. के माध्यम से अकाउंट में दिया जाता है।

आर्थिक सहायता के लिए शर्तें–

(क) प्रार्थी को प्रार्थना–पत्र देने की तिथि से पूर्व 5 वर्षों का दिल्ली का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।

(ख) प्रार्थी के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय रु. 60,000/– से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ग) इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग प्रणाली के माध्यम से भुगतान पाने के लिए उसका बैंक में ''एकल संचालित'' खाता हो।

(घ) वह इस योजना के लिए केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/दिल्ली नगर निगम तथा/अथवा नई दिल्ली नगर परिषद् या किसी अन्य स्रोतों से किसी प्रकार के पेंशन प्राप्त नहीं कर रही हो।

(ङ) जिस लड़की के विवाह के लिए सहायता के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

(च) विधवा महिला को यह सहायता केवल दो लड़कियों के विवाह के लिए दी जा सकती है।

10- lJh vydk ykEck % क्या ekuuh; Åtk e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चांदनी चौक विधान सभा क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट के कारण बार–बार आग लगने की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है;

(ख) चांदनी चौक विधान सभा क्षेत्र में कितने ट्रांसफार्मर लगे हुए है और कितने लगाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का चांदनी चौक व जामा मस्जिद वार्डों में सिर के ऊपर से जा रही बिजली की तारों को हटाकर उन्हें जमीन के अन्दर बिछाने का कोई प्रस्ताव हैं;

(घ) यदि हां तो उसका विवरण क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास संकरी गलियां में जहां बिजली के खम्बें लगाना संभव नहीं है, वहां स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु कोई समाधान है; और

(च) चांदनी चौक विधान सभा में एनडीपीएल व बीएसईएस के पास बिजली के नये कनेक्शनों के कितने आवेदन लंबित हैं?

ekuuh; Åtk e=h % (क) चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र दो वितरण कंपनियों अर्थात बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल के अंतर्गत आता है।

बीवाईपीएल द्वारा सूचित किया गया हैं कि उनके लाइसेसिंग क्षेत्र में कम्पनी के तारों को शोर्ट सर्किट की वजह से आग नहीं लगती अपितु उपभोक्ताओं के घरों की वायरिंग अथवा अन्य किसी वजह से ही आग लगने की दुर्घटनाएं होती है।

टीपीडीएल द्वारा सूचित किया गया है कि उनके क्षेत्र में शोर्ट सर्किट की दुर्घटनाएं बहुत कम है और इस प्रकार की घटनाएं रोकने के लिए समय–समय पर आवश्यक कदम उठाए जाते है, जैसे कि–

1. डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ओवरलोड नहीं किये जाते हैं।

2. LT फीडर ओवरलोड नहीं किये जाते हैं और समय–समय पर लोड बैलेंसिंग भी किया जाता है।

3. डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस पोल माउंटेड लगाए जाते हैं।

4. लूस जॉइंट्स अथवा लूस कनेक्शंस की मेंटेनेंस लगातार की जाती है।

(ख) बीवाईपीएल द्वारा सूचित किया गया है कि वर्तमान में 170 LT ट्रांसफार्मर लगे हुए है और 17 नये LT ट्रांसफार्मर लगाये जाने का प्रस्ताव है।

टीपीडीडीएल द्वारा सूचित किया गया है कि वर्तमान में LT 247 ट्रांसफर्मर लगे हुए है तथा नये ट्रांसफार्मर आवश्यकतानुसार लगाये जाते हैं।

(ग) ऊर्जा विभाग में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(घ) उपरोक्तानुसार लागु नहीं होता।

(ङ) जी नहीं।

(च) चांदनी चौक विधान सभा में बीवाईपीएल द्वारा सूचित किया गया हैं कि बिजली के नये कनेक्शनों के 131 आवेदन लंबित है।

एनडीपीएल जिसका नाम अब टीपीडीडीएल हो गया है, द्वारा सूचित किया गया है बिजली के नये कनेक्शनों के 26 आवेदन लंबित है।

11- Jh txnh'k i/kku ½ क्या ekuuh; flpkbZ ,oa ck<+ fu;=.k ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा 50 हाई मास्ट लाइटें लगाई गयी हैं;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इन लाइटों के रख–रखाव की जिम्मेदारी विभिन्न विभागों को दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इन लाइटों की मरम्मत व रख–रखाव के लिए जिम्मेदार विभागों का विवरण क्या है;

ekuuh; flpkbZ ,oa ck<+ fu;=.k ea=h ½ (क) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के सिविल खण्ड संख्या–4 के द्वारा केवल 29 हाई मास्ट लाइटें MLALAD फंड से लगाई गई है।

(ख) इन लाइटों का रख–रखाव, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अन्तर्गत नहीं आता। कार्य समाप्ति के बाद इस संदर्भ में पूर्व दिल्ली नगर निगम, अधिशासी अभियंता (विद्युत) को स्थानान्तरण एवं रख–रखाव हेतु पत्र द्वारा दिनांक 04.04.2013 को सूचित किया गया था (पत्र प्रतिलिपि संलग्नक 1 पर संलग्न है)। इसी संदर्भ में तत्कालीन शहरी विकास मंत्री के द्वारा ली गई मीटिंग (प्रतिलिपि संलग्न 2 पर संलग्न है)* के अन्तर्गत भी पूर्वी दिल्ली नगर निगम को आदेश दिया गया था जिसके अनुसार बीएसईएस को बिलों का भुगतान एवं रख–रखाव की जिम्मेदारी पूर्वी दिल्ली नगर निगम की है।

(ग) उपरोक्त (ख) के अनुसार।

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध है।

12- Jh ftrUn flg rkej % क्या माननीय mi e[;e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में त्रिनगर विधान सभा में स्कूलों में किये गये कार्यों का उन कार्यों की प्रकृति व उन पर खर्च की गई राशि सहित स्कूलवार विवरण क्या है;

(ख) वर्ष 2018–19 में त्रिनगर विधान सभा में स्कूलों में प्रस्तावित कार्यों का उन कार्यों की प्रकृति व उन पर खर्च हेतू प्रस्तावित राशि सहित स्कूलवार विवरण क्या है; और

(ग) त्रिनगर विधानसभा में स्कूलों में प्रस्तावित कार्यों के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति का स्कूलवार विवरण क्या है?

ekuuh; mi e[;e=h % (क) त्रिनगर विधान सभा के अंतर्गत आने वाले दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कराये गये कार्यों की सूची संलग्न है।

(ख) त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र के निम्न स्कूलों में फेस 2 के अंतर्गत अतिरिक्त क्लास रूम्स के निर्माण का प्रस्ताव हैः–

क्र. सं.	स्कूल का नाम	कक्षा कक्षों के निर्माण की प्रस्तावित संख्या
1	2	3
1.	शकुरपुर, नं. 1, सर्वोदय बाल विद्यालय	100
2.	कैलाश इंक्लेव, सर्वोदय विद्यालय	60

1	2	3
3.	शकुरपुर, नं. 2, सर्वोदय कन्या विद्यालय	168
4.	त्रिनगर, नारंग कालोनी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	20
5.	आनंदवास, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	40
6.	आनंदवास राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	108

*फेज 2 के अंतर्गत 12748 अतिरिक्त क्लास रूम्स के निर्माण के लिये कुल प्रारम्भिक प्राक्कलन की राशि 2892.65 करोड़ रुपये अभी केबिनेट के अनुमोदन के लिये प्रस्तावित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त जिला स्तर के प्रस्तावित कार्यों को सूची राशि सहित संलग्न है।

(ग) व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के पश्चात् केबिनेट नोट कानून, योजना, वित्त और लोक निर्माण विभागों को टिप्पणियों के लिये भेजा गया है। टिप्पणियां आने के बाद प्रस्ताव केबिनेट अनुमोदन के लिये भेजा जायेगा। केबिनेट के अनुमोदन के पश्चात् लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य शुरू किया जायेगा।

DIRECTORATE OF EDUCATION

(Govt. of NCT, Delhi)

EOR Report of Assembly No. 16-Trinagar-Sh. Jitender Singh Tomar for Session 2017-18

Sl. No	Eor File ID	Building ID	School Name	Amount	EOR Request Sending Date	Sanction Group	Sanction Date	Work Status	Percent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20162151	14111120	1411001-Anandwas-SBV	352741	30/05/2016	2017000152	09/06/2017	Yet to start	
2	20171623	14111120	1411001-Anandwas-SBV	8256300	11/07/2017	2017000442	15/12/2017	Yet to start	
3	20181095	14111120	1411001-Anandwas-SBV	651961	29/12/2017	2017000743	29/03/2018	Yet to start	
4	20171043	14111285	1411002-Shakurpur, No.l-SBV	613900	09/01/2017	2017000493	09/01/2018	Yet to start	

5	20171596	14111178	1411005-Kailash Enclave-SV	788181	01/07/2017	2017000402	07/11/2017	Yet to start
6	20172036	14111290	1411030-Shakurpur, N0.2-SKV	9446144	10/10/2017	2017000730	28/03/2018	Yet to start
7	20171160	14111633	1411032-Rampura-Govt. Co-ed Sarvodaya Vidyalaya	6933100	10/02/2017	2017000101	15/05/2017	Yet to start
8	20171614	14111633	1411032-Rampura-Govt. Co-ed Sarvodaya Vidyalaya	315264	06/07/2017	2017000651	10/03/2018	Yet to start
9	20171753	14111134	1411037-Tri Nagar, Narang Colony- Govt. Co-ed SSS	3051045	02/08/2017	2017000394	06/11/2017	Yet to start

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	20171836	14111134	1411037- Tri Nagar, Narang Colony- Govt. Co-ed SSS	995399	24/08/2017	2017000342	06/10/2017	Yet to start	
11	20181045	14111134	1411037- Tri Nagar, Narang Colony- Govt. Co-ed SSS	650982	10/01/2017	2017000653	10/03/2018	Yet to start	
12	20171126	14111200	1411038- Anandwas- GGSSS	762000	04/02/2017	2017000467	26/12/2017	Yet to start	
13	20152431	14111737	1411046- Anandwas- GGSSS	2350430	03/11/2015	2017000102	15/05/2017	Yet to start	
14	20161531	14111107	1411125- Shakurpur, No.l-GGSSS	7085341	02/06/2016	2017000006	18/04/2017	Yet to start	

IRECTORATE OF EDUCATION

(Govt. of NCT, Delhi)

EOR Report of Assembly No. 16-Trinagar-Sh. Jitender Singh Tomar for Session 2016-17

Sl. No	Eor File ID	Building ID	School Name	Amount	EOR Request Sending Date	Sanction Group	Sanction Date	Work Status	Percent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20161381	14111120	1411001-Anandwas-SBV	593440	16/03/2016	2015000225	11/07/2016	Yet to start	
2	20161542	14111120	1411001-Anandwas-SBV	358454	23/04/2016	2015000224	11/07/2016	Yet to start	
3	20142924	14111178	1411005-Kailash Enclave-SV	896600	11/12/2014	2016000265	27/07/2016		
4	20162339	14111178	1411005-Kailash Enclave-SV	397483	16/06/2016	2016000747	17/02/2017	Complete	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	20151181	14111290	1411030-Shakurpur, N0.2-SKV	869931	30/01/2015	2015000016	19/04/2016	Complete	
6	20162353	14111290	1411030-Shakurpur, N0.2-SKV	460600	01/07/2016	2016000814	16/03/2017	Complet	
7	20163028	14111290	1411030-Shakurpur, No.2-SKV	647754	21/09/2016	2016000745	17/02/2017	Complete	
8	20163345	14111633	1411032-Rampura-Govt. Co-ed Sarvodaya Vidyalaya	715100	02/12/2016	2016000771	22/02/2017	Yet to start	
9	20161818	14111134	1411037-Tri Nagar, Narang Colony-Govt. Co-edSSS	1951259	28/04/2016	2016000803	15/03/2017	Complete	
10	20162312	14111134	1411037-Tri Nagar,	1356157	06/06/2016	2016000628	06/01/2017	Yet to start	

			Narang Colony-Govt. Co-edSSS					
11	20163127	14111134	1411037-Tri Nagar, Narang Colony-Govt. Co-edSSS	205800	13/10/2016	2016000781	03/03/2017	Complete
12	20161390	14111200	1411038-Anandwas-GGSSS	991395	10/03/2016	2015000221	11/07/2016	
13	20152013	14111107	1411125-Shakurpur, No.l-GGSSS	396330	22/07/2015	2016000479	07/11/2016	Yet to start

IRECTORATE OF EDUCATION

(Govt. of NCT, Delhi)

EOR Report of Assembly No. 16-Trinagar-Sh. Jitender Singh Tomar for Session 2015-16

Sl. No	Eor File ID	Building ID	School Name	Amount	EOR Request Sending Date	Sanction Group	Sanction Date	Work Percent Status
1	20152036	14111120	1411001-Anandwas-SBV	734815	09/01/2015	2015000429	29/10/2015	Yet to start
2	20142379	14111633	1411032-Rampura-Govt. Co-ed Sarvodaya Vidyalaya	247450	28/06/2014	2015000185	22/07/2015	Complete
3	20142253	14111107	1411125-Shakurpur, No.l-GGSSS	949748	02/08/2014	2015000090	12/06/2015	Yet to start

f= uxj fo/kku lHkk i!'u 12 ¼[k½

क्र. सं.	स्कूल आई.डी.	स्कूल का नाम	प्रस्तावित कार्य 2018–19 के लिए	कार्य की प्रकृति	प्रस्तावित राशि	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	1411001	सर्वोदय बाल विद्यालय आनंदवास	2018–19 के लिए कोई EOR नहीं डाली गयी	NIL	NIL	NIL
2.	1411002	सर्वोदय बाल विद्यालय शकूरपुर नं. 1	1. पुनः निर्माण–LABS 2. सीढ़ियों पर Steel Railing आदि 3. सभी शौचालयों का पुन–निर्माण	आकलन वांछित है	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	1411005	गवर्मेंट सह शिक्षा सर्वोदय विद्यालय कैलाश एन्क्लेव सरस्वती विहार	1. नर्सरी के छात्र एवं छात्रों के लिए शौचालयों एवं पुस्तकालय का निर्माण कार्य 2. CWSN शौचालयों का पुनर्निर्माह दो मंजिला ईमारत का मद्रासी दाना आदि।	निर्माण एवं पुन–निर्माण	1. लोक निर्माण विभाग से अभी नहीं आयी। 2. Rs. 1127400/-	लागू नहीं कार्य शुरु नहीं हुआ

1	2	3	4	5	6	7
4.	1411011	गवर्मेंट बाल विद्यालय शकूरपुर नं. 2	2018–19 के लिए कोई EOR नहीं डाली गयी	NIL	NIL	NIL
5.	1411030	सर्वोदय कन्या विद्यालय शकूरपुर नं. 2	1. नर्सरी के छात्रों के लिए शौचालयों एवं GI छत का निर्माण	निर्माण	4492000/–	कार्य शुरु नहीं हुआ
			2. विद्यालय की चार दीवारी का पुन– निर्माण	पुन–निर्माण	814400/–	कार्य शुरु नहीं हुआ
			3. 14 कक्षाकक्षों का FALSE CEILING निर्माण एवं प्राथमिक खंड में PROFILE SHEET	निर्माण	4492000/–	कार्य शुरू नहीं हुआ
			4. 6 कमरो का निर्माण	निर्माण	335892/–	कार्य शुरु नहीं हुआ
6.	1411032	राजकीय उच्चतम सह शिक्षा विद्यालय रामपुर	दो गॉर्ड रूम का निर्माण, सीढ़ियों पर स्टील रेलिंग आदि।	निर्माण	फाइल प्रक्रिया में है	लागू नहीं

7.	1411037	राजकीय उच्चतम सह शिक्षा विद्यालय नारंग कॉलोनी त्रिनगर	वर्षा जल संरक्षण का कार्य	निर्माण	Rs. 650982/-	कार्य शुरू नहीं हुआ
8.	1411038	राजकीय उच्चतम बालिका विद्यालय आनंदवास्	अतिरिक्त कक्षाकक्षों का निर्माण–द्वितीय प्राथमिकता के आधार पर स्कूटर, साइकिल, पार्किंग का निर्माण	निर्माण/पुन–निर्माण	फाइल प्रक्रिया में है	लागू नहीं
9.	1411046	राजकीय उच्चतम बालिका विद्यालय आनंदवास कोहट एन्क्लेव	2018–19 के लिए कोई EOR नहीं डाली गयी	NIL	NIL	NIL
10.	1411125	राजकीय उच्चतम बालिका विद्यालय शकूरपुर नंबर–1	2018–19 के लिए कोई EOR नहीं डाली गयी	NIL	NIL	NIL

13- Jh jktsk'k xqIrk ¼ क्या mi ekuuh; eq[;ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च शिक्षा के लिए लोन लेने हेतु आवेदन प्रक्रिया या पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में इन लोन्स के लिए कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया;

(ग) उच्च शिक्षा के लिए लोन लेने हेतु एक विद्यार्थी को कितनी राशि दी जा सकती है; और

(घ) वजीरपुर विधानसभा में विद्यार्थियों द्वारा उक्त लोन हेतु कितनी राशि के लिए आवेदन किया गया और कितनी राशि का भुगतान हुआ, पूर्ण विवरण दें;

ekuuh; mi eq[;ea=h ¼ (क) उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना के अंतर्गत योग्य छात्र ई–डिस्ट्रिक्ट पर आन–लाइन आवेदन कर सकते हैं। सर्वप्रथम आवेदन हेतु छात्र को (अपने आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड के आधार पर) ई–डिस्ट्रिक्ट पर रजिस्टर करने के बाद लोन आवेदन पत्र पर जरूरी जानकारी जैसे कि कालेज विवरण, फीस विवरण, लोन राशि, कोर्स अवधि इत्यादि समाहित करता है तत्पश्चात्, छात्र द्वारा आवेदन पत्र (हार्ड कॉपी प्रिंट) को 07 दिनों में संबंधित बैंक की शाखा में जमा करवाना होता है। आवेदन पत्र के बैंक में जमा होने के पश्चात्, बैंक द्वारा आवेदन पत्र की जांच करके 30 दिनों में उच्च शिक्षा लोन की अप्रूव/रिजेक्ट/कैंसल

करने का प्रावधान है। योजना का पूर्ण विवरण संलग्न है (संलग्नक–1) तथा विभागीय वेबसाइट लिंक (http://higheredn.delhi govt.nic.in)

(ख) पिछले तीन वर्षों में कुल 659 विद्यार्थियों (601 ऑनलाइन और 58 ऑफलाइन) ने लोन के लिए आवेदन किया है।

(ग) उच्च शिक्षा के लिए योग्य विद्यार्थी को 10 लाख रुपये तक की लोन राशि बैंक द्वारा दी जा सकती है।

(घ) ई–डिस्ट्रिक्ट पर उपलब्ध उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर विधान सभा क्षेत्रानुसार लाभान्वित छात्रों की सूचना उपलब्ध नहीं है। सूचना डिस्ट्रिक्ट अनुसार उपलब्ध है। (कॉपी संलग्न संलग्नक–2)

GOVT. OF NCT OF DELHI
DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION
B-WING, 2ND FLOOR, 5 SHAM NATH MARG, DELHI-110054

HIGHER EDUCATION AND SKILL DEVELOPMENT GUARANTEE SCHEME FOR PURSUING HIGHER EDUCATION IN DELHI

1. **INTRODUCTION**

Government of NCT of Delhi, as a part of its 70 Action Points, has envisaged a Higher Education and Skill Development Guarantee Scheme for students who wish to pursue diploma or degree level courses or specified skill development courses in Delhi and have done their class X and class XII from Delhi. For courses for which the qualifying examination is class X, students who have done class X from Delhi will be eligible under the scheme. Under the scheme, bank loans upto Rs.10 lakhs taken by the students will be provided guarantee through a Higher Education and Skill Development Credit Guarantee Fund to be created by the Government for providing guarantee to the banks in case of default. Students will not be required to furnish any collateral or margin money and the scheme will be universal in nature regardless of the student' s background.

2. **OBJECTIVE OF THE SCHEME**

The Higher Education and Skill Development Guarantee Scheme outlined below aims at providing financial support from the banking system to meritorious students for pursuing higher education in Delhi and pursuing recognized degree or diploma level courses or skill development courses from Central /State Govt. Universities /Institutions located outside Delhi, within India. The main emphasis is that a meritorious student is provided with an opportunity to pursue higher education with the financial support from the banking system with reasonable and affordable terms and conditions.

3. **SALIENT FEATURES OF THE HIGHER EDUCATION CREDIT GUARANTEE FUND**

The scheme envisages creation of a corpus of Rs. 30 Crores called the Higher Education and Skill Development Credit Guarantee Fund (hereinafter referred to as the Fund), initially which will be used to provide appropriate guarantee. The said corpus fund shall be managed by the Delhi Higher Education and Skill Development Credit Guarantee Fund Trust. This Trust shall give guarantee to the banks/ financial institutions for providing education loan to students within the limit (limited to the corpus with the Trust for the purpose). Banks Wishing to avail of this facility will have to pay an Annual Guarantee Fee (AGF) of 0.5% of the outstanding amount as on the date of application of the guarantee cover upfront to the front within 30 days from the date of Credit Guarantee Demand Advice Note (CGDAN) of guarantee fee. All subsequent AGFs could be collected on the basis of the outstanding loan amount as at the beginning of the financial year. On default of the loan and invocation of claim, the Fund shall settle 75% of the claims (out of the 100% of total amount under default) after the credit facility has been recalled and the recovery proceedings have been initiated under due process of law and the balance 25% of the claim, if any, shall be paid after conclusion of the recovery proceedings and ascertaining the net/final loss incurred by the lending institution. The scheme shall be confined to education loans sanctioned by Member Banks of Indian Bankers Association (IBA) or other Banks/Financial Institutions as identified by Govt, of NCT of Delhi.

4. **ELIGIBILITY CRITERIA**

4.1 **Students Eligibility**

- Students who wish to pursue diploma or degree or specified skiii development courses in Delhi and have cone their Class-X and Class -XII from Delhi arc eligible under this Scheme. For courses for which

the qualifying examination is Class-X, students who have done Class-X in Delhi would be eligible under this Scheme. Students who are children of employee' s of Govt. of NCT of Delhi or Officials/ government servants who are posted with the Govt..of NCT of Delhi are also eligible under this scheme.

- The student should have secured admission to a higher education course or specified Skill development courses (diploma or degree including bachelors, Masters and Doctoral Degree) in recognized institutions in Delhi through Entrance Test/ Merit Based Selection process after completion of Secondary Examination/Senior Secondary Examination/required qualifying examination.

    - The guarantee would be available, for loans for all recognized diploma/degree courses from Government Institutions /Universities and constituent colleges of University of Delhi. It would also be available for Private/ Self-financed Institutions located in Delhi having NAAC/NBA/SFRC grading. The department will persuade all the Private Institutions to get accreditation from NAAC/NBA. Till such time, grading as given by the Third State Fee Regulatory Committee (SFRC) set up by. Directorate of Higher Education and Directorate of Training & Technical Education may be used for Private Institutions, since this grading is based on the infrastructure, faculty and academic standards of the institutions as also the costs being incurred by it.

    - It would also beavailable foi' Institutions of Technical/Training Skill Development such as courses by World Class Skill Centre or any other technical training/skill development institutions specified by the Government of NCT of Delhi.

    - It would also be available to those students who have passed out 10th and 12 from Delhi and are pursuing recognized degree or

diploma level courses or skill development courses from Centra! /Slate Govt. Universities /Institutions located outside Delhi, within India.

- Other reputed and recognized Institutions may be considered on the basis of employability.
- The Private Institution in which admission has been secured should have NAAC/NBA grading. Since presently all institutions do not have NAAC/NBA grading, SFRC grading will also be considered for a limited period.

* For private institutions having NAAC/NBA accreditation, minimum grade of A or B is required.
** For private institutions having SFRC grading, A+ or A is required.

(SFRC grading has been given by the 3rd State Fee Regulatory Committee (SFRC) and is based on various parameters including infrastructure, faculty and academic standard. Institutions are advised to get NAAC/NBA accreditation at the earliest).

Note:

It would be in order for banks to consider a meritorious student (who qualifies for a seat under merit quota) eligible for loan under this scheme even if the student chooses to pursue a course under Management Quota.

4.2 **Courses Eligible for Studies in Delhi: (Indicative list)**

- Approved courses leading to graduate/ post graduate degree and PG diplomas conducted by recognized colleges/universities recognized by UGC/Government/AICTE/AIBMS/ICMR etc.
- Courses like ICWA, CA, CFA etc.
- Courses conducted by IIT, NIFT, NLU, IIFT etc.
- Regular Degree/Diploma courses like aeronautical, pilot training, shipping, including those run by Polytechnics etc., degree/diploma in

nursing, physiotherapy or any other discipline approved by Director General of Civil Aviation/Shipping/Indian Nursing Council or any other regulatory body as the case may be, if the course is pursued in Delhi.

- Skill Development Courses as may be specified by Govt. of NCT of Delhi.

Note:

1. The above list is indicative in nature. Banks may approve other job oriented courses leading to technical/professional vocational/other degrees, post graduate degrees/diplomas offered by recognized institutions under this scheme.
2. Courses other than the above offered by reputed institutions may also be considered on the basis of employability.
3. The guarantee would be available for loans for only those institutions whose fee is regulated by the Government.

5. **EXPENSES CONSIDERED FOR LOAN**

i. Fee payable to college++/ school/ hostel*

ii. Examination/ Library/ Laboratory fee

iii. Insurance premium for student borrower

iv. Caution deposit, Building fund / refundable deposit supported by Institution bills/receipts. **

v. Purchase of books/ equipment / instruments / uniforms***

vi. Purchase of computer at reasonable cost, if required for completion of the course***

vii. Any other expense required to complete the course - like study tours, project work, thesis, etc.***

viii. While computing the loan required, scholarships, fee waiver etc., if any available to the student borrower may be taken into account, ix. If the scholarship component is included in the loan assessment, it may be ensured that the scholarship amount gets credited to the loan account when received from the Government.

Notes:

++ For courses under Management quota seats considered under the scheme, fees as approved by the State Government/Government approved regulatory body for payment seats will be taken, subject to viability of repayment.
* Reasonable lodging and boarding charges will be considered in case the student chooses / is required to opt for outside accommodation.
** These expenses could be considered subject to the condition that the amount does not exceed 10% of the total tuition fees for “the “entire “course” .’ -
*** It is likely that expenditure under Item Nos. vi, vii & viii above may not be available in the schedule of fees and charges prescribed by the college authorities. Therefore, a realistic assessment may be made of the requirement under these heads.

6. **QUANTUM OF FINANCE**

Need based finance to meet the expenses worked out as per para 5 above will be considered taking into account margins as per para 7 subject to the following ceiling:

Studies in Delhi - Maximum upto Rs. 10 lakhs.

- Ordinarily loans upto Rs. 7.5 lakhs where conditions as prescribed under the Credit Guarantee Fund Scheme for Education Loans (CGSEL) of Govt, of India are satisfied can be granted by the Banks, under the Govt, of India scheme as and when the same becomes operational.
- However loans above Rs. 7.5 lakhs & upto Rs. 10 lakhs and loans in respect of Private Institutions which presently do not have NAAC accreditation as required under Govt, of India scheme but have SFRC

grading of A+ or A and otherwise satisfy the requirements under the scheme of Govt, of NCT of Delhi will be covered under this scheme

7. **MARGIN**

Upto Rs. 10 lakhs - Nil

8. SECURITY

Upto Rs. 10 lakhs Parents/legal guardians to be joint borrower(s).

No security

Note:-

The loan documents should be executed by the student and the parent/ guardian as joint-borrower.

9. **RATE OF INTEREST**

Interest to be charged at rates linked to the Base rate as decided by individual banks

- Simple interest to be charged during the study period and up to commencement of repayment. The maximum interest rate to be charged in Base Rate + 2%.

Note:-

Servicing of interest during study period and the moratorium period till commencement of repayment is optional for students. Accrued interest will be added to the principal amount borrowed while fixing EMI for repayment.

10. **APPRAISAL / SANCTION/ DISBURSEMENT**

- Applications will be received either directly at bank branches or through on-line mode. Upon receipt of application, standard acknowledgement giving a reference number will be issued. The acknowledgement will

contain contact details of the bank official who, could be contacted in case of delay in disposal of application.

- Domicile Certificate issued by the Tehsildar (Executive Magistrate), Revenue Department, Govt, of NCT of Delhi, will be accepted by the Banks as proof of domicile, if required.

- Normally, sanction/rejection will be communicated within 15 days of receipt duly completed application with supporting documents.

- In the normal course, while appraising the loan, the future income prospect of the . student only will be looked into.

- State Level Bankers Committee (SLBC) will provide information regarding loans » sanctioned under the Govt, of India scheme to students of Delhi on quarterly basis.

- Rejection of loan application, if any, shall be done with the concurrence of the controlling authority of the branch concerned and under intimation to the Directorate of Higher Education, Delhi and conveyed to the student stating reason for rejection.

- Students may submit their loan applications either at the bank branches near the residence of parents or to the educational institution. However, after the loan is sanctioned, the cases would be transferred to the bank branch near the institution for follow up with student / institution. The KYC compliance for the puipose has to be done by the branch nearest to the residence of parents.

- The loan to be disbursed in stages as per the requirement/ demand directly to the Institutions/ Vendors of equipment / instruments to the extent possible.

- The Directorate of Higher Education in collaboration with State Level Bankers Committee will set up a portal to monitor the entire process. Loans sanctioned will be immediately uploaded on the Portal.
- Recovery proceedings by Banks will also be monitored by the Dte. of Higher Education and Banks will upload the information regarding recovery and default status every six months.
- Grievance Redressal Committee will be formed which will be headed by Director, Higher Education with one member each from Indian Bankers Association (IBA), Lead Bank, Canara Bank to handle any complaint, grievances including those relating to cases rejected by Banks. The committee will meet on a monthly basis or as frequently as may be necessary.

11. **REPAYMENT**

Repayment Holiday / Moratorium - Course period + 1 year.

- If the student is not able to complete the course within the scheduled time, extension of time for completion of course may be permitted for a maximum period of 2 years. If the student is not able to complete the course for reasons beyond his control, sanctioning authority may at his discretion consider such extensions as may be deemed necessary to complete the course. In case the student discontinues the course midway, appropriate repayment schedule will be worked out by the bank in consultation with the student/parent.
- The accrued interest during the repayment holiday period to be added to the principal and repayment in Equated Monthly Installments (EMI) fixed.
- 1% interest concession may be provided by the bank, if interest is serviced during the study period and subsequent moratorium period prior to commencement of repayment.

- Repayment of the loan will be in equated monthly installments for a period of 15 years for all categories.
- While EMI based repayment is the generally accepted practice, many times the salary levels at the start of the career may not facilitate comfortable payment of EMI in certain cases (e.g. professionals like Doctors). Telescoping of repayment with stepped up installments with passage of time may be considered in such cases.

Note:-

No prepayment penalty will be levied for prepayment of loan any time during the repayment period.

12. **INSURANCE**

Banks may arrange for life insurance policy for the students availing Education Loan. Individual Banks may work out the modalities with insurance companies. Schemes such as Pradhan Mantri Jeevan lyoti Bima Yojna (PMJJBY) and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMSBY) may be availed to ensure reasonability of premium and to cover the loan and act as a safety net for the parents.

13. **FOLLOW UP / MONITORING**

Banks will contact college / university / institutional authorities to obtain progress report on the student at regular intervals in respect of those who have availed loans. The UID number issued by UIDAI /PAN may also be captured in bank' s system. Immediately on a loan becoming a Non-performing Asset (NPA), this UIDAI/AADHAAR linkage could be used to deny benefits of any project or scheme of Government of NCT of Delhi to an individual. Banks may enter into Memorandum of Understanding (MoU) with the educational institutions to provide the educational loans to the students if so desired. However the student will have the freedom to

approach any Bank as per his/her choice/convenience. There may be an annual review of the. asset quality of educational loans between banks and educational institutions.

14. **No processing charges may be levied on the loans sanctioned under the scheme.**

15. **OTHER CONDITIONS:**

15.1 **Sanction of loan to more than one child from the same family**

Existence of an earlier education loan to the brother(s) and/or sister(s) will not affect the eligibility of another meritorious student from the same family obtaining education loan as per this scheme from the bank.

15.2 **Minimum Age**

There is no specific restriction with regard to the age of the student to be eligible for education loan. However, if the student was a minor while the parent executed Documents for the loan, the bank will obtain a letter of ratification from him/her upon attaining majority.

15.3 **Top up loans**

Banks may consider top up loans to students pursuing further studies within the overall eligibility limit, if such further studies are commenced during the moratorium period of the first loan. The repayment of the loan will commence provided under the scheme.

15.4 **Joint Borrower**

The joint borrower should normally be parent(s)/guardian of the student borrower. In case of a married person, joint bonower can be either spouse or the parent(s)/parents-in-law.

15.5 **No Dues Certificate**

No dues certificate will not be insisted upon as a pre-condition for considering education loan. However, banks shall obtain a declaration/ an «affidavit confirming that no loans are availed from other banks.

15.6 **Disposal of loan application**

Loan applications have to be disposed of in the normal course within a period of 15 days to 1 month, but not exceeding the time norms stipulated for disposing of loan applications under priority sector lending.

15.7 **Credit Score**

In case of default of loan credit score such as Credit Information Bureau (I) Ltd. (CIBIL) of parents as well as students will be affected which will adversely impact their capacity to take future loans as well as increases the cost of loan.

15.8 **Furnishing of Documents**

Students shall have to furnish to the Banks authenticated copies of documents related to their academic performance sheet, if so desired by the Banks.

15.9 **Sharing of Student's Progress Reports by Institutions.**

In order to reduce the possibility of deliberate default, the Educational / Technical Training/ Skill Development Institutions will be involved in the process. They will share progress reports of the students who have taken loans with the banks, at regular intervals, if so desired by the Banks.

l;yXud&II

DISTRICT DELHI

Service at doorstep

Search on District		-Al-
Search on Date of Application From		To
Date From:	01/04/2015	Date To	31/03/2018

Sl. No.	District Name	No of Application Applied By Citizen				Applications Which Had been Physically Received				Loan (Disbursement)		
		Total Applications Received	No.of Applications Received In the Bank	No.of Applications (Not Received Received in the Bank)	Cancelled Due to Not Received in Bank	No. of Applications Pending For Decision	No.of Applications Rejected	No. of Applications Cancelled	No. of Applications Sanctioned	Loan Amount Sanctioned	No.of Applications Disbursed	Loan Amount Disbursed
1	Central	61	36	3	22	1	9	2	24	9994650	0	
2	East	44	22	5	17	2	7	0	13	3874351.25	0	
3	New Delhi	25	18	1	6	1	5	1	11	2567300.45	0	

4	North	60	30	5	25	0	8	3	10	6090884	0
5	North East	26	6	2	8	0	7	4	5	1561190	0
6	North West	84	45	5	34	1	11	1	32	1184289778	0
7	Shahdara	62	37	4	21	0	15	3	19	5851750	0
8	South	30	14	5	11	0	2	0	12	4458874	0
9	South East	59	35	4	20	1	7	3	24	7738181.71	0
10	South West	55	29	6	20	0	11	2	16	5106462	0
11	West	95	66	13	16	2	19	8	37	11471308.55	0
	Total	601	-	53	200	8	101	27	212	70557850	0
		-	348	-	-	8	101	27	212	-	

© Disclaimer: Designed, developed and hosted by National Informatics Centre (NIC). Contents owned and maintained by Department of Revenue Govt. of NCT of Delhi.
NIC is not responsible for any in-acuuracy in the data of this site. Website should be viewed in 1024 by 768 screen resolution in IE 8 +. Firefox 3+ and Chrome 4+

lyXud&II

DISTRICT DELHI

Service at doorstep

Search on District		-Al-	
Search on Date of Application From		To	
Date From:	01/04/2015	Date To	31/03/2018

Sl. No.	District Name	No of Application Applied By Citizen				Applications Which Had been Physically Received				Loan (Disbursement)		
		Total Applications Received	No.of Applications Received In the Bank	No.of Applications (Not Received in the Bank)	Cancelled Due to Not Received in Bank	No. of Applications Pending For Decision	No.of Applications Rejected	No. of Applications Cancelled	No. of Applications Sanctioned	Loan Amount Sanctioned	No.of Applications Disbursed	Loan Amount Disbursed
1	Allahabad Bank	21	20	0	1	0	6	1	13	5717460	0	0
2	Andhra Bank	14	4	0	10	0	0	3	1	225000	0	0
3	Bank of Baroda	43	40	0	3	0	28	5	7	1986660	0	0

4	Canara Bank	27	6	20	1	6	0	0	6	1675500	o	0
5	Corporation Bank	27	20	7	0	5	7	0	8	24.24	0	0
6	IDBI Bank	19	5	0	14	2	0	0	3	372807	0	0
7	Indian Bank	12	7	0	5	0	2	0	5	1456400	0	0
8	Oriental Bank of Commerce Punjab	12	12	0	0	1	0	7	4	1720600	0	0
9	National Bank	72	59	0	13	0	39	2	18	6005300	0	0
10	State Bank of India	205	91	6	108	0	11	6	74	27931836	0	0
11	Syndicate Bank	27	19	0	8	0	3	0	16	5171602.5	0	0
12	Union Bank of India	32	18	0	14	0	5	2	11	4015674	0	0
13	Vijaya Bank	90	47	20	23	7	0	1	39	11679986	0	0
	TOTAL	601	348	53	200	15	101	27	205	67958849	0	

© Disclaimer: Designed, developed and hosted by National Informatics Centre (NIC). Contents owned and maintained by Department of Revenue, Govt. of NCTof Delhi.
NIC is not responsible for any in-acuuracyin the data of lliis site. Website should be viewed in 1024 by 768 screen resolution in IE 8+, Firefox3+ and Chrome 4+

14- lJh Hkkouk xkM+ ¼ क्या ekuuh; jktLo ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पालम विधान सभा क्षेत्र में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत भू–खण्डों का आबंटन किया गया था;

(ख) इन आबंटनों का आबंटियों के नाम व जिन स्थानों पर ये आबंटन किए गए, सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) वर्तमान में इन भू–खण्डों की संख्या क्या है;

(घ) क्या यह सत्य है कि इन भू–खण्डों पर बहुमंजिला भवनों का निर्माण किया गया है;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि इन भू–खण्डों पर व्यावसायिक गतिविधि ा चलाई जा रही है;

(च) यदि हां, तो क्या इन भू–खण्डों पर बहुमंजिला भवनों का निर्माण व व्यवसायिक गतिविधियों की इजाजत है;

(छ) यदि नहीं, तो इन गतिविधियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार है;

(ज) क्या इन भू–खण्डों के मालिकाना हक स्थानांतरित किए जा सकते है; और

(झ) यदि हां, तो इसकी क्या प्रक्रिया है?

¼lcf/kr foHkkx ls iz'u dk mÙkj ikIr ugha gqvk½

15- Jh euftnj flg fljlk % क्या ekuuh; Åtk eU=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सुभाष नगर नाले के साथ स्थित सड़क पर स्थित बीएसईएस बिजली के खम्बें जनता के आने–जाने में भारी रुकावट पैदा करते है;

(ख) क्या सरकार की इन बिजली के खम्बों को वहां से हटाने और सड़क को चौड़ी करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और यह कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा;

ekuuh; Åtk eU=h % (क) यह प्रश्न मुख्यतः यातायात पुलिस से सम्बन्धित है।

बीआरपीएल ने सूचित किया है कि इस नाले के साथ स्थित सड़क पर बीएसईएस बिजली के खम्बें लगे हुए है जो कि 15 वर्षों से भी अधिक समय से हैं।

(ख) और (ग) ऊर्जा विभाग में बिजली के खम्बों को वहां से हटाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं हैं।

16- Jh lkjHk Hkkj}kt % क्या jktLo eU=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि वर्ष 1997 से 2005 के दौरान सरकार द्वारा सनोट खेड़ा खुर्द, होलम्बी कलां, शाहबाद दौलत पुर सहित अनेक गांवों में भूमि का अधिग्रहण किया गया;

(ख) क्या यह सत्य है कि धोखाधड़ी, चीटिंग, राजस्व रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ इत्यादि आरोप लगाते हुए विभिन्न पुलिस थानों में धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, 447, 511, 160 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई;

(ग) यदि हां, तो इन एफआईआर्स का प्रत्येक एफआईआर में दर्ज अभियुक्त के नाम सहित विवरण क्या है;

(घ) इन एफआईआर में दर्ज सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण क्या है;

(च) क्या यह सत्य हे कि इनमें से कुछ अधिकारी/कर्मचारी शिकायत किए जाने के बावजूद उसी जिले में पदापित हैं;

(छ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ज) इन मामलों में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों का विवरण क्या है और उन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई;

(झ) क्या न्यायालयों द्वारा भी इन मामलों में इन तथाकथित ऑक्युपायर्स के विरूद्ध मुआवजा राशि की वसूली के कोई ओदश जारी किए गए हैं;

(ञ) यदि हां, तो इन आदेशों के क्रियान्वयन का विवरण क्या है और इनके क्रियान्वयन में देरी, यदि कोई है, के क्या कारण हैं;

(ट) विभिन्न न्यायालयों में लंबित कोर्ट केसों का कुल विवादित भूमि और विवादित राशि सहित पूर्ण विवरण क्या है; और

(ठ) तीसरी पार्टियों, अन्य व्यक्तियों व तथाकथित ऑक्युपायर्स द्वारा मुआवजे पर दर्ज की गई आपत्तियों का गांव वार विवरण क्या है?

¼lacaf/kr foHkkx ls iz'u dk mÙkj izkIr ugha gqvk½

17- Jh duy noUn lgjkor ¼ क्या ekuuh; Åtkk e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वसंत कुंज एन्कलेव में और होटल/मोटर/मैरिज वेन्यु में बिजली के कनेक्शन देने और इनकी मॉनिटरिंग हेतु बीएसईएस की पॉलिसी का विवरण क्या है;

ekuuh; Åtkk e=h ¼ (क) डीईआरसी आपूर्ति संहिता और प्रदर्शन मानदंड विनियम, 2017 के अनुसार ही सभी स्थायी या अस्थायी विद्युत कनेक्शन जारी और मॉनिटर किये जाते हैं। इसमें BSES की अपनी कोई पॉलिसी लागू नहीं होती।

विनियमों का विवरण जिसमें सभी प्रकार के बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं को अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न किया गया है।

18- lqJh vydk ykEck ¼ क्या ekuuh; lekt dY;k.k e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चांदनी चौक विधान सभा में विभाग द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, लाडली योजना व विधवाओं

की लड़कियों को वित्तीय सहायता योजना के अन्तर्गत दी गई वित्तीय सहायता का पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत लंबित आवेदनों का पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) क्या विभाग का विधवा पेंशन योजना के लिए नये आवेदन आमंत्रित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

ekuuh; lekt dY;k.k e=h % (क) पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है–

योजना	लाभार्थी
वृद्धावस्था पेंशन	3175
विकलांग पेंशन	453
विधवा पेंशन	1931
लाडली	1408
विधवा की पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता	23

सी.डी. में संलग्न है।

(ख) योजनाओं के अन्तर्गत लंबित आवेदनों का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है जिनकी सूची संलग्न है–

योजना	लम्बित केस
वृद्धावस्था पेंशन	02
विकलांग पेंशन	18
विधवा पेंशन	0
लाडली	0
विधवा की पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता	0

(ग) विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत आवेदन निरन्तर लिये जाते हैं।

(घ) उपरोक्त के अनुसार लागू नहीं होता।

(ङ) उपरोक्त के अनुसार लागू नहीं होता।

Old age Pension : Pending Cases (2 cases)

Application No.	Applicant Name	Mother Name	Father Name	Spouse Name	Address	Locality	Consti-tuency	District	Status	Application Date
26010000023517	Lajar Maseeh	Kesar Maseeh	Chuttan Maseeh	NA	N-71B/218 Old Chandrawal Majnu Ka Tila Civil Lines Delhi-110054 India	Civil Lines	Chandni Chowk	North	Query Raised	15/03/2017
26010000052482	Jameel Ahmed	Ajiman	Abdul Wahid		2424 Chandni Chowk Delhi 110006 India	Chandni Chowk	Chandni Chowk	North	Query Raised	01/04/2017

Handicaped Pension : Pending Cases (18 Cases)

Application No.	Applicant Name	Mother Name	Father Name	Spouse Name	Address	Locality	Consti-tuency	District	Status	Application Date
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26040000010764	Pritam kumar	Manju devi	Baijnath Das		Kh No - 4/19/2 Tomar Colony Kamal Pur Maira	Civil Lines	Chandni Chowk	North	Pending For scruitney	25/04/2018

					Burari Civil Lines Delhi 110084 India					
26040000007572	Moham-mad faizan	Farzana Begum	Moham-mad nayeem	Na	2434 Gali Abdul Qadir G B Road Lahori Gate Delhi 110006 India	Lahori Gate	Chandni Chowk	North	Pending For scruitney	20/01/2018
26040000008952	Mohd Fawad	Jamila Begum	Mohd Arafeen		5304 Gali Shimle Wali Kucha Rehman Chandni Chowk Delhi 110006 India	Chandni Chowk	Chandni Chowk	North	Pending For scruitney	27/02/2018
26040000011535	Nittin yadav	Na	Na	Sunil Yadav	1100 Kg. Kashmere Gate Delhi 110006 India	Kash-mere Gate	Chandni Chowk	North	Pending For scruitney	17/05/2018
26040000010784	Manisha	Maya Devi	Chavi Ram	Sachin Singh	N-74/62 Transport Lane Near H P Petrol	Civil Lines	Chandni Chowk	North	Pending For scruitney	26/04/2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Bulword Road Civil Line Civil Lines Delhi 110054 India					
26040000007828	Mohd. Azhar	Shamim Begum	Mohd Yamin		C/60 Dujana House Matia Mahal Jama Masjid Delhi-110006 Chandni Chowk Delhi 110006 India	Chandni Chowk	Chandni Chowk	North	Pending For decision	27/01/2018
26040000011002	Mukesh	Na	Suresh	Na	Na Majnu Ka Tila Majnu Ka Tilla Delhi 110054 India	Majnu Ka Tilla	Chandni Chowk	North	Pending For decision	02/05/2018
26040000011848	Aamir Ali	Shehnaz Begum	Liaqat Ali		1043 Fatak Ram Kishan Dass Chandni Chowk Delhi 110006 India	Chandni Chowk	Chandni Chowk	North	Pending For decision	25/05/2018

26040000005448	Mohan Lal	Na	Ghanshy Am Dass	Na	15/19 Na A15/19 Old Chanderwal Civil Line Civil Lines Delhi 110054 India	Civil Lines	Chandni Chowk	North	Query Raised	30/11/2017
26040000006476	Anuj	Rani	Manoj Ram		Jhuggi No- 21 Blcok 37 Shakti Nagar Civil Lines Delhi 110007 India	Civil Lines	Chandni Chowk	North	Query Raised	24/12/2017
26040000005174	Rekha Kaur	Kamla Kaur	Labh Singh	Na	20 Na Jhuggi No-20 Majnu Ka Tilla Civil Line Civil Lines Delhi 110054 India	Civil Lines	Chandni Chowk	North	Query Raised	24/11/2017
26040000004209	Adhir kumar Das	Aloka Das	Bishnu Das		4/138 Katra Mashru Kalan Chandni Chowk Dariba Kalan	Dariba Kalan	Chandni Chowk	North	Query Raised	04/11/2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Delhi 110006 India					
26040000005201	Manoj	Ram Beti	Bhup Singh		1842 Yamuna Bazar Delhi 110006 India	Yamuna Bazar	Chandni Chowk	North	Query Raised	24/11/2017
26040000003396	Geeta	Satya Devi	Roshan Lal	Parvesh Chand	469 N68 T Huts Aruna Nagar Majnu Ka Tilla Majnu Ka Tilla Delhi 110054 India	Majnu Katilla	Chandni Chowk	North	Query raised	13/09/2017
26040000004817	Mohit Kejriwal	Laksmi Kejriwal	Sanjiv Kejriwal		269 Katra Pyare Lal Chandni Chowk Delhi 110006 India	Chandni Chowk	Chandni Chowk	North	Query Raised	16/11/2017
26040000004823	Bhupen-der	Rani devi	Puran Chand		323 Village Raj Pura Gurmandi	Civil Lines	Chandni Chowk	North	Query Raised	16/11/2017

					Civil Lines Delhi 110007 India					
26040000006438	Farha Naaz	Tahera Begum	Mohd. Irfan	Na	1391 Chatta Rajan Farash Khana Lahori Gate Delhi 110006 India	Lahori Gate	Chandni Chowk	North	Query Raised	23/12/2017
26040000008438	Akash Deep	Na	Sohan Lal	Na	07 Na Kothi No-7 Rajpur Road Civil Line Civil Line Rajpur Road Delhi 110054 India	Civil Line Rajpur Road	Chandni Chowk	North	Query Raised	13/02/2018

19- Jh lqjUnz flag ¼ क्या ekuuh; mi eq[;ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के स्कूलों में स्मार्ट कार्ड पहचान पत्र कब तक जारी कर दिए जाएंगे;

(ख) सरकारी स्कूलों में रिक्त पद कब तक भर दिए जाएंगे;

(ग) प्रमोशन के द्वारा प्रधान अध्यापकों के पद कब तक भर दिए जाएंगे;

(घ) अतिथि अध्यापकों के नियमतिकरण के लिए प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण क्या है;

(ङ) क्या एसएमसी के द्वारा अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने का कोई प्रावधान है; और

(च) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

¼f'k{kk foHkkx ls iz'u dk mÙkj izkIr ugha gqvkA½

20- Jh vkse izdk'k 'kekZ ¼ क्या ekuuh; lekt dY;k.k ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली विधान सभा से अब तक वृद्धावस्था पेंशन धारकों, विधवा पेंशन धारकों व विकलांग पेंशन धारकों के लाभ के लिए क्या कल्याणकारी कदम उठाए हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि पेंशन धारकों की शिकायतों के निवारण हेतु सरकार ने कॉल सेन्टर स्थापित करने की घोषणा की थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और इन कॉल सेन्टरों के हेल्प लाइन नम्बरों का विवरण क्या है;

(घ) क्या पेंशन धारकों की सहायता हेतु कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(च) क्या यह सत्य है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशन धारकों को पेमेंट पोर्टल से लिंक करना आवश्यक है जिसके कारण उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(छ) यदि हां, तो इस समसया के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ekuuh; lekt dY;k.k e=h % (क)

(1) वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की क्षमता सीमा (Capping Limit) 1 लाख बढा दी गई।

(2) विभाग के पेंशन भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये कुछ परिवर्तन किये गये हैं। सभी पेंशन सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (Public Financial) द्वारा प्रेषित की जा रही है।

(3) केबिनेट निर्णय संख्या–2462 दिनांक 06 जनवरी, 2017 के अनुसार माह फरवरी, 2017 से वृद्धावस्था/विकलांग पेंशन में रुपये 1000/–प्रतिमाह की वद्धि की गई है। जिसके उपरान्त 60–69 आयु वर्ग के लाभार्थियों की पेंशन रुपये 1000/– से बढ़ाकर रुपये

2000/– प्रतिमाह कर दी गई है तथा 70 वर्ष एवं अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन की पेंशन राशि रुपये 1500/– प्रतिमाह से बढ़ाकर रुपये 2500/– प्रतिमाह कर दी गई है।

(4) वृद्धावस्था पेंशन में पात्रता हेतु वार्षिक आय सीमा रुपये 60 हजार से बढ़ाकर 1 लाख व विकलांग पेंशन में वार्षिक आय सीमा रुपये 7500/– से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है।

(5) विधवा पेंशन योजना में लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष से जीवनपर्यन्त की गई।

(6) विधवा लाभार्थियों की पेंशन की राशि रु. 1500/– से बढ़ाकर रु. 2500/– की गई।

(ख) जी हां।

(ग) वर्तमान में यह कॉल सेन्टर नये ऑनलाइन आवेदनों के पूर्ण रूप से समस्या समाधान हेतु क्रियान्वित है। इसका हेल्प लाइन नं.–1031 है। पुरानी पेंशन संबंधी जानकारी भी पूर्ण रूप से कॉल सेन्टर से देने हेतु विभाग IT विभाग के साथ मिलकर योजना का अंतिम प्रारूप तैयार कर रहा है।

(घ) और (ङ) जी हां। विभाग द्वारा इस कार्य हेतु कुल 52 Data Entry Operators की भर्ती की जा रही है। 20 जून तक यह प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी।

(च) केवल 70 वर्ष से अधिक आयु के ही नहीं अपितु सभी आयु वर्ग के लाभार्थियों को अपना खाता आधार से लिंक कराना अनिवार्य है।

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत आर्थिक सहायता अनुभाग द्वारा विभाग के पेंशन भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये कुछ परिवर्तन किये गये हैं। सभी पेंशन सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (Public Financial Management System) द्वारा प्रेषित की जा रही है।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया जाता है कि नई दर से बढ़ी हुई पेंशन राशि केवल आधार लिंक खातों में ही प्रेषित की जा रही है अन्यथा पुरानी दर से ही पेंशन राशि दी जा रही है। अतः बढ़ी हुई पेंशन राशि प्राप्त करने हेतु लाभार्थी का बैंक खाता आधार से NPCI पोर्टल पर सब्सिडी पाने की प्रक्रिया के समान लिंक होना आवश्यक है।

पेंशनधारियों की कठिनाइयों का ध्यान रखते हुये विभाग एक नया केबिनेट नोट प्रस्तावित करने की प्रक्रिया में है जिससे सभी लाभार्थियों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जा सके जब तक कल्याण योजनाओं के लिये आधार लिंकिंग हेतु उच्चतम न्यायालय का कोई अंतिम निर्णय प्राप्त हो जाये। क्योंकि पूर्व केबिनेट निर्णय संख्या 2462 दिनांक 06.01.2017 के अनुपालन में केवल आधार लिंक खातों में ही बढ़ी हुई पेंशन दिये जाने की मंजूरी है।

(छ) इस संदर्भ में सभी लाभार्थियों के माध्यम से विभाग द्वारा बैंकों को लिखित निर्देश भिजवाये जा रहे हैं जिसमें आधार लिंक करने का पूर्ण विवरण दिया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त NPCI, UIDAI, SLBC इत्यादि के साथ समय–समय पर मीटिंग के द्वारा बैंकों को लाभार्थियों के खाते आधार से लिंक करने के लिये सक्रिय भूमिका निभाने का अनुरोध किया जा रहा है।

दिनांक 04.06.2018 को मंत्री, समाज कल्याण, दिल्ली सरकार ने SLBC की 91वीं बैठक में भाग लेकर, इस विषय को रिजर्व बैंक तथा दिल्ली के सभी बैंकों के उच्च अधिकारियों के समक्ष आधार लिंकिंग सुचारू रूप से करने के लिये बैंकों की सक्रिय भूमिका का आग्रह किया। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों तथा सरकारी अधिकारियों की एक कमेटी इस समस्या का निवारण करेंगे जिसका कि साप्ताहिक मूल्यांकन किया जायेगा और डेढ से दो महीने के अन्दर इस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास किया जायेगा।

vrkjkfdr i'uks ds fyf[kr mÙkj

01- Jh euftanj flag fljlk % क्या mi ekuuh; eq[;ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित किन–किन विद्यालयों में कितने अतिरिक्त कमरे बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इन कमरों का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाएगा; और

(ग) इसके निर्माण की क्या अवधि है?

ekuuh; mi eq[;ea=h % (क) राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र के निम्न स्कूलों में फेस 2 के अंतर्गत अतिरिक्त क्लास रूम्स के निर्माण का प्रस्ताव है:–

क्रम	स्कूल का नाम	कक्षा कक्षों का निर्माण
1	2	3
1.	ख्याला नं. 1, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	32

1	2	3
2.	रघुबीर नगर, जे. जे. कालोनी राजकीय सह शिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	16
3.	राजौरी गार्डन एक्सटेंशन, सर्वोदय कन्या विद्यालय	16
4.	राजौरी गार्डन मेन, सर्वोदय कन्या विद्यालय	12
5.	टैगोर गार्डन नं. 2, सर्वोदय कन्या विद्यालय	48
6.	टैगोर गार्डन राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	12
7.	टैगोर गार्डन नं. 1, सर्वोदय कन्या विद्यालय	56 कमरे +1 हाल

(ख)

1. क्रम संख्या 1 से 6 के स्कूलों के लिये व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के पश्चात् कैबिनेट नोट कानून, योजना, वित्त और लोक निर्माण विभाग को टिप्पणियों के लिये भेजा गया है।

2. क्रम संख्या 7 के लिये प्रस्ताव अनुमोदन के लिए वित्त विभाग में भेजा गया था। वित्त विभाग ने प्रस्ताव में स्पष्टीकरण देने के लिए कुछ बिंदु अंकित किये। स्पष्टीकरण देने की प्रक्रिया चल रही है। वित्त विभाग के अनुमोदन के पश्चात् कार्य डीटीटीडीसी द्वारा प्रारम्भ किया जायेगा।

(ग) उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त लोक निर्माण विभाग तथा डीटीटीडीसी द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

02- Jh euftnj flag fljlk % क्या ekuuh; mi eq[;ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार का राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत टैगोर गार्डन में सर्वोदय कन्या विद्यालय नं.–1 के भवन का निर्माण प्रस्तावित है;

(ख) इसके निर्माण की क्या स्थिति है;

(ग) इसका निर्माण किस विभाग द्वारा किया जाना है;

(घ) इसके लिए कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(ङ) इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

ekuuh; mi eq[;ea=h % (क) जी हां, 56 कमरे + 1 हाल, (डीटीटीडीसी द्वारा)

(ख) अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है।

(ग) डीटीटीडीसी द्वारा

(घ) 19.27 करोड़ रुपये का आकलन प्रस्तावित है।

(ङ) प्रस्ताव अनुमोदन के लिए वित्त विभाग में भेजा गया था। वित्त विभाग ने प्रस्ताव में कुछ स्पष्टीकरण देने के लिए कुछ बिंदु अंकित किये। स्पष्टीकरण देने की प्रक्रिया चल रही है। वित्त विभाग के अनुमोदन के पश्चात् डीटीटीडीसी द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

03- Jh txnh'k i/kku % क्या ekuuh; mi eq[;ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में शिक्षा की मद में कितना बजट आबंटित किया गया है;

(ख) इसका शीर्ष अनुसार विवरण क्या है;

(ग) कुल आबंटित बजट में से कितनी राशि निर्माण कार्यों पर व्यय की गई; और

(घ) निर्माण कार्यों के अतिरिक्त अन्य किन योजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय की गई; पूर्ण विवरण क्या है?

ekuuh; mi e[;e=h ¼ (क) पिछले तीन वर्षों में शिक्षा की मद में आबंटित किया गया बजट निम्न प्रकार है:—

वर्ष	विवरण	बजट (रुपये लाखों में)
2015—16	प्लान स्कीम	401744.00
	नान प्लान	337028.00
2016—17	प्लान स्कीम	407695.00
	नान प्लान	407526.00
2017—18	स्कीम व प्रोजेक्ट्स	273048.00
	इस्टेब्लिशमेंट	569737.00

(ख) वर्ष एवं मदवार सूचना संलग्न है।

(ग) निर्माण कार्यों में बजट व व्यय का विवरण इस प्रकार हैः–

वर्ष	स्वीकृत बजट (रु. लाखों में)	संशोधित बजट (रु. लाखों में)	किए गए व्यय (रु. लाखों में)
2015–16	180555.00	100220.00	86956.00
2016–17	152030.00	133530.00	1124020.00
2017–18	90910.00	85730.00	77022.00

(घ) वर्ष एवं मदवार सूचना संलग्न है।

4- Jh txnh'k i/kku ¼ क्या ekuuh; mi e[;ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार और नगर निगमों के विद्यालयों में नियमित शिक्षकों के कुल कितने पद रिक्त हैं;

(ख) इन पदों हेतु भर्ती की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी;

(ग) भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए क्या टाईम लाईन हैं;

(घ) क्या यह सत्य है कि परीक्षाएं ऑन लाइन होंगी;

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए अब तक क्या तैयारियां की गई हैं;

(च) क्या परीक्षा के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(छ) यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है?

¼f'k{kk foHkkx ls mÙkj ikIr ugha gqvkA½

05- Jh l|tho >k ½ क्या ekuuh; mi e|[;e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बुराड़ी में 12 एकड़ जमीन शिक्षा विभाग को दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें शिक्षा विभाग की क्या योजनाएं हैं;

(ग) क्या इसे लेकर कोई अनुमान तैयार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(च) ये अनुमान कब तक तैयार कर दिये जायेंगे?

ekuuh; mi e|[;e=h ½ (क) जी नहीं, बुराड़ी में 12 एकड़ जमीन शिक्षा विभाग को नहीं दी गई है। किन्तु बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र के कादीपुर में 62 बीघा 6 बिस्वा व 43 बीघा 16 बिस्वा के दो प्लाट आवंटित हुए हैं। जहां स्कूल कलस्टर बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग से आंकलन मांगे गये हैं, जो कि अभी अपेक्षित है।

(ख) से (च) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

06- Jh jkt|'k x|rk ½ क्या ekuuh; mi e|[;e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार के स्कूलों में बहुत कम नर्सरी कक्षाएं चलती हैं; और

(ख) वज़ीरपुर विधानसभा क्षेत्र के दिल्ली सरकार के स्कूलों में कितनी नर्सरी कक्षाएं चलती हैं; और

(ग) इन कक्षाओं को बढ़ाने की प्रक्रिया क्या है?

ekuuh; mi e|[;e=h % (क) जी नहीं।

(ख) वज़ीरपुर विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार के कुल 15 विद्यालय हैं। जिसमें से 9 सर्वोदय विद्यालय हैं।

सर्वोदय विद्यालय जिनमें नर्सरी कक्षा है – 8 (8 सेक्शन)

सर्वोदय विद्यालय जिनमें के.जी. कक्षा है – 9 (12 सेक्शन)

(ग) सर्वोदय विद्यालयों के क्लास रूम्स की उपलब्धता के आधार पर नर्सरी कक्षाएं सक्षम अधिकारी की अनुमति के उपरांत आरम्भ की जाती हैं।

07- Jh vk-ih- 'kek % क्या ekuuh; mi e|[;e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि निजी स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों और कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और भत्ता देने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो इसे लेकर सरकार की क्या नीति है; पूर्ण विवरण दें;

(ग) दिल्ली में निजी स्कूलों की संख्या कितनी है;

(घ) किन निजी स्कूलों में अध्यापकों और कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से अलग रखा गया है; और

(ङ) सरकार इन निजी स्कूलों के अध्यापकों और कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन–भत्ते दिलाना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठा रही है?

ekuuh; mi e[;e=h % (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 25.08.2017, 17.10.2017 एवं 13.04.2018 की प्रति संलग्न है।

(ग) दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की संख्या लगभग 1755 (1344 स्कूल DSEAR के अंतर्गत + 411 स्कूल RTE के अंतर्गत) है।

(घ) नीतिगत तौर पर ऐसे किसी स्कूल को बाहर नहीं रखा गया है।

(ङ) उपरोक्त 'ख' के अनुसार।

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

DIRECTORATE OF EDUCATION

(PRIVATE SCHOOL BRANCH)

OLD SECRETARIAT, DELHI - 110054

No.F.DE-1S(211)/PSB/2017/ 18110-115 Dated: 25-08-2017

ORDER

Subject: Special Inspection of Private Unaided Recognized Schools as recommended by the Justice Anil Dev Singh Committee.

Pursuant to the recommendations of Justice Anil Dev Singh Committee ("Committee') constituted by the Hon' ble High Court vide judgment dated 12 08 2011 in WPC 7777/2009 and in exercise of the powers conferred by Section 24(2) of Delhi School Education Act and Rules I973 I SAUMYA GUPTA Director (Education), hereby direct Deputy Directors of Education (Districts) to again conduct Special Inspection of all the 75 Private Unaided Recognized Schools (list attached) in order to collect the following documents to determine the amount of refund due of excess fee (if any) collected by the school for implementation of 6th Pay Commission Recommendations

1 Following documents are to be collected from the school for the period FY 2006-07 to Fv 2010-1 tduly certified by the school Manager/ Principal

i. Audited financial statements i e balance sheet, income and expenditure account .inn receipts and payment account along with schedules, annexures notes to accounts and significant accounting policies thereto and audit report of the respective Financial Year

ii. Budget estimates submitted with DoC and Statement of fees submitted by the school to the Director i.e. List of fees charged by the school

in the form of tuition lees development fees, activity fees, transport fees, library fees, any other earmarked levies etc (Fee Structure of the School) i.e. documents filed under Rule 17(3) and Rule 180f3i to Directorate of Education

iii. Staff register and statement showing the date and amount of disbursement of salaries along with proof of payment ot salary and arrears (if any)

iv. Details of Fee paying students (class wise number of students)

v. Fee receipts issued by the school (2 samples of Fee receipt of each class each year

vi. Cash Book and/or Cash Ledger, Bank book and/or bank ledgers Bank statements and Bank reconciliation statements.

vii. Reconciliation statement of fee as per Financial Statements with Fee structure & Student Strength (Fees as per Financial Statements = No of Fee paying students x Fee per student per month x12) This calculation should be clone for each head of fee charged by the school and any difference therein should be properly explained

2 Following documents are to be collected from the school for trie period FY 2011-12 to Ft 2016-17 duly certified by the school Manager/ Principal

i Audited financial statements i e balance sheet income and expenditure account 3rd receipts and payment account along with schedules annexures notes to accounts and significant accounting policies thereto and audit report of the respective Financial Year

ii Budget estimates submitted with DoE and Statement of fees submitted by the school to the Director i.e. List of fees charged by the school in the form of tuition fee & development fees activity fees transport

fees, library fees, any other earmarked levies etc. (Fee Structure of the School)

iii. Details of Fee paying students (class wise number of students)

In addition to the above mentioned documents, the following information should also be collected duly certified by the school Manager/ Principal:

S.No.	Query
1.	Whether the school has implemented the recommendations of the 6th Pay Commission?
2	if the answer to question No.1 is in the affirmative please provide the following information (separate sheets may be used) (i) With effect from which date is the increased salary to staff being paid? (Actually) (ii) Furnish the details of salary payment to staff pre and post implementation of the 6th pay commission (iii) Furnish the details of payment of arrears of salary to staff consequent to implementation of the 6th Pay Commission i..e w.e.f. 01 01 2006 till the month of actual implementation.
3.	Whether the school has increased the fee of the students consequent to implementation of the 6th Pay Commission in terms of the Order No F.DE. 15(56)/Act/2009/778 dated 11 02.2009 of the Director of Education
4.	If answer to question No.3 is in affirmation, please provide the following information (separate sheets may be used): (i) With effect from which date was the fee increased?

(ii) Furnish the details of fee charged from the students class wise indicating the number of students in each class, pre and post such increase.

(iii) Furnish the details of arrear fee charged from the students' consequent to implementation of the 6th Pay Commission

5 Whether the school is charging development fee?

6 If answer to question No 5 is in affirmative, kindly provide the following information/details.

(i) Year wise collection of development fee from 2006-07 to 2010-11

(ii) Year wise utilization of development fee from 2006-07 to 2010-11 Please; provide the amount of expenditure incurred under specific heads, out of development fee.

(iii) How development fee is treated in the accounts i.e whether it is treated as a revenue receipt of as a capital receipt

(iv) Whether separate depreciation reserve fund is maintained for depreciation on assets acquired out of development fee

(v) Whether depreciation reserve fund and un-utilized development fund are kept in earmarked bank account or FDRs or investments If yes please provide details thereof.

The aforesaid exercise of collection of documents from the schools shall be completed within 5 days from the date of receipt of this order by the respective DDEs of all the schools falling in their jurisdiction from the list of the schools attached These documents will be examined in the office of DDE District with the assistance of deployed Chartered Accountant (CA)

All the schools concerned shall render all possible assistance to the inspection team as directed by the Hon' ble High Court in its judgment dated 12.08.2011 in WPC 7777/2009 ana also in terms of Rule 184 of DSEAR 1973.

Further the following Chartered Accountants are deployed with the District Authorities as per the details mentioned below against the name of the districts for examining the documents/ records collected from the schools by DDEs concerned in order to facilitate DDEs to arrive at conclusion that the school needs to refund of excess fee to the parents with 9% interest per annum

Sl. No.	Number of Schools	District	Name of Chartered Accountants deployed w.e.f. 31st August 2017
I	6	East	Ms. Aditi Bhartiya
II	25	North East	Mr. Ajay Sharma & Mr Nishank Tyagi & Mr Mridul Sood
III	1	North	Ms. Aditi Bhartiya
IV	4	North West	Ms. Satinder Kaur
V	6	North West B	Ms Satinder Kaur
VI	5	West A	Mr. Nirbhay Mishra
VII	3	West B	Mr Dhiraj Koirala
VIII	12	South West B	Mr Vannder Gupta
IX	4	South	Mr Ajay Sharma
X	2	South WestA	Mr Ajay Sharma
XI		South East	Mr Ajay Sharma
XII	1	Central/New Delhi	Mr Ajay Sharma

The DDE concerned shall supervise the overall exercise and furnish the school wise report along with proper recommendation on the issue whether the case of refund is made out or not If refund is recommended the amount of refund needs to be specified along with 9% interest per annum taking into account npple effect on fees in subsequent years. The Deputy Director Education while examining the accounts of the school shall take into consideration the funds available with the school and the principles laid down by the Hon' ble Supreme Court in case of Modern School and Action Committee Unaided Private School as explained m the judgement dated 12 08.201 1 of Hon' ble High Court in 7777/2009 along with orders dates 11 02 2009 of this Directorate

The report or the above said matters should be furnished by 18th September 2017 positively so that further course of action may be taken at the Headquarter level

This may be given lop priority as the Hon' ble High Court is monitoring the compliance of the recommendation of the Committee

Non-compliance of this order shall be viewed very seriously.

(SAUMYA GUPTA), IAS
DIRECTOR (EDUCATION)

1. All DDEs (Districts), Directorate of Education
2. All the Schools Concerned as per list attached

No.F.DE-15(211)/PSB/2017/18110-115 Dated: 25-08-2017

Copy to

1 PA to Secretary Education
2 PA to Addl DE(PSB)
3 Secretary to the Committee
4 All CA concerned.

(YOGESH PRATAP)
DY. DIRECTOR OF EDUCATION (PSB)

Sl. No.	ID	Name & Address of School	Distt.	Interim Report	Brief of Inspection	Proposed Action
1	2	3	4	5	6	7
1	1821176	Jai Bharti Pubic School, Shivpuri, West Saqarpui	South West B	III	The findings of the Inspection Committee needs to be corroborated by additional/ adequate	Reinspection
2	1822189	Sunita Gyan Niketan Public School. New Roshanpjra. Najafaarh	South West B	III	The fmomgs of the Inspection Committee needs to be ccrro Dcrated oy additional/adequate financial records and hence requires re-	Reinspection
3	1822202	Hind Bal Mandir Sec School, Najafgarh	South West B	V	The findings of the inspection Committee needs to be corrooorated by additional/ adequate	Reinspection
4	1822225	DC Convent Sec School. Dichaon Chowk, Najafgarh	South West B	V	The findings of the Inspection Committee needs to be corroborated by additional/ adequate	Reinspection
5	1821228	Modem international	South	V	The school is functioning on	Reinspection

		School Sec 19 Dwarka	West B		DDA land Since, recoros were not provided lo the Committee the	
6	322236	D H M Public School Dichau Kalan Najafgarh	South West B	VI	Inspect-on report is not conclusive as financial records needs more scrutiny Reinspection of the school is required oy financial experts	Reinspection
7	182H74	Gyan Public School, Bijwasan	South West B	VI	The report is not clear as unable to clarify whether complete relevant records were	Reinspection
8	1822216	Spnng Fields Convent School, Ranaji Enclave Najafgarh	South West B	VI	The inspection Committee has filed non-conciusive report Needs examination of	Reinspection
9	1821145	Laxman Convent School Palam	South West B	VII	The scnool has not provided complete financial recoro in the absence of the same the findings	Reinspection
10	1822242	Mata Bhati Devi Public School Deenpur Najafgarh	South West B	VII	The school has not provided complete/requisite documents The Inspection Committee has filed	Reinspection

1	2	3	4	5	6	7
11	1822220	Mata Nand Kaut Sr Sec Public School Dhansa Village	South West B	VIII	Inspection report is no! conclusive as financial records needs .more scrutiny Reinspection of the school is required by financial experts.	Reinspection
12	1821172	Delhi English Academy, Bharthal Village	South West B	IV	There is a contradiction between the findings of Inspection Team and District DDE Not properly	Reinspection
13	1411197	Indian Covent School. Pitam Pura	North West B	II	The report is not clear as unable to clarify whether complete relevant records were	Reinspection
14	1412143	Johney Public School Prem Nagar-II. Nangloi	North West B	III	The findings of the Insoection Committee needs to be corroborated by additional/ adequate	Reinspection
15	1411205	Brilliants Convent Sr Sec School Pitampura	North West B	IX	The findings of the Inspection Committee needs to be corroborated by additional/ adequate	Reinspection
16	1411227	St Stephen' s School PU Block, Pitampura	North West B	VIII	The findings of the Inspection Committee neeos to be	Reinspection

					corroborated by additional/ adequate	
17	1925289	Saifi Public School, Jamia Nagar	South East	IV	Inspection report is not conclusive as financial records neecs more scrutiny Re nspection of the school is required by financial experts	Reinspection
18	1412151	Akhil Bal Vidyaiaya Nangloi	North West B	IV	The findings of the Inspection Committee needs to be corroborated by additional/ adequate	Reinspection
19	1411205	Bal Bharti Model School, Rani Bagh	North West B	IV	The report is not clear as unable to clarify whether complete relevant records were	Reinspection
20	1106257	Aman Public School Jagat puri Extr	North East	II	Inspection report is not conclusive as financial records needs more scrutiny Reinspection of the school is required by financial experts	Reinspection
21	1104318	Ch Ramphai Memorial Public School Bhajanpura	North East	II	The findings of the Inspection Committee needs to be corroborated by additional/ adequate	Reinspection

1	2	3	4	5	6	7
22	1104319	Nav Bharat Adarsh Public School, Khajoori Khas	North East	II	The report is not clear as unable to clarify whether complete relevant records were	Reinspection
23	1104338	J M CONVENT SCHOOL, Maujpur Delhi	North East	II	Inspection report is not conclusive as financial records neeas more scrutiny Reinspection of the school is required oy financial experts	Reinspection
24	1104355	Mayur Public School, Karawal Naqar	North East	II	The findings of the Inspection Committee neecs to be corroborated by additional/ acequate	Reinspection
25	1104357	Himalaya Public School, Karawal Nagar	North East	II	The findings of the Inspection Committee needs to be corroborated by additional/ adequate	Reinspection
26	1104362	Neo Evergreen Public School Dayal Pur	North East	II	Inspection Report is not conclusive Reinspection of the school is required by financial experts	Reinspection
27	1104410	Green Vales School, Gautam Vihar	North East	II	The findings of the Inspection Committee needs to be	Reinspection

					corroborated by additional/ adequate	
28	1104271	Holy Mothers Public School, Shanti Nagar	North East	II	Inspection report is not conclusive as financial records needs more scrutiny Reinspection of the school is required by financial experts	Reinspection
29	1105206	Mukta Bharti Public School Shahadara	North East	II	Inspection report is not conclusive as financial recoros needs more scrutiny Reinspection of the school is required by financial experts	Reinspection
30	1106215	Raja Model School Mandoli Extn	North East	II	The findings of the Inspection Committee needs to be corroborated by additional/adequate	Reinspection
31	1105183	Shri Sarswati Vihar Pubic School Shahdara	North East	II	The reoon is not dear as unable to clarify whether complete relevant records were	Reinspection
32	1618224	Shikha Deep-Vidyalaya Uttam Nagar	West B	II	The findings of the Inspection Commmee neeas to be corroborated by additional/adequate	Reinspection
33	1105203	Babarpur Model Public School, Kabir Nagar Shahdara	North East	III	Inspection report is not conclusive as financial records needs more scrutiny. Reinspection of the	Reinspection

1	2	3	4	5	6	7
					school is required by financial experts	
34	1105180	New Modem Public School East Gorakh Park, Shahdara	North East	III	The report is not dear as unaoie to clarify whether complete relevant records were	Reinspection
35	1720143	Army Public School Delhi Cantt	South West A	IX	Inspection report is not conclusive as financial records needs more scrutiny Reinspection of the school is required by financial experts.	Reinspection
36	1617199	Jyoti Paro Pubic School Kavita Colony, Nangloi	West B	V	The findings of the Inspecton Committee needs to be corroborated by additional/ adequate	Reinspection
37	1106202	Fair Child Public School Harsh Vihar	North East	V	Inspecton report is not conclusive Reinspection of the school is required by financial experts	Reinspection
38	1106211	M B M International School, Ashok Nagar	North East	V	Inspection report is not conclusive as financial records needs more scrutiny Reinspection of the school	Reinspection

					is required by financial experts	
39	1617191	D S Sainik Model Sr. Sec School, Mundka	West B	V	Inspection report is not conclusive Reinspection of the school is required by financial experts	Reinspection
40	1618172	Ring Midways Sr Sec Public School, Vipin Garden	West B	V	The findings of the Inspecton Committee neeas to be corroborated by additional/ adequate	Reinspection
41	1618252	Hari Krishna Public School, Uttam Nagar	West B	V	The findings of the Inspection Committee needs to be corroborated by additional/ adequate	Reinspection
42	1207175	Rajdhani Model Public School, Main Burari Road, Sant Nagar	North	V	The findings of the inspection Committee needs to be corroborated by additional/ adequate	Reinspection
43	1617158	Arya Public School, Vishal Colony Nangloi	West B	V	The report is not clear as unable to clarify whether complete relevant records were	Reinspection
44	2127128	Shakti Mandir Premwati Public School, Daryaganj	Central	VI	Inspection report is not conclusive as financial records needs more scrutiny Reinspection of the	Reinspection

1	2	3	4	5	6	7
					scnool is requirea by financial experts	
45	1720129	K S Memorial Public School. Ghitorini	South West A	VII	Inspection report is not conclusive as financial records needs more scrutiny Reinspection of the school is required by financial experts	Reinspection
45	1617195	Shri Vishwakarma Model School, Nangloi	West B	VII	The findings of the Inspection Committee needs to be corroborated by additional/ adequate	Reinspection
47	1618259	Shiv Modern School, Paschim Vihar	West B	VIII	The report is not clear as unable to clarify whether complete relevant records were	Reinspection
48	1309228	Jyoti Model School, Adarsh Nagar	North West A	VIII	The findings of the Inspection Committee neeos to be corroborated by additional/ adequate	Reinspection
49	1310286	Rana Model School Ghoga Mor	North West A	IV	Inspection report is not conclusive as financial records needs more	Reinspection

					scrutiny Reinspection of the scnool is required by financial experts	
50	1105234	Shri Saraswati Vidya Niketan Puolic School Shahdara	North East	IV	Inspection report is not conclusive Inspection report is not conclusive xscrutiny Reinspection of the scnool is requirea by financial experts	Reinspection
51	1104367	Nav Jeewan Adarsh Public School, Yamuna vihar	North East	IV	Inspection report is not conclusive Reinspection of the scnool is required by financial experts	Reinspection
52	1106212	Maharana Pratap Model Public School, Harsh Vihar	North East	IV	The report is not clear as unable to clarify whether complete relevant records were	Reinspection
53	1105202	Abhinav Bal Vidyalaya Naveen Shahdara	North East	IV	inspection report is not conclusive as financial records needs more scrutiny Reinspection of the school is required by financial experts	Reinspection
54	1106193	Lumbini Mangold Public School, Shahdara	North East	IV	inspection report is not conclusive as financial records needs more scrutiny Reinspection of the	Reinspection

1	2	3	4	5	6	7
					school is required by financial experts.	
55	1106216	Red Rose Public School Mandoli Extension	North East	IV	Inspection report is not conclusive as financial records needs more scrutiny Reinspection of the school is required by financial experts	Reinspection
56	1106229	Montreal Public School Saboli	North East	IV	The report is not clear as unable to clarify whether complete relevant records were	Reinspection
57	1309196	Bharatmata Saraswati Bal Mandir, Bawana Road	Noah Arest A	IV	The findings of the Inspection Committee needs to be corroborated by additional/ad equate	Reinspection
58	1310278	Hira Pratap Rai Public School, Siraspur	North West A	IV	Inspection report is not conclusive Reinspection of the school is required by financial experts	Reinspection
59	1105188	Gandhi Memorial Public School Brahmpuri	North East	IV	The report is not clear as unable to clarify whether complete relevant records were	Reinspection

60	116186	Mount Everest Public School Hardevpuri	North East	IV	Inspection report is net conclusive as financial records needs more scrutiny Reinspection of the scnool is required by financial experts	Reinspection
61	1002264	Bharat Bharti Public School Shakarpur Extension	East	VI	The report is not clear as unable to clarify whether complete relevant records were	Reinspection
62	1002287	Mayo International School, Patparganj	East	VI	Inspection report is not conclusive as financial records needs mere scrutiny Reinspection of the school is required by financial experts	Reinspecton
63	1003244	St Andrews Scots School Jagatpuri	East	VIII	The findings of the Inspection Committee needs to be corroborated by additional/ adequate	Reinspection
64	1002306	Anand Public School, Pandav Nagar	East	IV	The Inspection net conducted properly Needs examination of complete financial records by experts	Reinspection

1	2	3	4	5	6	7
65	1002303	Gautam Public School, Kondli	East	IV	The findings of the inspection Committee needs to be corroborated by additional/ adequate financial records and hence requires reinspection by a financial expert	Reinspection
66	1002311	Lakhi Public School Mandwali Delhi-10092	East	I	Inspection report is not conclusive as financial records needs more scrutiny Reinspection of the school is required by financial experts	Reinspection
67	1923257	St Robin Public School, Neb Sarai	South	V	The school has nether hiked fee nor implemented 6th CPC during the year 2008-09 to	Reinspection
68	1923260	Gyan Jyoti Vidyalaya Anupam Garden IGNOU Road	South	VIII	The school has not provided complete financial record in the absence of the same, the findings	Reinspection
69	1923263	Sivanand Vidya Bhawan, Daksnpuri	South	VIII	The school has failed to provide requisite financial record Inspection Committee has filed	Reinspection

70	1923352	Indian Modern School, Chhattarpur Enclave	South	IV	The school has failed to provide requisite financial record inspection Committee has filed	Reinspection
71	1516112	Guru Nanak Public School Moti Nagar	West A	III	The findings of the Inspection Committee needs to be corroborated by additional/ adequate	Reinspection
72	1516120	Kalawali Vidhya Bharti Public School, New Patel Nagar	West A	III	The findings of the Inspection Committee needs to be corroborated oy additional/ adequate	Remspection
73	1516117	Bajaj Public School, Prem Nagar	West A	V	Inspection report is not conclusive as financial records needs more scrutiny Reinspection of the school is required by financial experts	Reinspection
74	1515120	Ch Jaswant Lal Public School, Punjabi Bagh	West A	VII	The report is not clear as unable to clarify whether complete relevant records were	Reinspection
75	1515119	Shri Guru Harkrishan Mooel School Tagore Garden	West A	II	This is a case where refund as well as special inspection both were recommended by the	Reinspection

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION
(PRIVATE SCHOOL BRANCH)
OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

No.: DE.15 (318)/PSB/2016/19786 Date: 17-10-17

ORDER

Subject:- Guidelines for implementation of 7th Central Pay Commission's Recommendations in Private Un-aided Recognized Schools of Delhi.

In continuation of this Directorate' s Order No.DE.15(318)/PSB/2016/18117 dated 25/08/2017 and in exercise of the powers conferred under section 17(3)and section 24(3), of the Delhi School Education Act, 1973 read with sub sections 3, 4 and 5 of Section 18 of the Delhi School Education Act, 1973 and with rules 50, 177 and 180 of the Delhi School Education Rules, 1973 and in continuation of the previous ordersNo.DE.15/Act/Duggal.Com/203/99/23039-23988 dated 15.12.1999, F.DE 15/Act/2K/243/KKK/883-1982 dated 10.02.2005, DE. 15/Act/2006/738- 798 dated 02.02.2006, relevant paras of F.DE/15 (56)/Act/2009/778 dated 11.02.2009, F.DE-15/ACT-I/WPC-4109/13/6750 dated 19.02.2016, F.DE- 15/ACT-I/VVPC-4109/PART/13/7905-7913 dated 16.04.2016 & F.DE/PSB/2017/16604 dated 03/07/2017, I, Saumya Gupta, Director of Education, hereby issue following directions to all the Unaided Private Recognized Schools in the National Capital Territon/ of Delhi for the implementation of 7th Central Pay Commission' s Recommendations under Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016 with effect from 01.01.2016.

1. General Instruction for ALL Private Unaided Recognized Schools, irrespective of land status:-

   (a) A fee hike is not mandatory for recognized unaided schools in the NCT of Delhi.

(b) All schools must, first of all, explore the possibility of utilizing the existing reserves to meet any shortfall in payment of salaries and allowances, as a consequence of increase in the salaries and allowances of employees.

(c) The schools should not consider the increase in fee to be the only source of augmenting their revenue. They should also venture upon other permissible measures for increasing revenue receipts.

(d) Interest on deposits made as a condition precedent to the recognition of the schools and as pledged in favour of the Government should also be utilized for payment of arrears in the present case.

(e) A part of reserve fund which has not been utilized for years together may also be used to meet the short fall before proposing a fee hike.

(f) Fees/funds collected from the parents/students shall be utilized strictly in accordance with rules 176 and 177 of the Delhi School Education Rules, 1973. No amount whatsoever shall be transferred from the recognized unaided school fund of a school to the society or the trust or any other institution.

(g) The tuition fee shall be so determined as to cover the standard cost of establishment including provisions for D.A., bonus, etc., and ail terminal benefits as also the expenditure of revenue nature concerning the curricular activities. No fees in excess of the amount so determined or determinable shall be charged from the students/parents.

(h) No school student, who is appearing in Board examination, shall be denied admit card, school leaving certificate or any other document, or be disallowed from appearing in the Board

Examination on account of any non-payment or delayed payment arising out of this order.

(i) Every recognized unaided school covered by the Act, shall maintain the accounts on the principles of account applicable to non-business organization/not-for-profit organization as per Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Such schools shall prepare their financial statement consisting of Balance Sheet, Profit & Loss Account and Receipt and Payment Account every year as per proforma prescribed by the department vide order No. F.DE-15/ACT-I/WPC-4109/Part/l3/7905-79l3 dated 16/04/2016.

(j) Every recognized unaided school covered by the act, shall file a statement of fees latest by 31st March every year before the ensuing session under section 17(3) of the Act as per proforma prescribed by the department vide order no. F./DE/PSB/2017/16604 dated 03/07/2017.

(k) Though, increase in tuition fee is not the only option to implement the recommendations of 7th Central Pay Commission's Recommendations, nevertheless, if the Managing Committee of the School after exploring and exhausting all the possibilities as per the conditions mentioned above feels it necessary to increase the tuition fee, the managing committee of the school shall hold a meeting with the group of teachers and parents which would include at least one parent representative from each section of the school and will present the detailed budget of the school, financial statements of the previous year, requirements of funds for implementation of 7th Central Pay Commission's Recommendations, availability of cash/reserve fund/savings with the School Fund account etc as well as present the proposal for

fee hike, if any with justification with ail the documents mentioned in Annexure A. Inputs would be solicited from the parents and teachers' representatives. Either the managing committee can take their suggestions into consideration and revise their proposal, or record their dissent. Director of Education' s nominee (DE' s Nominee) to remain present in the meeting. The minutes and attendance sheet of this meeting countersigned by DE' s Nominee including details of parents invited for meeting along with photographs of the meetings shall be submitted by the school to the DDE (District) concerned. It is hereby clarified that presentation of the proposal for increase in fee before the representatives of the parents comprising of each section shall not be construed as seeking the approval of the parents representatives in view of the judgment dated 12/08/2011 of Hon' ble High Court in WPC 7777/2009 titled as Delhi Abhibhavak Mahasangh Vs. GNCTD.

(L) For the purpose of increase in tuition fee w.e.f. 01/01/2016 in terms of mid-session increase, the approval of the undersigned is not required under sub-section (3) of section 17 of DSEAR, 1973 in light of the order dated 30.03.2017 of Hon' ble High Court in WPC 2637/17 in the matter of Action Committee Unaided Recognized Schools Vs Directorate of Education.

The relevant part of Hon' ble High Court Order is as under:-

"Keeping in view the importance and relevance of 31st March, 2017 in section 17(3) if the Act and to balance the equities, this Court directs that in the event the Seventh Pay Commission is directed to be implemented in private unaided schools by the respondent, then petitioner schools would have an option within two weeks from the date of implementation of the Seventh Pay Commission to intimate the revised fee schedule and the same shall be taken as having been filed on 30th March, 2017."

2. **Period of Implementation of 7th CPC**

The benefits of 7th Central Pay Commission Recommendations have been implemented by the Govt, of India, Department of Expenditure, Implementation Cell, Ministry of Finance in a staggered manner. As per the notification dated 25/07/2016 issued by Govt. of India, Ministry of Finance, basic pay of the Govt, employee has been increased for the period 01/01/2016 to 30/06/2017 and increased allowances have been allowed to the Govt, employees w.e.f. 01/07/2017. Thus, in accordance with sub-section (1) of Section 10 of Delhi School Education Act, 1973, the benefits of the recommendations of 7Lh CPC to the employees of Private Unaided Recognized Schools of Delhi will also be extended in a similar manner.

3. **Procedure for Increase in Tuition Fees**

I. For Schools running either on Private Land or on DDA/L&DO allotted land NOT having condition to seek prior sanction of Director (Education) before any fee hike.

a. After complying with the instructions strictly mentioned at Para (1), if any school still feels it necessary to hike the tuition fee, it shall present its case along with detailed financial statements indicating income and expenditure of each account before the managing committee of the school including DE' s Nominees.

b. The school before placing the proposal of increase in tuition fee, shall ensure the compliance of section 18(4), Rule 172, 173, 174 175, 176 and 177 and other relevant provisions of Delhi School Education Act and Rules, 1973 and guidelines issued by the department from time to time, various judicial pronouncements, and ratio laid down by Hon' ble Supreme Court in Modern School Case and Delhi High Court in the matter of Delhi Abhibhavak Mahasangh Vs DoE (WPC 7777/2009) as well.

c. The proposal of the school for increase in tuition fee shall contain the documents mentioned in Annexure A.

d. For the said purpose, the managing committee of the school shall circulate the agenda item in respect of the budget for the payment or arrears of salary/increase in tuition fee to all the members including the DE' s Nominee of the school as per the following time line:-

Sl. No.	Particulars	Date
01	Date up to which the agenda item for meeting shall be circulated.	31/10/2017 (Tuesday)
02	Date up to which the managing committee meeting shall be convened and concluded.	25/11/2017 (Saturday)
03	Date up to which the statement of revised tuition fee under section 17(3) shall be filed by the school for 2017-18 effecting 7th CPC.	30/11/2017 (Thursday)

All the relevant documents required for examination and analyzing the agenda item shall be attached/provided to all members specifically DE' s nominee as per Annexure A along with service of meeting notice.

e. The managing committee including DE' s nominees shall evaluate the proposal of the school for increase in fee taking into consideration the availability of funds/reserves/cash in hand/bank balances/surplus.In case, DE' s nominee disagrees with the proposal of increase in tuition fee or agrees to a lesser increase in tuition fee against the proposal on the basis of the relevant provisions of Delhi School Education Act and Rules, 1973, instructions/guidelines issued from time to time and judicial

pronouncement in this regard, he/she shall record his/her dissent note in writing citing the provisions and other reasons justifying lesser increase in fee or no increase in fee as the case may be, in the minutes of the meeting and only then sign the minutes of the meeting. DE' s Nominee of the school shall forward the minutes of the meeting to Dy. Director of District concerned for information and record in all cases. DE' s Nom nee shall submit to the DDE concerned a statement of Managing Committee meeting (s) attended by him.

f. The managing committee of the school shall file the full statement of fee under Section 17(3) of DSEAR, 1973 to the DDE concerned in the proforma as circulated by the department vide order dated 03/07/2017.

g. In case of schools in which DE' s Nominee has passed a dissent note and in case of the schools running on the land allotted by DDA/ L&DO/ any other Govt. Land Owning agencies, NOT having the condition to seek prior sanction of Director (Education), if a fee hike is proposed then their statement of fee submitted under section 17(3) of DSEA, 1973 shall compulsorily be analyzed by Dy. Director Education (District).

h. In accordance with the order No 19742 dated 13/10/17, DDE (Districts) shall examine the statement of fee of the schools and pass necessary orders with regard to refund/reduce the fee, if any, taking considerations of the relevant provisions of DSEAR, 1973 and orders of DoE and judicial pronouncements of Hon' ble Supreme Court and High Court in the matter of regulation of fee. i. DDE (Districts) shall ensure that no school shall collect fee from the students without full statement of fee filed under section 17(3) in accordance with this Directorate' s Order dated 10/05/

2005 and recent order dated 03/07/2017 specifying the proforma of filing the said statement.

j. No other head of fee like annual fee, development fee, earmarked levies shall be increased by the school for implementation of 7th Pay Commission' s Recommendations, as a corollary to increase in tuition fee.

(II) For Schools running on the Land allotted by PDA/Govt. Land Owning agencies having condition to seek prior sanction of Director (Education) before any fee hike,

(a) In the first instance, the school must try to pay the arrears/ increased salary to their teachers/employees on account of recommendations of 7th CPC, without increase in fee, from existing resources. Ail conditions and modalities as detailed in Para-1 & 2 must to be followed, and are not being repeated for the sake of brevity.

(b) The schools, in respect of which, fee hike proposal for the year 2016-17, already covering the financial impact of 7lh CPC, were examined and rejected by the Department due to availability of sufficient funds with the School Fund Account, will not increase the rates of tuition fee w.e.f.01.01.2016. Instead, only in the case of unavailability of funds/reserves from any other permissible source, collection of arrears/increase in tuition fee up to a maximum limit of increase in the tuition fee as detailed below in point (e) may be collected w.e.f. 01.04.2017.

(c) The managing committee of the school shall ensure the compliance of section 18(4), Rule 172, 173, 174 175, 176 and 177 and other relevant provisions of Delhi School Education Act and Rules, 1973 and guidelines issued by the department from time

to time, judicial pronouncements, and ratio laid clown by Hon' ble Supreme Court in Modern School Case and Delhi High Court in the matter of Delhi Abhibhavak Mahasangh Vs Dot (WPC 7777/2009) as well.

(d) As per the judgment dated 19/02/7016 of Hon' ble High Court in WPC 4109/2013, the schools on the land allotted by DDA/ Other Govt Land Owning Agencies, with the condition of seeking prior sanction of Director (Education) for fee increase has to seek the prior approval of Director (Education) for any fee increase.

(e) However, in order to avoid any further delay in giving benefits of 7' CPC to the teachers and other employees and to ensure that the burden of payment of arrears does not accumulate on the parents, due to further delay in extension of 7th CPC to the employees, an interim fee increase subject to following upper limits, is permitted to the school :

Rate of maximum monthly increase of tuition fee (for collection of arrears)	Period	Base of the existing rates of Tuition fee on which increase to be calculated
7.5%	01.01.2016 to 31.03.2016	As on 01.04.2015
7.5%	01.04.2016 to 30.06.2017	As on 01.04.2016
15%	01.07.2017 to 30.11.2017	As on 01.047010
15% (for payment of regular salary)	01.12.2017 to 31.03.2018	As on 01.04.2016

However, the above interim increase is to be levied only if it is felt that in case of schools not having sufficient reserves/ accumulated funds available from any other source in accordance with the clauses mentioned in Para - 1 above, then an interim increase of Up to 7.5% and 15% (as detailed in above table), in monthly tution fee can be levied by the schools for payment of arrears/increased salary to the employees.

Increase in tuition fee @ 7.5 % / 1.5%.

Pursuant to recommendations of /th CPC, about 15% increase in basic pay foi the Govt. Employees has been effected with effect from i)i.0i.2U16 to 30.06.2017. The allowances was revised w.e.f. 01/07/201 and pay & allowances has been increased by approximately 25% arte; implementation of 7th CPC. lo cover the impact of increase in salary as per table mentioned above, a maximum of 7.5% increase in tuition fee foi payment of arrears and 15% of tuition fee for payment of increased salary is permitted in light of the utilization of tuition fee as defined in this Directorate' s order dated 15.12.1999, 11.02.2009 and 16.04.2010.

(f) For the purpose of any increase in tuition fee as mentioned above, a meeting of managing committee will be convened. The managing committee of the school shall circulate the agenda item in respect of the budget for the payment of arrears of salary/ increase in tuition fee to all the members including the DE' s Nominee of the school as per the following time line:

Sl. No.	Particulars	Date
01	Last Date up to which the agenda item for meeting shall be circulated.	31/10/2011 (Tuesday)
02	Last Date up to which the meeting shall beconvened and concluded.	25/11/2017 (Saturday)

Sl. No.	Particulars	Date
03	Last Date up to which the statement of revised tuition fee under section 17(3) shall be filed by the school for 2017-18 effecting only 7th CPC, if there is no fee increase or fee increase is limited to 7.5%/ 15% of tuition fee, as detailed above in point (e).	30.711/2017 (Thursday)
04	Last date of filing online proposal to Directorate of Education in case fee increase beyond 7.5% / 15% is essentially required by the school after implementing fee increase of 7.5% / 15%	30/11/207 (Thursday)

(g) Fee hike mentioned in clause 3(II)(e) would be treated as interim measure and would be subject to scrutiny into the records of the school if the need arises, to see as to whether there was any necessity to increase the fee having regard to the financial position of the said schools.

(h) The accounts of the schools which did not apply for fee increase in the year 2016-17 would be audited.

(i) This interim fee hike would cover a substantial part of the increased liability of the schools. In case any school, after due examination of financial position in accordance with Para-1 above, needs any further increase in tuition fee, then the school may submit a detailed fee increase proposal in the online module of this Directorate which would be examined by due process by this Directorate, before passing detailed order in this regard.

(j) Online module will be re- opened from 01/11/2017 to 30/1 1/ 2017 for submission of detailed proposal of fee increase.

(k) Also, if it is found after examination of fee statement under 17(3) of DSEA, 1973 that tuition fee increase up to 7.5%/ 15% was not needed by the school/ and the pre-requisite as specified in Para-1 above of this order and earlier orders and Act/judicial pronouncement were not satisfied, individual orders directing refund of fee would be issued.

(l) No other head of fee like annual fee, development fee, earmarked levies shall be increased by the school for implementation of 7th Pay Commission' s Recommendations, as a corollary to increase in tuition fee.

(m) Schools are also advised not to plan fee hike on other heads of fees in academic year 2017-2018 due to the considerable fee burden on parents because of implementation of 7th CPC.

However, in case the same is felt essential for safety/security needs of students/academic interest of students, the proposed fee hike in other heads of income may also be submitted to DoE in online module, which will be examined. However, it is again reiterated, no automatic/commensurate increase in other heads of incomes is being permitted due to increase in tuition fee to pay increased salaries.

(n) The decision on the increase in tuition fee along with installments J to be collected as tuition fee arrears from the parents will be publicized on the notice board, website of the school for information to the students/parents.

III. **Collection of fee arrears (if needed) for payment of salary arrears w.e.f, 01/01/2016 to 30/11/2017. (For Both, schools on private land /Govt, allotted land.**

a. The schools shall make calculations as per 7th Pay Commissions Recommendations for arrears of salary to be paid to the employees with effect from 01.01.2016 to 30.11.2017.

b. The schools, having sufficient funds & resources, shall pay the arrears of salary at first instance to the employees from their own resources without claiming any arrears of fee from the students for above said purpose and period.

c. After exploring and exhausting all the possibilities as per funds available to the school to pay salaries arrears to employees, the liability on account of payment of arrears of salary, upon the students, shall be calculated for the period 01.01.2016 to 30.11.2017.

d. The students enrolled in the schools after 1st January, 2016 shall pay the arrears to the school for the period they remained enrolled in the school if liability arises after calculation done as above.

e. The arrears of tuition fee, shall be collected from parents/guardians in two or three installments. The first installment may be collected by the month of December, 2017 and the final installment latest by 31sl May, 2018.

f. The schools shall provide the details of total amount of arrears of tuition fee with month wise break-up to the parents for the payment.

g. No additional development fee or any other commensurate head of fee shall be levied along with the increased amount of tuition fee w.e.f 01.01.2016 to 30.11.2017, as these arrears of tuition fee are being collected for the sole purpose of paying arrears of 7th Pay Commission.

h. Teachers and other employees shall be paid the first installments of the arrears @ 50% of the total amount by 31st January, 2018 by the schools and the final installment/installments of the remaining arrears latest by 30th June 2018.

i. The salary arrears are to be paid in such number of installments, by the school, depending on its fund flow, but not more than 3 installments and not later than 30s; June, 2018.

j. Any teacher/employee who was in service as on 01.01.2016 and has subsequently retired (on superannuation or voluntarily) in the intervening period will be given commensurate arrears and consequential benefits as admissible.

k. AN the payment of salary/arrears to be made to the employees shall be made by the school through ECS/Cheques/RTGS from the School Fund Account.

(Saumya Gupta, IAS)
Director (Education)

The Managing Committee
Through the Manager/Heads of the school,
All Private Unaided Recognized Schools of Delhi.

No.: DE.15 (318)/PSB/2016 /19786 Date: 17/10/17

Copy for information to:-

1. Principal Secretary to Hon' ble LG.
2. Additional Secretary to Hon' ble Dy.CM/MoE.
3. PS to Secretary(Education)
4. PA to Additional Director (Education)
5. All RDEs/DDEs (Districts/Zones)
6. All DE' s Nominees through DDE concerned.

(Yogesh Pratap)

Dy. Director of Education (PSB)

ANNEXURE-A

Model Annexures to Agenda for Managing Committee Meeting

Documents to be circulated by Unaided Private Recognized Schools for the proposal to increase in fee due to implementation of VIIth pay commissions recommendations before holding the managing committee meeting

1. Audited Financial Statements of the school i.e. Receipts and Payments Account, Income and Expenditure A/c and Balance Sheet for the financial year 2016-17 (duly audited by the Chartered Accountant) along with Significant Accounting Policies, Schedules and Notes to Accounts forming part of the Financial Statements and Auditors' Report. The Financial Statement for the year 2016-17, however, will be required in the format as per Appendix-II of DSER, 1973 & specified vide order dated 16/04/2016.

2. Detail of FDRs in r/o each funds/ provisionsalong with other investments separately, as per the audited balance sheet of the school for the FY 2016-17.

3. Details of Reserve Fund, General Fund & Gratuity fund etc. and other reserves, if any, with the school. (As per the audited balance sheet for the FY 2016-17)

4. Details of amount available with the school in cash and at bank as at 31.03.2017 (mark bank accounts maintained for specific funds/ levies).

5. An undertaking regarding maintenance and operation of various bank accounts by school in different banks.

6. Staff statement of regular teachers/employees as on 01.01.2016 and as on the date of this order.

7. Budget Estimates of Receipts and Payments for academic year 2017-18.
8. Pay Bill for all the teaching/non-teaching staffs getting salaries as per VIth pay commissions for the month of December, 2015 along with the proof of payment (copy of Bank book and Bank Statement).
9. Students enrolment details as on 31.03.2017 and 30.11.2017 (Class wise). EWS/DG students need to be shown separately.
10. Details of transfer of funds/ loans repayment/ fees etc. paid to the parent societies/ parent trusts/ related societies/ trusts/ schools within the same group/ management etc., in the last three years as per the audited balance sheet of the school.
11. Calculation of Impact of 7th Pay Commission on Salaries

    School shall assess the availability of funds with it and if there is any shortfall to meet the 7th CPC Salary impact the school shall apportion the shortfall amongst the students in the following manner:

Step (i)

Period	Salary/ Arrears payable as per 7th CPC (estimated) (A)	Salary due/paid (prior to 7th CPC)(B)	Net Expected Increase in Salaries (C= A-B)
01.01.2016 to 30.06.2016			
01.07.2016 to 30.06.2017			
01.07.2017 to 30.11.2017			
(D) Total Salary Arrears as per 7th CPC			xxxxx

Period	Salary payable as per 7th CPC (estimated) (A)	Salary due to be paid (prior to 7th CPC) (B)	Net Expected Increase in Salaries (C=A-B)
01.12.2017 to 31.03.2018			

(E) Total increase in Salaries as per 7th CPC XXXXX

Step (ii) Calculate availability of funds as at 31.03.2017

Step (iii) Utilise available funds for meeting liability of salary arrears.

Particulars	Amount (in Rs.)
Amount of available funds (as per step (ii))	
Less: Total Salary Arrears as per 7th CPC (refer D from step (i))	
Net Available fund/ (deficit)	

If there is deficit, only then the arrears of salaries shall be recovered from students and theamount of deficit shall be apportioned on students in the following manner: (Total amount of deficit / No. of Students = Arrears to be collected from each student)

Step (iv) Utilize balance available funds, if any (as computed at step (iii), for meeting liability of increased salaries as per 7th CPC w.e.f. 01.12.2017

Particulars	Amount (in Rs.)
Net Available funds (as per step (iii))	
Less: Total increase in Salaries as per 7th CPC (refer E from step (i))	
Net Available fund/ (deficit)	

If there is deficit, only then the school shall increase the amount of tuition fee and apportion the same in following manner over the period of four months (i.e., 01.12.2017 to 31.03.2018): (Total amount of deficit / No. of Students X 4 (months) = Tuition fee increase per child per month}

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION
(PRIVATE SCHOOL BRANCH)
OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

No. DE. 15 (318)/PSB/2016/23840-23847 Dated: 13.04.2018

ORDER

Sub: **Withdrawal of this Directorate's Order No. DE.15 (318)/PSB/2016/ 19786 dated 17/10/17**

In view of the stand taken by the Department, under instructions, in the Hon' ble High Court during the course of hearing on 02/02/2018 in Writ Petition (Civil) No. 11265/17 titled as Miss Taru Chauhan Vs Govt, of NCT of Delhi & Ors, the order No. DE.I5 (318)/PSB/2016/19786 dated 17/10/17 is hereby withdrawn, presently, only in the context of Private Unaided Recognized Schools running on the land allotted by Delhi Development Authority/L&DO/Any Govt. Agencies with the condition of seeking prior sanction of Director (Education) for increase in fee. Further, following directions are issued to all concerned for strict compliance:-

(a) The interim increase permitted vide this Directorate' s Order dated 17/10/2017, 03/1 1/2017 & 20/1 1/2017 to such schools is hereby withdrawn from retrospective effect.

(b) Online proposal made by such schools vide this Directorate' s Order dated 23/10/2017, 03/1 1/2017 and 20/11/2017 for increase in fee for the academic session 2017-18 on this directorate' s website shall be treated as valid and the same shall be decided after examining the financial accounts of the schools as per the procedure laid down by the department.

Non-compliance of this order shall invite action under the provisions of Delhi School Education Act and Rules, 1973.

This issues with the prior approval of competent authority.

(Yogesh Pratap)
Deputy Director of Education (PSB)

Manager/Heads of Schools
All Private Unaided Recognized Schools of Delhi

No. DE. 15 (3 18)/PSB/2016/23840-23847 Dated: 13.04.2018

Copy to:

1. Hon' ble Dy. Chief Minister/Minister of Education.
2. PS to Secretary (Education), Directorate of Education, GNCTD.
3. PS to Director, Directorate of Education, GNCTD.
4. All Regional Director of Education, GNCTD with the request to ensure the compliance of above said direction by all DDEs (Districts)
5. All Deputy Director of Education, GNCTD with the request to ensure the compliance of above said direction by all the private unaided recognized schools falling in their jurisdiction failing which necessary action may be initiated against defaulter private unaided recognized schools.
6. SO (IT) to upload the same on the departmental module.
7. Guard File.

(Yogesh Pratap)

Deputy Director of Education (PSB)

08- Jh egsnz xks;y % क्या ekuuh; mi eq[;ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार का रिठाला विधानसभा क्षेत्र के सैक्टर–16, सैक्टर–1 व रिठाला गांव के विद्यालयों में और कक्षा भवनों के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) इन विद्यालयों में अन्य कक्षा भवनों का निर्माण कब तक कर दिया जायेगा;

(घ) क्या यह भी सत्य है सरकार द्वारा सैक्टर 17 रोहिणी में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से एक विद्यालय आरंभ किया गया है;

(ङ) इस विद्यालय में वर्तमान में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं; और

(च) उनके दाखिले की प्रक्रिया का पूर्ण विवरण क्या है?

ekuuh; mi eq[;ea=h % (क) जी हां।

(ख) विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्रम सं.	स्कूल का नाम	कक्षा कक्षों का निर्माण
1	2	3
1.	रिठाला, सर्वोदय कन्या विद्यालय	80
2.	रोहिणी, अवंतिका सेक्टर 1, GGSSS	20

1	2	3
3.	रोहिणी सेक्टर 16, पाकेट ए, SKV	60
4.	रोहिणी सेक्टर 16 पाकेट डी, GGMS	40

(ग) व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के पश्चात् केबिनेट नोट कानून, योजना, वित्त और लोक निर्माण विभाग को टिप्पणियों के लिये भेजा गया है। तदोपरांत केबिनेट के अनुमोदन के पश्चात् लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य शुरू किया जायेगा।

(घ) जी हां, सत्र 2018–19 से यह स्कूल आरम्भ हुआ है।

(ङ) वर्तमान में 378 बच्चे पढ़ रहे हैं।

(च) कक्षा नर्सरी से कक्षा 2 तक प्रवेश 'ड्रा' द्वारा तथा कक्षा 9वीं में प्रवेश 'परीक्षा' के द्वारा किया जाता है। संबंधित परिपत्रों की प्रतिलिपि संलग्न है। कक्षा 11वीं में भी प्रवेश एडमिशन टेस्ट द्वारा किया जायेगा जो कि प्रक्रियाधीन है।

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION : SCHOOL BRANCH
OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

No.DE.23(648)/Sch.Br./2018/333 Dated:14/03/2018

CIRCULAR

Sub.: Guidelines regarding admissions to Nursery (3+) , KG, Class-I and Class-II in Schools of Excellence for the Academic Session 2018-19 (for parents).

Guidelines for admission to Nursery (3+); KG, Class-I and Class -II in Schools of Excellence for the Academic Session 2018-19:-

1. Schools of Excellence shall have three section(s) of Nursery, KG, Class I and Class II of 25(Twenty-Rve) students in each section.

2. Children will be admitted to these classes on the basis of neighbourhood criteria as per RTE Act and through draw of lots. There will be no screening of the children and parents under any circumstances. The neighbourhood criteria would be the same as used for EWS admissions ranging from 0-1 Km, 1-3 Km, 3-6 Km and beyond 6 Km.

3. The draw of lots will first be held for children residing from 0-1 km. However, if adequate children (2Sfper section) do not apply, draw will be held for children residing from 1-3 km.In case the seats still remain vacant, the draw will be held for children residing from 3-6 km and then from children residing beyond 6 km.

4. If the number of applications received for Nursery ,KG,Class-l and Class-ll is less than or equal to the required number of students to be admitted in each class, draw of lots will NOT be conducted and all eligible candidates shall be admitted.

5. For the academic session 2018-19, the issuance of application form will commence w.e.f 15.03.2018 (Thursday) and the last date for submission of filled in application forms by the parents is 24.03.2018 (Saturday) during the school working hours.

6. Application forms alongwith Guidelines for parents are available on Department' s website. The same will be downloaded by Heads of Schools and provided (free of cost) to parents who wish to apply for admission of their wards. Application forms to be freely available with the guard at entrance of school, so that parents don' t have to wait to obtain application form.

7. An acknowledgement slip (Part-E of application form) will be issued to the parents/guardians as a token of receipt of filled in application form.

8. The application forms of only those children will be considered for admission to Nursery Class who have completed 3-years of age as on 31-03-2018 (child must be born between 01-04-2014,and 31-03-2015), for admission to Class KG, those children who have completed 4-years of age as on 31-03-2018 (child must be born between 01-04-2013 to 31-03-2014) ; for admission to Class I, those children who have completed 5-years of age as on 31-03-2018 (child must be born between 01-04-2012 and 31-03-2013) and for admission to Class II those children who have completed 6-years of age as on 31-03-2018 (child must be born between 01-04-2011 and 31-03-2012). Further, the age relaxation of upto 30 days may be granted at the level of Heads of Schools in the maximum as well as minimum age of 30-days for Classes Nursery, KG,Class-l and Class

II as per circular no. DE.23.(363)/Sch. Br./2016/1553 dated 19.09.2016.

Additional age relaxation is to be provided to Specially abled children, as per circular No.DE.40(20)/EVG/IEDC/Circular/98/7109-8699 dated 6.01.2003.

9. The draw of lots shall be held in the presence of parents/guardians on 27.03.2018 (Tuesday) at 11.00 AM in the schools. The list of selected and waitlisted children through draw of lots shall be displayed on school Notice Board on 28.03.2018 (Wednesday) at 11.00 AM. Admission procedure will start from 31.03.2018 (Saturday) and be completed by 05.04.2018 (Thursday). Admission of wait-listed children will start from 06.04.2018 (Friday) and be completed by 07.04.2018 (Saturday).

The following document are required to be produced by the parent/guardian at the time of admission:-

1. Details of Date of Birth (any one):

   i. Original Date of Birth Certificate issued by MCD or any other local body.

   ii. Anganwadi record.

   iii. Hospital/Auxiliary Nurse and Midwife (ANM) register record.

   iv. An Undertaking by the Parents regarding Date of Birth as per Part-B of the Application Form.

   v. School Leaving Certificate from last attended Recognized school.

2. One passport size photograph of the child.

3. Anyone of the following documents as residence proof :-

   i. Ration Card issued in the name of parents having name of the child.

   ii. Domicile certificate of child or parents.

   iii. Voter I card of any of the parents.

   iv. Electricity bill/MTNL telephone bill/Water bill.

   v. Bank Passbook in the name of child or parents.

   vi. Aadhar card of parents/child.

   vii. Passport in the name of any of the parents/child.

Note: Admission will not: be denied to any specially abled child, destitute child, refugee/ asylum seeker, homeless, migrant, orphan or Child in Need of Care & Protection in any Govt. school due to non availability of essential documents at the time of submission in the School.
Provisional admission for 30 days will be allowed on the basis of simple undertaking on plain paper by the parents/guardians.

13. Primary Classes will begin w.e.f 02.04.2018.

14. Information regarding number of seats available in Nursery, KG, Class-I and Class II shall be available on School Notice Board.

This issues with prior approval of the Competent Authority.

Dr. Saroj Sain
Addl.DE (Schools)

End: As above.

DE.23 (6VS)/Sch.Br./2018/333 Dated: 14/03/18

All Heads of Schools of Excellence under Directorate of Education through DEL-E,

Copy to:-

1. PS to Secretary (Education).
2. PS to Director (Education).
3. All RDsE/DDEs(District/Zone) to ensure compliance.
4. Programmer (MIS) for uploading on MIS.
5. Guard File.

Nodal Officer
Schools of Excellence

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION : SCHOOL BRANCH
OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

No. DE.23 (648)/Sch. Br./2018/IXSOE/442 Dated: 28/03/2018

CIRCULAR

Sub: Guidelines for admission in class IX in schools of Excellence for the session 2018-19

Admissions of students in class IX in following Schools of Excellence of Directorate of Education are open for the Academic Session 2018-19. The medium of instruction in the school will be English, for all subjects. . Seats in class IX is not restricted to neighbourhood limits.

Detail of School wise vacancies for Admission in class IX:

Sl. No.	Name of School of Excellence	School I D	No.of Sections	No. of Seats
1.	School of Excellence Khichripur	1002400	02	80
2.	School of Excellence, Sectora 17 Rohini	1413333	02	80
3.	School of Excellence, Sector -22 Dwarka	1821282	02	80
4.	School of Excellence, J.J Colony, Phase-II, Madanpur Khadar	1925432	02	80
5.	School of Excellence, Kalkaji	1925430	02	80

Eligibility Criteria for Registration for Entrance Test for Admission in Class IX.

- Students from any Govt. /Govt Aided /Recognised Unaided School, who have passed class VIII, are eligible to apply for admission to class IX in School of Excellence.
- A student can get himself/herself registered manually for any one of the Schools of Excellence only as per his/her choice of School of Excellence where he/she desires admission. No request for change of School of Excellence shall be entertained in any case/stage. Hence, the applicants are advised to get themselves registered for entrance test in Schools of excellence of their choice.
    - o Duly attested mark sheets of Class VIII by Principal/HOS where the student is presently studying should be submitted at the time of submission of registration form in the concerned School of Excellence for Entrance Test and obtaining the Admit Card from the same School of Excellence.

Entrance Test:

All registered candidates will have to appear for Entrance Test that will be held on the same date & time for all the Schools of Excellence and the selection will be based on the merit of the applicant in the Entrance Test of respective school of Excellence in which the applicant has been registered to Entrance/ Admission Test. The Entrance Test will consist of Objective type questions to test the numerical & mental ability, General Knowledge, and Language comprehension and Descriptive type questions to test the writing skills in English and in Hindi. The duration of test will be for 2 hours & 20 minutes.

The venue of Entrance Test will be in the respective Schools of Excellence in which the student has been registered for Admission.

Merit

Selection will be based on common merit of Entrance Test of respective Schools of Excellence. The enrollment in one section of a Class will not exceed 40 students.

Fee for Entrance Test:

An amount @ Rs.50/-in cash against the examination fee for Entrance Test will be deposited by the applicant for registration for Entrance Test for Class IX only at the time of submission of' Registration Form' in respective Schools of Excellence .

Schedule of Admission:

Sl. No.	Details of Admission Process	Dates and Timing
1.	Issuance and subiw&sion of Registration Form	02.04.2018 (MONDAY) to 09.04.2018 (MONDAY) on all working days between 9:00 am to 11:00 a m and upto 1:00 pmon the last day i.e. 09.04.2018.
2.	Date of Entrance Test	13.04.2018 (Friday) from 03:00 pm to 05:20 pm
3.	Declaration of Result	19.04.2018 at 2:00 pm (Thursday)
4.	Date and Time of Draw, If, required	20.04.2018 (Friday) at 9:00 am
5.	Admission process (Such as submission of documents/ fees etc.)	20.04.2018 (10:00AM) Details will be provided by the Head of respective School of Excellence at the time of declaration of result.

In case any “last day” is declared as a “Public Holiday,” the next working day will be treated as the “last day”.

Applicants/Parents of the ward may contact the respective HOS of Schools of Excellence on any working day for any clarification regarding availability of scats and submission of application form etc.

If any discrepancy is found in respect of documents submitted or false information submitted by the candidate at any stage/ level, then his/her candidature/ admission in Schools of Excellence will summarily be rejected without any notice.

General instruction

1. Registration for/admission test does not entitle a candidate to secure his/her seat in School of Excellence; The; admission in Schools of Excellence is purely based on merit of the result of Entrance Test.

2. Registration shall be made only in one School of Excellence where the applicant intends to seek admission; No request for change of school from one School of Excellence to another School of Excellence shall be entertained at any stage.

3. Duly filled/completed admission form should be submitted by the candidate with the HOS of School of Excellence of his/her choice for admission.

4. An amount of Rs 50/- (Rupees Fifty only) in cash (Non-refundable) against (he processing fee for Entrance test will be deposited by the applicant(s) for Registration of Entrance test in class IX at the time of submission of Registration form.

5. Submission of Registration Form with necessary documents from 02.04.2018 to 09.04.2018.

6 Date of Entrance Test 13.04.2018 from 03:00 a.m to 05:20 p.m. Declaration of Result on I 19.04.2018 at2:00 p.m. in the respective School of Excellence.

Complete details in respect of eligibility criteria/complete schedule in respect of entrance test/admission process and registration form / admit card are available at the official website of Directorate of Education i.e. www.edudel.nic.in - link Govt School Admission Circulars.

This issues with prior approval of the Competent Authority.

Dr. Saro jSain
Addl. DE (Schools)

End: As above.

DE.23 (648)/Sch.Br./2018/ Dated:

All Heads of Schools of Excellence under Directorate of Education through DEL-E.

Copy to:-

1. PS to Secretary (Education).
2. PS to Director (Education).
3. All RDsE/DDsE(District/Zone) to ensure compliance.
4. Programmer (MIS) for uploading on MIS.
5. Guard File.

Nodal Officer
School of Excellence

09- Jh ,l- d- cXxk % क्या ekuuh; mi e[;e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सरकारी स्कूलों के कमरों में व स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे कब तक लगाने का लक्ष्य है;

(ख) दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के कितने पद खाली पड़े हैं;

(ग) इन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा;

(घ) क्या यह सत्य है कि कृष्णा नगर विधान सभा क्षेत्र में मौसम विहार स्थित डीएवी स्कूल द्वारा ईडब्ल्यूएस के बच्चों से फीस वसूलने के लिए उन दबाव डाला जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मनमानी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(च) कृष्णा नगर विधान सभा सहित दिल्ली के कितने स्कूलों में नर्सरी की क्लास शुरू की गई है; इसका पूर्ण विवरण क्या है; और

(छ) क्या यह सत्य है कि सरकारी स्कूलों में जी.ई.एम. के सुचारू रूप से कार्य न करने की शिकायतें मिल रही हैं; और

(ज) यदि हां, तो क्या इसे बदलने की सरकार की कोई योजना है?

¼f'k{kk foHkkx ls iz'u dk mÙkj izkIr ugha gqvkA½

10- l|Jh jk[kh fcM+yk % क्या ekuuh; mi e|[;ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में स्थित जर्जर सरकारी स्कूल भवनों की मरम्मत एवं नवीनीकरण के कार्य पर शिक्षा विभाग द्वारा अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) यह धनराशि किन विद्यालयों पर कब–2 खर्च की गई, इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में भी विद्यालयों की मरम्मत व नवीनीकरण के लिए धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) यदि हां, तो यह धन राशि किन विद्यालयों पर खर्च की जायेगी; पूर्ण विवरण क्या है;

(ङ) मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में स्थित सभी सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल, वाईस प्रिंसिपल, शिक्षकों, अतिथि अध्यापकों, सुरक्षा गार्ड्स, सफाई कर्मचारी, माली इत्यादि के कुल कितने स्वीकृत पद हैं;

(च) इनके कुल कितने पद रिक्त हैं, उनका पूर्ण विवरण क्या है;

(छ) क्या यह भी सत्य है कि इन विद्यालयों में कुछ कॉन्ट्रैक्च्युअल स्टाफ को भी लगाया गया है; और

(ज) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है?

¼f'k{kk foHkkx l s i z'u dk mÙkj i zkIr ugha gqvkA½

11- Jh fotUn xIrk % क्या mi e[;e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध दिल्ली सरकार के कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन नियुक्त किये जाने है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाने पर कर ली जायेगी;

(ग) नियमानुसार इनकी नियुक्ति के लिए क्या–क्या अपरिहार्य आवश्यकताएं है;

(घ) इनको चुनने की क्या प्रक्रिया व अधिकार है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त नियुक्तियों में कुछ मामलों में छूट दी गई है;

(च) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है; और

(छ) विभिन्न कॉलेजों की गवनिंग बॉडी के अध्यक्षों के क्या नाम, उनकी शैक्षिक योग्यताएं, प्रशासनिक तथा शैक्षिक अनुभव का पूर्ण विवरण क्या है;

ekuuh; mi e[;e=h % (क) दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध 100% वित्तपोषित 12 कॉलेजों में से 11 कॉजेलों में गवर्निंग बॉडी के चैयरमैन की नियुक्ति की जा चुकी है जिसका ब्यौरा संलग्न है। एक कॉलेज शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज की गवर्निंग बॉडी के कुछ नाम

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित किये जाने है जिसके उपरान्त चैयरमैन के चयन के लिए चुनाव प्रक्रिया हेतु बैठक की जायेगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध 5% वित्तपोषित 16 कॉलेजों में से 13 कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी के चैयरमैन की नियुक्ति की जा चुकी है जिसका ब्यौरा संलग्न है। तीन कॉलेजों में से दो कॉलेज (क) स्वामी श्रद्धानन्द कॉलेज (ख) लक्ष्मी बाई कॉलेज की गवर्निग बॉडी के कुछ नाम दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित किये जाने है जिसके उपरान्त चैयरमैन के चयन के लिए चुनाव प्रक्रिया हेतु बैठक की जायेगी। तथा (ग) सत्यवती कॉलेज में अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

(ख) से (घ) चैयरमैन का चयन गवर्निंग बॉडी के मैम्बर द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के E.C. Rssolution No. 51 dt. 03.11.2012 के अनुसार किया जाता है प्रतिलिपि संलग्न है। (देखें परिशिष्ट–1)

(ङ) जी नहीं।

(च) लागू नहीं है।

(छ) ब्यौरा सलंग्न है (देखें परिशिष्ट–2)

ifjf'k"V&1

UNIVERSITY OF DELHI

E.C. Res. No. 51

Dated : 03.11.2012

The Council considered the report of the Committee constituted by the Vice-Chancellor. to review the existing norms laid down by the Executive Council from time to time regarding constitution of Governing Bodies of constituent/ affiliated Colleges/Institutions of the University of Delhi as also to advise on other related matters (Appendix-VII)

Resolved that the following recommendations of the Committee be approved:

A COMPOSITION OF THE GOVERNMENT BODIES:

I. **Delhi Govt. Sponsored Colleges:**

1. Ten persons to be nominated by the Govt, of NCT of Delhi, out of which five persons will be from the panel of names sent by the University to the Govt of NCT of Delhi.
2. Two University Representatives to be nominated by the University.
3. Principal of the College - Ex-officio (Member Secretary)
4. In case there is both Day and Evening College- Principal of the Evening College.
5. Two Teachers' Representatives (Ref. to Ordinance-XVIII).
6. In case there is both Day and Evening College, two teacher representatives of the Evening College (Ref. to Ordinance XVIII).

The Chairman of the Governing Body will be elected by the members from amongst themselves.

The Treasurer will be appointed by the Governing Body from among its own members.

II. Trust Colleges:

1. Ten persons (12 persons in clsVoTDay and Evening College) to be nominated out of a panel of names sent by the Trust.
2. Two University Representatives to be nominated by the University
3. Principal of the College - Ex-officio- Member Secretary
4. In case of there is both Day and Evening College - Principal of the Evening College
5. Two Teachers' Representatives. (P.ef. to Ordinance-XVIII)
6. In case there is both Day and Evening College, two teacher representatives of the Evening College (Ref. to Ordinance XVIII).

The Chairman of the Governing Body will be elected by the members from amongst themselves.

The Treasurer will be appointed by the Governing Body from among its own members.

III. Govt. Maintained Colleges:

There will be an Advisory Committee to manage the affairs of the College which will consist of, among others, at least three teachers including the Principal of the Institution, and two representatives of the University. Accordingly, the Advisory Committee will consist of the following:

1. A person nominated by the Government - Chairperson

2. Not less than 5 members nominated by the Government

3. Two representatives of the University

4. Two members of the teaching staff by rotation according to seniority for a term of one year. One of the teachers' representatives shall be from among those with more than ten years' service, and one from among those with less than ten years' service. If. however, eligible candidates are not available in one of those categories both the representatives may be taken from the other.

   Provided that a teacher who has become a member of the Advisory Committee of the College under the category of teachers with less than 10 years' service and completes ten years' of service during the term of membership as such, will nevertheless continue to be a member of the Advisory Committee for the full term of one year.

5. The Principal shall he the Member-Secretary of the Advisory Committee and shall not accept membership ol the Advisory Committee of any other College of the University. It shall be the duty of the Member-Secretary to summon meetings with the consent of the Chairman and in accordance with the regulations framed by the Advisors Committee for this purpose and to record proceedings of the meetings also.

6. The members of the Advison Committee mentioned at Sr. No. (1) to (3) above shall hold Office for a period of one year and shall be eligible for re-appointment for another year.

7. In case of casual vacancy in the Office of the Chairperson another person nominated by the Government shall hold office for the residue of the term.

8. The Advisory Committee will meet at least once in a term and subject to as hereinafter provided, shall have general supervision and control

of the affairs ot the College and maintain its own records of its proceedings which shall be open to inspection by the inspection authority.

9. One third of the members of the Advisory Committee shall form the quorum

10. Subject to the control of the Academic Council of the University, the College shall prescribe the rules for admission of students, resident and non-resident, etc.

11. All other provisions of the relevant Statutes, Ordinances, Regulations and Rules as amended by the University from time to time, shall be applicable to the Institution.

B. Other guidelines with regard to constitution of the Governing Bodies:

1. The persons falling under any of the categories as detailed belovs be treated as disqualified for membership of the Governing Body as Trust Nominees

 a) If the person is a student of the University Department/ a College.

 b) If the person is an employee of the University or of a College.

 c) If the person is a member of the Executive Council of the University.

 d) If a near relative of the person is an employee in the College concerned; and

 e) The same person will not be the member of the Governing Bodies of more than two Colleges.

 f) If a person is former employee of the same college

2. a) The Trust will forward a panel of names to the University containing not less than 50% more names than the required number.

b) The persons whose names are included by the Trust in the panel for nomination on the Governing Body should be those who have demonstrated interest in Education or had made significant contribution in promoting the cause ol higher education or had helped in the development of educational institutions or have been distinguished alumni of a University.

c) Ordinarily the panel to be sent by the Trust for nomination on the Governing Body should not include more than two members of one family (near relation) including employees or business associates of the respective Trusts, Neat relation specified wife, husband, son, daughter, brother, sister, nephew, niece, son-in-law, daughter-in-law, brother-in-law, sister-in-law, cousin(s), grandsons, grand-daughters etc.

d) The panel of names for nomination on the Governing Body should be received in the University ordinarily three months before the expiry of the term of members on the Governing Body.

3. a) In case of Delhi Govt. Sponsored Colleges, the University will send a panel of names to the Govt. of NCT of Delhi and at least 50% names on each Governing Body proposed by the Govt, of NCT of Delhi should be out of this panel.

b) This panel should include names of Academicians, retired Professors, Retired Judges, Advocates, Journalists and other prominent persons who have been connected with higher education for long.

c) The names of persons once proposed for membership of Governing Body and approved by the Executive Council will not be withdrawn by the Govt. of NCT of Delhi before the expiry of their full tenure. Vacancies caused by death or resignations would, however, be filled in normal course and in accordance with the norms approved by the Executive Council.

d) No single individual shall be member of more than two Governing Bodies simultaneously.

4. Persons nominated to serve as members of the Governing Bodies should be:

a) Persons of eminence with a demonstrated interest in the area of education or those who have made significant contributions towards promotion or administration of higher education.

b) Persons of eminence in sports, culture or the arts.

c) Persons of eminence in the sphere of development of education institutions.

a) No persons shall serve simultaneously as Chairperson of more man one Governing Body;

b) There should be at least two women in each Governing Body;

c) It is desirable that there is representation from professions such as medicine, engineering, law or accountancy in a Governing Body

d) Not more than two nominees on any Governing Body shall be from the category of Social Workers;

e) No member shall serve on the Governing Body of Delhi Government Collegc-ordinarily for more than two consecutive terms, and on the Governing Body of a Trust College for more than five terms;

However, on the request of the Trust the Vicc-Chancellor have .... of not more than two members on the Governing Body beyond five-years, subject to the satisfaction of the Vice-Chancellor that such member(s) have made valuable contribution to the Governing Body in their earlier tenure(s)

f) Panels for nominations to a Governing Body shall ordinarily be received in the University at least three months before the expiry of the term of the current Governing Body

6. The meetings of the Governing Bodies shall be convened in accordance with the Regulations: Governing Bodies of Colleges prescribed in this behalf.

Note: The above guidelines shall supersede the Guidelines laid down by the Executive Council in this behalf vide Resolution No. 545 dated 09.11.1972 No.785 dated 26.03.1974, No.239 dated 21.08.1975. No.79 dated 21.04.1979. No 253 dated 04.07.1981 and No. 138 dated 11.02.2003.

In conformity with the Act, Statutes and Ordinances of the University. the Committee recommends the following Regulations:

C. Regulations - Governing Bodies of College

(In the Regulations the “Chairman” means the. Chairman of the Governing Body and the “Principal” means the Principal of the College)

1. These Regulations shall apply to the Governing Bodies of all the Constituent and Affiliated Colleges of the University.

2. Meetings of the Governing Body shall be convened by the Chairman at any time

3. The Principal shall, ordinarily, at least seven days before each meeting of the Governing Body, issue to each member thereof a notice convening the meeting and a copy of the Agenda.

   Provided that the Chairman may convene emergent Meetings at any time.

4. At all meetings of the Governing Body, one third of the members shall form a quorum

5. The Chairman of the .Governing Body shall be elected by its members. In the absence of the elected Chairman at any meeting, the members shall elect a member as Chairman for the said meeting.

6. The Principal shall be the ex-officio Member-Secretary of the Governing Body in the absence of the Principal, the teacher peforming duties of the Principal shall act as Member-Secretary.

7. No act or proceedings of the Governing Body shall be invalidated merely by reason of existence of a vacancy among the members.

8. The Governing Body may lay down the procedure to be observed at the meetings in consonance with the E.C. Resolutions/Guidelines.

9. If a direction is given to the Chairman by the Executive Council Vice Chancellor to convene a meeting of the Governing Body for a specific agenda, the Chairman will convene the meeting of the Governing Body within 15 days of the date of issue ot such a direction and intimate the Vice Chancellor the outcome of the said meeting within a week of the date of the meeting.

ifjf'k"V&2

100% foÙkiksf"kr 12 dkWyst

क्र.सं.	कॉलेजों का नाम	गर्वनिंग बॉडी के चैयरमैन का नाम	चैयरमैन की शैक्षिक योग्यताएं, प्रशासनिक तथा शैक्षिक अनुभव
1	2	3	4
1.	आचार्य नरेन्द्र देव कॉलेज	प्रो. एस.एम. अनवर आलम	एम.ए., एम. फिल, पी.एच.डी., एजूकेशनल व प्रशासनिक अनुभव।

1	2	3	4
2.	अदिति महाविद्यालय	श्री प्रभंजन झा	पोस्ट ग्रेजूएट।
3.	बी.आर. अम्बेडकर कॉलेज	श्री दिपांशु श्रीवास्तव	एमबीए (वित्त), कॉरपोरेट में 12 साल का अनुभव (एच.आर. वित्त) पिछले तीन वर्षों से दिल्ली सरकार के स्कूलों में कार्य कर रहे हैं। (76 स्कूल)
4.	भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस	श्री गुनीष अग्रवाल	पोस्ट ग्रेजूएट, प्रोफेशन–सोशल वर्कर।
5.	भगिनी निवेदिता कॉलेज	श्री पवन शर्मा	स्नातक, समाजिक कार्यकरता।
6.	दीन दयाल उपाध्याय	श्री एस. सी. नागपाल	एम.ए., भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत।
7.	इन्दिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजीकल एजूकेशन एण्ड स्पोर्ट्स	मेजर प्रगति डबास	स्नातक, आई.जी.आई.पी.एस.एस. की संचालन समिति में सरकार के प्रतिनिधि
8.	केशव महाविद्यालय	श्री समर कुमार	एम.एस.सी (मैथमैटिकस) केशव महाविद्यालय
9.	महाराजा अग्रसेन कॉलेज	श्री सिद्धार्थ वर्मा	बी.एस.सी. भौतिकी (ऑनर्स), एम.सी.ए.आई ट्रैवल ऐप कंपनी (ITRAVELAPP) के सी.ई.ओ. हैं।

1	2	3	4
10.	महर्षि वाल्मिकी कॉलेज ऑफ एजूकेशन	श्री प्रशान्त तोमर	एमबीए (विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूची अनुसार)
11.	शहीद राजगुरू कॉलेज ऑफ अप्लाइड सांइस फॉर वुमैन	सुश्री रिचा पांडे मिश्रा	एमबीए, फ्रीलांसर
12.	शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्ट्डीज	प्रोफेसर पंकज सिंहा	अभी तक कॉलेज की गर्वनिंग बॉडी पूर्णतः गठित नहीं हुई है। अतः शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्ट्डीज में दिनांक 19.05.2018 को हुई गर्वनिंग बॉडी मीटिंग में निर्णय लिया गया कि जब तक चैयरमैन के लिए रेगुलर चुनाव नहीं किये जाते तब तक प्रोफेसर पंकज सिंहा, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेट स्ट्डीज, दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे वरिष्ठ सदस्य जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी हैं, को चैयरमैन ऑफ गर्वनिंग बॉडी नियुक्त किया जाता है।

5% foÙkikf"kr 16 dkyt

क्र.सं.	कॉलेजों का नाम	गर्वनिंग बॉडी के चैयरमैन का नाम	चैयरमैन की शैक्षिक योग्यताएं, प्रशासनिक तथा शैक्षिक अनुभव
1	2	3	4
1.	गार्गी कॉलेज	श्री अतुल कोतरा	ग्रेजूएट
2.	शिवाजी कॉलेज	श्री पी. पी. श्रीवास्तव	सेवानिवृत आई.ए.एस. बैच 1961
3.	राजधानी कॉलेज	श्री हरजीत सिंह	समाज सेवक
4.	श्री अरविंदो कालेज	श्री संजय मिश्रा	दैनिक जागरण के अखबार में ऐसोसियेट सम्पादक।
5.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज	श्री अमरीश त्यागी	ग्रेजूएट, समाज सेवक एवं स्वतंत्र लेखक।
6.	कमला नेहरू कॉलेज	श्री प्रवीन प्रभाकर गौड	प्रशासनिक तथा शैक्षिक अनुभव
7.	लक्ष्मी बाई कॉलेज	गर्वनिंग बॉडी के दो सदस्यों के नाम अभी प्रतिक्षित है इसलिये अभी गर्वनिंग बॉडी का अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ है।	
8.	शहीद भगत सिंह कॉलेज	श्री अभिषेक गुप्ता	एमबीए, गर्वनिंग बॉडी के पूर्व चैयरमैन
9.	विवेकानन्द कॉलेज	श्री मुनीष कौशिक	शैक्षिक योग्यता–मास्टर (सामाजिक कार्य) राष्ट्रीय एवं अर्तराष्ट्रीय एन. जी.ओ. और कॉरपरेट को परामर्श सेवाएं देने का अनुभव

1	2	3	4
10.	मैयैत्री कॉलेज	श्री संजय कंसल	इंजीनियर
11.	कालिंदी कॉलेज	श्री दीपक मारवाह	बी.टेक., एम.बी.ए., प्रशासनिक अनुभव–लगभग 36 वर्ष बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में काम करने का अनुभव।
12.	भारती कॉलेज	श्री अजय कुमार गौड	बी. कॉम. (पी), पी.जी.डी.पी. (अर्तंराष्ट्रीय व्यापार) पूर्व में एन.जी.ओ. एवं सामुदायिक कल्याण कार्यों से जुड़े रहे।
13.	सत्यवती कॉलेज	अभी सत्यवर्ती कॉलेज में अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया, प्रक्रियाधीन है।	
14.	मोती लाल नेहरू कॉलेज	श्री खेमचन्द	बी.एस.सी. (सामान्य), एल.एल.बी., पूर्व मोती लाल नेहरू कॉलेज छात्र संगठन अध्यक्ष, अधिवक्ता (सुप्रीम एवं हाई कोर्ट)
15.	दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एण्ड कामर्स	प्रो. अभय कुमार दुबे	पी.एच.डी.
16.	स्वामी श्रद्धानन्द कॉलेज	गर्वनिंग बॉडी के नाम पूरे होने में अभी एक सदस्य कम है इसलिये अभी गर्वनिंग बॉडी का अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ है।	

12- Jh jkt'k xlrk % क्या ekuuh; Åtk e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने हरित क्षेत्र के विधायक ने हरित क्षेत्र अशोक विहार फेज–1 से हाईटेंशन तारों को स्थानांतरित करने हेतु अनुरोध किया था;

(ख) उस आवेदन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस कार्य में कितनी धनराशि लगाने की संभावना है;

(घ) इसमें स्थानीय विधायक को कितनी राशि देनी होगी; और

(ङ) इसमें कितना समय लगेगा?

ekuuh; Åtk e=h % (क) जी हां।

(ख) वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक का उपरोक्त हाईटेशन तारों को स्थानांतरित करने हेतु अनुरोध ऊर्जा विभाग में दिनांक 13.09.2017 को प्राप्त हुआ था।

ऊर्जा विभाग द्वारा जारी किये आदेश संख्या नं. एफ.11(09)/3007/पावर/4040 दिनांक 27.11.2009 (संलग्नक 'क') के अनुसार उपरोक्त कार्य उर्जा विभाग के अन्तर्गत नहीं आता है।

इसकी सूचना माननीय विधायक जी को उर्जा विभाग के पत्र संख्या नं. एफ.11(09)/172/2007/पावर/1002 दिनांक 09.04.2018 द्वारा दे दी गई है। (संलग्नक 'ख')

(ग) विशेषज्ञ तकनीकी समिति ने इस परियोजना के लिए अनुमानित लागत रू. 376769/– दिनांक 04.08.2017 की बैठक में लगाई थी।

टीपीडीडीएल द्वारा सूचित किया गया है कि अनुमानित लागत एक वर्ष पुरानी है और मौजूदा बाजार दरों और वर्तमान साईट स्थितियों के अनुसार संशोधित की जानी है।

(घ) से (ङ) यह प्रश्न शहरी विकास विभाग को भेजा गया था और उन्होंने सूचित किया है कि की इस संबंध में एक प्रस्ताव उन्हें प्राप्त हुआ है जोकि शहरी विकास विभाग विचाराधीन है।

शहरी विकास विभाग से प्राप्त उत्तर की प्रति संलग्न है। (संलग्नक 'ग')

Government of National Capital Territory of Delhi
(Department of Power)
Delhi Secretariat, 8th Level, B-Wing
New Delhi-110002

No. 11(09)/2007/Power/4040 Dated : the 27 Nov., 2009

To

The Pr. Secretary (UD)
Urban Development Deptt.
Govt. of NCT of Delhi
Delhi

The Secretary
DERC, Vinyamak Bhawan,
Shivalik, Malviya Nagar,
Delhi-110017

The CEO
BSES, Rajdhani Power Ltd.
BSES Bhawan, Nehru Place,
Delhi

The CEO
BSES Yamuna Power Ltd.,
Karkardooma
Delhi

The CEO
NDPL, Hudson Lines,
Kingsway Camp,
Delhi

Sub.: Policy of Shifting of HT (11000V & 33000V)/ LT (400V) Electricity Transmission Lines posing threat to human lives - Modification of Cabinet decision no. 1310 dated 20.11.2007 thereof.

Sir,

I am directed to convey the approval of the Cabinet of Govt. of NCT of Delhi vide cabinet decision no. 1588 dated 09.11.2009 on the subject cited above. The Cabinet has considered and approval the proposal of Power Department for partial modification of the existing policy on shifting of HT/LT lines. The new modified Policy on Shifting of HT (11000V & 33000V) / (LT(400 V) Electricity Transmission Lines posing threat to human lives is framed as under:

(i) In case of colonies set up under 20 point programme in the rural area, the shifting of HT/LT lines would be done through the MLALAD funds, which would provide for 100% of the cost of shifting.

(ii) In respect of other rural areas, like Lal Dora areas and extended Lal Dora areas, the cost of shifting of HT/LT lines would also be made from the MLALAD funds, which would provide for 100% of the cost of shifting.

(iii) In respect of farmhouses, the entire cost of shifting will be borne by the affected consumers. In case of farmers other than farmhouse owners, 50% of the estimated cost of shifting is to be borne by the affected consumers and other 50% would be borne from the MLALAD funds.

(iv) In respect of regularized unauthorised colonies including urbanized villages and resettlement colonies, 50% of the cost of shifting will be borne from the MLALAD funds and the balance 50% would be borne by the Government from the budget of the Power Department.

(v) In case of HT/LT lines passing through Government institutions, Public Authority building, schools, hospitals, colleges of Public nature and which are owned by the Government, 100% of the funding would be met by the concerned department/agency for shifting of the lines.

(vi) In case of private institutions of a Public nature like educational and health institutions etc., 20% of the cost of the concerned department in whose jurisdiction the agency functions.

(vii) Scope of the HT/LT lines to be covered will include the HT Transmission lines of 11 KV as well as 33 KV and LT lines of 400 V associated with the HT network.

This is for your kind information and necessary action please.

Yours faithfully,

(S.M. Ali)

Dy. Secretary (Power)

Copy for information to:

1. All Hon'ble MLAs, Govt. of NCT of Delhi
2. Pr. Secretary to C.M., Delhi
3. Pr. Secretary (Finance), GNCTD
4. C.M.D., Delhi Transco Limited
5. OSD to C.S., Delhi
6. PA to Secretary (Power), GNCTD

Government of National Capital Territory of Delhi
(Department of Power)
Delhi Secretariat, 8th Level, B-Wing
New Delhi-110002

No. F.11(09)/2007/Power/1002 Dated : 9-4-2018

To,

Shri Rajesh Gupta, Hon' ble MLA,
C-8/141,
Keshav Puram, Delhi - 110035.

Sub: Shifting of HT lines at Plot No. H-42 to H-46, Ashok Vihar Phase 1.

Sir,

Kindly refer to letter dated 07.07.2017 vide which above mentioned proposal of shifting of HT line was sent to Power Utility Company i.e. TPDDL. In this regard, it is informed that TPDDL had prepared the estimate for shifting of the said line, which was subsequently placed before Expert Technical Committee meeting. The estimate of Rs.3,76,769/- was approved by Expert Technical Committee.

North DMC has informed that:

"The said road pertains to ward No. 75 & Ashok Vihar area is DDA plotted regularized colony & the lane from H-42 to H-46 pertains to MCD"

As per information provided by North DMC, the present case doesn' t come under the purview of policy of Power Department for shifting of HT (11KV & 33 KV) / LT400V) Electricity Transmission Lines posing threat to human lives dated 27.11.2009. Hence, the shifting of LT line cannot be funded by the Power Department (50%) as per policy.

Hon' ble MLA may therefore, refer to the directions on this issue as conveyed by Hon' ble Minister (UD) vide note dated 20.09.2016 (copy enclosed) that 100% funding can be done for such schemes from MLALAD Fund, if so desired by the MLA.

Accordingly, I am directed to request you to take necessary action at your end.

Yours faithfully,

End: As above.

(Sudhir Sharma)

Dy. Secretary (Power)

MOST URGENT
Vidhan Sabha Matter

Government of National Capital Territory of Delhi
Department of Urban Development
Delhi Secretariat, 10th Level,
I.P. Estate, New Delhi-110002

F. No. 18(487)/UD//Plg./Assembly Question/ 2016-17/ 3623- 24 CD No. 021424836 Dated: 01/06/18

To

The Dy. Secretary (Power),
Power Department,
GNCTD, 8th Level, B-Wing,
Delhi Secretariat, New Delhi-110002

Sub: Vidhan Sabha Question. No. 12, Shri Rajesh Gupta, Hon’ ble MLA

Sir,

Please refer to your office letter No. F.l l(85)/2016/Power/LS&RS/1460 dated 30.05.2018 and CD-021285062/1725/DS/UC/UD/2018/765 dated 31.05.2018 received from Dy. Secretary(UC), UD Department.

In this regard, the point wise reply are as under:

a) Yes, One proposal has been received regarding shifting of HT/LT Line in Ashok Vihar Phase-I.

b) The proposal is under process.

c) As per work estimate, the Estimated Cost of the work is Rs. 3,76,769/-. ET) As per existing MLALADS Guidelines.

d) As per existing guidelines, funds for shifting of HT/LT lines are released after the approval of competent authority as per laid procedure of Power Department.

Your's faithfully

Asstt. Director (Pig.)

Copy to: Dy. Secretary (UC), UD Department, 10th Level, Delhi Secretariat, New Delhi w.r.t. letter No. CD-021285062/1725/DS/UC/UD/2018/765 dated 31.05.2018.

Asstt. Director (Pig.)

13- Jh txnh'k i/kku % क्या ekuuh; Åtk e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली कम्पनियां सेवा निवृत कर्मचारियों को पेन्शन देने के नाम पर अब तक कितनी राशि वसूल चुकी है;

(ख) इस राशि में से अब तक कितनी राशि वास्तव में पेन्शन धारकों को दी जा चुकी है;

(ग) क्या वर्तमान 3.7 प्रतिशत पेन्शन सरचार्ज की समय–समय पर समीक्षा करने का प्रावधान है; और

(घ) यदि यह राशि कम या ज्यादा होती है तो उसको लेकर क्या नियम उपलब्ध हैं?

ekuuh; Åtk e=h % (क) वर्ष 2017–18 के दौरान पेंशन ट्रस्ट द्वारा बिजली कंपनियों से कुल 859.48 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

(ख) वर्ष 2017—18 में पेंशन ट्रस्ट द्वारा पेंशन धारकों को 793.50 करोड़ रुपये दिये गए है।

(ग) जी हां।

(घ) पेंशन ट्रस्ट अपनी आवश्यकता को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) को प्रस्तुत करता है और दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग पेंशन ट्रस्ट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बिजली कंपनियों के टैरिफ आदेश में उचित प्रतिशत के रूप में सरचार्ज का प्रावधान करता है।

वर्ष के अंत में पेंशन ट्रस्ट अपने वास्तविक व्यय को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग को प्रस्तुत करता है और पहले संकेतिक आवश्यकता में और वास्तविक व्यय के अंतर को अगले वर्ष के टैरिफ आदेश में समायोजित किया जाता है।

14- Jh euftnj flg fljlk % क्या ekuuh; Åtk e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रैजिडेंट वैलफैयर एसोसिएशनों के नाम पर बिजली के कनैक्शन जारी किये जाते है;

(ख) यदि हां, तो इनको कनैक्शन देने के डीईआरसी के क्या प्रावधान है;

(ग) क्या सभी डिस्कॉम इन नियमों का पालन कर रहे हैं, इसका विस्तृत विवरण क्या है;

(घ) क्या यह सत्य है कि सरकार रैजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों को किसी प्रकार की रियायत या सब्सिडी देती है;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि कॉपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, डीडीए फलैट्स रैजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों के लिए अलग–अलग नियम हैं;

(च) क्या यह सत्य है कि बिजली कम्पनियां रैजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों के कार्यालयों से कमर्शियल रेट पर बिल वसूल कर रही हैं;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, पूर्ण विवरण क्या है?

ekuuh; Åtk e=h ¼ (क) और (ख) इस प्रश्न का संदर्भ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से है, इसलिए इस प्रश्न को आयोग को भेजा गया था। आयोग द्वारा भेजा गया जवाब इस प्रकार हैः

डीईआरसी (आपूर्ति कोड और निष्पादन मानक) विनियम 2017, के विनियम 12 के प्रावधानों के अनुसार Group Housing Society परिसर को एकल बिन्दु आपूर्ति दी जाती है (अनुलग्नक क) जिसमें कि RWA ऑफिस भी आता है।

जहां Group Housing Society नहीं हैं जैसे कि DDA फ्लैट्स वगैरह, वहां पर भी RWA ऑफिस को कनेक्शन दिया जाता है जिसे डीईआरसी आपूर्ति और कोड प्रदर्शन नियम 2017 के अनुसार Group Housing Society के सामान्य क्षेत्र सेवाओं के समान माना जाता है।

(ग) इस प्रश्न का संदर्भ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से है, इसलिए इस प्रश्न को आयोग को भेजा गया था। आयोग द्वारा भेजा गया जवाब इस प्रकार हैः

वितरण लाईसेंस धारकों को डीईआरसी (आपूर्ति कोर्ड और निष्पादन मानक) विनियम 2017 के प्रावधानों को पालन करना आवश्यक हैं। किसी

भी शिकायत के मामले में, आवेदक सार्वजनिक जागरूकता बुलेटिन 8 में निर्दिष्ट उपरोक्ता शिकायत निवारण तंत्र का पालन कर सकता है। (अनुलग्नक ख)

(घ) जी नहीं।

(ङ) सभी RWAs को 'क' और 'ख' के उत्तर में वर्णित विनियमों के अनुसार विनियमित किया जाता है।

(च) जी नहीं।

(छ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

Delhi Gazette: Extraordinary

CHAPTER-III

NEW AND EXISTING CONNECTIONS

10. **New and Existing Connections:**

(1) **General:**

(i) The Licensee shall upload all the forms.and formats prescribed under these Regulations on its website.

(ii) The Licensee shall make appropriate arrangements for filing and accepting the application by the applicant both in hard copy as well as online.

(iii) The applicant may file the application either online or in hard copy:

Provided that where the hard copy of application is submitted by hand, the Licensee shall verify the application on the spot and if

found in order, acknowledge through dated receipt, and if found deficient, issue a written note regarding shortcomings in the application:

Provided further that where application is sent by registered post or speed post at correct postal address, the deficiency if any, shall be sent to the applicant within 2(two) days of receipt of application through registered post or speed post at correct postal address or on registered mobile number through SMS:

Provided also thai where the application is submitted online, a system generated acknowledgement shall be issued forthwith and in case of any deficiency same shall be intimated to the applicant within 2 (two) days of the receipt of the application on registered mobile number tluough SMS or registered e-mail address, as the case may be.

(iv) The Licensee shall prominently display consumer related information at its website and all its offices:

Provided that no other document or the charges, which have not been listed, shall be required from the applicant.

(v) On the request of applicant, an independent electric connection shall be given to the owner/lawful occupant on each floor of the premises.

(vi) herever, one dwelling unit has been sub-divided and separate kitchen as well as separate entry is available, second electric connection may be given to the lawful occupant.

(vii) The electricity bill shall be only for electricity supply to the premises occupied by the consumer and shall not be treated as having rights or titles over the premises.

(2) Proof of identity of the applicant:-

Any of the following documents shall be accepted as proof of identity:-

(i) electoral identity card;

(ii) passport;

(iii) driving license;

(iv) ration card having photograph;

(v) Aadhar card;

(vi) PAN card;

(vii) photo identity card issued by any Government agency;

(viii) If the applicant is an organization, certificate of incorporation/ registration issued by the Registrar and proof of authorization /resolution of Board for authorizing the person.

(3) Proof of ownership or occupancy of the premises:-

Any of the following documents shall be accepted as the proof" of ownership or occupancy of premises:

(i) certified copy of title deed;

(ii) certified copy of registered conveyance deed;

(iii) General Power of Attorney (GPA);

(iv) allotment letter/possession letter;

(v) valid lease agreement alongwith undertaking that the lease agreement has been signed by the owner or his authorized representative;

(vi) rent receipt not earlier than 3 (three) months alongwith undertaking that the rent receipt has been signed by the owner or his authorized representative;

(vii) mutation certificate issued by a Government body such as Local Revenue, Authorities or Municipal Corporation or land owning agencies like DDA/L&DO;

(viii) sub-division agreement;

(ix) For bonafide consumers residing in JJ clusters or in other areas with no specific municipal address, the licensee may accept either ration card or electoral identity card mandatorily having the same address as a proof of occupancy of the premises.

(4) Sub-divided Property:-

(i) Where property/premises have been legitimately sub-divided, the owner/ occupier of the respective portion of such sub-divided property shall be entitled to obtain independent connection in his name.

(ii) The Licensee shall provide the connection, to the applicant of respective portion of the legitimately sub-divided property, on payment of outstanding dues on pro-rata basis for that portion, based on the area of such sub-division or as mentioned in sub-division agreement, and the Licensee shall not deny connection to such applicant on the ground that dues on the other portion(s) of such premises I have not been paid, nor shall the Licensee demand record of last paid bills of other portion(s) from such applicant(s).

(5) Reconstruction of Existing Property:-

In case of complete demolition and reconstruction of the premises or the building following shall apply:

(i) Supply of electricity from existing connection shall not be allowed to be used and same shall have to be essentially surrendered by the owncr/occupier/developer of the premises.

(ii) Meter and service line shall be removed, and the agreement shall stand terminated only after realizing all dues payable to the Licensee and thereafter the security deposit of the consumer shall be duly returned by the Licensee as per the Regulations.

(iii) The owner, occupier, developer of the premises, as the case may be, shall apply for temporary connection and the Licensee shall give such temporary connection subject to Regulation 16:

Provided that temporary connection in all such cases shall be given only after the outstanding dues, if any, for such premises, are fully cleared.

(iv) Such reconstructed premises or building shall be treated as new premises and the consumer shall be required to apply afresh for a new connection as per these regulations.

(v) Any new connection to such reconstructed premises shall be given only after the outstanding dues attributed to the premises are duly paid by the applicant:

Provided that in case such reconstructed building is occupied by multiple owners, the treatment for new cannection(s) to such multiple owners in the reconstructed building shall be given as if the property is sub-divided as in Regulation 10(4).

(6) Renovation of the Existing Property:-

Subject to Regulation 10 (5), renovation of the existing property being used by the domestic consumer for their own use shall be considered under domestic category connection on fulfillment of following conditions:

(i) The consumer shall give advance notice to the Licensee;

(ii) An undertaking to be given by the consumer to the effect that alteration/ addition is as per the prevailing Building Bye-Laws;

11. New Electricity Connection:-

The Licensee shall process the application for new connection, within the rime frame as specified in these Regulations

(1) Submission of application along with all documents:-

(i) The Applicant shall make application for new connection to the Licensee in the form notified in the Commission' s Orders:

Provided that a non-refundable registration cum processing fee as notified in the Commission' s Orders shall be levied on the applicant applying connection at Extra High Tension or High Tension voltage level.

(ii) The applicant can also make application for new connection online on the website of Licensee:

Provided that the applications for new connection for 50 kVA and above, unless any other lower value as may be notified by the Commission from time to time, shall be submitted through online system only.

(iii) If the Applicant wishes to provide his own meter of approved specifications, he shall explicitly inform the same to the Licensee at the time of making the application.

(iv) The Licensee shall indicate all the deficiencies in the application form to the applicant in one go only and shall not raise any new deficiency subsequently.

(v) In case the Licensee fails to intimate die applicant about any deficiencies in his application on the spot or within the stipulated 2 (rwo) days in case of online application, as the case may be, the application shall be deemed to have been accepted by the Licensee on die date of receipt of the application.

(vi) In case the applicant fails to remove such defects or fails to inform the Licensee about removal of deficiencies within 30 (thirty) clays from the dale of receipt of intimation of deficiencies, the application shall stand lapsed and the applicant will have to apply afresh.

(vii) The application shall be considered to be accepted only on removal of deficiencies as indicated under this Regulation.

(2) Field Inspection :-

(i) In case the application form is complete, the Licensee shall, at the time of receipt of application form, stipulate a date and time for inspection of applicant' s premises in mutual consultation with the applicant, giving a written acknowledgement.

(ii) The date of inspection shall be scheduled within 2 (two) days from the date of acceptance of the application:

Provided that if the applicant wishes to have a different date and time for field inspection, which is beyond the stipulated date & time, the excess time taken by the applicant shall neither be considered for computation of total time taken for release of connection nor for the purpose of compensation:

Provided further that if the applicanl wishes, he can get the inspection scheduled on a holiday for the Licensee, on payment of aa inspection fee as notified in the Commission' s Orders.

(iii) The Licensee shall conduct field inspection of the premises in the presence of the applicant or his 1 representative on the appointed date and time.

(iv) The Licensee shall not sanction the load, if upon inspection, the Licensee finds that:

a. the information as famished in the application is at variance to the actual position, or

b. the installation is defective or

c. the energisation would be in violation of any provision of the Act, Electricity Rules, Regulations ot any other requirement, if so specified or prescribed by the Commission or Authority under any of their Regulations or Orders.

(v) The Licensee shall give intimation to the applicant on the spot in writing about the defects/deficiencies, if any, observed during the field inspection.

(vi) The applicant shall ensure that all defects/deficiencies arc removed within 30 (thirty) days from receipt of intimation of defects/ deficiencies.

(vii) On receipt of information from the applicant about removal of defects/ deficiencies, the Licensee shall intimate the applicant about date for re-inspection of the premises of the applicant which shall not be later than 2 (two) days of receipt of information from the applicant about removal of defects/deficiencies.

(viii) In case the applicant fails to remove such defects/deficiencies or fails to inform the Licensee about removal of defects/deficiencies within 30 days from the date of receipt of intimation of defects/deficiencies, the application shall stand lapsed and the applicant will have to apply afresh:

Provided that the Licensee may grant additional time to the applicant for completion of works, in case the applicant submits a written request for the same, within 30 (thirty) days from the date of receipt of intimation of defects/deficiencies.

(ix) In case the Licensee fails to carry out field inspection/re-inspection within 2 (two) days from the date of acceptance of application or from the date of receipt of intimation of removal of site defects/ deficiencies, the load applied for connection shall be deemed to have been sanctioned after 2 (two) days from the date of acceptance of the -application or the date of receipt of information for removal of defects/ deficiencies, as the case may be.

(3) Load Sanction and Demand Note:-

(i) Save as otherwise provided in the Act or these Regulations, the Licensee shall sanction the Irfad as requested by the applicant.

(ii) The Licensee shall raise the demand note to the applicant, within 2 (two) days of the field inspection subject to rectification of defects/ deficiencies, for applicable charges, giving its breakup under the beads such as Service Line cum Development (SLD) charges. Security deposit, security towards pro-payment meter, road restoration charges, reconncction charges, etc. after giving due adjustment for the registration cum processing fee collected, if any, at the time of submission of the application:

Provided that in cases where consumer contribution is required for augmentation of network, the demand note shall be raised by the licensee within 10 (ten) days of the field inspection.'

(iii) The applicant shall make payment within 2 (two) days of the receipt of the demand note.

(iv) In case the applicant finds difficulty in making the payment within 2(two) days, the applicant may request the Licensee, in writing, for an extension of time for a maximum period of 15 (fifteen) days.

(v) The Licensee shall be under obligation to energise the connection on receipt of full payment against the demand note subject to the condition that the time extended under sub-regulation (iv) above shall not be counted in working out the total time taken for energisation of connection by Licensee nor the consumer shall be entitled to seek any compensation for such extended period.

(4) Energisation of Connection:-

(i) Where connection is to be provided from existing distribution system in electrified areas:-

a. In cases where road cutting permission or right of way is not required, the Licensee shall energize the connection within 1(one) day from the date of receipt of full payment.

b. In cases where road cutting permission or right of way is required, the Licensee shall energize the connection within 9(nine) days from the date of receipt of full payment:

Provided that if delay in road cutting permission or right of way is beyond 2(two) days from the dale of submission of request by the distribution licensee, such delay shall not be counted in working out the toial lime taken for energisation of connection by Licensee nor the consumer shall be entitled to seek any compensation for such period.

c. The total time for providing connection from existing distribution system shall not exceed the time schedule specified under these Regulations.

d. For the purpose of illustration, the total time taken for release of connection in electrified area from the existing distribution system, where there is no deficiency in the application or during field inspection, shall be as under:

Sl. No.	Description	Time period
(i)	Acceptance of Application	Zero date
(ii)	Field Inspection	Within 2 days of Acceptance of Application
(iii)	Load Sanction and demand note	Within 2 days of Field Inspection
(iv)	Payment of demand note	Within 2 days of raising demand note
(v)	Release of connection, where no RoW or road cutting permission is required	Within 1 day of receipt of payment
(vi)	Total time for release of connection where no RoW or road cutting permission is required	Within 7 days of acceptance of application
	Total time for release of connection where RoW or road cutting permission is required	Within 15 days of acceptance of application

(ii) Connection where system augmentation is required in electrified areas:-

a. The Licensee shall not deny new connection as long as the peak load including the load capacity of the new connection on the applicable distribution transformer falls within and up to 90% of the rated capacity of the transformer.

b. The Licensee shall; take appropriate action for augmentation of the capacity, as soon as the peak load on the existing applicable distribution Iransformer(s) reaches about 70% of its rated capacity.

c. Subject to sub-clause (a) above, if giving of new connection requires augmentation of distribution system, the Licensee shall inform the applicant about the approximate time frame by which the applied load can be energized. Such time frame shall not exceed the time schedule specified as under:

(i)	Electrified Areas (where extension of line upto live poles is required)	Within 15 days from the date of receipt of full payment against demand note.
(ii)	Electrified Areas (Where extension of lines or augmentation of Distribution Transformation capacity, where peak load of transformer has reached 90% of its rated capacity)	Within 2 months from the date of receipt of full payment against demand note.
(iii)	Electrified Areas (Where new Distribution Transformer is required)	Within 4 months from the date of receipt of payment against demand note
(iv)	Electrified Areas (Where existing 11 KV network needs to be augmented)	Within 6 months from the date of receipt of payment against demand note
(v)	Electrified Areas (Where existing 66733 kV grid sub-station needs to be augmented)	Within 8 months from the date of receipt of payment against demand note

Provided that the Licensee may approach the Commission for extension of time specified in specific cases, where magnitude of electrification works

is such that it requires more time, duly furnishing the details in support of such request for extension.

(iii) Connection in Un-electrified areas:-

a. The licensee shall upload the updated details of un-eleetrihed areas as on 31st March of every year alongwith the geographical map clearly indicating the boundaries of such areas under its licensed area of supply by the end of April of that year:

Provided that the Licensee for the first lime shall upload the details of un-electrificd areas as on 31.7.2017 alongwith the geographical map clearly indicating the boundaries of such areas under its licensed area of supply:

Provided further that the details of un-electrified areas as on 31.7.2017 shall be uploaded by the Licensee on its website by 31.8.2017 and shall remain on its website unless reviewed by the Commission.

b. The Licensee shall submit in the Business Plan, details of un-electrified areas under its area of supply and proposal for its electrification during the control period.

c. The Licensee shall submit alongwith the filing of tariff petition, the detailed plan for electrification of these areas duly taking into account the number of pending applications for service connections, potential for load growth etc.

d. The Licensee shall ensure that all relevant laws of the land arc complied with.

e. The Licensee shall complete the electrification of un-electrified areas and release the connection within the lime schedule specified as under:

(i)	Where connection from nearby existing network is possible	Within 4 months from the date of receipt of approval from the Commission, wherever required, subject to: (i) receipt of service line cum development charges under Regulation 21 from the developer or the applicant as the case may be; and (ii) availability of righ of way & land, wherever required.
(ii)	Where new network is to be laid or grid station needs to be established	Within 12 months from the dale of receipt of approval from the Commission, wherever required, subject to: (i) receipt, of service line cum development charges under Regulation 21 from the developer or the applicant as the ease may be; and (ii) availability of right of way & land, wherever required.

Provided that on request of the licensee, the Commission may allow extension of time for electrification works in specific cases, based on the justification and the details furnished by the Licensee:

Provided further that once electrification of such area is completed, the timelines for energisation of connection shall be in accordance with the

provisions of these Regulations for energisation of connection in electrified areas.

(iv) All connections to be energized using bus-bars:-

a. If more than one connection in a premises/complex are energized using a single service line or a cable, all such connections shall be energized using the bus-bars only without looping with other meters.

b. Any existing connection, provided through loop connections, energized prior to J 8th April, 2007 (dale of notification of Delhi Electricity Supply Code and Performance Standards Regulations. 2007), shall be rectified and re-energized using bus-bars within 6 (six) months from the date of applicability of these Regulations.

c. The consumer shall have the right to check / verify that the neutral of its meter is connected directly from the bus bar and not in any other manner.

d. Subject to Sub-Clause (b) above, if it is found that the consumer's meter is energized through neutral looping and not directly from the bus bar, the Licensee shall be liable to pay compensation as specified in Schedule-I of the Regulations.

(v) Compensation for delay in energizing connection:-

a. In case the Licensee fails to provide the connection to an applicant within the prescribed time lines, the Licensee shall be liable to pay the applicant, compensation as specified in Schedule-1 of the Regulations.

b. For determination of compensation, the rime taken for release of connection shall not be considered on account of the following:-

(i) if at any stage, additional time period is sought by the applicant for reasons to be recorded in writing; or

(ii) If the same is on account of reasons such as right of way, acquisition of land, delay in permission for road cutting etc., or occurrence of any force majeure event, over i which Licensee has no control and the reasons for the delay are communicated to the applicant within the period specified for energisation; or

(iii) If additional lime is allowed by the Commission for completion of work.

c. In case the Licensee fails to provide connection to an applicant after raising a demand note, the Licensee shall pay the applicant, compensation as per Schedule-I of the Regulations:

Provided that the Licensee shall also refund the amount deposited by the applicant against the demand note along with interest as applicable in case of Security Deposit, within 30 (thirty) days from the date load is not sanctioned:

Provided further that if the connection could not be provided after issuance of the demand note for the reasons attributable to the applicant, no compensation shall be payable and the Licensee shall refund the amount deposited by the applicant against the demand note.

(vi) Electricity Connection based on occupancy as per Regulation 10 (3)(v & vi):-

a. The Licensee shall provide the electricity connection to such applicant only through pre-payment meter by charging a refundable security also as notified in the Commission' s Orders towards pre-payment meter:

Provided that if the load demanded by the applicant is more than 45k W, the Licensee may provide the connection through post-paid meter:

b. The electricity connection shall be valid during the currency of said lease agreement or mutually extended period of lease by the occupier and the owner.

c. The Licensee shall disconnect the electricity connection on expiry of lease agreement, unless extended.

d. In case the proof of occupancy is, rem receipt alongwith undertaking that the rent receipt is signed by the owner or his authorized representative, the electricity connection shall be disconnected on the request of the owner or his authorized representative:

Provided that notice of at least one month period shall be given by the owner or his authorized representative to the Licensee and the occupier

e. At the time of disconnection, if the pre-payment meter is not defective/ damaged, the Licensee shall refund the security collected towards pre-paymeni meter alongwith the balance within 7 (seven) days of disconnection through demand draft or electronic clearance system.

12. **Single point supply:**

(1) The Licensee shall, if so requested, .give single point supply, to the premises with multiple consumer/beneficiaries such as:

(i) Multi-slorey buildings.

(ii) Residential complex developed by any developer.

(iii) Residential-cum-commcrcial complex developed by a developer and approved by an appropriate authority

(iv) Group Housing Societies

(v) Commercial or Industrial Complex.

(vi) Residential Complex constructed by any employer for his employees:

Provided that the provisions of this Regulation shall not in any way affect the right of a person residing/occupying any pan/unit in such premises, sold or leased by the developer, to demand supply of electricity directly from the Licensee of the area.

(2) Supply shall be provided by the developer or registered association to the individual beneficiaries and for common service by installing separate meters.

(3) The developer or registered association shall collect the charges as per applicable Tariff Order and the cost of energy from individual beneficiaries and shall remit the charges for the entire electricity availed at such single point of supply as per the bill within such lime as indicated in the bill.

(4) The tariff charged from individual beneficiaries shall be as per applicable tariff for relevant category as notified in Tariff Order.

(5) Providing of connection to individual beneficiaries in such premises with multiple consumers and sharing of expenses of consumption of electricity as per the above provisions shall not be construed as unauthorized extension of supply or resale of energy.

(6) The maintenance of internal distribution network and providing services to individual beneficiaries shall be the responsibility of the developer or registered association, as the case may be.

(Explanation: Registered Association means the Residents Welfare Association or any other similar ; body registered with Registrar.

Co-operatives Societies, Delhi/ Societies Act, 1860 which deals with the management of various common facilities/services within the complex.)

13. **Conversion of single point connection to individual conncction:**

(1) The concerned developer or registered association opting for Conversion of Single Point Connection to Individual Connection shall submit to the Licensee, a certified copy of the resolution regarding the surrender of existing Single Point Delivery connection. In such cases, the procedure specified, for full conversion ai Regulation 14 shall apply.

(2) In case, applications are received by the Licensee from individual consumers for direct supply of electricity, the Licensee shall undertake a joint survey with the concerned developer or registered association within 15 (fifteen) days of the date of receipt of the first application for direct supply. During the survey, the Licensee shall explore the possibility of additional applicants who may like to opt for direct supply through a written consent for proper planning and to provide the supply.

(3) In case, after conducting joint survey, it is found that the number of members of the society, opting for direct supply from Licensee is 2/3 or more of the total number of members of the society, the complete society shall be converted for taking direct supply, and the procedure specified for full conversion at Regulation 14 shall apply.

(4) In case, after conducting joint survey, it is found thai the number of members of the society opting for direct supply is less than 2/3 of the total number of members of the society, the procedure specified for partial conversion at Regulation 15 shall apply.

(5) Notwithstanding the above, no further applications for direct supply of power shall be entertained from such members who did not opt for direct supply during the joint survey mentioned as above, for the next 5 (five) years from the date of energisation of other applicants.. This condition shall be clearly mentioned in the survey form.

(6) The Licensee sliall seek and the developer or the registered association, as the case may be, shall provide the list of all the beneficiary members of the single point connection.

(7) The developer or the registered association shall provide access to the premises to the Licensee or its authorized representatives for the purpose of any activity related to conversion of single point connection

vuqyXud [k

lkoZtfud tkx:drk
cqysfVu&8

rhu Lrjh; f'kdk;r fuokj.k lajpuk

उपभोक्ता शिकायत/शिकायत जैसे : नया कनेक्शन, बिलिंग, मीटरिंग, बिजली जाना, बिजली अस्थिरता, बिजली की कटौती, लोड वृद्धि/कमी, स्ट्रट लाइट, बिजली आपूर्ति विछेदन/पुनः कनेक्शन, बिजली चोरी/अनधिकृत उपयोग, नाम परिवर्तन, कनेक्शन ट्रांसफर और श्रेणी में बदलाव।

Lrj&I

pj.k 1 % कस्टमर केयर अधिकारी/ग्राहक संबंधी कार्यकारी

pj.k 2 % व्यवसाय प्रबंधक/ग्राहक सेवा प्रबंधक/जिला मैनेजर

pj.k 3 % सर्किल प्रमुख/डिवीजनल चीफ

pj.k 4 % ऑपरेशन के क्षेत्र के अनुसार DISCOM के प्रमुख कस्टमर केयर (बीआरपीएल, बीवाईपीएल, टीपीडीडीएल, और एनडीएमसी)

fMLdke ls lEidZ gsrq ucj %

ch,lbZ,l jkt/kkuh ikoj fyfeVsM ¼chvkjih,y½

कॉल सेंटर नंबर 011—399999707 (24x7) कस्टमर केयर सेंटर (समय 9:15—03:15) ई—मेलः brpl.customercare@relinceada.com

ch,lbZ,l ;equk ikoj fyfeVsM ¼chokbZih,y½

कॉल सेंटर नंबर 011—39999808 (24x7) कस्टमर केयर सेंटर (समय 9:15—03:15) ई—मेलः brpl.customercare@relinceada.com

VkVk ikoj fnYyh fMLVhC;w'ku fyfeVsM ¼VhihMhMh,y½

कॉल सेंटर नंबर 011—66404040 (24x7) कस्टमर केयर सेंटर (समय 9:30—6:00 सोम—शुक्र और 09:30—1:00 शनिवार) ई—मेलः Customercare@tatapower-ddl.com

ubZ fnYyh uxjikfydk ifj"kn ¼,uMh,elh½

कॉल सेंटर नंबर 011—49993555, ई—मेलः care@ndmc.gov.in

vlarq"V miHkksxrk

Lrj&II

miHkksDrk f'kdk;r fuokj.k Qksje ¼CGRF½

यदि आप अपनी शिकायतों (जैसे नया कनेक्शन, बिलिंग, मीटरिंग, बिजली कटौती, बिजली जाना, लोड वृद्धि/कमी, बिजली आपूर्ति

विछेदन/पुनः कनेक्शन, नाम परिवर्तन, स्ट्रीट लाइट, कनेक्शन ट्रासफर) के सम्बन्ध में डिस्कॉम के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप सम्बधित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम से संपर्क कर सकते हैं:

chvkjih,y % सचिव, सीजीआरएफ–बीवाईपीएल, उप–स्टेशन भवन, सेक्टर–5, पुष्प विहार, नई दिल्ली–110017, ई–मेल–cgrfbrpl@gmail.com

chokbZih,y % सचिव, सीजीआरएफ – बीवाईपीएल, उप–स्टेशन भवन, शक्ति किरण बिल्डिंग, कड़कड़डूमा कोर्ट के पास, कड़कड़डूमा, दिल्ली–110032, ई–मेल : cgrfbypl@hotmail.com

VhihMhMh,y % सचिव, सीजीआरएफ – टीपीडीडीएल, उप स्टेशन भवन, पुलिस कालोनी, मॉडल टाउन–2, दिल्ली–110009

ई–मेल : credressal.forum@tatapower-ddl.com

,uMh,elh % सचिव, सीजीआरएफ–एनडीएमसी, दुकान No. 67–68 और 71–73, शहीद भगत सिंह प्लेस, गोल मार्केट, नई दिल्ली–110001.

*उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का बिजली के अनाधिकृत उपयोग, आकलन के खिलाफ अपील, बिजली चोरी पावर निर्णय अपराधों का समझौता, दुर्घअनाओं से संबंधित और पूछताछ से संबंधित मामलों पर निर्णय करने का क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि ये सब मामले भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126, 127, 135, 143, 152 एवं 161 के अवगत आते है।

vlarq"V miHkksDrk

Lrj&III

ykdiky

बिजली संबंधित शिकायतों (जैसे कनेक्शन, बिलिंग, आपूति, मीटर, चोरी, सतर्कता और स्ट्रीट लाइट) की दर्ज करने के लिए उपभोक्ता सीधे भी दिल्ली सरकार द्वार गठित लोक शिकायत प्रकोष्ठ (PGC) से संपर्क कर सकते हैं।

यदि आप आप उपभोग्कता शिकायत निवारण फोरम के आदेश से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप आदेश के खिलाफ अपील विद्युत लोकपाल के साथ निम्न पते पर दायर कर सकते हैः बी–53, पश्चिमी मार्ग, टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के सामने, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057 ई–मेल...............

लोक शिकायत प्रकोष्ठ, पावर विभाग, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार, एसएलडीसी भवन, 33KV सब–स्टेशन, मिंटो रोड, नई दिल्ली–110002, वेबसाइटः .... दूरभाषः 1800–11–2222

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम को केवल डिस्कॉम की शिकायत प्रक्रिया से निपटने के बाद ही संपर्क किया जा सकता है। फोरम ऐसी किसी भी शिकायत पर विचार नहीं करेगा जो कि उस विषय से संबंधित है, जिसके लिए कोई भी कार्यवाही किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित है।

tufgr esa tkjh

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

विनियामक भवन, सी–ब्लॉक, शिवालिक, मालवीय नगर,

नई दिल्ली–110017

टेलीफैक्स : 011–41080417, वेबसाइट : www.derc@gov.in

15- Jh euftnj flg fljlk ½ क्या ekuuh; Åtk e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विष्णु गार्डन के एन.डब्ल्यू. ब्लॉक, आर.जेड. ब्लॉक, रघुवीर नगर होट मिक्स प्लांट, नर्सिग गार्डन ए. एवं बी. ब्लॉक के साथ बीएसईएस का हाईटेंशन केबल जा रहा है;

(ख) यदि हां तो क्या यह भी सत्य है कि सरकार को जानकारी है कि यह केबल घटनी आबादी वाले क्षेत्रों से गुजर रहा है और बड़ी संख्या में मकान इस केबल के समीप बने हुए हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त हाईटेंशन केबल के कारण कई जानलेवा दुर्घटनाएं हो चुकी हैं;

(घ) यदि हां, तो इस जानलेवा हाईटेंशन केबल को हटाने की सरकार की क्या योजना है; और

(ङ) यह हाईटेंशन कबल कब तक हटा दी जाएगी?

ekuuh; Åtk e=h ½ (क) से (ङ) बीआरपीएल ने सूचित किया है कि कथित हाईटेंशन केबल लाइन हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की है।

इन केबलस के सम्बन्ध में कोई भी निर्णय हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ही ले सकता है।

16- Jh vk- ih- 'kek ½ क्या ekuuh; Åtk e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली वितरण कम्पनियों पर दिल्ली सरकार की कम्पनी दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड, इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड तथा प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कितनी राशि बकाया है;

(ख) सरकार इसको वसूल करने के लिए क्या कदम उठा रही हैं, पुर्ण विवरण क्या है; और

(ग) यह राशि कब तक वसूल कर ली जाएगी?

ekuuh; Åtk e=h ½ (क) बिजली वितरण कंपनियों अर्थात् बीआरपीएल, बीवाईपीएल, टीपीडीडीएल एवं एनडीएमसी पर दिल्ली सरकार की कंपनियों अर्थात् इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी आईपीजीसीएल, पीपीसीएल और डीटीएल का कुल बकाया अधिभार सम्मलित कर के इस प्रकार है:—

कम्पनी	बीआरपीएल	बीवाईपीएल	टीपीडीडीएल	एनडीएमसी	
आईपीजीसीएल	1821.30	1087.25	41.70	71.53	30.05.2018 तक
पीपीसीएल	3392.97	2460.18	101.73	0	31.05.2018 तक
डीटीएल	1659.64	1050.13	242.22	33.63	30.04.2018 तक

(ख) इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी (आईपीजीसीएल) तथा पीपीसीएल ने इसको बीआरपीएल, बीवाईपीएल, टीपीडीडीएल से वसूल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं। एनडीएमसी के बकाया वसूली के संबंध में, आईपीजीसीएल/पीपीसीएल और एनडीएमसी के संबंधित विभागों के साथ मामला उठाया जा रहा है।

क्रमांक	नियामक आयोग/ कोर्ट	मामला संख्या याचिका/ अपील	31.05.2018 को स्थिति
1	2	3	4
1.	डीईआरसी दिल्ली बिजली नियामक आयोग	2011 की याचिका संख्या 51 और 52	डीईआरसी ने दिनांक 05.11.2013 के अपने अंतिम आदेश के माध्यम से विद्युत उत्पादन/वितरण कंपनियां, दिल्ली सरकार विभागों को कार्य समिति का गठन करने का निर्देश दिया था जो कि एक एस्क्रो खाते के माध्यम से विद्युत उत्पादन व वितरण के खर्चों का प्रबंधन करे व आवश्यकता अनुसार धन आवंटित करे।
2.	एपीटीईएल (विद्युत के लिए अपीलीय न्यायधिकरण)	2018 की याचिका संख्या 27 और 28 के माध्यम	कई मौकों पर मामला सुना गया था। अंतिम सुनवाई

1	2	3	4
		से एपीटीईएल के समक्ष याचिका दायर की गई कि डीईआरसी को निर्देशित किया जाए कि वो बीआरपीएल को भुगतान जारी करने के लिए आदेश करे।	23.05.2017 को थी। बीआरपीएल और बीवाईपीएल द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर 2014 के W.P.(C) 104 और 105 के फैसले के बाद आगे की सुनवाई फिर से शुरू होगी।
3.	माननीय सर्वोच्च न्यायालय	बीआरपीएल और बीवाईपीएल ने 2014 के W.P. (C) 104 और 105 अपील दायर की हैं। आईपीजीसीएल धारा पीपीसीएल प्रतिवादी संख्या 12 और 13 हैं।	02.05.2018 को सुनवाई के लिए मामला और इससे संबंधित अवमानना (बीआरपीएल और बीवाईपीएल द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दैनिक आदेशों की अवज्ञा के

कारण आईपीजीसीएल/ पीपीसीएल द्वारा दायर) याचिकाएं सूचीबद्ध थीं। उपरोक्त याचिका संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिनांक 19.02.2015 की सुनवाई में सुरक्षित रखा है।

(ग) बीआरपीएल और बीवाईपीएल से बकाया वसूली के निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ लंबित हैं। विभिन्न इंटरलोक्यूटरी आवेदनों (IA) के साथ 2014 के W.P. (C) 104 और 105 में अंतिम निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास लंबित है। वसूली का समय उपरोक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायलय के निर्देश्शों पर निर्भर करेगा। वर्तमान में 26.03.2014, 06.05.2014, 30.07.2014 और 12.05.2015 के उपरोक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, बीआरपीएल और बीवाईपीएल वर्तमान बकाया का आंतरिक भुगतान कर रहे हैं।

17- Jh ,l- d- cXxk % क्या ekuuh; Åtk e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा नगर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2016–17 व वर्ष 2017–18 में बिजली के कितने नए कनेक्शन दिए गए हैं;

(ख) कृष्णा नगर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2016–17 व वर्ष 2017–18 में कितने नए बिजली के कनेक्शन रद्द किए गए हैं तथा उसके क्या कारण हैं;

(ग) कृष्णा नगर विधान सभा क्षेत्र में बिजली के कितने पोल्स पर लाईट नहीं है, और उसके क्या कारण हैं;

(घ) कृष्णा नगर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2015–16, 2016–17 व वर्ष 2017–18 में कितने लोगों के विरूद्ध बिजली के बिलों का भुगतान न किए जाने पर एफआईआर या कोर्ट केसिस हुए हैं; और

(ङ) कृष्णा नगर विधान सभा क्षेत्र में नए बिजली के कनेक्शन में मिलने

में कितना समय लगता हैं तथा इसके लिए कौन से दस्तावेज जाम किए जाते हैं?

ekuuh; Åtk e=h ¼ (क) इस प्रश्न का संदर्भ बीएसईएस यमुना से है। इस प्रश्न को उत्तर में बीएसईएस यमुना द्वारा यह बताया गया है कि कृष्णा नगर विधान सभा क्षेत्र में

वर्ष 2016–17 में 9282 व

वर्ष 2017–18 में 9521

बिजली के नए कनेक्शन दिए गए हैं।

(ख) इस प्रश्न के उत्तर में बीएसईएस यमुना द्वारा बताया गया है कि कृष्णा नगर विधान सभा क्षेत्र में

वर्ष 2016–17 में 850 व

वर्ष 2017–18 में 853

नए बिजली के कनेक्शन रद्द किए गए हैं। ये कनेक्शन व्यावसायिक/तकनीकि औपचारिकताओं को पूरा न करने या उस पते पर बकाया बिल की वजह से रद्द किये गए है।

(ग) इस प्रश्न के उत्तर में बीएसईएस यमुना द्वारा यह बताया गया है कि कृष्णा नगर विधान सभा क्षेत्र में 395 पोल्स पर लाईट नहीं है।

(घ) इस प्रश्न का संदर्भ बीएसईएस यमुना से है, इसलिए इस प्रश्न को बीएसईएस यमुना को भेजा गया था। इस प्रश्न के उत्तर में बीएसईएस

यमुना द्वारा दिया गया ब्यौरा निम्न है:

वर्ष	एफआईआर	कोर्ट केसिस
2015—16	24	392
2016—17	5	165
2017—18	201	96

(ङ) नया बिजली का कनेक्शन डीईआरसी (आपूर्ति कोड और निष्पादन मानक) विनियम 2017 के विनियम 11 के प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर दिया जाता है। (अनुलग्नक 'क')

डीईआरसी, निदेशानुसार पहचान पत्र तथा स्वामित्व अधिकार पत्र की कॉपी जमा किये जाने पर नया बिजली का कनेक्शन जारी किया जाता है।

DERC (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017

(TO BE PUBLISHED IN DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY PART) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Delhi Electricity Regulatory Commission

Viniyamak Bhawan, C-Block, Shivalik, Malviya Nagar, New Delhi-110017

Notification

Delhi

No. F.17(85)/Engg./DERC/15-16/5109---- In exercise of the powers conferred by Section 46, 50 read with Section 57, Section 181 of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf and

after previous publication, the Delhi Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations, namely Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017.

CHAPTER - I

GENERAL

1. **Short title, extent and commencement:-**

(1) These Regulations may be called "Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017" .

(2) These Regulations shall be applicable to all the Distribution Licensees including Deemed Licensees and all consumers in the National Capital Territory of Delhi.

(3) These Regulations shall come into force from 1.9.2017.

2. **Definitions:-**

In these Regulations, unless the context otherwise requires:-

(1) "Act" means the Electricity Act, 2003, as amended from time to time;

(2) "Accredited laboratory" means a laboratory accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL);

CHAPTER - III

NEW AND EXISTING CONNECTIONS

10. New and Existing Connections:-

(1) General:-

(i) The Licensee shall upload all the forms and formats prescribed under these Regulations on its website.

(ii) The Licensee shall make appropriate arrangements for filing and accepting the application by the applicant both in hard copy as well as online.

(iii) The applicant may file the application either online or in hard copy:

Provided that where the hard copy of application is submitted by hand, the Licensee shall verify the application on the spot and if found in order, acknowledge through dated receipt, and if found deficient, issue a written note regarding shortcomings in the application:

Provided further that where application is sent by registered post or speed post at correct postal address, the deficiency if any, shall be sent to the applicant within 2(two) days of receipt of application through registered post or speed post at correct postal address or on registered mobile number through SMS:

Provided also that where the application is submitted online, a system generated acknowledgement shall be issued forthwith and in case of any deficiency same shall be intimated to the applicant within 2 (two) days of the receipt of the application on registered mobile number through SMS or registered e-mail address, as the case may be.

(iv) the Licensee shall prominently display consumer related information at its website and all its offices:

Provided that no other document or the charges, which have not been listed, shall be required from the applicant.

(v) On the request of applicant, an independent electric connection shall be given to the owner/lawful occupant on each floor of the premises.

(vi) Wherever, one dwelling unit has been sub-divided and separate kitchen as well as separate entry is available, second electric connection may be given to the lawful occupant.

(vii) The electricity bill shall be only for electricity supply to the premises occupied by the consumer and shall not be treated as having rights or titles over the premises.

(2) Proof of identity of the applicant:-

Any of the following documents shall be accepted as proof of identity:-

(i) electoral identity card;

(ii) passport;

(iii) driving license;

(iv) ration card having photograph;

(v) Aadharcard;

(vi) PAN card;

(vii) photo identity card issued by any Government agency; (viii)If the applicant is an organization, certificate of incorporation/ registration issued by the Registrar and proof of authorization /resolution of Board for authorizing the person.

(3) Proof of ownership or occupancy of the premises:-

Any of the following documents shall, be accepted as the proof of ownership or occupancy of premises:-

(i) certified copy of title deed;

(ii) certified copy of registered conveyance deed;

(iii) General Power of Attorney (GPA);

(iv) allotment letter/possession letter;

(v) valid lease agreement alongwith undertaking that the lease agreement has been signed by the owner or his authorized representative;

(vi) rent receipt not earlier than 3 (three) months alongwith undertaking that the rent receipt has been signed by the owner or his authorized representative;

(vii) mutation certificate issued by a Government body such as Local Revenue Authorities or Municipal Corporation or land owning agencies like DDA/L&DO;

(viii) sub-division agreement;

(ix) For bonafide consumers residing in JJ clusters or in other areas with no specific municipal address, the licensee may accept either ration card or electoral identity card mandatorily having the same address as a proof of occupancy of the premises.

(4) Sub-divided Property:-

(i) Where property/premises have been legitimately sub-divided, the owner/occupier of the respective portion of such sub-divided property shall be entitled to obtain independent connection in his name.

(ii) The Licensee shall provide the connection, to the applicant of respective portion of the legitimately sub-divided property, on payment of outstanding dues on pro-rata basis for that portion, based on the area of such sub-division or as mentioned in sub-division agreement, and the Licensee shall not deny connection

to such applicant on the ground that dues on the other portion(s) of such premises have not been paid, nor shall the Licensee demand record of last paid bills of other portion(s) from such applicant(s).

(5) Reconstruction of Existing Property:-

In case of complete demolition and reconstruction of the premises or the building following shall apply:

(i) Supply of electricity from existing connection shall not be allowed to be used and same shall have to be essentially surrendered by the owner/occupier/developer of the premises.

(ii) Meter and service line shall be removed, and the agreement shall stand terminated only after realizing all dues payable to the Licensee and thereafter the security deposit of the consumer shall be duly returned by the Licensee as per the Regulations.

(iii) The owner, occupier, developer of the premises, as the case may be, shall apply for temporary connection and the Licensee shall give such temporary connection subject to Regulation 16:

Provided that temporary connection in all such cases shall be given only after the outstanding dues, if any, for such premises, are fully cleared.

(iv) Such reconstructed premises or building shall be treated as new premises and the consumer shall be required to apply afresh for a new connection as per these regulations.

(v) Any new connection to such reconstructed premises shall be given only after the outstanding dues attributed to the premises are duly paid by the applicant:

Provided that in case such reconstructed building is occupied by multiple owners, the treatment for new connection(s) to such multiple owners in the reconstructed building shall be given as if the property is sub-divided as in Regulation 10(4).

(6) Renovation of the Existing Property:-

Subject to Regulation 10 (5), renovation of the existing property being used by the domestic consumer for their own use shall be considered under domestic category connection on fulfillment of following conditions:

(i) The consumer shall give advance notice to the Licensee;

(ii) An undertaking to be given by the consumer to the effect that alteration/addition is as per the prevailing Building Bye-Laws;

11. New Electricity Gonnection:-

The Licensee shall process the application for new connection, within the time frame as specified in these Regulations

(1) Submission of application along with all documents:-

(i) The Applicant shall make application for new connection to the Licensee in the form notified in the Commission' s Orders:

Provided that a non-refundable registration cum processing fee as notified in the Commission' s Orders shall be levied on the applicant applying connection at Extra High Tension or High Tension voltage level.

(ii) The applicant can also make application for new connection online on the website of Licensee:

Provided that the applications for new connection for 50 kVA and above, unless any other lower value as may be notified by

the Commission from time to time, shall be submitted through online system only.

(iii) If the Applicant wishes to provide his own meter of approved specifications, he shall explicitly inform the same to the Licensee at the time of making the application.

(iv) The Licensee shall indicate all the deficiencies in the application form to the applicant in one go only and shall not raise any new deficiency subsequently.

(v) In case the Licensee fails to intimate the applicant about any deficiencies in his application on the spot or within the stipulated 2 (two) days in case of online application, as the case may be, the application shall be deemed to have been accepted by the Licensee on the date of receipt of the application.

(vi) In case the applicant fails to remove such defects or fails to inform the Licensee about removal of deficiencies within 30 (thirty) days from the date of receipt of intimation of deficiencies, the application shall stand lapsed and the applicant will have to apply afresh.

(vii) The application shall be considered to be accepted only on removal of deficiencies as indicated under this Regulation.

(2) Field Inspection:-

(i) In case the application form is complete, the Licensee shall, at the time of receipt of application form, stipulate a date and time for inspection of applicant' s premises in mutual consultation with the applicant, giving a written acknowledgement.

(ii) The date of inspection shall be scheduled within 2 (two) days from the date of acceptance of the application:

Provided that if the applicant wishes to have a different date and time for field inspection, which is beyond the stipulated date & time, the excess time taken by the applicant shall neither be considered for computation of total time taken for release of connection nor for the purpose of compensation:

Provided further that if the applicant wishes, he can get the inspection scheduled on a holiday for the Licensee, on payment of an inspection fee as notified in the Commission' s Orders.

(iii) The Licensee shall conduct field inspection of the premises in the presence of the applicant or his representative on the appointed date and time.

(iv) The Licensee shall not sanction the load, if upon inspection, the Licensee finds that;

a. the information as furnished in the application is at variance to the actual position, or

b. the installation is defective or

c. the energisation would be in violation of any provision of the Act, Electricity Rules, Regulations or any other requirement, if so specified or prescribed by the Commission or Authority under any of their Regulations or Orders.

(v) The Licensee shall give intimation to the applicant on the spot in writing about the defects/deficiencies, if any, observed during the field inspection.

(vi) The applicant shall ensure that all defects/deficiencies are removed within 30 (thirty) days from receipt of intimation of defects/ deficiencies.

(vii) On receipt of information from the applicant about removal of defects/deficiencies, the Licensee shall intimate the applicant about date for re-inspection of the premises of the applicant which shall not be later than 2 (two) days of receipt of information from the applicant about removal of d ef ects/deficiencies.

(viii) In case the applicant fails to remove such defects/deficiencies or fails to inform the Licensee about removal of defects/deficiencies within 30 days from the date of receipt of intimation of defects/ deficiencies, the application shall stand lapsed and the applicant will have to apply afresh:

Provided that the Licensee may grant additional time to the applicant for completion of works, in case the applicant submits a written request for the same, within 30 (thirty) days from the date of receipt of intimation of defects/deficiencies.

(ix) In case the Licensee fails to carry out field inspection/re-inspection within 2 (two) days from the date of acceptance of application or from the date of receipt of intimation of removal of site defects/ deficiencies, the load applied for connection shall be deemed to have been sanctioned after 2 (two) days from the date of acceptance of the application or the date of receipt of information for removal of defects/deficiencies, as the case may be.

(3) Load Sanction and Demand Note:-

(i) Save as otherwise provided in the Act or these Regulations, the Licensee shall sanction the load as requested by the applicant.

(ii) The Licensee shall raise the demand note to the applicant, within 2 (two) days of the field inspection subject to rectification of defects/deficiencies, for applicable charges, giving its breakup under the heads such as Service Line cum Development (SLD)

charges, Security deposit, security towards pre-payment meter, road restoration charges, reconnection charges, etc. after giving due adjustment for the registration cum processing fee collected, if any, at the time of submission of the application:

Provided that in cases where consumer contribution is required for augmentation of network, the demand note shall be raised by the licensee within 10 (ten) days of the field inspection.

(iii) The applicant shall make payment within 2 (two) days of the receipt of the demand note.

(iv) In case the applicant finds difficulty in making the payment within 2(two) days, the applicant may request the Licensee, in writing, for an extension of time for a maximum period of 15 (fifteen) days.

(v) The Licensee shall be under obligation to energise the connection on receipt of full payment against the demand note subject to the condition that the time extended under sub-regulation (iv) above shall not be counted in working out the total time taken for energisation of connection by Licensee nor the consumer shall be entitled to seek any compensation for such extended period.

(4) Energisation of Connection:-

(i) Where connection is to be provided from existing distribution system in electrified areas:-

a. In cases where road cutting permission or right of way is not required, the Licensee shall energize the connection within l(one) day from the date of receipt of full payment.

b. In cases where road cutting permission or right of way is required, the Licensee shall energize the connection within 9(nine) days from the date of receipt of full payment:

Provided that if delay in road cutting permission or right of way is beyond 2(two) days from the date of submission of request by the distribution licensee, such delay shall not be counted in working out the total time taken for energisation of connection by Licensee nor the consumer shall be entitled to seek any compensation for such period.

c. The total time for providing connection from existing distribution system shall not exceed the time schedule specified under these Regulations.

d. For the purpose of illustration, the total time taken for release of connection in electrified area from the existing distribution system, where there is no deficiency in the application or during field inspection, shall be as under:

Sl. No.	Description	Time period
1	2	3
(i)	Acceptance of Application	Zero date
(ii)	Field Inspection	Within 2 days of Acceptance of Application
(iii)	Load Sanction and demand note	Within 2 days of Field Inspection
(iv)	Payment of demand note	Within 2 days of raising demand note
(v)	Release of connection, where no RoW or road cutting permission is required	Within 1 day of receipt of payment

1	2	3
	Release of connection, where RoW or road cutting permission is required	Within 9 days of receipt of payment
(vi)	Total time for release of connection where no RoW or road cutting permission is required	Within 7 days of acceptance of application
	Total time for release of connection where RoW or road cutting permission is required	Within 15 days of acceptance of application

(ii) **Connection where system augmentation is required in electrified areas:-**

a. The Licensee shall not deny new connection as long as the peak load including the load capacity of the new connection on the applicable distribution transformer falls within and up to 90% of the rated capacity of the transformer.

b. The Licensee shall take appropriate action for augmentation of the capacity, as soon as the peak load on the existing applicable distribution transformer(s) reaches about 70% of its rated capacity.

c. Subject to sub-clause (a) above, if giving of new connection requires augmentation of distribution system, the Licensee shall inform the applicant about the approximate time frame by which the applied load can be energized. Such time frame shall not exceed the time schedule specified as under:

(i)	Electrified Areas (where extension of line upto five poles is required)	Within 15 days from the date of receipt of full payment against demand note.

(ii)	Electrified Areas (Whereextension of lines or augmentation of Distribution Transformation capacity,where peak load of transformer has reached 90% of its rated capacity)	Within 2 months from the date of receipt of full payment against demand note.
(iii)	Electrified Areas (Where new Distribution Transformer is required)	Within 4 months from the date of receipt of payment against demand note
(iv)	Electrified Areas (Where existing 11 KV network needs to be augmented)	Within 6 months from the date of receipt of payment against demand note
(v)	Electrified Areas (Where existing 66/33 kV grid sub-station needs to be augmented)	Within 8 months from the date of receipt of payment against demand note

Provided that the Licensee may approach the Commission for extension of time specified in specific cases, where magnitude of electrification works is such that it requires more time, duly furnishing the details in support of such request for extension.

(iii) **Connection in Un-electrified areas:-**

a. The licensee shall upload the updated details of un-electrified areas as on 31st March of every year alongwith the geographical map clearly indicating the boundaries of such areas under its licensed area of supply by the end of April of that year:

Provided that the Licensee for the first time shall upload the details of un-electrified areas as on 31.7.2017 alongwith the geographical map clearly indicating the boundaries of such areas under its licensed area of supply:

Provided further that the details of un-electrified areas as on 31.7.2017 shall be uploaded by the Licensee on its website by 31.8.2017 and shall remain on its website unless reviewed by the Commission.

b. The Licensee shall submit in the Business Plan, details of un-electrified areas under its area of supply and proposal for its electrification during the control period.

c. The Licensee shall submit alongwith the filing of tariff petition, the detailed plan for electrification of these areas duly taking into account the number of pending applications for service connections, potential for load growth etc.

d. The Licensee shall ensure that all relevant laws of the land are complied with.

e. The Licensee shall complete the electrification of un-electrified areas and release the connection within the time schedule specified as under:

(i)	Where connection from nearby existing network is possible	Within 4 months from the date of receipt of approval from the Commission, wherever required, subject to: (i) receipt of service line cum development charges under Regulation 21 from the developer or the applicant as the case may be; and (ii) availability of right of way & land, wherever required.

(ii)	Where new network is to be laid or grid station needs to be established	Within 12 months from the date of receipt of approval from the Commission, wherever required, subject to: (i) receipt of service line cum development charges under Regulation 21 from the developer or the applicant as the case may be; and (ii) availability of right of way & land, wherever required.

Provided that on request of the licensee, the Commission may allow extension of time for electrification works in specific cases, based on the justification and the details furnished by the Licensee:

Provided further that once electrification of such area is completed, the timelines for energisation of connection shall be in accordance with the provisions of these Regulations for energisation of connection in electrified areas.

(iv) **All connections to be energized using bus-bars:-**

a. If more than one connection in a premises/complex are energized using a single service line or a cable, all such connections shall be energized using the bus-bars only without looping with other meters.

b. Any existing connection, provided through loop connections, energized prior to 18th April, 2007 (date of notification of Delhi Electricity Supply Code and Performance Standards Regulations,

2007), shall be rectified and re-energized using bus-bars within 6 (six) months from the date of applicability of these Regulations.

c. The consumer shall have the right to check / verify that the neutral of its meter is connected directly from the bus bar and not in any other manner.

d. Subject to Sub-Clause (b) above, if it is found that the consumer's meter is energized through neutral looping and not directly from the bus bar, the Licensee shall be liable to pay compensation as specified in Schedule-I of the Regulations.

(v) **Compensation for delay in energizing connection:-**

a. In case the Licensee fails to provide the connection to an applicant within the prescribed time lines, the Licensee shall be liable to pay the applicant, Compensation as specified in Schedule-I of the Regulations.

b. For determination of compensation, the time taken for release of connection shall not be considered on account of the following:-

(i) If at any stage, additional time period is sought by the applicant for reasons to be recorded in writing; or

(ii) If the same is on account of reasons such as right of way, acquisition of land, delay in permission for road cutting etc., or occurrence of any force majeure event, over which Licensee has no control and the reasons for the delay are communicated to the applicant within the period specified for energisation; or

(iii) If additional time is allowed by the Commission for completion of work.

c. In case the Licensee fails to provide connection to an applicant after raising a demand note, the Licensee shall pay the applicant, compensation as per Schedule-I of the Regulations:

Provided that the Licensee shall also refund the amount deposited by the applicant against the demand note along with interest as applicable in case of Security Deposit, within 30 (thirty) days from the date load is not sanctioned:

Provided further that if the connection could not be provided after issuance of the demand note for the reasons attributable to the applicant, no compensation shall be payable and the Licensee shall refund the amount deposited by the applicant against the demand note.

(vi) **Electricity Connection based on occupancy as per Regulation 10 (3)(v &vi):-**

a. The Licensee shall provide the electricity connection to such applicant only through pre-payment meter by charging a refundable security also as notified in the Commission' s Orders towards pre-payment meter: Provided that if the load demanded by the applicant is more than 45kW, the Licensee may provide the connection through post-paid meter:

b. The electricity connection shall be valid during the currency of said lease agreement or mutually extended period of lease by the occupier and the owner.

c. The Licensee shall disconnect the electricity connection on expiry of lease agreement, unless extended.

d. In case the proof of occupancy is rent receipt alongwith undertaking that the rent receipt is signed by the owner or his authorized representative, the electricity connection shall be

disconnected on the request of the owner or his authorized representative:

Provided that notice of at least one month period shall be given by the owner or his authorized representative to the Licensee and the occupier.

e. At the time of disconnection, if the pre-payment meter is not defective/damaged, the Licensee shall refund the security collected towards pre-payment meter alongwith the balance within 7 (seven) days of disconnection through demand draft or electronic clearance system.

12. **Single point supply:**

(1) The Licensee shall, if so requested, give single point supply, to the premises with multiple consumers/beneficiaries such as:

(i) Multi-storey buildings.

(ii) Residential complex developed by any developer.

18- Jh fotsUnz xqIrk % क्या ekuuh; Åtkz e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि 28 मार्च, 2017 से फिक्स चार्जिस बढ़ाने के बाद बिजली कम्पनियां बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं को जबरदस्ती लोड बढ़ाने के नोटिस भेजने में जुटी हैं;

(ख) यदि हां, तो फिक्स चार्जिस बढ़ाने के बाद विभिन्न बिजली कम्पनियों ने उपभोक्ताओं को लोड बढ़ाने के अब तक कितने नोटिस भेजे हैं;

(ग) लोड बढ़ाए जाने के कारण राजस्व प्राप्ति में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) लोड बढ़ाए जाने के लिए बिजली कंपनियां क्या प्रक्रिया अपनाती हैं इसकी विस्तृत जानकारी दें;

(ङ) क्या उपरोक्त प्रक्रिया डीईआरसी द्वारा स्वीकृत हैं; और

(च) इसको लेकर डीईआरसी के क्या मार्गदर्शक सिद्धांत हैं?

ekuuh; Åtk e=h ¼ (क) उपभोक्ताओं के लिए लोड में वृद्धि और कमी के मानदंड और समयरेखा को मानक विद्युत विनियम 2017 की धारा 17(4) में दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (संलग्नक 'क') द्वारा परिभाषित किया गया है।

इन प्रावधानों के अनुसार ही वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को नोटिस भेजे जाते हैं।

(ख) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के मानक विद्युत विनियम 2017 की धारा 17(4) की समयरेखा के अनुसार वर्ष 2017–18 के recorded लोड के आधार पर मई, 2018 में बिजली कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को भेजे गए लोड बदलने के नोटिसों की संख्या इस प्रकार है:

बीवाईपीएल : 242574

टीपीडीडीएल : 181000

बीआरपीएल : 407961

(ग) लोड बदले जाने की प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है इसलिए राजस्व के आंकड़ों का ब्यौरा अभी नहीं संकलित किया जा सकता है।

(घ) उपभोक्ताओं के लिए लोड में वृद्धि और कमी के मानदंड और समयरेखा को मानक विद्युत विनियम 2017 की धारा 17(4) में दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (संलग्नक 'क') द्वारा परिभाषित किया गया है।

(ङ) जी हां। यह रेगुलेशन डीईआरसी द्वारा जारी किये गए हैं।

(च) डीईआरसी के मार्गदर्शक सिद्धांत संलग्न 'क' के अनुसार है।

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

v lk/kkj.k

EXTRAORDINARY

ikf/kdkj ls izdkf'kr

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 17, 2017/ श्रावण 26, 1939	(रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 218)
No. 5]	DELHI, THURSDAY, AUGUST 17,2017/ SRAVANA 26, 1939	[N.C.T.D. No. 218

Hkkx&III

PART—III

jk"Vªh; jkt/kkuh jkT; {ks=] fnYyh ljdkj

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

fnYyh fo|qr fofu;ked vk;ksx

vf/klwpuk

दिल्ली, 17 अगस्त, 2017

fnYyh fo|r fofu;e vk;kx ¼vkifrl dkM rFkk fu"iknu ekud½ fofu;e 2017

l- ,Q- 17¼85½@bl th-@Mhbl vkj lh@Mhbl vkj lh@15&16@5109@99& दिल्ली विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 के अधिनियम 36 की धारा 181 के साथ पठित धारा 46, 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इसकी ओर से समर्थित सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पिछले प्रकाशनों के उपरान्त दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम, नामतः— दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2017 बनाता है।

v/;k;&1

lkekU;

1- y?k'kh"kd] foLrkj rFkk ikjHkuk&

(1) इन विनियमों को दिल्ली विद्युत विनियम आयोग (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मानक लाइसेंधारियों तथा सभी उपभोक्ताओं सहित सभी वितरण लाइसेंसधारियों पर लागू होंगे।

(3) ये विनियम तिथि 1.9.2017 से लागू होंगे।

(3) **Load Reduction on the request of consumer:-**

(i) The Application for load reduction shall be accepted only after six months from original energisation for connections up to 100 KW, and 1 (one) year from original energisation for connections above 100 KW. Subsequent application for load reduction shall be accepted

once in six-months or after lock-in period of 6 (six) months pursuant to Regulation 17(4)(vii), as the case may be.

(ii) The applicant shall apply for load reduction to the Licensee in the format prescribed in the Commission' s Orders.

(iii) The Licensee, after verification, shall sanction the reduced load within 10 (ten) days from the date of acceptance of such application.

(iv) The load reduction shall be reflected from next billing cycle.

(v) If the effective date of load reduction falls between the billing cycles, the Licensee shall raise the bill on pro-rata' basis during that billing cycle.

(vi) The reduction of load shall be limited to the highest of average of any 4 (four) consecutive months maximum demand readings of last 12 (twelve) months.

(vii) If the load reduction is not sanctioned within the said period, the consumer shall be entitled to seek and the Licensee shall be liable to pay the compensation as specified in Schedule-I of the Regulations.

(4) **Review of sanctioned load/contract demand by the Licensee:-**

(i) For revision of sanctioned load or contract demand as the case may be, the Licensee shall take the highest of average of Maximum Demand readings recorded as per billing cycle covering any four consecutive calendar months in the preceding financial year i.e. from 1st April to 31st March, rounded off to the lower integer as described in the illustration:

Provided that the period for billing cycle shall not exceed the period specified in these Regulations:

Provided further that the minimum sanctioned load shall be 1kW.

Illustration (a):-

- Sanctioned load in preceding financial year : 4kW
- Highest of Average of MD readings : > 4kW and < 5 kW
- Rounding off for revised sanctioned load : 4 kW

Illustration (b):-

- Sanctioned load in preceding financial year : 4kW
- Highest of Average of MD readings : > 6kW and < 7 kW
- Rounding off for revised sanctioned load : 6 kW

Illustration (c): -

- Sanctioned load in preceding financial year : 4kW
- Highest of Average of MD readings : > 3kW and < 4 kW
- Rounding off for revised sanctioned load : 3 kW

(ii) If the computed revised load pursuant to sub-clause (i) above exceeds the sanctioned load or contract demand as the case may be, the Licensee shall issue a separate notice to the consumer about the proposed increase in sanctioned load or contract demand. The notice shall contain the details of the exact readings in the consecutive billing cycle(s) taken into consideration along with details of enhanced security deposit and the differential Service Line cum Development (SLD) charges in case of change of service line, if any, for such increase in sanctioned load or the contract demand, as the case may be, in accordance with the Act to be deposited by the consumer within 30 (thirty) days from the date of receipt of notice.

(iii) In case of domestic category consumers, if the computed load pursuant to sub-clause (i) above is less than the sanctioned load or contract demand as the case may be of the consumer, the Licensee shall seek the consent of the consumer for load reduction through a separate notice to the consumer, giving details and information that his maximum demand is less than the sanctioned load or contract demand:

Provided that for domestic category consumers, having the sanctioned load upto 5kW in the last billing cycle of preceding financial year, if no communication is received from them within expiry of 30 (thirty) days from the date of the receipt of notice, the load shall be reduced automatically; and for domestic consumers having sanctioned load more than 5kW in the last billing cycle of preceding financial year, the load shall be reduced only on receipt of consent from the consumer.

(iv) A separate notice for upward or downward revision of sanctioned load or contract demand as the case may be, shall be issued by 31st May of the financial year. No notice for upward revision shall be issued thereafter during the year.

(v) In case a notice for downward revision pursuant to sub clause (iv) is not issued by 31st May, the Licensee shall pay compensation to the affected consumer as specified in Schedule - I of the Regulations, without prejudice to the right of consumer to reduce the load which shall be effective as per sub clause (vi) below.

(vi) The upward or downward revision of sanctioned load or contract demand as the case may be, shall be done once in a financial year and shall be made effective from 1st July of the financial year.

(vii) If the load is enhanced by the Licensee pursuant to sub-clause (ii), the request for any load reduction shall be entertained only after expiry of 6 (six) months from the date of enhancement of load.

19- duy noUn lgjkor % क्या ekuuh; lekt dY;k.k e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन प्राप्तकर्ताओं का विवरण क्या है;

(ख) जो व्यक्ति एसडीएमसी से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनका विवरण क्या है?

ekuuh; lekt dY;k.k e=h % (क) बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन प्राप्तकर्ताओं का विवरण निम्न प्रकार है–

योजना	लाभार्थी
वृद्धावस्था पेशन	6011
विधवा पेंशन	3348

सी.डी. में संलग्न है।

(ख) ऐसे कोई ऑकडे विभाग में उपलब्ध नहीं है।

20- Jh ljUn flg % क्या ekuuh; lekt dY;k.k e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली छावनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2014 से 30 अप्रैल, 2018 तक वृद्धा तथा विकलांग पेंशन के कितने आवेदन विभाग द्वारा प्राप्त किये गये;

(ख) इन आवेदनों में से कितने आवेदनों को स्वीकार किया गया; और

(ग) उक्त आवेदनों में से कितने आवेदन विभाग द्वारा अभी तक स्वीकार नहीं किये गये हैं;

(घ) इन आवेदन पत्रों पर कब तक स्वीकृति दी जाएगी;

(ङ) स्वीकृत मामलों में से कितने पेंशन खाताधारकों को पेंशन प्राप्त हो चुकी है;

(च) इनमें से कितने मामलों में पेंशन खाताधारकों के खाते में नहीं पहुंची है; और

(छ) शेष मामलों में पेंशन खाता धारकों के खाते में पेंशन पहुंचाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे है?

ekuuh; lekt dY;k.k ea=h % (क) से (ग) जिला समाज कल्याण अधिकारी (दक्षिण–पश्चिम) के अनुसार जनवरी, 2014 से फरवरी, 2017 तक प्राप्त आवेदनों के विषय में सूचना एकत्रित की जा रही है।

दिल्ली छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मार्च, 2017 से अप्रैल, 2018 तक कुल प्राप्त, स्वीकृत, रद्द एवं लंबित आवेदनों का ब्यौरा निम्न प्रकार है–

योजना	प्राप्त	स्वीकृत	लंबित
वृद्धावस्था पेंशन	568	305	178
विकलांग पेंशन	35	06	25

(घ) लंबित आवेदनों में त्रुटि का निवारण होने पर आवेदनों का निपटारा कर दिया जायेगा।

(ङ) वर्ष 2014 से अब तक स्वीकृत मामलों में निम्नलिखित पेंशन खाताधारकों को पेंशन प्राप्त हो चुकी है–

वृद्धावस्था पेंशन – 370

विकलांग पेंशन – 174

(च) जिन मामलों में पेंशन खाताधारकों के खाते में नहीं पहुंची है उनका विवरण विवरण निम्न प्रकार है–

वृद्धावस्था पेंशन – 24

विकलांग पेंशन – 0

(छ) विभाग द्वारा सभी योग्य पाए गए स्वीकृत ऑन लाइन आवेदकों की पेंशन तत्परता से भेजी जा रही है। इसके अतिरिक्त जिन आवेदनों में किसी प्रकार की त्रुटि पाई गई उसके त्वरित समाधान हेतु संबंधित जिला कार्यालयों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकताओं को घर – घर भेजकर आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करवाए गये एवं यथासंभव त्रुटियों का निवारण करके बकाया राशि सहित पेंशन प्रेषित की जा रही है।

21- Jh egUn xk;y ¼ क्या ekuuh; lekt dY;k.k e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि वर्तमान में दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन के लिये आवेदन नहीं लिये जा रहे है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह आवेदन कब से लिये जायेंगे पूर्ण विवरण दें;

(घ) रिठाला विधानसभा क्षेत्र में कितने वृद्ध लोगों की पेंशन रुकी हुई है; उन सभी के नाम व पेंशन रूकने का कारण बताया जाये;

(ङ) क्या यह सत्य है कि पिछले वित्त वर्ष में रिठाला विधानसभा में वृद्धावस्था पेंशन के 1900 आवेदन लिये गये थे;

(च) यदि हां, तो वर्तमान में उन सभी आवेदनों की क्या स्थिति है; और

(छ) समाज कल्याण विभाग के सैक्टर–4, रोहिणी के कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं; पूर्ण विवरण क्या है?

ekuuh; lekt dY;k.k e=h % (क) जी नहीं, जहां निर्धारित कोटा (वेकेन्सी) पूर्ण हो गया है केवल वहीं नये आवेदन नहीं लिये जा रहे हैं।

(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार।

(ग) निर्धारित क्षमता सीमा बढ़ाये जाने अथवा रिक्तियां उपलब्ध होने पर नये आवेदन लेने शुरू कर दिये जायेंगे।

(घ) ब्यौरा सी.डी. में संलग्न है।

(ङ) और (च) जी हां। आवेदनों की क्या स्थिति निम्न प्रकार है–

कुल प्राप्त आवेदन – 1900

कुल स्वीकृत – 1415

कुल निरस्त – 15

कुल प्रेषित पेंशन – 1228

(छ) समाज कल्याण विभाग के सैक्टर–4, रोहिणी के कार्यालय में कुल कार्यरत कर्मचारी का ब्यौरा निम्न प्रकार है–

जिला समाज कल्याण कार्यालय (उ.प.–I एवं II) दोनों के लिये ही एक जिला समाज कल्याण अधिकारी है।

	उत्तर–पश्चिम–I	उत्तर–पश्चिम–II
अधीक्षक	01	01
स्टेनोग्राफर	01	01
उ.क्षे.लि.	01	01
कल्याण अधिकारी	02	02
केयर टेकर	01	02
चपरासी	01	0
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	02	02
ऑफिस अस्सिटेन्ट	01	01
सफाई कर्मचारी	01	0

22- Jh lqjUnz flag % क्या ekuuh; mi eq[;ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली छावनी विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन तथा आर्थिक सहायता के कितने आवेदन जनवरी, 2014 से अप्रैल, 2018 तक विभाग को प्राप्त हुए;

(ख) इनमें से कितने आवेदनों को स्वीकार और कितने आवेदनों को विभाग द्वारा रद्द किया गया;

(ग) स्वीकार किये गए आवेदनों में से कितने लाभार्थियों की पेंशन उनके खाते में आ चुकी है; और

(घ) जिनकी पेंशन खातों में नहीं आई है; वह कब तक आ जायेगी?

ekuuh; mi e[;e=h % (क) दिल्ली छावनी विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से जनवरी, 2014 से अप्रैल 2018 तक विभाग को विधवा पेंशन के 430 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी (दक्षिण–पश्चिम) के अनुसार जनवरी, 2014 से फरवरी 2017 तक प्राप्त आवेदनों के विषय में सूचना एकत्रित की जा रही हैं।

(ख)

योजना	प्राप्त	स्वीकृत	रद्द
विधवा पेंशन (जनवरी, 2014 से अप्रैल 2018)	430	377	53
विकलांग पेंशन (मार्च, 2017 से अप्रैल, 2018)	35	06	0
दिलली पारिवारिक लाभ योजना (मार्च, 2017 से अप्रैल, 2018)	47	06	02

(ग) स्वीकृत किये गए आवेदनों में से निम्न लाभार्थियों की पेंशन उनके खाते में आ चुकी हैः—

योजना	कुल प्रेषित पेंशन
विधवा पेंशन (जनवरी, 2014 से अप्रैल, 2018)	341
विकलांग पेंशन (वर्ष 2014 से अब तक)	174
दिल्ली पारिवारिक लाभ योजना (केवल वर्ष 2017—18)	14

(घ) विभाग द्वारा विधवा पेंशन का भुगतान, भारत सरकार के आदेश अनुसार Public Financial Management System (PFMS) पोर्टल तथा Direct Benefit Transfer (DBT) मोड के माध्यम से किया जाता है जिसमें प्रार्थी के बैंक खाता आधार से लिंक होना आवश्यक है। यदि पेंशन का बैंक खाता आधार लिंक न हो तो PFMS पोर्टल उसे डाटा में नहीं लेता हैं।

स्वीकृत किये गए आवेदनों को पेंशन प्रार्थी द्वारा उनका आधार नंबर बैंक अकाउंट से लिंक करवाने के पश्चात् उनके खातों में भेजी जाती है। आवेदकों को अपना खाता, आधार नंबर से शीघ्र अति शीघ्र लिंक करवाने के लिए कहा जाता है।

23- Jh tjuly flg ½ क्या ekuuh; mi e[;e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कुल कितने किस्म की पेंशनें दी जाती हैं;

(ख) तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक पेंशन के लाभार्थियों की संख्या क्या है;

(ग) इन पेंशनों को लगवाने के लिए कौन–कौन से दस्तावेजों की जरूरत होती है;

(घ) तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18 में वर्षानुसार किस पेंशन के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए है, उसका विवरण क्या है;

(ङ) इनमें से कितनों की पेंशन लगी व कितनों की निलम्बित हैं; कारण के साथ विवरण क्या है; और

(च) क्या यह सत्य है कि पेंशन खाता कार्ड से लिंक न होने पर लाभार्थी को बिना बनाये उसकी पेंशन काट दी जाती है;

ekuuh; mi e[;e=h % (क) महिला एवं बाल विकास विभाग में पेंशन की एक ही योजना हैं– विधवा/निराश्रित महिला पेंशन योजना।

(ख) तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र में ''विधवा/निराश्रित महिला पेंशन योजना'' की कुल संख्या 3146 है।

(ग) इस पेंशन को लगवाने के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता है:–

1. पति का मृत्यु प्रमाण–पत्र/तलाक होने के दस्तावेज,
2. दिल्ली में रहने का 5 वर्ष का प्रमाण,
3. आधार लिंक बैंक खाते की प्रतिलिपि,

4. आधार कार्ड की प्रतिलिपि,

5. पहचान पत्र की प्रतिलिपि,

6. वर्तमान पते का प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।

(घ) तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में ''दिल्ली निराश्रित महिला पेंशन योजना'' में वर्षानुसार निम्नलिखित आवेदन प्राप्त हुए हैः—

2014—15 में 119 आवेदन प्राप्त हुए

2015—16 में 328 आवेदन प्राप्त हुए

2016—17 में 241 आवेदन प्राप्त हुए

2017—18 में 544 आवेदन प्राप्त हुए

(ङ) तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र में वर्षानुसार निम्नलिखित आवेदन स्वीकृत व अस्वीकृत हुएः—

2014—15 में 117 आवेदन स्वीकृत हुए व 02 अस्वीकृत हुए

2015—16 में 323 आवेदन स्वीकृत हुए व 05 अस्वीकृत हुए

2016—17 में 231 आवेदन स्वीकृत हुए व 10 अस्वीकृत हुए

2017—18 में 525 में आवेदन स्वीकृत हुए व 19 अस्वीकृत हुए

अस्वीकृत कारण के साथ विवरण संलग्न है।*

---

* www.delhi assembly.nic.in पर उपलब्ध।

(च) नहीं यह सत्य नहीं है। तथ्यों का विवरण इस प्रकार हैं। विभाग द्वारा विधवा पेंशन का भुगतान, भारत सरकार के आदेश अनुसार Public Financial Management System (PFMS) पोर्टल तथा Direct Benefit Transfer (DBT) मोड के माध्यम से किया जाता है जिसमें प्रार्थी के बैंक खाता आधार से लिंक होना आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा सभी DBT मोड भुगतानों का लगातार अनुश्रवण/निगरानी किया जाता हैं। यदि पेंशन का बैंक खाता आधार लिंक न हो तो PFMS पोर्टल उसे डाटा में नहीं लेता हैं।

स्वीकृत किये गए आवेदनों को पेंशन प्रार्थी द्वारा उनका आधार नंबर बैंक अकाउंट से लिंक करवाने के पश्चात् उनके खातों में भेजी जाती है।

आवेदकों को अपना खाता, आधार नंबर से शीघ्र अति शीघ्र लिंक करवाने के लिए कहा जाता है।

24- Jh duy noUn lgjkor ¼ क्या ekuuh; mi e[;e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत जिन संस्थाओं ने अनुदान प्राप्त किया है, उन सभी संस्थाओं का विवरण क्या है;

ekuuh; mi e[;e=h ¼ (क) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न NGO's को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ''समाज कल्याण संस्थाओं/संगठनों को अनुदान नियमावली 2008'' तहत अनुदान प्रदान किया जाता है।

वित्त वर्ष 2017–18 में किसी भी बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत N.G.O. की उक्त योजना के तहत अर्जी प्राप्त नहीं हुई है। अतः बिजवासन क्षेत्र में किसी भी N.G.O. को अनुदान नहीं दिया गया है।

25- lJh jk[kh fcMyk ¼ क्या ekuuh; mi e[;e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा बच्चों को क्या–क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है; पूर्ण विवरण दें;

(ख) सरकार द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए क्या घोषणाएं की गई हैं;

(ग) क्या उन सभी पर अमल किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो कब से;

(ङ) मंगोलपुरी विधानसभा में चल रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों और आंगनवाड़ी कार्यकताओं की सूची क्या है;

(च) क्या सरकार की भविष्य में और आंगनवाड़ी वर्कर्स की भर्तियां करने की योजना है; और

(छ) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है?

ekuuh; mi e[;e=h ¼ (क) मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा बच्चों को जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है उनका पूर्ण विवरण इस प्रकार है–

1. पूरक पोषाहार
2. अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा
3. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा
4. बच्चें का आधार नामांकन

5. स्वास्थ्य जांच

6. प्रतिरक्षण

7. संदर्भ सेवाएं

उपरोक्त अंतिम तीन सेवाएं आंगनवाड़ियों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है।

(ख) सरकार द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए निम्नलिखित घोषणाएं की गई हैंः–

1. दिल्ली सरकार द्वारा वर्कर्स के लिए अगस्त, 2017 से मानदेय भत्ते में वृद्धि की गई है। मानदेय भत्ते में की गई वृद्धि इस प्रकार हैः–

विवरण सरकार	भारत सरकार	दिल्ली भत्ता	कुल मानदेय
पूर्व मानदेय भत्ता	2700 रुपये	2300 रुपये	5000 रुपये
वृद्धि उपरांत मानदेय भत्ता	1800 रुपये	7878 रुपये	9678 रुपये

2. सरकार ने एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 10,897 आंगनवाड़ी केन्द्रों में सेवाओं का स्तर बढ़ाने की घोषणा की गई हैं, जिसमें बच्चों और महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण और स्कूल–पूर्व गतिविधियों का स्तर बढ़ाया जाना हैं।

3. सभी आंगनवाड़ियों में सीसीटीवी कैमरे और आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए मोबाइल फोन उपलब्ध कराने की घोषणा की गई हैं।

4. ''प्रोत्साहित आंगनवाड़ी उन्नयन कार्यक्रम'' के अंतर्गत विभाग द्वारा बच्चों के लिए मेज, कुर्सी, चटाईयां, खिलौने आदि उपलब्ध कराते हुए मॉडल आंगनवाड़ी केन्द्र कम हब केन्द्र की घोषणा की गई हैं।

5. ''अर्ली–चाइल्डहुड–एजुकेशन'' के अंतर्गत अभिभावकों और आंगनवाड़ी समितियों के लिए प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की गई है।

(ग) उपरोक्त लिखित घोषणाओं पर अमल का विवरण इस प्रकार हैः–

1. वर्करों को अगस्त, 2017 से बढ़ा हुआ मानदेय भत्ता दिया जा रहा है।

2. आंगनवाड़ी केन्द्रों में सेवाओं का स्तर बढ़ाने के निर्णय पर अमल किया जा रहा है। सभी परियोजनाओं में बच्चों का आधार नामांकन का कार्य भी किया जा रहा है।

3. सभी आंगनवाड़ियों में सीसीटीवी कैमरे और आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए मोबाइल फोन उपलब्ध कराने की योजना को अमल में लाने का कार्य प्रगति पर है। लोक निर्माण विभाग को सीसीटीवी कैमरे खरीदने व लगाने के संदर्भ में पत्र लिखा गया था जिसके विषय में इस विभाग, द्वारा कैमरे के विशेष वर्णन संबंधित जानकारी मांगी गई थी जो कि पत्र द्वारा दी जा चुकी है।

4. 92 हब सेंटर दिल्ली में चल रहे हैं जिसमें 324 आंगनवाड़ियों को स्थानांतरित किया जा चुका है।

5. मई, 2018 तक समेकित बाल विकास परियोजनाओं में 1046 अभिभावकों और आंगनवाड़ी समितियों का गठन किया जा चुका है और इनके प्रशिक्षण को अमल में लाने का कार्य प्रगति पर है।

(घ) जी हां। वर्ष 2018–19 से

(ङ) मंगोलपुरी विधानसभा में चल रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सूची संलग्न है।*

(च) और (छ) वर्तमान में 1050 रिक्त पदों पर आंगनवाड़ी वर्कर्स की नियुक्ति के लिए विभाग कार्य कर रहा था। गत वर्ष में विभाग द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था तथा रिक्त पदों के अनुसार प्रार्थना पत्रों की छंटनी की गई तत्पश्चात् विभाग इन पदों पर आंगनवाड़ी वर्कर्स की नियुक्ति के लिए कार्य कर रहा था परंतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 31.03.2018 को जारी किये गए निर्देशानुसार, आंगनवाड़ी वर्कर्स की नियुक्ति का अग्रिम कार्य महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा न होकर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स की नियुक्ति महिला एवं बाल विकास विभाग या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स की नियुक्ति महिला एवं बाल विकास विभाग या जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा होगी इस विषय पर निर्णय लेने हेतु विभाग के माननीय मंत्री महोदय के पास फाइल भेजी जा चुकी है।

26- Jh jkts'k xqIrk % क्या ekuuh; lekt dY;k.k e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी एक विधानसभा क्षेत्र में एससी/एसटी निधि से कितनी राशि का आबंटन किया जा सकता है;

* www.delhi assembly.nic.in पर उपलब्ध।

(ख) वज़ीरपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों में कुल कितनी राशि का आबंटन किया गया है;

(ग) उक्त राशियों का प्रयोग कहां किया जा रहा है, क्षेत्र व स्थान बताएं;

(घ) क्या यह सत्य है कि अनुसूचित जाति/जन.जाति के लिए आरक्षित वार्ड हेतु आबंटित राशि का प्रयोग उक्त वार्ड में कहीं पर भी किया जा सकता है;

(ङ) वज़ीरपुर विधानसभा क्षेत्र में आबंटित राशि का इस्तेमाल कहां–कहां हो सकता है, उसका विवरण दें?

ekuuh; lekt dY;k.k e=h ¼ (क) अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती सुधारीकरण योजना के अन्तर्गत आवंटन की जाने वाली धनराशि की विधानसभा क्षेत्रवार कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) विभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार वज़ीरपुर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व के वर्षों में स्वीकृत कार्यों की सूची धनराशि सहित अनुलग्नक 'क' में वर्णित है।

(ग) विवरण अनुलग्नक 'क' में दिया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जनगणना विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उन प्रमाणक ब्लॉकों में जहां अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या 33% से अधिक है वहां पर विभागीय योजना के अंतर्गत धनराशि आवंटन किया जा सकता है। वज़ीरपुर के अंतर्गत आने वाले प्रगणक ब्लॉकों, जहां अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या 33% से अधिक है, उनका विवरण अनुलग्नक 'ख' में वर्णित है।

List of sanctioned works w.e.f. financial year (2006-07)

Sl. No.	AC Name & No.	M.L.A Name	Executive Agency	Details of Work(s)	Financial Year	Amount (in Rupees)	Date of sanction
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Waripur (AC-17)	Sh. Mange Rain Garg, Hon' ble MLA, Wazirpur	The Executive Engineer, CD-II, I &FC Depttl, Govt. of Delhi, Amar Park, Zakhira, Rohtak Road, Delhi-110035.	Improvement of streets and roads in Savvan Park, Block-A & C, Ward No.99 in Wazirpur Assembly Constituency.(EB No. 111 & 112)	2006-07	18.68	11.02,07
2	Waripur (AC-17)	Sh. Mange Ram Garg, Hon' ble MLA, Wazirpur	The Executive Engineer, CD-II, I &FC Depttl, Govt, of Delhi, Amar Park, Zakhira, Rohtak Road, Delhi-1] 0035.	Improvement of streets and roads in Savvan Park Extension and Harijan Basti in Ward No.99 in Wazirpur Assembly Constituency.(EB No. 111 & 112)	2007-08	33.38	13.11.07
3	Waripur (AC-17)	Sh. Mange Ram Garg, Hon' ble MLA, Wazirpur	The Executive Engineer, CD-II, 1 &FC Depttl, Govt, of Delhi, Amar Park, Zakhira, Rohtak	Improvement of street and roads in Block A & B in Wazirpur Resettlement JJ colony in Ward No. 99 in	2008-09	32.04	23.05.08

			Road, Delhi-110035.	Wazirpur AC(EB No. 38 to 41 in A Block.Tnrl.FR Mn 48 in R RWH			
4	Waripur (AC-17)	Sh. Mange Rain Garg, Hon' ble MLA, Wazirpur	The Executive Engineer, CD-II, 1 &FC Depttl, Govt, of Delhi, Amar Park, Zakhira, Rohtak Road. Delhi-110035.	Improment of streets and roads in Block J-III in Wazirpur Resettlement JJ colony in Ward No. 99 in Wazirpur AC(EB No. 55 & 56)	2008-09	11.27	23.05.08
5	Waripur (AC-17)	Sh. Mange Rain Garg, Hon' ble MLA, Wazirpur	The Executive Engineer, CD-II, 1 &FC Depttl, Govt, of Delhi, Amar Park, Zakhira, Rohtak Road, Delhi-110035.	Improment of streets and roads in Block L in Wazirpur Resettlement]] colony in Ward No. 99 in Wazirpur AC(EB No. 29 to 31 & 35 to 37)	2008-09	40.76	19.06.08
6	Waripur (AC-17)	Sh. Mange Ram Garg, Hon' ble MLA, Wazirpur	The Executive Engineer, CD-II, I&FC Deptt., Govt. of Delhi, Amar Park, Zakhira, Rohtak Road, Delhi-110035	Importance of streets and roads in Block K in Wazirpur Resettlement JJ colonies in Ward No.99 in Wazirpur AC (EB No. 19 & 20)	2008-09	60.82	19.06.08
7	Waripur (AC-17)	Sh. Mange Ram Garg, Hon' ble	The Executive Engineer, CD-II, I&FC Deptt.,	Improment of streets and roads in Block C & D in	2008-09	27.29	19.06.08

1	2	3	4	5	6	7	8
		MLA, Wazirpur	Govt. of Delhi, Amar Park, Zakhira, Rohtak Road, Delhi-110035	Wazirpur Resettlement JJ colonies in Ward No. 99 in Wazirpur AC (EB No. 69 to 72 in C Block and ER No. 86 in D Block)			
8	Waripur (AC-17)	Sh. Hari Shankar Gupta, Hon'ble MLA Wazirpur	The Ex. Engineer, DUSIB, CD-III, GNCTD, Rana Pratap Bagh, Delhi-07	Improvement of Lanes by relaying in RMC in the deteriorate lanes for A&L Block, Wazirpur, JJ Colonies AC-17	2011-12	27.91	15.02.12
9	Waripur (AC-17)	Sh. Mahender Nagpal, Hon'ble MLA, Wazirpur	The Executive Engineer, C-4, DUSB cum Office Shopping Complex, New Ranjeet Nagar, New Delhi-03	Construction of Basti Vikas Kendra (Harijan Chaupal), at village Wazirpur, New Delhi (AC-17)	2014-15	87.20	23.07.14
10	Waripur (AC-17)	Sh. Rajesh Gupta Hon'ble MLA, Wazirpur	--	Construction of Chaupal at Wazirpur Village Delhi, (AC-17) (Revised Estimate)	2016-17	42.91	27.12.16
		Total				382.26	

Wazirpur (Assembly Constituency)

At the time of Census Operation, 2011

No. of Muncipal Wards	Name of Muncipal Wards	Category
65	Nimri Colony	SC(Women)
66	Sawan Park	SC
67	Wazirpur	General
68	Ashok Vihar	General

Ward No. 65

Sl. No.	Ward No. 65	Name of Town/Census Tcwn/Villaqe	Name of District	Name of Tahsil	Enumeration Block No.	Extent of the Population Enumeration Block	TOT P	SC P	SC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0065	DMC(U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0008	JJ Colony Wazirpur (T-Huts near K Block) T-Huts 1 to 107 including park.	630	514	81.59
2	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0009	JJ Colony Wazirpur Block K, H. No. 1 to 58	613	409	66.72
3	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0010	JJ Colony WazirpurBlock K, H. No. 59 - 92, T- Huts, Shri Krishan Mandir and Shops, Blk. K, H. No.-93-125	633	461	72.83
4	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0011	JJ Colony WazirpurBlk. K, H. No. 126 - 188 Including park	484	235	48.55
5	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0012-1	JJ Colony WazirpurBlk. K, H. No. 189 - 225	493	283	57.4
6	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0012-2	JJ Colony WazirpurBlk. K, H. No. 226 - 268	438	244	55.71

7	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0013	JJ Colony WazirpurBlk. K, H. No. 269 - 335 including Barat Ghar, Temple	631	410	64.98
8	0065	DMC(U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0014	Wazirpur JJ ColonyBlk. K, H. No. 336 - 411	576	398	69.1
9	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0016	JJ Colony Wazirpur, Blk. K, H. No. 491 - 560, including Mata Mandir, T-Huts, TV Centre, Shiv Mandir. Shoo	777	443	57.01
10	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0017	JJ Colony Wazirpur, Blk. K, H. No. 569 - 620	477	216	45.28
11	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0018	JJ Colony WazirpurBlk. L, H. No. 1-60 including Dairy, ESS	485	213	43.92
12	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0099	JJ Colony WazirpurBlk. L, H. No. 61 - 113	631	318	50.4
13	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0019	JJ Colony WazirpurBlk. L, H. No. 114 - 176	596	338	56.71
14	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0020	JJ Colony WazirpurBlk. L, H. No. 177-22 including Mandir, T-Huts - 8, T-Huts - 7	485	370	76.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0021	JJ Colony WazirpurBlk. L, H. No. 222 - 276	488	221	45.29
16	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0025	JJ Colony WazirpurBlk. L, H. No. 410 - 430 & 483 -528	469	450	95.95
17	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0026	JJ Colony WazirpurBlk. L, H. No. 431 - 482	413	239	57.87
18	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0029	JJ Colony WazirpurBlk. A, H. No. 142 - 192	429	239	55.71
19	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0030	JJ Colony WazirpurBlk. A, H. No. 193 - 250	361	277	76.73
20	0065	DMC(U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0031	T-Huts near JJ Colony Wazirpur, Blk. AB & LK, T-Huts CN 1-136 including pump house. Office MCD Crimination Ground. Temole. T-Huts 1- 6	535	335	62.62
21	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0032	T-Huts near JJ Colony Wazirpur, Blk. AB & LK, T-Huts CN 137-273 including Balmiki Mandir Shops 1-8	502	364	72.51

22	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0033	T-Huts near JJ Colony Wazirpur, Blk. A,B, L, K, T-Huts CN 274-409	408	241	59.07
23	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0034	T-Huts near JJ Colony Wazirpur, Blk. A,B, L, K, T-Huts CN 410-546	570	337	59.12
24	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0035	T-Huts near JJ Colony Wazirpur, Blk. A,B, L, K, T-Huts CN 547-682 including dustbin & Dairy	460	316	68.7
25	0065	DMC(U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0036	T-Huts near JJ Colony Wazirpur, Blk. A,B, L, K, T-Huts CN 683-800	290	111	38.28
26	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0039-1	JJ Colony Wazirpur, Blk. B H. No. 1-54	409	135	33.01
27	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0042	JJ Colony Wazirpur, H. No. 1-92 including Mandir with shop, Dhaba, Dustbin, Kabari Shop, Mother Dairy, ESS, Sanjay Mkt. 1- 98, Dispensary, T-Huts,Prist Offirp ahm/p Rpsi Part Fartnrw 1-19	740	369	49.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0046	JJ Colony Wazirpur, Blk. Jill H. No. 1-46	475	202	42.53
29	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0098	JJ Colony Wazirpur, Blk. J III H. No. 144-194 (Remarks: H. No. 193 not available)	473	226	47.78
30	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0050	JJ Colony Wazirpur, Blk. J III H. No. 195-264, Mandir Baba Ramdev, Mandir, Gurudwara, Manav Dharam	546	210	38.46
31	0065	DMC(U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0051	JJ Colony Wazirpur, Blk. H, H. No. 87-146	533	217	40.71
32	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0059	JJ Colony Wazirpur, Blk. C, H. No. 345-430,	465	186	40
33	0065	DMC(U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0060	JJ Colony Wazirpur, Blk. C, H. No. 431-516, 3 Lavatory Opened & T-Huts in this portion	582	250	42.96
34	0065	DMC(U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0061	JJ Colony Wazirpur, Blk. C, H. No. 280-344	349	211	60.46
35	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	SLUM 3 0063	JJ Colony Wazirpur A, Temporary Huts CN 1-99 including Police	541	329	60.81

						Post, Sant Nirankari Bhawan, T-Huts			
36	0069	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	SLUM-3 0064	JJ Colony Wazirpur A, Temporary Huts CN 100-200	396	233	58.84
37	006S	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	SLUM-3 0067	JJ Colony Wazirpur A, Temporary Huts CN 405-521 including Park, Mandir. 2 Durros house. T-Huts in	499	232	46.49
38	0065	DMC(U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0076	JJ Colony WazirpurBlk. D, H. No. 87-172 including 2 T-huts	528	514	97.35
39	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0077-1	JJ Colony Wazirpur Blk. E, II. No. 173-209	473	254	53.7
40	0065	DMC(U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0077-2	JJ Colony WazirpurBlk. E, H. No. 210-258	481	331	68.81
41	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0079	JJ Colony WazirpurBlk. E, H. No. 1-65	646	216	33.44
42	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	85	JJ Colony WazirpurBlk. F, H. No. 108-172 including park, ESS Temple. Dhingra Public School, Aarya Samaj Mandir, DTSR (1 Store & 3 Qtr.), MCD School,	579	203	35.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						J-III Masjid, Shops & Temporary Huts & T-Khoka.			
43	0065	DMC(U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0087	WazirpurNear Major Dhyanchand Sport Complex Blk. J-III, CN 101-210	608	211	34.7
44	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0088	Wazirpur Near Major Dhyanchand Sport Complex Blk. J-III, CN 211-328	792	489	61.74
45	0065	DMC(U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0089	WazirpurNear Major Dhyanchand Sport Complex Blk. J-III, CN 329-415, JJ Gas Store, Rajdhani Gas Store, Indian Gas Store, Taxi Stand, Major Dhvanrhanri Snort Cnmnlpx	456	179	39.25
46	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0028	JJ Colony WazirpurBlk. A. 11. No. 91- 141 including Park & T-Huls	413	191	46.25
47	0065	DMC(U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0039-2	JJ Colony Wazirpur, Blk. B H. No. 55 - 107	508	240	47.24

48	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0037	T-Huts near JJ Colony Wazirpur, Blk. A,B, L, K, T-Huts CN 801-879	270	92	34.07

Ward No. 66

Sl. No.	Ward No. 66	Name of Town/Census Tcwn/Villaqe	Name of District	Name of Tahsil	Enumeration Block No.	Extent of the Population Enumeration Block	TOT P	SC P	SC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0066	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0015	Sawan Park/Jailarwala Bagh CN-1 to 150	583	415	71.18
2	0066	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0016	Sawan Park/Jailarwala Bagh CN-151 to 300	528	442	83.71
3	0066	DMC(U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0018	Sawan Park/Jailarwala Bagh CN-451To 600	578	255	44.12
4	0066	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0019	Sawan Park/Jailarwala Bagh CN-601 To 750	606	255	42.08
5	0066	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0020	Sawan Park/Jailarwala Bagh CN-751 to 900	633	276	43.6
6	0066	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0021	Sawan Park/Jailarwala Bagh CN-901 to 1050	546	383	70.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	0066	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0022	Sawan Park/Jailarwala Bagh CN-1051 to 1200	603	343	56.88
8	0066	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0023	Sawan Park/Jailarwala Bagh CN-1201 to 1347	620	210	33.87
9	0066	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0039-1	Ashok Vihar -III Sawan Park Ext-CN-1 to 77	574	489	85.19
10	0066	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0039-2	Ashok Vihar -III Sawan Park Ext-CN-78to 150	528	323	61.17
11	0066	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0040-1	Ashok Vihar -III Sawan Park Ext-CN-151to 228	535	422	78.88
12	0066	DMC (U) 7001	Nortli West 01	Saraswati Vihar 002	0040-2	Ashok Vihar -III Sawan Park Ext-CN-229 to 300	408	247	60.54
13	0066	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0041	Ashok Vihar -III Sawan Park Ext-CN-301to 450	716	607	84.78
14	0066	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0042	Ashok Vihar -III Sawan Park Ext-CN-451to 551	690	641	92.9
15	0066	DMC (U) 7001.	North West 01	Saraswati Vihar 002	0043-2	Ashok Vihar -III Sawan Park Ext-Block-A,H.No-	432	143	33.1

16	0066	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0046-2	Ashok Vihar -III Sawan Park,Block -C,H.No-5 to 13 and 17 to 24 Including wood factory,H.No-25 to 43 ,Rajiv Gandhi Chowk, MCD Pry .School, Park TempleJ-Huts and open area Complete	625	264	42.24
17	0066	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0047	Ashok Vihar -III Sawan Park Block-A,h.No-l to 25	528	263	49.81
18	0066	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 007	0048	Ashok Vihar -III Sawan Park Block-A,H.No 26 to 32,56to 64 and 1 to 13	556	201	36.15
19	0065	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0050	Ashok Vihar -III BIock-3, H.No-36 to 42,Block-K,H. No-1 to 31, Postoffice K-17J.7A to 17EComplete Including Shop 1-15, Ravidass Mandir, Shri Guru Singh Sabha Gurudwara, Arya Samaj Mandir, Dustbin	780	259	33.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	0066	DMC (U) 7001	North 02	Civil Lines 001	SRS 0064	Shakti Nagar Ext. and Swami Narayan MargShakti Nagar Ext.,Block-B,H.No 1 to 31, Park,Taxi Stand,T-Shop,mata Mandir,T-Huts Near Northern Railway Main Line CN1 to 40, Police Booth, Mandir Cum Dharamshala, Dustbin, Ashoka Garden Near Swami Narayan Marg Including MCD Sewage Pump Station,Bharat Nagar Pawan Chakki,Pimp House Complet	553	196	35.44
21	0066	DMC (U) 7001	North 02	Civil Lines 001	0072	Bharat Nagar Double Storey Qtrs, H.No-456 to 600 %	761	307	40.34
22	0066	DMC (U) 7001	North 02	Civil Lines 001	0073-1	Weaver Colony Block-B, H. No-601 to 670	474	255	53.8
23	0066	DMC (U) 7001	North 02	Civil Lines 001	0073-2	Weaver Colony Block-B,H. No-671 to 775	503	166	33
24	0066	DMC (U) 7001	North 02	Civil Lines 001	0075-2	Weaver Colony Block-A, H. No-246 to 300	287	131	45.64

25	0066	DMC (U) 700.1	North 02	Civil Lines 001	0076	Weaver Colony Block-A,H. No-301 to 455	878	425	48.41

Ward No. 67

Sl. No.	Ward No. 66	Name of Town/Census Tcwn/Villaqe	Name of District	Name of Tahsil	Enumeration Block No.	Extent of the Population Enumeration Block	TOT P	SC P	SC
1	0067	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0070	WAZIRPUR VILLAGECN 39-76	357	160	44.82
2	0067	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0072	WAZIRPUR VILLAGECN 115-152	328	113	34.35
3	0067	DMC(U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0074	WAZIRPUR VILLAGECN 202-250	422	209	49.53
4	0067	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0076	WAZIRPUR VILLAGECN 251-304	670	295	44.03
5	0067	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0092	SLUM WAZIRPUR T.Huts CN 91-180	675	355	52.59

Ward No. 68

Sl. No.	Ward No. 66	Name of Town/Census Tcwn/Villaqe	Name of District	Name of Tahsil	Enumeration Block No.	Extent of the Population Enumeration Block	TOT P	SC P	SC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0029 Slum 03	Chander Shekhar Azad Colony C.No751to 900	497	175	35.21
2	0068	DMC(U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0030 03 Slum	Chander Shekhar Azad Colony C.No901tol050	572	355	62.06
3	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0031 03 Slum	Chander Shekhar Azad Colony C.No 1051 to 1200	531	269	50.66
4	0068	DMC(U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0032 03 Slum	Chander Shekhar Azad Colony C.No 1201 to 1350	574	332	57.84
5	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0033 03 Slum	Chander Shekhar Azad Colony C.No 1351 to 1500	520	333	64.04
6	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0034 03 Slum	Chander Shekhar Azad Colony C.No 1501 to 1650	552	276	50
7	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0035 03 Slum	Chander Shekhar Azad Colony C.No 1651 to 1800	518	370	71.43

8	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0036 03 Slum	Chander Shekhar Azad Colony C.No 1801 to 1950	633	425	67.14
9	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0037 03 Slum	Chander Shekhar Azad Colony C.No 1951 to 2100	464	280	60.34
10	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0038 03 Slum	Chander Shekhar Azad Colony C.No 2101 to 2250	539	382	70.87
11	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0039 03 Slum	Chander Shekhar Azad Colony C.No 2251 to 2400	574	234	40.77
12	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0041 03 Slum	Chander Shekhar Azad Colony C.No 2551 to 2700	470	306	65.11
13	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0042-2 Slum 03	Chander Shekhar Azad Colony C.No 2776 to 2850	361	151	41.83
14	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0043 Slum 03	Chander Shekhar Azad Colony C.No 2851 to 3000	464	159	34.27
15	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0046 Slum 03	Chander Shekhar Azad Colony C.No 3301 to 3322 & CN 3327-3450	186	125	67.2
16	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0047 Slum 03	Chander Shekhar Azad Colony C.No 3451 to 3540	166	77	46.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0048 Slum 03	Chander Shekhar Azad Colony Extn. C.Nol to 92	240	156	65
18	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0049 Slum 03	Chander Shekhar Azad Colony Extn. C.No 93 to 183	367	250	68.12
19	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0053 Slum 03	Chander Shekhar Azad Colony C.No 4351 to 4500	459	195	42.48
20	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0055 Slum 03	Chander Shekhar Azad Colony C.No 4651 to 4800	621	231	37.2
21	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0056 Slum 03	Chander Shekhar Azad Colony C.No 4801 to 4950	610	453	74.26
22	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0057 Slum 03	Chander Shekhar Azad Colony C.No 4951 to 5023	342	191	55.85
23	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0066 Slum 03	Shahid Sukhdev Nagar CN-106 to210	436	210	48.17
24	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0067 Slum 03	Shahid Sukhdev Nagar CN-211 to 315	446	168	37.67
25	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0069 Slum 03	Shahid Sukhdev Nagar CN-421 to 525	485	177	36.49

26	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0070 Slum 03	Shahid Sukhdev Nagar CN-526 to 630	325	171	52.62
27	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0073 Slum 03	Sukhdev Nagar CN-151W 300	580	227	39.14
28	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0079 Slum 03	Sukhdev Nagar CM-1051 to 1200	643	321	49.92
29	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0081 03 Slum	Sukhdev Nagar CN- 1351 to 1500	634	272	42.9
30	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0086 03 Slum	Sukhdev Nagar CN-2101 to 2260	594	315	53.03
31	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0087 03 Slum	Sukhdev Nagar CN- 2261 to 2420	644	287	44.57
32	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0088 03 Slum	Sukhdev Nagar CN-2421to 2580	625	240	38.4
33	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0090 03 Slum	Sukhdev Nagar CN-2741 to 2900	591	207	35.03
34	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0092 03 Slum	Wazir pur Ind Area,Staff Qtis Fire Station,Store yed l-8, Fire station Office inc.T -Huts, Blok A-44-52,140-143,T-Hutsl-25 near	109	45	41.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						tool Room Training Centre Inc. mother dairy park,T-Huts,1-5, T-shops,Numbers Block A-l-48 Inc. all Sub Numbers and all T-Huts ,T-Shops ShopsKhokas in this area CNo-l-60 (T-Huts in plot No-53)			
35	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0093 03 Slum	Udham Singh Park CN-lto 109	535	181	33.83
36	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0094 03 Slum	Udham Singh Park CN-110to218	415	219	52.77
37	0068	DMC (U) 7001	North West 01	Saraswati Vihar 002	0098 03 Slum	Udham Singh Park CN-546 to 654	575	229	39.83

27- Jh egn xk;y th ¼ क्या ekuuh; vulfpr tkfr@tutkfr e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य हैं कि सरकार द्वारा अल्पसंख्यक बोर्ड का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के सभी सदस्यों की सूची क्या है; और

(ग) अल्पसंख्यक वर्ग में किस जाति धर्म के लोग आते है?

ekuuh; vulfpr tkfr@tutkfr e=h ¼ (क) दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन दिनांक 19.07.2017 को किया गया है।

(ख) दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य दिनांक 20.07.2017 से निम्नलिखित है

1. अध्यक्ष – डॉ. जफरुल इस्लाम खान
2. सदस्य – श्री करतार सिंह कोचर
3. सदस्य – सुश्री अंस्तेसिया गिल

(ग) राष्ट्रीय आयोग के अल्पसंख्यक अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, जैन, बौद्ध एवं पारसी को दिल्ली में धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग में रखा गया है।

28- Jh tjuy flg ¼ क्या ekuuh; jktLo e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सिविल डिफेंस में ट्रेनिंग लेने की क्या प्रक्रिया है;

(ख) ट्रेनिंग होने के बाद अलग–अलग संस्थानों में भर्ती/नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है व इसकी क्या प्रक्रिया है;

(ग) जनवरी, 2016 से अब तक किस किस विभाग में कितने दिल्ली सिविल डिफेंस कार्यकर्ताओं की भर्ती/नियुक्ति हुई हैं;

(घ) क्या इन भर्तियों/नियुक्तियों से पहले अखबार में कोई सूचना दी जाती है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या इसमें दिल्ली के निवासियों के लिए कोई आरक्षण है?

ekuuh; jktLo e=h % (क) नागरिक सुरक्षा संगठन में स्वयं सेवक/सेविका के रूप में नामांकन/भर्ती हेतु राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार की वेबसाइट (e-District portal) पर ऑनलाईन आवेदन एवं वांछित दस्तावेजों को अपलोड़ किया जाता है। नामांकन/भर्ती होने के उपरांत संबंधित जिला के नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र में नियमित पांच दिवसीय 'बुनियादी प्रशिक्षण' प्राप्त किया जाता है।

(ख) किसी भी नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक/सेविका को विभिन्न संस्थानों में नियुक्त नहीं किया जाता अपितु काल आउट आधार पर परिनियोजन (deploy) किया जाता हैं।

नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक/सेविका के रुप में भर्ती/नामांकन एवं परिनियोजन (deploy) करने का अधिकार क्षेत्रीय जिलाधीश/नियंत्रण नागरिक

सुरक्षा (जिला) एवं निदेशक नागरिक सुरक्षा/मण्डल आयुक्त (राजस्व) के पास हैं।

(ग) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। दिनांक 25.05.2018 की स्थिति के अनुसार 4219 नागरिक सुरक्षा सदस्यों को परिनियोजित (deploy) किया गया। विभागानुसार सूची संलग्न है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) ऐसा कोई प्रावधान नहीं है अपितु जिला स्तर पर वार्डनों/स्वयंसेवकों हेतु परिपत्र के माध्यम से सूचना जारी की जाती है।

(च) केवल दिल्ली का ही निवासी नागरिक सुरक्षा संगठन में स्वयं सेवक/सेविका के रूप में नामांकन/भर्ती हेतु आवेदन कर सकता है।

Annexure-I

Department-wise allocation of Civil Defence Volunteers as on 25.05.2018

Sl. No.	Name of Department	Central	South West	West	North West	South	North East	North	New Delhi	South East	East	Shahdara	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	DDMA/QRT/QRV/EOC/ VERC/e-district	40	29		33	43		80	14		21		260
2	REV DM/ADM/SDM/ BDO/SR	22	53	106	26	24	64		16	93	54	79	537
3	DISTRICT OFFICE		8									5	13
4	OTHER DISTRICT OFFICE		1										
5	CD HQ	34	3	21	59		24	27		6	22		196
6	EDMC										1		1
7	SDMC SCHOOL												
8	SDMC		28			4		2					34
9	PHQ									1			1

10	CM CAMP OFFICE		3							1	1		5
11	LG. SECTT.		2										2
12	DY. SECY. HG.		1										1
13	DELHI SECTT.		1			1							2
14	MHA			1		1							2
15	FOOD & SUPPLY	25	2		3		2						32
16	ACB	4		3	1			2			1		11
17	APMC	1						38					39
18	Lala Hans Raj Gupta Health Clinic				3								3
19	Kadhai Kendra Geeta Colony												
20	LBS Hosp. Khichripur										1		
21	Bhagwan Mahaveer Hosp.	4	3	13	7		1	21			3		52
22	DSIIDC Okhla					3		6					9
23	CAT	8			1								9
24	Sanskart Academy	6											6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	DTC	314	224	192	324	25	57	114	192	238	184	176	2040
26	DCW	38											38
27	Dte. of Info	2											2
28	Dte. of Emp.	1											1
29	Delhi License Deptt.									3	5		8
30	DSSSB	1					1			2	6		10
31	Dte. of HG	21	20	42	48		22	29	12	7	3		204
32	Election	12	13			4	10	3	6	4	12		64
33	Excise Dept.	2									5		7
34	ITI	10	10	20	6	7	3	12	4	6	20	16	114
35	Labour Dept.	5	2	1									8
36	Roshanara Bagh	18											18
37	NDMC Ghogha Dairy							14					14
38	NDMC Town Hall	23											23
39	NDMC Polyclinic13	13			7			6					26
40	MCD Health									6		40	46

41	SDMC Polyicin			5									5
42	PAO	18	3	6	6			1				6	40
43	CAO Dal Hossie			2	2		1				1		6
44	PG Cell	2									1		3
45	Engr., College Jafar Kalan		9										9
46	Jawahar Navdye School		1										1
47	Trade & Taxes	61	2	26	12		5	26			11		143
48	Transport Dept.	120	4	3	1	6	7				3		144
49	Tehsil Delhi Cantt./ Ch. Puri V. Vihar		1						15				16
50	Dust/Leaf Cont		6										6
51	Poll. Contt. Team				6								6
52	Dte. of Panchayat												0
53	CIFS INA							2					
54	URS Camp												
55	Sarv Guard					2							2
	Total	805	429	441	545	120	196	383	260	367	355	322	4219

29- Jh tjuSy flag % क्या ekuuh; jktLo ea=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि वर्ष 2015—16 में दिल्ली के 11 विधान सभा क्षेत्रों में पॉयलेट प्रोजेक्ट के तौर पर मौहल्ला सभा शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो किन विधान सभा क्षेत्रों में व प्रति विधान सभा कितना फण्ड दिया गया था;

(ग) मौहल्ला सभाओं द्वारा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में करवाये गये कार्यों का विवरण क्या है;

(घ) क्या यह सत्य है कि कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो मौहल्ला सभा में फाइनल होने व फण्ड उपलब्ध होने के बावजूद भी नहीं हो पाए;

(ङ) यदि हां, तो उनका विवरण दिया जाए; और

(च) दिल्ली के अन्य विधान सभा क्षेत्रों में यह योजना शुरू न करवाने के क्या कारण हैं?

ekuuh; jktLo ea=h % (क) जी हां।

(ख) विधान सभा क्षेत्रों में जिलेवार आबंटित फण्ड का विवरण निम्नलिखित है:—

क्र.सं.	विधानसभा क्षेत्र (जिला)	आवंटित फंड
1.	तिलक नगर (पश्चिम)	23 करोड़
2.	सदर बाजार (मध्य)	23 करोड़

क्र.सं.	विधानसभा क्षेत्र (जिला)	आवंटित फंड
3.	द्वारका (दक्षिण पश्चिम)	23 करोड़
4.	छतरपुर (दक्षिण)	22 करोड़
5.	ओखला (दक्षिण पूर्व)	23 करोड़
6.	बवाना (उत्तर)	23.5 करोड़
7.	नई दिल्ली जिला (नई दिल्ली)	22.5 करोड़
8.	करावल नगर (उत्तर पूर्व)	22 करोड़
9.	पटपडगंज (पूर्व)	22.5 करोड़
10.	शाहदरा (शाहदरा)	22 करोड़
11.	शालीमार बाग, किराडी (उत्तर पश्चिम)	23 करोड़

(ग) राजस्व विभाग के समस्त जिलों से प्राप्त कार्यों की सूची संलग्न है। (अनुलग्नक 'क')*

(घ) जी हां।

(ङ) राजस्व विभाग के समस्त जिलों से प्राप्त कार्यों का विवरण संलग्न है। (अनुलग्नक 'ख')

(च) मोहल्ला सभा की अवधारणा को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 11 विधान सभा क्षेत्रों में लागू किया गया था तथा जिलों को सहायता अनुदान

* www.delhi assembly.nic.in पर उपलब्ध।

दिया गया था। तदुपरांत मंत्रिमंडल निर्णय को माननीय उपराज्यपाल महोदय के अनुमोदन के लिए संचिका भेजी गयी थी, परन्तु माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय द्वारा संचिका को पुनः मंत्रिमंडलीय टीप बनाने के लिए वापिस मंगा लिया गया। वर्तमान में इस योजना को नए प्रारूप में कार्यान्वित करने के लिए प्रक्रिया जारी है।

30- Jh tjuily flg % क्या ekuuh; jktLo e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला न्यायाधीश कार्यालय द्वारा कौन से प्रमाण–पत्र जारी किए जाते हैं;

(ख) जन्म प्रमाण पत्र बनाने की क्या प्रक्रिया है, इसमें कौन–कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं;

(ग) इन दस्तावेजों का सत्यापन किसके द्वारा किया जाता है;

(घ) सत्यापन होने के बाद कितने दिन के भीतर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि जिला न्यायाधिश कार्यालय से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाने के मामले सामने आये हैं;

(च) यदि हां, तो ऐसे मामलों में दोषियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(छ) क्या पश्चिमी जिला न्यायाधीश कार्यालय में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनने की कोई शिकायत सरकार को मिली है;

(ज) यदि हां, तो उसका विवरण क्या हैं;

(झ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ञ) पश्चिमी जिला में जनवरी, 2016 से मई 2018 तक कितने जन्म प्रमाण बने हैं?

ekuuh; jktLo e=h ¼ (क) जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र जारी किये जाते है

1. सिविल डिफेन्स नामांकन प्रमाण पत्र
2. अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण पत्र
3. मूल निवास प्रमाण पत्र
4. ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र
5. जन्म एवं मृत्यु का विलम्बित रजिस्ट्रेशन ओदश
6. आय प्रमाण पत्र
7. सोलेवेन्सी प्रमाण पत्र
8. भुगतान बकाया वसूली
9. दिव्यांग प्रमाण पत्र
10. लाल डोरा प्रमाण पत्र
11. सर्वाइविंग मेंबर प्रमाण पत्र
12. विवाह पंजीकरण

(ख) जन्म प्रमाण पत्र, मुख्य पंजीकार (जन्म एवं मृत्यु) रा. रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के अर्न्तगत स्थानीय निकायों द्वारा जारी किये जाते है। तदनुसार प्राप्त सूचना के आधार पर जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 तथा दिल्ली जन्म एवं मृत्यु नियम, 1999 के अनुसार, जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया से संबंधित विवरण निम्न है:—

(अ)

(i) घर में होने वाले जन्म के लिए इस घर का मुखिया अथवा उसकी अनुपस्थिति में मुखिया का कोई नजदीकी रिश्तेदार जो घर में उपस्थित हो, जन्म के 21 दिन के भीतर सूचना संबंधित रजिस्ट्रार को जन्म रिपोर्टिंग फॉर्म संख्या—1 में प्रदान करे।

(ii) किसी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसूति या परिचर्या गृह या वैसी ही किसी संस्था में जन्म के बाबत, वहां का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित कोई प्राधिकृत व्यक्ति, सूचना संबंधित रजिस्ट्रार को जन्म रिपोर्टिंग फॉर्म संख्या 1 में प्रदान करें।

(iii) जेल में जन्म के बाबत, जेल का भारसाधक जेलर सूचना संबंधित रजिस्ट्रार को जन्म रिपोर्टिंग फॉर्म संख्या—1 में प्रदान करे।

(iv) किसी चावड़ी, छात्र, होस्टल, धर्मशाला, भोजनालय, वासा, पांथशाला, बैरक, ताड़ीखाना या लोक अभिगम स्थान में जन्म के बाबत, वहां का भारसाधक व्यक्ति, सूचना संबंधित रजिस्ट्रार को जन्म रिपोर्टिंग फॉर्म संख्या—1 में प्रदान करे।

(v) लोक स्थान में अभित्यक्त पाये गए किसी नवजात शिशु की बाबत, ग्राम की दशा में ग्रामणी या ग्राम का अन्य तत्स्थानी अधिकारी और

अन्यत्र स्थानीय पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर सूचना संबंधित रजिस्ट्रार को जन्म रिपोर्टिंग फॉर्म संख्या 1 में प्रदान करे। परन्तु कोई व्यक्ति जो ऐसे शिशु को पाता है या जिसके भारसाधक में ऐसा शिशु रखा जाए, वह उस तथ्य को उस ग्रामीण या पूर्वोक्त अधिकारियों को सूचित करेगा।

(vi) किसी बागान में जन्म की दशा में उस बागान का अधीक्षक संबंधित रजिस्ट्रार को सूचना जन्म रिपोर्टिंग फॉर्म संख्या 1 में प्रदान करे।

(ब) जन्म का विलम्बित रजिस्ट्रीकरण—

(i) ऐसे किसी जन्म का रजिस्ट्रीकरण जिसकी सूचना तदर्थ विनिर्दिष्ट अवधि (21 दिन) की समाप्ति के पश्चात् किन्तु उसके होने के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाये, वह 2 रुपये की विलम्ब फीस दिये जाने पर रजिस्ट्रीकृत की जायेगी।

(ii) ऐसे किसी जन्म का रजिस्ट्रीकरण जिसकी सूचना रजिस्ट्रार को उसके होने के 30 दिन के पश्चात् परन्तु एक वर्ष के भीतर दी जाती है, वह विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा से और विहित फीस (5 रुपये) दिये जाने तथा नोटरी पब्लिक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष शपथित शपथ—पत्र के पेश किये जाने पर ही रजिस्ट्रीकृत की जायेगी।

(iii) यदि किसी जन्म का उसके होने के एक वर्श के भीतर रजिस्ट्रीकरण नहीं कराया जाता है तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेंसी

मजिस्ट्रेट के आदेश पर और 10 रुपये की विलम्ब फीस दी जाने पर ही उसका रजिस्ट्रीकरण किया जायेगा।

(ग) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार इन दस्तावेजों का सत्यापन क्षेत्रीय पंजीकार द्वारा किया जाता है।

(घ) सत्यापन एवं पंजीकरण होने के बाद दिल्ली नगर निगम से तुरंत ही प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

(ङ) जी हां।

(च) और (छ) शिकायत पर प्राथमिक जांच में कुद अनियमिताए सामने आई हैं (प्रति संलग्न)* मामले की विस्तृत जांच जारी है, जिसमें निम्नलिखित कार्यवाई की गई हैः–

1. सभी 19 आवेदकों को नोटिस देकर सुनवाई की जा रही है।
2. संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
3. आवेदकों द्वारा दिये गये दस्तावेज की प्रमाणिकता की जांच संबंधित विभागों से कारवाई जा रही है।

जांच पूर्ण होने पर सभी दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जायेगी।

(ज) और (झ) उपरोक्त 'च' के अनुसार

(ञ) दिल्ली नगर निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार पश्चिमी जिला (पश्चिमी क्षेत्र, जन स्वास्थ्य विभाग) में जनवरी, 2016 से 29, मई 2018 तक 1,20,104 जन्म प्रमाण बनें है।

---

* www.delhi assembly.nic.in पर उपलब्ध।

31- lJh Hkkouk xkM+ % क्या ekuuh; jktLo e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्व रिकार्ड के अनुसार पालम विधान सभा अन्तर्गत कौन–कौन सी भूमि ग्रामसभा के अन्तर्गत आती है; भूमि के लैंडमार्क और खसरा सहित विवरण उपलब्ध कराएं;

(ख) क्या यह सत्य हे कि पालम विधान सभा क्षेत्र के ग्रामसभा का कुछ भाग रख–रखाव हेतु डीडीए को सौंप दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो स्थानांतरित भूमि का पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सत्य है कि पालम विधान सभा क्षेत्र की ज्यादातर भूमि पर अवैध कब्जे हो चुके हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या उन अवैध कब्जों के खिलाफ संबंधित विभागों द्वारा कोई कार्रवाई की गयी है; और

(च) यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है?

¼jktLo foHkkx ls mÙkj iklr ugha gqvkA½

32- Jh jkts'k xqIrk % क्या ekuuh; jktLo e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रामपुरा एसडीएम कार्यालय के लिए अलग से कोई एसडीएम नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है;

(ग) रामपुरा एसडीएम कार्यालय के लिए अलग से किसी एसडीएम की तैनाती कब तक होगी; और

(घ) रामपुरा कार्यालय के लिए वर्तमान अतिरिक्त एसडीएम कितना समय देते हैं, पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं?

ekuuh; jktLo e=h % (क) जी हां।

(ख) रामपुरा क्षेत्र जिला उत्तर पश्चिमी के सरस्वती विहार एस.डी.एम. के अन्तर्गत आता है। सरस्वती विहार एस.डी.एम. का अतिरिक्त कार्यभार अभी एस.डी.एम. रोहिणी द्वारा देखा जा रहा है।

(ग) एस.डी.एम. की तैनाती के लिए सेवा विभाग को कहा गया है तथा इसके शीघ्र तैनाती की उम्मीद है।

(घ) एस.डी.एम. रोहिणी सरस्वती विहार के अतिरिक्त कार्यभार के लिए यथा आवश्यक समय देते हैं।

33- Jh vk-ih- 'kek th % क्या ekuuh; jktLo e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2013 में तथा फिर वर्ष 2015 में दिल्ली सहित सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिये थे कि वे शीघ्रतिशीघ्र एसिड की बिक्री को लेकर 100 वर्षीय पुराने कानून के स्थान पर नया कानून लायें;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली में अभी भी विष अधिनियम 1919 लागू है;

(ग) क्या इस कानून के अन्तर्गत एसिड की अवैध रूप से खरीद व बिक्री पर एसडीएम द्वारा सजा का प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है?

ekuuh; jktLo e=h % (क) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेशों के द्वारा सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को निर्देश दिया था कि भारत सरकार के माडल नियम के आधार पर एसिड एवं संक्षारक पदार्थों की बिक्री नियंत्रित करने के लिए नियम बनाये।

(ख) विष अधिनियम, 1919 की धाराओं 2 और 8 के तहत Delhi Poisons Possession and Sale Rules, 2015, गृह विभाग, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार के द्वारा दिनांक 25.08.2017 को अधिसूचित किया गया था और इसकी प्रति विधान सभा के पटल पर रखने के लिए प्रेषित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) दिल्ली में विष अधिनियम 1919 के अन्तर्गत "Delhi Poisons Possession and Sele Rules 2015" जिसकी अधिसूचना दिनांक 25.08.2017 को हुई है लागू है जिसके प्रावधानों के उल्लंघन पर विष अधिनियम 1919 की धारा 4(2) के अन्तर्गत सजा का प्रावधान है।

34- Jh duZy nsosUnz lgjkor th % क्या ekuuh; jktLo e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कापसहेड़ा एसडीएम के अंतर्गत आने वाले राजस्व स्टाफ की छवि अत्यंत खराब है;

(ख) पटवारी/कानूनगो/तहसीलदार की तैनाती के संबंध में नीति क्या है; और

(ग) वर्तमान स्टाफ में से कितने कर्मचारी नियत समय से अधिक अवधि से अधिक अवधि से वहां तैनात हैं व कितने कर्मचारियों की वहां पुनः तैनाती की गई है;

ekuuh; jktLo e=h ¼ (क) राजस्व विभाग में ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) राजस्व विभाग में सामान्य तौर पर पद पर तैनाती एवं स्थानांतरण से संबंधित नीति, 2015 में तैयार की गई थी, जो संलग्न है।

(ग) दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट–1962 के अनुसार उपायुक्त अपने विवेकानुसार/आवश्यकतानुसार एक हल्के से दूसरे हल्के में नियत समय से अधिक अवधि में तैनात कर सकता है।

Office of the Secretary (Rev.) cum - Divisional Commissioner
Department of Revenue : Govt. of NCT of Delhi
5 Sham Nath Marg, Delhi-110054.

F.No. 7/41/GA/Estt./DC/2013/295 Dated:25/1/16

ORDER

Subject: Transfer policy for Revenue Department, GNCT of Delhi.

1. This policy shall cover the Revenue Staff viz. Sub-Registrar, Tehsildar, Naib-Tehsildar, Kanungo. Patwari & Bailiff and secretaiial staff viz. Superintendent, Head Clerk (HC), Upper Division Clerk (UDC), Lower Division Clerk (LDC) & Stenographer and driver.

2. The tenure oi a Sub-Registrar cannot exceed beyond 03 years in any Sub-Registrar office and his tenure as Sub-Registrar in his career cannot exceed beyond 05 years under any circumstances. There shall be a cooiing-off period of 05 years before the official can be considered for posting as Sub-Registrar again.

3. The tenure of a Tehsildar cannot exceed beyond 03 vears in anv Sub-Division of a District. His tenure as Tehsildar in one District cannot exceed beyond 05 years under any circumstances.

4. The tenure of a Naib Tehsildar cannot exceed beyond 03 years in any Sub-Division of a District. His tenure as Naib Tehsildar in one District cannot exceed beyond 05 years under any circumstances.

5. There-shall be three categories of Districts as given below:-

Sl. No.	Category	Districts
1.	Category - A	North, South & South-West
2.	Category - B	West, Central, North-West & New Delhi
3.	Category - C	North-East, East, Shahdara, South-East & HQ

An official shall be considered for posting in any one Category of Districts' again only after he/she has completed at least one tenure each in the other two categories. 6. The tenure of officials in the post of Kanungo, Patwari, Bailiff and Driver in one sub-division shall not exceed for a period of more than 03 years and shall not exceed a period of 05 years in any District of one category of District under any circumstances. No official shall again be posted in a Sub-Division where he/she had served earlier.

7. The District Magistrates shall transfer the ex-cadre officials of Kanungo, Patwari, Bailiff and Driver from one Sub-Division to another within a District to ensure that their stay in one sub-division does not exceed beyond 03 years.

8. The officials posted in districts manning the cadre posts of LDC, UDC, Head Clerk, superintendents and Stenographers shall have a maximum tenure of 03 years in one District. After completion of 03 years, they shall be transferred to another District.

9. The tenure of officials posted in Sub Registrar offices against the cadre posts of LDC, UDC and Head Clerk shall only be for a period not exceeding 03 years. Thereafter, they shall be posted in another District in an office other than Sub Registrar office.

10. No staff shall remain posted in the personal branches/cells for a period exceeding 03 years in one office and exceeding 05 years during his entire tenure in Revenue Department. No official shall be posted in a Personal Branch in diverted capacity basis under any circumstances. The officials posted in the personal branch in one district shall not be posted in the same category of personal branch i.e. DM, ADM & SDM as the case may be on transfer to another district and shall' be posted in a different category of personal branch on transfer.

11. Once the transfer orders from one District to another District is issued, the official shall be relieved, as soon as possible, but not later than 30 days

from the date of issue of transfer orders. They shall stand relieved after 30 days, if not relieved earlier, and no salary shall be paid to them from the District for the period of such overstay.

12. Once the transfer orders are issued from the Services Department, the officials posted as Suptd./Sub-Registrar/Tehsildar/ Naib Tehsildar shall be relieved as soon as possible but not later than 30 days from the date of issue of transfer order. They shall stand relieved after 30 days, if not relieved earlier, and no salary shall be paid to them from the District for the period of such overstay. 13. An officer/ official who is otherwise liable to be transferred as per the policy may not be transferred, if the officer/ official has less than 1 year of service left to superannuate. However, if the officer requests in writing for his/her transfer as per the transfer policy, he/ she may be considered for transfer as per the policy.

14. Female employees and Physically Handicapped/Challenged employees may be posted at a place nearer to their residences as far as possible.

15. The officials against, whom more than one penalties have been levied, or who have been issued charge-sheet by a competent authority, shall, noi be posted in sensitive offices like Sub Registrar-office, SDM Office, Marriage Registration branch, Caste Certificate Branch and Halka in Revenue Department or in the District where the incident was reported.

16. Transfers shall ordinarily be made once in a year, preferably, in the month of May except on promotion. However the first set of transfer will be made, as soon as this policy comes into force.

17. In order to implement the transfer policy effectively, an online Management Information System (MIS) will be put in place by the Revenue Department.

18. Notwithstanding the above conditions, the Appointing Authority of Revenue Department has the discretion to order transfer/ cancel of any employee at any time from one place to' another in the public interest/functional necessity.

This issues with the approval of Dy. Chief Minister-cum-Revenue Minister and the Services Department, GNCTD and comes into force with immediate effect.

(Devesh Singh)

Special Secretary (Rev) -cum-
Deputy Commissioner (HQ)

To,

1. The District Magistrates/ Additional District Magistrates/ Sub-Divisional Magistrates of all Revenue Districts.
2. All Sub-Divisional Magistrates (HQ), Revenue Department, GNCT of Delhi.
3. Deputy Controller of Accounts (HO), Revenue Department, GNCT of Delhi.
4. Sr. System Analyst (HQ), Revenue Department GNCT of Delhi for uploading the same on the website of the Department & developing MIS,

Copy forwarded to the following for information:

1. Divisional Commissioner, GNCT of Delhi

(DEVESH SINGH)

Special Secretary (Rev) -cum-

Deputy Commissioner (HQ)9

35- lJh jk[kh fcMyk % क्या ekuuh; flpkb ,o ck< fu;=.k e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के कुल कितने बरातघर है;

(ख) ये बरातघरों के निर्माण की तिथि, आबंटन की तिथि और किन संस्थाओं/एन.जी.ओ. को आबंटित किया गया है, इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) इन बरातघरों को आबंटित करने में किन–किन प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है, पूर्ण विवरण क्या है;

(घ) उपरोक्त बरातघरों के रख–रखाव की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ङ) क्या इनके रख–रखाव की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

ekuuh; flapkbZ ,oa ck<+ fu;a=.k ea=h % (क) मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा कुल आठ सामुदायिक हाल, (बरातघर) चौपालों का निर्माण कार्य किया गया है इनमें से छह निर्माण कार्य शहरी विकास विभाग, एक निर्माण कार्य एससी/एसटी विभाग, व एक निर्माण कार्य एससी/एसटी विभाग/विधायक को द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि से निर्माण कार्य किए गये हैं जिनका विवरण संलग्नक (क) में दिया गया है।

(ख) विवरण संलग्नक (क) में दिया गया है।

(ग) हस्तांतरण संबंधित विवरण संलग्नक (क) में दिया गया है।

(घ) उपरोक्त बरातघरों के निर्माण के लिए, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग मात्र कार्यकारी एजेन्सी थी। बरातघर की जगह का स्वामित्व दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड व ग्रामसभा के पास है, अतः बरातघरों के रख–रखाव के कार्य का उत्तरदायित्व भी उन्हीं का है।

(ङ) उपरोक्त।

(च) उपरोक्त।

l;yXud ¼d½

क्र. सं.	बरातघर का स्थान/ विवरण	कार्य की समाप्ति की तिथि	आबंटन/ हस्तान्तरण की तिथि	संस्था जिसे हस्तान्तरण किया गया	भूमि स्वामित्व	हस्तान्तरण की कारण/प्रावधान
1	2	3	4	5	6	7
1.	मंगोलपुरी के एम–ब्लॉक में सामुदायिक हाल (बरातघर) का निर्माण कार्य	30.04.2016	23.01.2018	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	भूमि स्वामित्व एजेंसी दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को हस्तान्तरण किया गया।
2.	मंगोलपुरी के एम–ब्लॉक में डबल स्टोरी सामुदायिक हाल का निर्माण कार्य	03.08.2016	23.01.2018	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	उपरोक्त
3.	मंगोलपुरी के एस–ब्लॉक में डबल स्टोरी सामुदायिक हाल का निर्माण कार्य	04.08.2014	19.08.2014	के.जी.एम. एजुकेशन सोसाइटी	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	हस्तान्तरण का प्रावधान माननीय क्षेत्रीय विधायक की सहमति/अनुशंसा पर किये गये है।
4.	मंगोलपुरी के सु सु का तालाब में डबल स्टोरी	20.08.2014	03.11.2014	ग्राम समिति	ग्राम सभा	उपरोक्त

	बरातघर का निर्माण कार्य					
5.	मंगोलपुरी के आर–ब्लॉक में सिंगल स्टोरी सामुदायिक हाल का निर्माण कार्य	16.05.2018	01.08.2014	आर डब्ल्यू/ एनजीओ	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	उपरोक्त
6.	मंगोलपुरी के बी सी ब्लॉक में डबल स्टोरी सामुदायिक हाल का निर्माण कार्य	28.06.2014	18.08.2017	करतल फाउन्डेशन	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	उपरोक्त
7.	मंगोलपुरी के क्यू ब्लॉक में डबल स्टोरी सामुदायिक हाल का निर्माण कार्य	20.08.2014	16.10.2014	स्मृद्धि एजुकेशन एंड चैरिटेबल सोसाइटी	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	उपरोक्तस
8.	मंगोलपुरी के डबल स्टोरी मोहल्ला वाली चौपाल को ढहाना व पुर्ननिर्माण का कार्य	03.02.2014	04.09.2014	आर.डब्ल्यू./ एन.जी.ओ.	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	उपरोक्त

36- Jh txnh'k i/kku % क्या ekuuh; lpuk vkj ik|kfxdh e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ्री वाई–फाई योजना की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) इस योजना को क्रियान्वित करने में क्या मुश्किलें आ रही हैं;

(ग) अन्ततः इस योजना को क्रियान्वित करने का दायित्व किस विभाग को सौंपा गया है;

(घ) इस योजना पर कब तक कार्य शुरू हो जायेगा;

(ङ) सरकार द्वारा इस हेतु कितना बजट आबंटित किया गया था; और

(च) अब तक उसमें से कितनी राशि व्यय हो चुकी है?

¼lpuk ,o ik|kfxdh foHkkx l mÙkj ikIr ugh gvkA½

37- duy noUn lgjkor % क्या ekuuh; mi e[;e=h यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौशल विकास केन्द्रों के संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई केन्द्र प्रस्तावित है;

(ग) विगत तीन वर्ष में पूरी दिल्ली में ऐसे कितने केन्द्र खोले गए हैं; और

(घ) इनका विधान सभा क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

mi e[;e=h % (क) सरकार का अगले वित्त वर्ष तक 25 विश्व स्तरीय कौशल केन्द्र खोलने का लक्ष्य है।

(ख) से (घ) जी नहीं। विश्व स्तरीय कौशल विकास केन्द्र विधान सभा क्षेत्र के अनुसार नहीं खोले जा रहे हैं। बल्कि जहां–जहां पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, वहीं पर यह खोले जा रहे हैं।

fo'k"k mYys[k ¼fu;e 280½

Ekkuuh; v/;{k% मैं 280 आरंभ कर रहा हूँ जितना भी हो सकेगा। श्री सिरसा जी।

Jh euftanj flag fljlk% धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ध्यान भारत सरकार की उस योजना की तरफ लाना चाहता हूँ जिसके तहत जो धार्मिक स्थल हैं, उनके ऊपर जो लंगर में, प्रसाद में रसद इस्तेमाल होती है उसके ऊपर कोई टैक्स न लगे, इसके लिए केन्द्र की सरकार ने प्रोविजन बनाया। अध्यक्ष महोदय, ये पंजाब के अंदर जो वेट लगती थी, तब ये हमारे वहाँ सरकार ने शुरू किया था कि जो गुरूद्वारा साहिब है; श्री हरमिंदर साहिब और दुर्ग्याना मंदिर और तीनों तख्तों के ऊपर जो भी रसद आती थी। अध्यक्ष महोदय, उसके ऊपर वेट रिफंड कर दी जाती थी। जीएसटी लगने के बाद वो प्रोसीजर खत्म हो गया लेकिन अभी पंजाब सरकार ने वापिस दोनों दुर्ग्याना मंदिर और श्री हरमिंदर साहब के ऊपर वो मान लिया और वापिस टैक्स करने की बात की।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से दिल्ली के हमारे वित्त मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ जो बंगला साहिब में, शीश गंज साहिब में नानक प्याऊ में हम लोगों को लंगर की व्यवस्था करते हैं, उस पर जो रसद आती है, उस रसद के ऊपर क्योंकि वो बाजार से खरीदनी है तो उस पर स्वाभाविक तौर पर टैक्स लगकर ही आना है। तो उसका तो कोई तरीका नहीं है कि बिना टैक्स के मिले लेकिन हमारा आपसे ये आग्रह है कि जो भी धार्मिक स्थान है दिल्ली के

अंदर चाहे मंदिर हैं, चाहे गुरूद्वारे हैं जो लंगर देते हैं, प्रसाद की सेवा करते हैं, उन पर जो रसद है, उसका टैक्स जो है, वो बाद में रिफंड किया जाये। जैसे केन्द्र सरकार ने ये स्कीम ले के आई है और उसी तरह मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ, दिल्ली के वित्त मंत्री जी को कि आप भी उसी उद्देश्य के साथ दिल्ली के इस बजट के अंदर कुछ या तो स्पेशल उसमें रख दें, एक हेड बना के अलग से क्योंकि शायद जीएसटी में तो आप भी नहीं उसको ले पाएंगे लेकिन एक नया हेड बनाकर, एक हेड क्रिएट करके और जो शर्तें आप रखना चाहते हैं, क्योंकि ये भी सही रहे कि उन लोगो को मिले जो लोग ऐसी सेवा कर रहे हैं। लेकिन हमारे गुरूद्वारों का जो पैसा... अगर वो टैक्स रूप में हम देते हैं, अगर आप हमें वापिस दे देंगें तो वो भी हमने उन्हीं पर लगाना है, श्रद्वालुओं पर लगाना है कोई लंगर और या लोगों को देने में हम कामयाब होंगे। तो मुझे लगता है कि मंत्री जी के हाव भाव से मुझे लगता है कि ये बात को मानने को तैयार हैं और मैं मंत्री जी, आपका तहे दिल से आभार भी व्यक्त करूँगा, खाली हमारी ही इच्छा नहीं है, पूरे धार्मिक स्थान ऐसा चाहते हैं, ऐसा हो जो टैक्स है, उसका वापिसी... तो आप से हम उम्मीद करते हैं, आप जल्दी इसका कोई रास्ता निकालें और जो जीएसटी है और आईएसटी सरकार ने क्योंकि आईजीएसटी सरकार ने अपना मान लिया है 52 परसेंट के आसपास वो अपना देने को तैयार हो गये हैं। आपके हिस्से तो 48 परसेंट आता है और वो बहुत बड़ा एमाऊंट भी नहीं है अध्यक्ष जी, लेकिन ये है कि भावना भी है और वो पैसा जो है, वो बाकियों में इस्तेमाल भी कर पाएंगे।

आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम दिल्ली के अंदर भी ये कानून लाने में कामयाब होंगे, धन्यवाद जी।

Ekkuuh; v/;{k% जरनैल सिंह जी।

Jh tjuSy flag% धन्यवाद, अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, नियम 280 के अंतर्गत मैं अपने क्षेत्र में बैटरी रिक्शा की संख्या के बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से जो ट्रैफिक में दिक्कत आ रही है, वो आपके समक्ष रखना चाहता हूँ।

अध्यक्ष जी, तिलक नगर का सर्कल हो या मेरे क्षेत्र में नजफगढ़ रोड पर और जितने चौराहे पड़ते हैं, उन सब पर बैटरी रिक्शा की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि जो ट्रैफिक निकल रहा है और ऊपर से कोई सिस्टम नहीं है कि वो कहीं भी खड़े हो जायें; तीन तीन लाइनें बना के पूरी रोड की रोड ही ब्लॉक हो जा रही है तो इस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आने जाने वाले लोगों को हो रही है। तिलक नगर चौक खास कर के कहूँगा जो गोल चक्कर है, रोजाना अंदर से कम से कम एक लाख लोग बाहर आते हैं जो पूरा का पूरा गोल चक्कर, बैटरी रिक्शा की वजह से जाम पड़ा रहता है। तो इसके ऊपर ट्रैफिक पुलिस को भी बोला गया है पर पुलिस का रवैया आपको मालूम ही है, वहाँ से कोई कार्रवाई हो नहीं पा रही तो मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा या किसी भी तरीके से कोई ऐसी व्यवस्था की जा सके जिससे वो बैटरी रिक्शा भी चले क्योंकि लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है उससे... और लोगों को दिक्कत भी न हो। धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

Ekkuuh; v/;{k% धन्यवाद श्री एस. के. बग्गा जी।

Jh ,l- ds- cXXk% अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 280 में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान बीएससी की तरफ दिलाना चाहता हूँ मेरी विधानसभा कष्ष्णा नगर विधानसभा में घोंडली गाँव, खुरेजी गाँव, जगतपुरी, गीता कालोनी, आराम पार्क, ब्रिज पुरी, गणेश पार्क, चन्दर नगर, कष्ष्णा नगर अनारकली,

बलदेव पार्क में बिजली की तारें बहुत नीचे लटक रही है। कई बार कहने पर भी बीएससी ने कोई काम नहीं किया। इससे इस इलाके के लोग काफी परेशान हैं पूरी विधानसभा में तारों के लटकने की शिकायतें आ रही हैं। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि ये समस्या का समाधान जल्दी करायें, धन्यवाद।

Ekkuuh; v/;{k% श्री महेन्द्र गोयल जी।

Jh egsUnz xks;y% धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे 280 के तहत बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्य मंत्री साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड का गठन किया। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सम्मानित सदन का ध्यान दिल्ली में बसी पुनर्वास कालोनियों की और आकर्षित करना चाहूँगा। दिल्ली शहरी आश्रय बोर्ड द्वारा... बहुत सी कालोनियाँ हैं, दिल्ली के अंदर बसाई गई हैं लेकिन इन ज्यादातर सभी कालोनियों को इस समय एमसीडी के अधीन कर दिया गया है। यहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाता। मेरे क्षेत्र के अंदर दो कालानियाँ पड़ती हैं; सरदार कालोनी और अमर ज्योति कालोनी। यहाँ की स्थिति काफी दयनीय है। एमसीडी को कार्य करने के लिए बोलते हैं; वो फण्ड का रोना धोना जारी रखते हैं कि हमारे पास कोई फण्ड नहीं है। हम दिल्ली शहरी आश्रय बोर्ड को बोलते हैं, वो कहते हैं कि हमने एमसीडी को दे दी। मैं सदन के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इन कालोनियों को या तो एमसीडी से वापिस ले लिया जाये या एक ऐसे बोर्ड का गठन किया जाये जिससे कि यहाँ पर विकास कार्य हो सके। वो भी इस देश के नागरिक हैं, इस दिल्ली के नागरिक हैं। वो भी सुविधाएँ चाहते हैं। एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच में रहकर वो लोग ना पिसें। मैं यही अनुरोध करूँगा कि माननीय मंत्री साहब से कि इस और वो ध्यान दें या किसी ऐसे बजट का प्रावधान रखें कि इन कालोनियों के अंदर आप ये बजट लगा सकें। मेरे कई

साथियों ने कहा कि आज शॉर्ट रखना तो मैं आपकी भावनाओं को देखते हुए क्योंकि सभी के प्रश्न बहुत जरूरी हैं, धन्यवाद।

Ekkuuh; v/;{k% बंदना कुमारी जी।

Jherh cnuk dqekjh% धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र शालीमार बाग में बहुत सारे पार्क हैं, लगभग पाँच से छः सौ के करीब पार्क हैं लेकिन आज सभी पार्क या तो एमसीडी के अंडर है या डीडीए के अंडर है और सभी पार्कों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इस तरह से बंजर भूमि हो गई उसकी... न घास है, न पेड़–पौधे हैं, न पानी की सुविधा, न लाइट तो जहाँ तक लाइट का सवाल है, तो कहीं–कहीं एमएलए फण्ड से हम लोग *हाई मास्ट लाइट, पाथ वे* लगा दिया, पाथ वे है तो कहीं एमएलए फण्ड से बना दिया लेकिन वहाँ मिट्टी और घास हम लगा ही नहीं सकते। एमएलए फण्ड से मिट्टी और घास लग नहीं सकती, हरियाली हो नहीं सकती।

उसी तरह से डीडीए पार्क हैं जितने भी, डीडीए पार्क की भी स्थिति यही है। वहाँ शौचालय बनी पड़ी है लेकिन उसमें न लाइट, न पानी, न कुछ भी व्यवस्था... तो अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से ये चाहती हूँ जो कि इस पार्क को किस तरह से डेवलप किया जाए। अभी समर वेकेशन है, सारे पेरेंटस आते हैं मेरे पास, सारे बच्चे आते हैं, ये कहने कि मैडम, खेलने कहाँ जाए, हम लोग कहाँ खेलें? न पार्क में झूले, कुछ भी... बहुत बुरी स्थिति हो गई है। और आज पूरा क्षेत्र चितिंत है और हम सब के साथ एक लिमिटेड फण्ड होता है, एमएलए फण्ड भी बहुत लिमिटेड है जिससे हम पार्क को डेवेलप नहीं कर पा रहे हैं। कहीं–कहीं सिर्फ क्योंकि डॉर्क जोन होने के कारण हाई मास्ट तो लगा लेते हैं, कहीं पाथ वे बना ले रहे हैं; एमएलए फण्ड से लेकिन आज हर पार्कों की स्थिति यही है जब कि

वहाँ पर साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं, कोई माली नहीं, कोई चौकीदार नहीं। माली सारे एमसीडी पार्षदों के घर की चौकीदारी में लगे हैं, कोई उनकी ड्राइवरी कर रहा है, कोई उनके घर के पोछा लगा रहा है, कोई उनके घर के गमले सजा रहा है लेकिन उनको पार्कों से कोई लेना देना नहीं है। कागजों में बहुत सारे माली की पेमैंट हो रही है लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर पार्कों में कहीं कोई काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। कूड़े का अम्बार लगा हुआ है। अधिकारियों से बात करें, वो कहते है, ''कूड़ा उठाकर हम कहाँ फेंके? हमारे पास जगह नहीं है।'' तो आज सबसे ज्यादा हमारे क्षेत्र के पार्कों की बहुत हालत खराब है। इस सदन के माध्यम से इसका कोई समाधान चाहती हूँ। मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, इसका कोई समाधान ढूढ़े। क्योंकि इतनी भरी गर्मी में बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, न बुजुर्ग निकल पा रहे हैं, न कोईकृ तो मैं आपसे और इस सदन से यही एक समाधान चाहती हूँ जो पार्कों के लिए कोई हम अलग से कोई ऐसा साधन बनाएं जो पार्कों की मेन्टेन हो सके। धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

Ekkuuh; v/;{k% धन्यवाद बंदना जी। श्री विजेन्द्र गर्ग जी।

Jh fotsUnz xxZ% धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शिक्षा से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया।

अध्यक्ष जी, दिल्ली में अनकों सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं, गवर्नमैंट ऐडिड स्कूल। इन स्कूलों का जो अध्यापकों का वेतन है, उसका 95 प्रतिशत दिल्ली सरकार वहन करती है। अध्यक्ष जी, कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिनको दिल्ली सरकार ने टेकओवर किया है, निश्चित रूप से उन स्कूलों की जो शैक्षणिक वातावरण में तो बहुत सुधार हुआ है दिल्ली गवर्मेंट के टेकओवर करने के बाद लेकिन जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन गवर्नमैंट ऐडिड स्कूल का, वो बहुत ही

दयनीय स्थिति में है। मैं अपनी विधान सभा की अगर बात करूँ तो मेरी विधान सभा क्षेत्र में न्यू राजेंद्र नगर में एक स्कूल है; विद्या भवन स्कूल, इस स्कूल में किसी समय एडमिशन लेने के लिए इतनी मारा–मारी होती थी जितनी किसी नामी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होती थी। मैं इस स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की दशा के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। स्कूलों के डेस्कों की हालत ऐसी है कि आए दिन बच्चों के कपड़े फटते हैं। अध्यक्ष जी, ये स्कूल कन्याओं का स्कूल है, गर्ल्स के लिए यहाँ पर एजुकेशन दी जाती है। क्योंकि डेस्क में जहाँ तहाँ कीलें निकली हुई हैं, हमारे कुछ साथियों ने स्कूल को नए डेस्क दिए तथा पुराने डेस्कों की मरम्मत भी कराई। मैंने अपने विधायक फण्ड से बच्चों के लिए स्कूल में झूले भी लगवाए परंतु फिर भी अभी बहुत से कामों की उस स्कूल में जरूरत है ताकि इस स्कूल का जो इफ्रास्ट्रक्चर है, वो बेहत्तर हो सके। मैं अपनी सरकार जिसने दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति लाई है, हमारी सरकार माननीय मनीष जी के नेतृत्व में, जिसकी प्रशंसा न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। तो मैं अपनी सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो गवर्नमैंट ऐडिड स्कूल हैं जिनको हमारी सरकार ने टेकओवर किया है, उनके इफ्रांस्ट्रक्चर की हालत में सुधार के लिए कुछ कदम उठाए जाएं ताकि उनको भी हम उसी तरह का वातावरण दे सकें जो आज हमने सरकारी स्कूलों में उत्पन्न किया है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।

Ekkuuh; v/;{k% श्री नरेश यादव जी।

Jh ujs'k ;kno% धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे मेरे क्षेत्र की समस्या को नियम 280 में उठाने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में महरोली टाउनशिप है उसमें चार यूजीआर बनने हैं और इसी सदन में इसी मुद्दे को मैं लगभग दो बार तो जरूर उठा चुका हूँ और

एक रजोकरी में यूजीआर बनना है। अध्यक्ष जी, अभी दो साल का समय भी सरकार के पास नहीं है और ये पहले दिन से हम लोग वादा करते हुए आ रहे है अपनी पब्लिक से कि हम ये पानी के जो यूजीआर हैं, ये कम्पलीट करा देंगे लेकिन महरोली के यूजीआर पर अध्यक्ष जी, अभी कोई भी प्रोग्रेस नहीं है ग्राउंड पर और रजोकरी का यूजीआर तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। जब भी पूछा जाता है... उसका टेंडर होना है, टेंडर के बाद वर्क ऑर्डर होना है, उसके बाद में उसका उद्घाटन होना है। तो अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन पर कुछ काम कराया जाए, स्टार्ट किया जाए एटलीस्ट।

इसके अलावा अध्यक्ष जी, कुसुमपुर पहाड़ी में लगभग 50 हजार की आबादी वहाँ पर रहती है। वहाँ पर टेंकरों से पानी की सप्लाई हो रही है और वो जो वहाँ के लोग हैं, वो अपने केन में भर–भरकर वो पानी रखते है और एक परिवार को सात दिन में पानी मिलता है अध्यक्ष जी। आप सोचिए कि सात दिन का पानी उनको स्टोर करना पड़ता है तो वहाँ पर उन लोगों की डिमांड थी कि एक पाइप लाइन डालकर और उनको सप्लाई की जाए।

इसके अलावा अध्यक्ष जी, किशन गढ़ गाँव में आज बिल्कुल पानी के लिए त्राहि–त्राहि है। अभी पीछे हाल ही में 'दिल्ली आज तक' पर भी न्यूज आई थी। वहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ। लोगों के पास में पानी नहीं है। गाँव बहुत पुराना गाँव है, पुश्तैनी गाँव है। उसमें भी बहुत बुरे हालात हैं।

इसके अलावा अध्यक्ष जी, साकेत जो कि 40 साल पुरानी कॉलोनी है, प्लान्ड सिटी है, अध्यक्ष जी, उसके अंदर पहले दो टाइम पानी आता था सुबह और शाम को लेकिन आज एमएनडब्लुएस के अंडर आने के बाद में एक टाइम पानी कर दिया गया, तीन घंटे की सप्लाई कहा जाता है लेकिन वहाँ पर एक– डेढ़ घंटे भी

सप्लाई नहीं आ रही। जो सप्लाई आती है उसका प्रेशर नहीं आ रहा। ये हालात है साकेत जैसे में जो कि प्लान्ड सिटी है।

इसके अलावा अध्यक्ष जी, बी–9 एलआईजी वसंत कुंज का एक डीडीए का पॉकेट है, उसमें लगभग 500 से ज्यादा फ्लैट्स हैं। उसमें पिछले लगभग दो–ढाई महीने से लगातार गंदा पानी आ रहा है। इन लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया है। बकायदा न्यूज आई है इसकी भी लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे।

इसके अलावा अध्यक्ष जी, मसुदपुर गाँव और मसुदपुर डेरी है। वहाँ की स्थिति भी पानी की बहुत ही दयनीय है। हमारे क्षेत्र में लगभग 40–50 ट्यूबवेल पास करा रखे हैं एडवाइजरी कमिटी से लेकिन उसके बाद में जो ट्यूबवेल करने की बात है, ये छः महीने पहले मैंने पास कराए थे लेकिन आज वो ट्यूबवेल हो ही नहीं रहे हैं। कभी कोई बहाना होता है कि टेंडर हो रहे है, सिंगल टेंडर आ रहा है, कभी बजट की बात है, किसी न किसी बहाने से, कभी कहते हैं कांट्रेक्टर नहीं है... एक ही कांट्रेक्टर है, कभी कांट्रेक्टर हमें बोलता है, ''जी, उसकी पेमेंट नहीं हुई।'' मतलब उसी में ही हम लोग घूम रहे हैं।

अध्यक्ष जी, आज महरोली विधान सभा के अंदर पानी स्थिति बहुत खराब है। आप लोगों ने भी न्यूज में देखा होगा, सदन के सभी सदस्यों ने देखा होगा कि 'आज तक' पर दो जगह के लिए काफी बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे वाइस चेयरमैन साहब, मुख्यमंत्री साहब से कि यहाँ की स्थिति सुधारी जाए।

अध्यक्ष जी, मैंने ये बात कई बार बोली है इस सदन में कि महरोली जो टाउनशिप है, उसमें बहुत पतली–पतली गलियाँ हैं। वहाँ पर टैंकर से भी सप्लाई

नहीं हो सकती और अगर वहाँ पर सप्लाई एक बार भी मिस होती है तो दुबारा वो सप्लाई मिलती है सात दिन के अंदर, ये हालात है।

कल मैं... डियर पार्क से सप्लाई होती है महरोली में, दो लाईनें हैं अध्यक्ष जी; ओल्ड महरोली लाइन और एक न्यू महरोली लाईन। वहाँ पर मैंने जाकर जब रजिस्टर देखे, उनके सारे चेक किए तो महरोली का पानी काटा हुआ था, बाकी जगह का नहीं काटा हुआ था। उन्होंने कहा दो एमजीडी पानी नहीं आया। तो दो एमजीडी पानी नहीं आया तो केवल महरोली का काटना तो गलत है अध्यक्ष जी। जहाँ–जहाँ भी सप्लाई जा रही है 5–5, 10–10 मिनट की सप्लाई अगर काट दी जाए तो चलो बराबर हो जाएगा और ये ऐसी जगह की सप्लाई काटी गई जहाँ पर टैंकर से सप्लाई नहीं है। वसंत कुंज एरिया है, वहाँ टैंकर जा सकते हैं और साकेत एरिया है, वहाँ टैंकर जा सकते हैं लेकिन महरोली के अंदर नहीं जा सकते।

अध्यक्ष जी, हाथ जोड़कर आपसे विनती है, मैं कई बार इस मुद्दे को उठा चुका हूँ अपने यहाँ पानी का, लेकिन अभी तक कोई किसी तरह की प्रोग्रेस नहीं हुई। बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने जो मेरी क्षेत्रीय समस्या उठाने का मौका दिया लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ अध्यक्ष जी, कि यहाँ पर जो मुद्दे उठाए जाते हैं, उसके ऊपर कुछ तो प्रोग्रेस हो, कोई तो ऐसी बात हो जिससे कि हमें ये लगे कि हम सम्मानित सदस्य हैं इस सदन के और यहाँ पर बोलने से कुछ कार्रवाई होती है। बहुत–बहुत शुक्रिया, अध्यक्ष जी।

Ekkuuh; v/;{k% श्री जगदीश प्रधान जी।

Jh txnh'k i/kku% धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिल्ली की अनऑथोराइज कॉलोनियों की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा मुस्तफाबाद के अंदर करीब 98 परसेंट अनऑथोराइज कॉलोनी हैं और पिछले तीन वर्षों से दिल्ली सरकार के निर्णय के अनुसार अनऑथोराइज कॉलोनियों में डूडा के द्वारा कार्य है, एमएलए फण्ड से किए जा रहे थे। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि 1917—18 के मध्य में डूडा को बंद करके यूडी डिपार्टमैंट से काम कराने के आदेश जारी किए गये। आज बड़ा दुःख है कि आठ महीने बीतने के बाद एमएलए फण्ड का एक भी टेंडर नहीं लग पाया है। जब भी अधिकारियों से संपर्क करते हैं तो यही बहाना लेते हैं कि फाइल यूडी डिपार्टमैंट में पड़ी है, अभी पॉलिसी तैयार नहीं हुई है। तो मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मंत्री जी यहाँ बतायें कि केवल मुस्तफाबाद विधान सभा के काम रुके हुए हैं... क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी यहाँ सत्ता पक्ष के साथी ने अनऑथोराइज कॉलोनियों में एमएलए फण्ड से कार्य न होने की बात नहीं कही है। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये केवल मुस्तफाबाद विधान सभा के लिए है या अन्य विधान सभा में भी है?

दूसरा, जो अनाधिकृत कॉलोनी हैं, जिनमें यूडी डिपार्टमैंट द्वारा काम किए जाते हैं, अनाधिकृत बस्तियों के फण्ड से, उनमें भी मेरे यहाँ दो साल से एक भी टेंडर नहीं लग पाया है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ और एडवांस में उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे से यदि कोई गलती हो गयी हो, तो उसे माफ करें और हमारे यहाँ फण्ड रिलीज करें। मैंने आपसे भी कहलवा लिया, डिप्टी सीएम साहब से भी कहलवा लिया और मंत्री जी से भी कई बार जाके मैंने रिक्वेस्ट कर लिया, हाथ तक जोड़ लिया, मैं हूँ काम करा दें मेरे यहाँ टोटल अनऑथोराइज कॉलोनी हैं, पर उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हो रहा है। मैं

आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि बदले की भावना न रखकर मेरे यहाँ विकास कार्य करायें जायें, धन्यवाद।

Ekkuuh; v/;{k% प्रवीण जी।

Jh i.oh.k dqekj% अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। अध्यक्ष जी, जो एक मेरा क्षेत्र है एसडीएमसी के अंदर आता है और एसडीएमसी के अंतर्गत जिस तरीके से 980 कर्मचारी इन्होंने कुछ साल पहले भर्ती किए थे, लेकिन एसडीएमसी ने यूज एण्ड थ्रो पॉलिसी अपनाके एसडीएमसी के कर्मचारी उठाके बाहर कर दिये गये और हायर एण्ड फॉयर पॉलिसी अपनाके जिस तरीके से मोदी सरकार ने पहले बताया था, जब आई थी कि 'नहीं होंगी बेरोजगारी की मार, अबकी बार मोदी सरकार।' लेकिन ये नौजवानों को और स्पेशियली दलित समाज के लोगों को सड़क पे लाने को आतुर हैं। एमसीडी में एसडीएमसी ने इस तरीके से वहाँ पे 980 कर्मचारियों को उठाके बाहर कर दिया है और वो कर्मचारी सड़क पे पिछले दस दिन से सड़क पे वहाँ पे कड़ी धूप में बैठे–बैठे आंदोलन कर रहे हैं। मैं भी उनके बीच गया था, उनकी बहुत जायज मांगे हैं और उनकी माँग पूरी होनी चाहिए।

मेरी सदन से गुजारिश है कि जिस भी तरीके से ये माँग को पूरी हो सकती है, कष्पया करके वो कमेटी में भी तलब करें उन अफसरों को और इस माँग को देखें और इस माँग को परखें और इस माँग को, इस ये सदन इन सारे भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ, जो कि इसमें ज्यादातर कर्मचारी जो हैं, दलित समाज से विलाँग करते हैं, तो इन सारे कर्मचारियों के साथ वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाके खड़े हों और इस मेरे इस प्रश्नों को कमेटी में रेफर करा जाये, शुक्रिया।

Ekkuuh; v/;{k% श्री विशेष रवि जी।

Jh fo'k"k jfo% जी धन्यवाद, अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा के अंदर एक ये महिला हैं, शेड्यूल कास्ट बैकग्राउंड से आती हैं, इनका नाम श्रीमती रीता है। इनकी शादी 2007 में हुई थी, 2017 में इनके हसबैंड का देहांत हो गया था। हसबैंड के देहांत होने के तुरंत बाद इनके घरवालों ने इस महिला को घर से निकाल दिया। तब से ये महिला अपने घर पर रह रही थी। इनकी बेटी की उम्र जब दाखिले की हुई और जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने गयी तो वहाँ पर स्कूल में उन्होंने उनसे एस.सी. सर्टिफिकेट माँगा। एससी सर्टिफिकेट लेने के लिए जब अपने ससुराल वालों से संपर्क किया इन्होंने तो उन्होंने मना कर दिया कि हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे। ये महिला खुद भी एससी हैं। अपनी बेटी के लिए जो शूड्यूल कास्ट लोगों को, इस समाज से आने वाले लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, इन सारी सुविधाओं से ये वंचित रहने वाली हैं, ऐसा लगता है इनके हिसाब से। एसडीएम आफिस में हमने पता किया कि अगर महिला वो शेड्यूल कास्ट है, उनके पिता शेड्यूल कास्ट हैं, पूरे परिवार के उनके कागजात हैं, तो आप उनके कागजात क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो उनका ये कहना है कि बेटी का या बच्चे का, किसी का भी शेड्यूल कास्ट सर्टीफिकेट बनना है तो उसके लिए हसबैंड का ही चलता है, माँ की साइड का नहीं चलता। तो सर, ये एक बहुत गंभीर समस्या है। इसी तरह से और लोग भी वहाँ पर आते हैं, जो बाकी लोगों के पास भी आते होंगे कि अगर हसबैंड ने छोड़ दिया, वो जिंदा है, हसबैंड ने छोड़ दिया और वो अपने घर पर है और माँ जो सिंगल इंडिपेंडेंट वूमेन है, वो अपने बच्चों को पाल रही है और वो एससी सर्टीफिकेट बनवाने जाती है तब भी उनका सर्टिफिकेट नहीं बनता है।

सर, मेरी आपसे प्रार्थना है, सदन के माध्यम से प्रार्थना है कि माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। ये महिला... इन्हीं की तरह

बहुत और बहुत सारी महिलाएं मजबूर हैं, जिनको अपना बच्चे का सर्टिफिकेट बनवाना है, उन सुविधाओं का लाभ लेना है, लेकिन वो नहीं ले पाती हैं, तो इस नियम में कुछ बदलाव किए जायें। अगर मंत्री जी के पास कोई जानकारी है इसको लेके तो वो भी सदन के सामने रख दें। नहीं तो मेरी प्रार्थना है कि इसमें इस नियम में बदलाव लाया जाये। अगर महिला भी एससी है, तो उनके बच्चों का सर्टिफिकेट उनके सर्टिफिकेट के द्वारा बनना चाहिए, धन्यवाद।

Jh egUn xk;y% मैं विशेष रवि जी की बात का समर्थन करता हूँ क्योंकि बच्चा जो जन्म लेता है माँ के पेट से लेता है और माँ यदि एससी/एसटी कोटे से आती है तो उसके आधार पे उसको उसका ये अधिकार मिलना चाहिए और ये सदन के अंदर प्रस्ताव है, आपके समक्ष है, मैं चाहूँगा कि यदि सदस्य सभी इसका समर्थन करेंगे तो शायद बहुत अच्छा रहेगा।

(सभी सदस्यों ने मेज थपथपाकर समर्थन किया।)

Ekkuuh; v/;{k% सदन में कुछ...

...(व्यवधान)

Jh egUn xk;y% इनका कुछ नहीं है। इसके मतलब ये सदस्य हमारे शायद या तो अनभिज्ञ हैं इससे... उनका बनना चाहिए।

Ekkuuh; v/;{k% महेन्द्र जी, गहलोत जी उत्तर दे रहे हैं।

ekuuh; jktLo e=h¼ Jh dyk'k xgykr½% माननीय अध्यक्ष महोदय...

Ekkuuh; v/;{k% गंभीर विषय हैं, वैसे इसपे...

ekuuh; e=h] Jh dyk'k xgykr% जी।

Ekkuuh; v/;{k% ये गंभीर विषय अगर ऐसा कुछ है...

ekuuh; jktLo e=h% अध्यक्ष महोदय जब ये 280 का सवाल के बारे में पता चला तो रेवेन्यू डिपार्टमैंट के कुछ आफिशियल्स क्योंकि ये सर्टिफिकेट रेवेन्यू डिपार्टमैंट द्वारा जारी किया जाता है तो इसके बारे में कुछ बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पायी। मतलब कौन से एक्ट के तहत हम ये सर्टिफिकेट इश्यू कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश मैं कर रहा था। इतना पता चल पाया कि ये सैण्ट्रल गवर्नमैंट का ऑर्डर है, जिसके तहत ये सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। लेकिन जो मुद्दा विशेष भाई ने उठाया, बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई भी बच्चा उस बेडलॉक के टाइम जन्म हुआ, इर्रेस्पेक्टिव कि उसके पिता उसके साथ हैं या नहीं हैं, किसी भी कारण से, चाहे उनका देहांत हुआ या डिवोर्स हुआ या सेपरेटेड हैं और इसमें जो भी उचित कदम उठाने पड़ेंगे, वो बिल्कुल उठायेंगे। अगर उसमें अमेंडमेंट... रूल्स में अमेंडमैंट करने पड़ेंगे, तो वो भी मैं लिखूँगा बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल बहुत गंभीर विषय है और ये बिल्कुल होना चाहिए, धन्यवाद।

Inu iVy ij iLrqr dkxtkr

Ekkuuh; v/;{k% चलिए। अब माननीय श्री सत्येन्द्र जैन जी, माननीय ऊर्जा मंत्री निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियाँ सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे:–

(क) दिल्ली विद्युत विनायमिक आयोग उपभोक्ताओं के शिकायतों के निवारण के लिए मंच और ऑम्बडमैन विनियम 2018 दिनांक 08 मार्च, 2018 के संदर्भ में दिल्ली राजपत्र अधिसूचना संख्या–3 दिनांक 09 मार्च, 2018 हिन्दी, अंग्रेजी प्रतियाँ; और

(ख) दिल्ली शहरी आश्रम सुधार बोर्ड का वर्ष 2016–17 का वार्षिक प्रतिवेदन अंग्रेजी प्रति, इससे पहले माननीय सत्येन्द्र जैन जी रखें।

मैं एक मिनट के लिए... एक पुस्तक सभी को वितरित की गयी है। पहला कदम है, हो सकता है कि कुछ गलतियाँ रहीं हों, ये कमेटियाँ हर साल ये पुस्तक प्रकाशित होगी। कमेटियों ने जो भी कार्रवाई की है, अध्यक्ष जरा संज्ञान में ले लें, वो कार्रवाई भी पिछले दो पेजों में, तीन पेजों में छापी गयी है और उसको भी पूरा इस वर्ष जो भी कमेटियाँ स्टेप उठायेंगी, उसमें इसको जगह मिलेगी। माननीय सत्येन्द्र जैन जी।

Jh egsUnz xks;y% एक हिन्दी कॉपी भी होनी चाहिए।

Ekkuuh; v/;{k% हाँ, आ रही है हिन्दी कॉपी भी आ रही है। आ रही है बिल्कुल आ रही है। माननीय सत्येन्द्र जैन जी।

Ekkuuh; ea=h] Jh lR;sUnz tSu% माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची के बिन्दु क्रमांक–3 में दर्शाये गये अपने विभाग से संबंधित निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति[1] सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँ:

क) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए मंच और ऑम्बडसमैन विनियम, 2018 दिनांक 08 मार्च, 2018 के संदर्भ में दिल्ली राजपत्र अधिसूचना संख्या– 03, दिनांक 09 मार्च, 2018 (हिन्दी–अंग्रेजी प्रतियां)

ख) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड का वर्ष 2016–17 का वार्षिक प्रतिवेदन (अंग्रेजी प्रति)

1.www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

Lkjdkjh ladYi ¼fu;e&90½

Ekkuuh; v/;{k% सरकारी संकल्प (नियम 90) माननीय उप–मुख्यमंत्री, श्री मनीष सिसोदिया जी संकल्प प्रस्तुत करेंगे। बेहत्तर जीवन गुणवत्ता के लिए दिल्ली की जनता के अकांक्षाओं की दृष्टिगत

Jh fotsUnz xqIrk% ...(व्यवधान)

Jh euftanj flag fljlk% ...(व्यवधान)

Ekkuuh; v/;{k% मैं अब इसके बाद, मैं... आप बैठिए, मेरे साथ कल हो सकता है... कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कल भी रखवा सकता हूँ, अभी क्यों आध ा–पौना घंटा उसमें खराब हो गया। अब मैं सदन को स्थगित नहीं कर रहा हूँ। मैं कल इसको आपसे, अभी इस सदन के बाद में बात करूँगा निश्चित रूप से। माननीय उप–मुख्यमंत्री जी।

Ekkuuh; mi eq[; ea=h ¼Jh euh"k flLkksfn;k½% अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 90 के तहत सरकारी संकल्प प्रस्तुत करने के लिए इस सदन की अनुमति चाहता हूँ।

Ekkuuh; v/;{k% यह प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हॉ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हॉ कहने पर)

हॉ पक्ष जीता, हॉ पक्ष जीता।

प्रस्ताव पारित हुआ।

माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय को संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। अब माननीय उप मुख्य मंत्री संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

ekuuh; mi eq[; ea=h ¼Jh euh"k fl lksfn;k½ अध्यक्ष महोदय, इस संकल्प को प्रस्तुत करने से पूर्व मैं इस संकल्प के संबंध में कुछ मूल बातें रखना चाहता हूँ सदन के समक्ष। देश की राजधानी दिल्ली है और दुनिया के सभी देशों में हर राज्य वहाँ कोई ना कोई शहर उसका नेशनल कैपिटल होता है। वहाँ की एक गवर्नेंस होती है, राष्ट्रीय परिदृश्य में भी वहाँ जो लोग रह रहे हैं, उनकी जरूरतों के परिदृश्य में भी। राष्ट्रीय राजधानियों में दुनिया भर में जो भी लोग रहते हैं, वो दुनिया के लोग होते हैं... अलग–अलग शहरों से दुनिया के देशों से भी आये होते हैं लेकिन राष्ट्रीय संदर्भ में देखें तो पूरे देश से आये हुए लोग होते हैं। कोई भी सरकार उनकी जरूरतों के ध्यान रखे बिना उनके लिए काम किए बिना अपने आप को डेमोक्रेटिक कहने का दंभ करे, अपने आपको कहे कि हम तो लोकतंत्र हैं और हम अपने देश की राजधानी में बैठे हुए लोगों के लिए बहुत ध्यान नहीं रखते हैं, उनको उनके डेमोक्रेटिक राइटस का ध्यान रखते हैं तो किस आधार पे कह सकती है? मैं कहना चाहता हूँ कि राजधानी में आज की तारीख में जो व्यवस्था लागू है, पूरे देश से आकर लोग रहते हैं कश्मीर से, कन्याकुमारी से, पंजाब, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब जगह से रहते हैं। उस राज्य में रहते हुए किसी एक व्यक्ति के वोट से चुनी हुई किसी वहाँ के राज्य के लोगों के वोट से चुनी हुई सरकार उस व्यक्ति के लिए वहाँ के लोगों के लिए जो कल्याणकारी जो डेवलपमेंट के काम कर सकती है और जिस अधिकार के साथ कर सकती है, वो अधिकार दिल्ली के वोटर के वोटर से बनी हुई सरकार के पास नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दुनिया में भारत ही एक मात्र देश नहीं है जहाँ किसी देश के पास राजधानी है और वहाँ आदमी रहते हों। दुनिया के हर

देश में राजधानी है और हर राजधानी में लोग रहते हैं और हर राजधानी में उस देश ने वहाँ अपने लोगों की सुविधा के लिए, विकास के लिए व्यवस्थायें कर रखी हैं। अब ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि गाजियाबाद में रहने वाला एक आदमी उससे उसके वोट से चुनी हुई सरकार के पास में उसके लिए काम करने के लिए ज्यादा शक्तियाँ हैं, दिल्ली में रहने वाला एक आदमी जो कि इस अपेक्षा में होता है, होना चाहिए कि मैं तो इस देश की राजधानी में रहता हूँ मेरे लिए तो और बढ़िया व्यवस्थाएं होनी चाहिए। दिल्ली में रहने वाले एक आदमी के वोट से बनी हुई सरकार के पास में और कम सुविधाएं हैं। गाजियाबाद वाले से भी कम हैं, गुड़गाँव वाले से भी कम हैं, फरीदाबाद वाले से भी कम हैं। मैं सिर्फ नियरिंग कह रहा हूँ कि दस किलोमीटर दूर आते ही सिटीजनशिप अधूरी कैसे हो सकती है। वोटिंग राईटस... मेरे वोट की पॉवर कम कैसे हो सकती है! ये बात थोड़ी सी थेयोर्टिकल लगेगी लेकिन हकीकत है जिन भी आप परिस्थितियों में 1993 में दिल्ली समेत चुनी हुई सरकारों ने काम करना शुरू किया, तब से लेके अब तक विभिन्न परिस्थितियाँ रहीं। मैं कई फाइलों में देखता हूँ, पिछले राज्य सरकारों ने हर पार्टी की सरकार रही है। यहाँ काँग्रेस की भी रही है, बीजेपी की भी रही है। अब आम आदमी पार्टी की सरकार है। हर राज्य की, हर पार्टी की सरकारों ने इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश की है, इस झंझट को झेला है कि जब वो कुछ करना चाहते हैं, वहाँ से एलजी साहब कुछ लिख देते हैं फिर सेंट्रल गवर्नमैंट से कुछ लिख के आ जाता है और उसकी वजह संविधान में किए गये प्रस्ताव में कहीं कोई खामी भी है लेकिन साथ–साथ इफेक्टिव इम्पलीमेंटेशन और मंशा में भी खामी है। सेम राज्य की सरकार, सेम पार्टी की सरकारें यहाँ रहीं वहाँ रहीं, मुझे नहीं पता, उनके बीच क्या वैस्टेड इंटरेस्ट थे। तब एक व्यवस्था चलती है, दूसरी पार्टी की सरकार आ गई तो दस साल पुराने कानूनों को निकाल–निकाल के कहा जाता है कि ये तो हो ही नहीं सकता।

मैं अब थोड़ा सा आपके समक्ष उदाहरण रखना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली और सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन से निकली जिसे दिल्ली की जनता ने 67 सीटस देके विधान सभा में भेजा, 70 में से। और उसकी प्रमुख माँग थी; आम आदमी पार्टी का जो मूल आंदोलन था; 'जन—लोकपाल बिल' पारित करना। हम जब सत्ता में आये तो आते ही जन—लोकपाल बिल पे काम करना शुरू किया। 'जन लोकपाल' बिल पे जब काम करना शुरू किया तो उसके कई सारे प्रोविज़ंस ऐसे रहे जिसमें ये आया, ''साहब ये तो सैंट्रल गवर्नमैंट से कराना पड़ेगा।'' यही सरकार अगर उत्तर प्रदेश में होती तो उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में बैठी हुई सरकार बिना केन्द्र पे निर्भर हुए अपने नागरिकों के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अच्छा सशक्त बिल पास कर सकती थी लेकिन यहाँ, कि साहब इसमें केन्द्र सरकार की मंजूरी लेनी जरूरी है क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था है। क्योंकि कानून में व्यवस्था है तो आज भी जन लोकपाल बिल इसलिए पास नहीं हो पाया क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। अगर आज दिल्ली पूर्ण राज्य होता तो जन लोकपाल बिल कभी का पास हो गया होता और उस जन लोकपाल की वजह से ये जो हम जितने भ्रष्टाचार के मसले यहाँ पे उठा रहे हैं ना, हमारे साथियों ने उठाये, ''साहब जमीन में घोटाले हो रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। विधानसभा में क्वैश्चन पूछ के भी... जवाब भी दे देंगे तो गोल—मोल दे देंगे। भ्रष्टाचार तो वहाँ चल ही रहा है। कई और चीजें हो रही हैं। मिड—डे मील की बात करते हैं, राशन की बात करते हैं हम 'डोर स्टेप डिलीवरी' की बात करते हैं, जिन इन सब चीजों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है ना, तीन साल हो गये इस सरकार को काम करते—करते, छः महीने में लोकपाल आ गया होता और आज लोकपाल पकड़—पकड़ के ऐसे तमाम अफसरों को जेल में डाल देता जो भ्रष्टाचार करने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं अभी। अगर आज

ये दिल्ली एक पूर्ण राज्य होता। अगर आज दिल्ली पूर्ण राज्य होता तो जन लोकपाल बिल दिल्ली के आम आदमी को इतनी मजबूती दे चुका होता कि दिल्ली में वो बड़े फख्र के साथ कहता कि मैं, मेरे राज्य में चपरासी से लेके और मुख्य मंत्री तक कहीं भी कोई भ्रष्टाचार करता है तो मेरी गारंटी है उसको जेल भिजवाना, मैं भिजवा दूँगा। आम आदमी कह सकता लेकिन आज दिल्ली का आम आदमी नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि पूर्ण राज्य नहीं है। उसका नुकसान ये है कि हम लोकपाल बिल पास नहीं कर सकते। लोकपाल बिल लागू नहीं कर सकते। जन लोकपाल बिल वो सैंटर के पास पड़ा हुआ है। आज सैंटर के पास अध्यक्ष महोदय...

...(व्यवधान)

Ekkuuh; v/;{k% भई, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए प्लीज। बैठिए, बैठिए। कपिल जी, बैठ जाइए आप। बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज। कपिल जी, बैठ जाइए। बैठ जाइए आराम से, बैठ जाइए।

Ekkuuh; mi eq[; ea=h % अध्यक्ष महोदय, दिल्ली से दिल्ली विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में...

...(व्यवधान)

Ekkuuh; v/;{k% बैठिए। अरे! क्यों उसके...

Ekkuuh; mi eq[; ea=h% अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा ने जो दिल्ली के लोगों की चुनी हुई विधानसभा है।

...(व्यवधान)

Ekkuuh; v/;{k% सौरभ जी, सौरभ जी माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं। सौरभ जी।

Ekkuuh; mi e|[; e=h% इस विधान सभा ने जो दिल्ली के लोगों की चुनी हुई विधान सभा है, इसने जन–लोकपाल बिल पास करके सैंटर के पास भेजा हुआ है।

...(व्यवधान)

Ekkuuh; v/;{k% माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं।

Ekkuuh; mi e|[; e=h% तो आज सिर्फ इसलिए क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है दिल्ली को जन लोकपाल बिल का लाभ नहीं मिल पा रहा लेकिन अगर पूर्ण राज्य होता तो छः महीने... सरकार बनने के छः महीने के अंदर–अंदर जन–लोकपाल बिल लागू हो गया होता और आज फख्र के साथ दिल्ली का हर नागरिक कह रहा होता कि आज दिल्ली में जीरो करप्शन है क्योंकि यहाँ जन लोकपाल बिल लागू हो गया है जिसके लिए दिल्ली ने और देश ने लड़ाई लड़ी थी।

इसी तरह अध्यक्ष महोदय, आम आदमी पार्टी जिस अवधारणा पे काम कर रही है; डिसैंट्रलाइज्ड मॉडल, आम आदमी को पॉवर मिले डिसिजन लेने कि, आम आदमी गवर्नेंस में रोजमर्रा की गवर्नेंस में भागीदारी करे। हमने यहाँ पे सिटीजन लेड फण्ड भी इस विधानसभा में पारित किया था इस उद्धेश्य के साथ की पूरे दिल्ली में मौहल्ला सभा बनाके उन मौहल्ला सभाओं को अधिकार दिया जायेगा कि वो अपने डेवलपमैंट फण्ड का इस्तेमाल करें। आज एक आम आदमी दिल्ली का छोटी–छोटी चीज के लिए... पार्क की रिपेयर करवानी है, नाली रिपेयर करानी

है, नाली साफ करानी है, सीवर साफ कराना है, बिजली का बिल बदलवाना है, इन सब छोटी–छोटी चीजों के लिए कहीं न कहीं जेई पे निर्भर रहता है, एक्सईन पे निर्भर रहता है। एमएलए को कहता है, एमएलए मंत्री को कहता है। सब कुछ सचिवालयों में और मुख्यालयों में कैद कर रखी है सारी पॉवर। वो निकल के दिल्ली के आम आदमी के पास जाती है। वो कहता भई, ये सीटिजन लैड फण्ड है, बैठके हम निर्णय ले रहे हैं सीटिजन बैठक, मोहल्ला सभाओं में निर्णय ले रहे हैं। इस बिजली के बल्ब को बदल दो, इस नाले को ठीक करा दो। वो स्वराज की व्यवस्था जो लागू होनी थी, मोहल्ला सभाओं की, वो सिर्फ इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उसमें एलजी साहब ने टाँग अड़ा दी। आज अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होता, आज अगर दिल्ली में एलजी के पास स्वराज की व्यवस्था में टाँग अड़ाने की पॉवर नहीं होती तो आज पिछले तीन साल से दिल्ली में मोहल्ला सभाएं इतनी एम्पावर हो गई होती, जैसे दुनिया के कई ओर देशों में काम कर रही हैं, आज दिल्ली में सीटिजन लैड फण्ड से लोग अपनी छोटी–छोटी चीजें बहुत आराम से करवा चुके होते। लेकिन क्योंकि पूर्ण राज्य का बीच में फच्चर लगा के एलजी के पास टाँग अड़ाने की पॉवर दे रखी है, एलजी कभी भी नहीं चाहते। क्योंकि केंद्र में बैठी हुई सरकार नहीं चाहती, केंद्र में बैठी हुई सरकार की पार्टी को लगता है कि अगर यहाँ स्वराज आ गया, अगर यहाँ स्वराज के तहत लोगों ने अपने काम खुद कराने शुरू कर दिए, छोटे–छोटे डवलपमैंट के काम खुद निर्णय लेके कराने शुरू कर दिए तो फिर तो हमारा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ईमानदारी से सरकार चल रही है; एजूकेशन पे काम कर रही है, सस्ती बिजली, पानी उपलब्ध करा रही है, निर्णय लेने की क्षमता लोगों में बढ़ा दी, फिर तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा इसलिए जानबूझ के वहाँ से टाँग अड़ाई जाती है और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आज दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली में दिल्ली की विधान

सभा के पास आज... अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे। ये कैसे हो सकता है कि कोई शिक्षा निदेशक या कोई शिक्षा सचिव किसी विधान सभा को ये लिख के दे दे कि हम ये नहीं बताएंगे कि दिल्ली सरकार में स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद खाली पड़े हैं। वो भी हवाला दे के कि ये तो साहब सर्विस मैटर है, एलजी साहब ने हमको मना किया हुआ है, सर्विस मैटर की जानकारी विधान सभा को नहीं दी जाएगी। स्कूलों में शिक्षकों की कितनी संख्या कम है। इसका सर्विस मैटर से क्या लेना–देना है? और ये विधान सभा क्यों नहीं पूछ सकती है किसी शिक्षा निदेशक या शिक्षा सचिव से? आज अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होता तो किसी एजूकेशन डायरेक्टर की, किसी एजूकेशन सेक्रेटरी की हिम्मत नहीं पड़ती कि विध ाान सभा को कह दे कि मैं नहीं बताऊँगा... हम नहीं बताएंगे।

अध्यक्ष महोदय, यमुना... यमुना पे काम होना है, डीडीए को काम करना है, अब डीडीए के क्षेत्र में डाला हुआ है। आज अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होती तो यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी, यमुना के साफ करने की जिम्मेदारी इस विधान सभा के प्रति अकाउंटेबिल होती और जो सिस्टम काम कर रहा है, वो यहाँ से ये विधायक मिलके यहाँ से करवा लेते इसको, ये सरकार मिलके यहाँ से करवा लेती इसको।

अध्यक्ष महोदय, आज हमें स्कूल खोलने होते हैं। हमने कहा स्कूल, उदाहरण देके बता रहा हूँ हमने कहा, ''दिल्ली में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चलाएंगे।'' मैंने कहा। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की हमने एक प्रस्तावना बनाई कि ये अलग तरीके के स्कूल होंगे जिसमें दिल्ली से सरकारी अध्यापक और कुछ गेस्ट अध्यापक या स्पेशल विजिटर्स, विजिटिंग अध्यापक, एक्सपर्ट अध्यापक लाके उनका एक मॉडल बनाएंगे और उसको एक सोसाइटी के रूप में चलवाएंगे जैसे केंद्रीय विद्यालय सोसाइटी से चलते हैं, एलजी साहब के यहाँ मंजूरी लेना हमारी मजबूरी है, उनकी

कन्करैंस लेना, उनकी कन्करैंस के लिए फाइल गई तो वहाँ से लिख के आया, ''इसका मतलब दिल्ली सरकार मान के चल रही है कि सरकारी स्कूल सिस्टम ठीक से नहीं चल रहा।'' अरे! ये तो पूरा देश मान के चल रहा है सरकारी स्कूल सिस्टम ठीक नहीं चल रहा। तभी तो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है इसमें, इसलिए इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। नहीं दी गई, अगर आज दिल्ली पूर्ण राज्य होता तो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जैसी चीजों पर एलजी साहब की यूं टाँग अड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। टाँग अड़ाने के उनके पास एम्पावरमैंट नहीं होता। मैं और उदाहरण बता रहा हूँ; 6—8 महीने के लिए इनकी सरकार रही दिल्ली में, केंद्र सरकार के अधीन रहा, इन्होंने आनन—फानन में एक उद्घाटन कराया, ईस्ट दिल्ली में, आईपी यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस का, पूरा फनफेयर के साथ में फोटो—वूटो छपे, बड़ी वॉल छपी, साहब आईपी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हो गया। हमें भी अच्छा लगा, ''चलो, ठीक है।'' किसको खराब लगेगा? हम कोई अच्छा काम करते हैं, सिरसा जी भी बताते हैं, भई स्कूलों में अच्छा काम हो रहा है। चलो, ठीक है। कॉलेज में अच्छा काम हो रहा है, ठीक है। हमें भी अच्छा लगा, लेकिन जब सरकार में आए हमें लगा ईस्ट देहली को एक अच्छा प्राँगण मिल जाएगा, ईस्ट देहली को एक अच्छा कॉलेज प्राँगण मिल जाएगा। यहाँ पे बच्चे पढ़ा करेंगे। तो पता चला कि सिर्फ उद्घाटन का माइल स्टोन है अभी तक आईपी यूनिवर्सिटी के पास में तो छोड़ दो, दिल्ली सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के पास भी उसकी जमीन नहीं दी गई थी। अब उसको दो साल लगे हमें इस बात में खतो—खिदाबत करते हुए जिसका उद्घाटन तत्कालीन एलजी साहब और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जी कर गई, उसके उद्घाटन के बाद उस विश्वविद्यालय के पूर्वी कैंपस के लिए, पूर्वी दिल्ली कैंपस के लिए जमीन लेने में मुझको दो साल लगे। डीडीए लिखता रहा, ''नहीं साहब, जमीन तो खरीदनी पड़ेगी।'' हमने कहा, ''ठीक है जी, खरीद लेते हैं, पैसे दे देते हैं।'' पैसे देने के

बावजूद जमीन लेने में दो साल लगे हैं जबकि उसका उद्घाटन पत्थर, राष्ट्रपति शासन के दौरान लगा दिया गया, शिलान्यास कर दिया गया। ये सब क्या है? ये सब, ये बता रहा है कि अगर चुनी हुई राज्य सरकार, मंशा से काम कर रही है। हमको इस बात से कोई गुरेज नहीं था। भई, शिलान्यास क्यों कर दिया? करना चाहिए, सरकार अगर कोई शुरूआत कर रही है, उन्होंने बजट रखा होगा, उन्होंने कर दिया। लेकिन उससे चार कदम हम आगे आए, अब हमने कहा, ''आगे बढ़ाते हैं।'' तो पता चला, जमीन ही नहीं है। जमीन लेने–लेने में दो–ढ़ाई साल लग गए। क्योंकि एलजी साहब और डीडीए दोनों बैठे हुए हैं और डीडीए का तो काम सब लोग बताते हैं। आजकल मुझे कई लोग कहते हैं... मैं जाता हूँ: 'डीडीए इज नोट अ लैंड डेवलमैंट एजेंसी, इट ए टिपिकल ओथराइज कॉन्सीटयूशनल प्रोपर्टी डीलर इन देहली। जो कुल मिलाके प्रोपर्टी माफिया का काम करता है। तो अगर आज दिल्ली में ये जमीन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो दिल्ली में अगर पूर्ण राज्य होता और वो दिल्ली सरकार की जमीन होती, दो दिन में ट्रांस्फर करा देते, ढ़ाई साल लगा, उसको पैसे देके डिपार्टमेंटस से जमीन लेने में। तो ये इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आम दिल्ली के, आम आदमी को पूर्ण राज्य पूर्ण राज्य, पूर्ण राज्य तो एक शब्द है लेकिन पूर्ण राज्य की व्यवस्था नहीं होने का दिल्ली के एक आम वोटर को, दिल्ली के एक आम आदमी को क्या नुकसान हो रहा है, मैं थोड़ा–सा उसपे संज्ञान डालना चाह रहा हूँ, अपने संकल्प प्रस्तुत करने से पहले। हमें हजार मोहल्ला क्लीनिक बनानी थी, अब कोई सड़क कहीं है, सड़क के किनारे बनना है, इनके पास बहुत सारी जमीनें इन्होंने छानी, इन्होंने इंजिनियर्स भेज–भेज के जमीनें छाँट ली, खूब जमीनें देखी लेकिन उन जमीनों पे मोहल्ला क्लीनिक बनाने के लिए मंजूरी कहॉ से लेनी है, ''जी, एलजी साहब के यहाँ से।'' वो किसी ने एक उठा के शिकायत कर दी कॉग्रेसी ने, नाम लेना भी ठीक नहीं है। जब उसकी कोई सीट ही नहीं है तो उसका नाम ही क्या लें यहाँ पे? शिकायत कर दी,

''साहब बहुत भ्रष्टाचार है, मोहल्ला क्लीनिक में।'' ''चलो जी, जाँच करा लो।'' पर मोहल्ला क्लीनिक थोड़ा बंद कर रहे हो। आज बहुत सारे आईएएस भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अपने आईएएस के पद खत्म कर दिए क्या? अगर मोहल्ला क्लीनिक में भी भ्रष्टाचार था, ''जाँच करा लो।'' पर मोहल्ला क्लीनिक का प्रोजैक्ट रुकवाने के मकसद से किसी अपने मित्र से शिकायत करवा ली। फिर फाइल रख के बैठ गए और फिर मोहल्ला क्लीनिक के प्रोजैक्ट को पास करवाने के लिए, उसको आगे बढ़वाने के लिए तमाम विधायकों ने धरना दिया, जा के तब उस प्रोजैक्ट से आगे बढ़ा... वहाँ से एलजी हाउस से बाहर निकल के आया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज पूर्ण राज्य होता, तो एलजी साहब के पास तो फाइल जाने की जरूरत ही नहीं थी। आज दिल्ली की चुनी हुई सरकार, स्वास्थ्य मंत्री और जो भी कन्संर्ड मिनिस्टर थे, वो तय करके नीचे से कर देते, मोहल्ला क्लीनिक आज बन गई होती। आज हजार मोहल्ला क्लीनिक अगर ढ़ाई साल, तीन साल बाद भी नहीं बन पाई हैं, उनमें से कितनी काम कर रही है अभी? 164 काम कर रही है, हजार मोहल्ला क्लीनिक काम करने लगती 6 महीने... एक साल के अंदर–अंदर अगर पूर्ण राज्य होता।

अध्यक्ष महोदय, हम सीसीटीवी लगाना चाह रहे हैं पब्लिक प्लेसेज में, आरडब्ल्यूएज ने अपने पैसे खर्च करकर के सीसीटीवी लगवा रखे हैं, हर मोहल्ले में, मतलब... छोटे से छोटे मोहल्ले में भी अगर आरडब्ल्यूए है तो सबसे पहले काम बेचारे वो ही करते हैं, ''जी चोरी–चकारी रोकने के लिए, चैन स्नैचिंग रोकने के लिए, सीसीटीवी लगवा दो। कम से कम पता तो चल जाएगा।'' अपने पैसे से बेचारे करके लगवा रहे हैं चारों तरफ, दिल्ली सरकार से, एमएलए से मिलते थे। हमने कहा, ''जी सरकार भी लगवा सकती है ये तो।'' हमने कहा, ''जी, हम सीसीटीवी लगवा देंगे।'' हमने बजट भी रख दिया, इस विधान सभा ने बजट पास

भी कर दिया। सरकार ने काफी स्क्रूटनी करके एक आध बार टैंडर इधर–उधर हुआ, फेल हुआ, फिर टैंडर भी कर दिया, कंपनियाँ भी आ गईं। अब कंपनी को ये कहना था, ''भई सीसीटीवी लगाना शुरू कर दो, आरडब्ल्यूए से बात करो, वहाँ के लोकल पुलिस वालों से बात करो, महिलाओं से बात करो और सीसीटीवी लगाना शुरू कर दो।'' वर्क अवार्ड करना था, वर्क अवार्ड करने की जैसे ही पता चली, फिर लगाया, दिल्ली में सीसीटीवी लग गए तो एक तो ये सरकार पॉपुलर हो जाएगी। दूसरा, कई तरह के काले धंधे में इनके अपने जो लोग लगे हुए हैं, वो भी पकड़े जाएंगे। अब तो सरकार के ऑथराइज सीसीटीवी लगेंगे चारों तरफ। तो बहुत तरह के खतरे थे इनको। कई तरह के काले धंधों में लगे रहते हैं। सीसीटीवी सिर्फ इसलिए नहीं रोके जा रहे कि आम आदमी की सरकार का कोई पॉपुलर काम रोकना है, बल्कि इसलिए भी रोके जा रहे हैं कि अगर पूरी दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के कहने पर, आरडब्ल्यूएज के कहने पे सीसीटीवी लग गए तो उसके बाद इनके कई नेता और कई इनके अपने–अपने लोग काले कारनामे करते हुए पकड़े जाएंगे उन सीसीटीवी में। तो तुरंत एलजी साहब ने एक सीसीटीवी समिति का बहाना बना के कि साहब एसओपी बनाएंगे हम तो। वो एसओपी बनाने के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया, एसओपी का मतलब है कि अब सीसीटीवी नहीं लगने हैं क्योंकि एसओपी का मतलब है एक एसडीएम परमिशन देगा, लाइसेंसिंग देगा, एसओपी का मतलब है सो जाओ.... एसडीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। आरडब्ल्यूएज तक को एसडीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी अब आगे आने वाले समय में। मैं सुन रहा हूँ... अखबार में पढ़ रहा था मैं।

तो मैं कहना चाह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, अगर आज दिल्ली पूर्ण राज्य होता तो सीसीटीवी कब के लगने शुरू हो गए होते। नहीं लग पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि एलजी साहब के पास पॉवर दे रखी है। हर चीज में एलजी साहब के पास

पॉवर दे रखी है और एलजी का काम... एलजी का एकमात्र काम ये है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामों को रोकना कैसे हैं। एलजी के पास और कोई काम नहीं है। पिछले तीन साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए। दिल्ली की चुनी हुई सरकार अगर कुछ पब्लिक इन्ट्रेस्ट में काम कर रही हो, उसको रोकना कैसे है। उसमें चाबी कैसे घुमानी है, उसमें अफसरों को बुलाकर कैसे हड़काना है, ''तुम काम कैसे कर रहे हो?''

तो ये दिल्ली मैट्रो के प्राइसिंग का मसला उठा। दिल्ली में बसेज हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम सब चाहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़े। दिल्ली के लोगों के टैक्स के पैसे से दिल्ली मैट्रो बन रही है। अब उसमें किराया कितना हो, ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार को तय करना चाहिए। चुनी हुई सरकार के पास ये पॉवर होनी चाहिए कि वो सरकार तय कर सके कि किराया कितना होगा ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा दिया जा सके। लोग कारों की जगह मैट्रो में चलना पसंद करें। लेकिन नहीं, दिल्ली मैट्रो का प्राइस भी अलग से तय होगा उसमें भी बढ़ा दिया गया। चुनी हुई सरकार के मना करने के बावजूद, बार–बार मना करने के बावजूद मैट्रो का किराया बढ़ा दिया गया। दिल्ली वालों के ऊपर बोझ डाल दिया गया। आज दिल्ली में पूर्ण राज्य होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी जो दिल्ली में मैट्रो का किराया बढ़ा देता। यहाँ से पूर्ण राज्य की डिमांड उठती है। पूर्ण राज्य इसलिए नहीं कि किसी मुख्यमंत्री के पास ज्यादा पॉवर आ जाए, मंत्री के पास ज्यादा पॉवर है। पूर्ण राज्य इसलिए कि दिल्ली के लोगों के पास पॉवर आ जाए कि उनकी चुनी हुई सरकार उनकी मैट्रो का किराया बढ़ने से रोक सके। उनकी चुनी हुई सरकार उनके लिए इन्टरेस्ट में काम कर सके। वूमेन्स सिक्योरिटी फोर्सेज बनाई गई थी लेकिन तुरंत दिल्ली पुलिस ने टाँग अड़ाई, ''नहीं–नहीं, इससे दिल्ली पुलिस को कॉन्फ्लैक्ट हो जाएगा।'' बाकी राज्यों में भी पुलिस के

सहयोग के लिए बहुत सारे दल बनाती हैं सरकारें... काम करते हैं। क्योंकि पुलिस की अपनी सीमा है, पुलिस के काम करने के... पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन से लेकर लॉ एण्ड ऑर्डर से लेकर सिक्योरिटी तक। लेकिन जब जैसे–जैसे उसके आगे और पेरलल दल बनाते हो आप, पैरा पुलिसिंग, पैरा फोर्सेज बनाते हो और मदद मिलती है उनसे। महिला सुरक्षा दल बनाने का एक प्रयास शुरू हुआ था। उसको सिर्फ इसलिए फेल कर दिया गया क्योंकि दिल्ली पुलिस तो साहब, चुनी हुई सरकार के अंडर में नहीं आती, आप कैसे महिला सुरक्षा के बारे में बात कर सकते हो? ''क्यों नहीं कर सकते भई?'' ''क्योंकि पूर्ण राज्य नहीं है।'' अगर पूर्ण राज्य होता तो आज दिल्ली की हर विधानसभा में दिल्ली के कोने–कोने में जो महिला सुरक्षा दल का प्रयोग किया गया था, वो पूरी तरह से इंप्लीमैंट हो चुका होता। लेकिन नहीं करने दिया गया क्योंकि पूर्ण राज्य नहीं है दिल्ली। इसी विधानसभा ने गेस्ट टीचर्स के ऊपर एक बिल पास किया था; बार–बार गेस्ट टीचर की माँग उठती है। ये अनैतिक है, अमानवीय है कि किसी व्यक्ति को हम उसकी योग्यता के आधार पर पहले चुनें, कान्ट्रैक्ट पर रखें, उसका शोशण करें और जब उसकी सरकारी नौकरी पाने की उम्र निकल जाए, पाँच साल बाद, आठ साल बाद, दस साल बाद, अचानक हम कहें, ''नाउ यू गेट लॉस्ट। अब भागो यहाँ से।'' अब हम दूसरे लोगों को रखना चाहते हैं। अब तुम कम्पिटिशन देकर आओ। लेकिन तुम्हारी उम्र निकल गई, अब हम तुम्हें कम्पिटिशन भी नहीं देने देंगे। हम तुम्हारे अनुभव का कोई... आज तक वो आदमी पढ़ा रहा है लेकिन जब हम कहते हैं, ''साहब, उसको वेटेज दे दो, उसको पढ़ाने का अनुभव है।'' कह रहे, ''नहीं, देने देंगे।'' अगर आज दिल्ली में पूर्ण राज्य होता तो दिल्ली के हजारों गेस्ट टीचर कब के परमानेंट हो गए होते। ये एलजी साहब को टाँग अड़ाने का कोई अधिकार नहीं मिलता उनको। ये बात–बात में एलजी साहब टाँग अड़ा देते हैं।

अनऑथोराइज कॉलोनीज... दिल्ली सरकार ने सरकार बनने के तीन महीने के अंदर–अंदर अनऑथोराइज कॉलोनीज को रेगूलराइजेशन के लिए एक ड्राफ्ट रेगुलेशन गवर्नमैंट ऑफ इंडिया को भेजा था, अध्यक्ष महोदय। तीन साल बीत गए, वो अभी तक कंसीड्रेशन में ही है। क्यों भारत सरकार की मंजूरी की जरूरत पड़ रही है इसमें? अगर आज दिल्ली पूर्ण राज्य होता तो अनऑथोराइज कॉलोनीज का रेगुलर करने का वो ड्राफ्ट अब तक अमल में आ गया होता और अनऑथोराइज कॉलोनीज का रेगूलराइजेशन का काम शुरू हो गया होता। सरकार बनने के तीन महीने के अंदर–अंदर अनऑथोराइज कॉलोनीज को रेगूलराइज करने का ड्राफ्ट्स इस सरकार ने बनाकर भेजा था सेंट्रल गर्वमैंट के पास। सेंट्रल गर्वमैंट का कोई इन्टरेस्ट ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। सेंट्रल गवर्नमैंट को पूरे देश को एक बर्ड व्यू से देखना... सेंट्रल गवर्नमैंट के पास कायदे में ये समय हो ही नहीं सकता है। मैं कैसे अपेक्षा करूँ कि देश के अर्बन डेवलपमैंट मिनिस्टर के पास में इतना समय होगा कि वो करोल बाग की या शकूर बस्ती की या किसी भी इलाके की जगदीश प्रधान जी की विधानसभा की किसी मौहल्ले की ऑथराइज/ अनऑथोराइज कालोनी होने पर निर्णय लेने के लिए उसके पास समय क्यों हो? वो देश का यूडी मिनिस्टर है, उसके पास में देश के डेवलपमैंट के बड़े काम होने चाहिए। अनऑथोराइज कॉलोनी वो भी मतलब हम में से सारे लोगों की विधानसभा में कहीं न कहीं छोटे... नितिन की में है, ओखला में है, सब में है। राजेन्द्र गौतम जी की विधानसभा में है। खूब सारी अनऑथोराइज कॉलोनीज हैं। सीमापुरी की किसी गली... अनऑथोराइज बुराड़ी, किराड़ी दोनों है। बुराड़ी उधर है किराड़ी इधर है। तो सीमापुरी की किसी अनऑथोराइज छोटी सी गली में... उसको ऑथोराइज करने का, बने मकानों को ऑथोराइज करने का... ये काम देश के अर्बन डेवलपमैंट मिनिस्टर के हिस्से में क्यों होना चाहिए? इसमें तो इनप्रिंसिपल फ्लॉ है। कहाँ होगा उसके पास समय? ये तो ऐसे है, जैसे नाली खड़ंजे का

बनाने का काम हम प्रधानमंत्री जी को दे दें। मतलब... लेकिन ये लोकतंत्र की गर्वनेंस की व्यापक खामी है। मैं ये सोचूँ कि बुराड़ी के नाली खड़ंजे ठीक करने का काम... किराड़ी में किसी नाली में सीवर जाम हो गया, वो सीवर ठीक कराने का काम प्रधानमंत्री जी को दे दिया जाए। क्यों दे दिया जाए भई? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री हैं। अर्बन डवलपमैंट मिनिस्टर, यूनियन अर्बन डेवलपमैंट मिनिस्टर हैं। उनका काम देश के शहरों का सार्वभौम विकास होना चाहिए, सार्वजनिक विकास होना चाहिए। उनका एक व्यू प्वाइंट बनना चाहिए पूरे देष में नगरीकरण का काम, सौन्दर्यकरण का काम कहाँ वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे खड़ा हो जाकर, उसमें राज्य सरकारों की मदद करना होना चाहिए। लोकल गवर्नमैंट की मदद करना, होना चाहिए। उनका काम ये हो जाए कि वो तय करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। ये गवर्नेंस में फ्लॉ है, ये गवर्नेंस की सोच में फ्लॉ है। जिसने भी ये सोचा, जहाँ भी ये सोचा गया... पर उसका दोष नहीं है। आज इसके बदलने की जरूरत है। ये संभव ही नहीं है.... और सिर्फ यूडी का बात नहीं है। हम पूरी दिल्ली के रिप्रेजेंटिव यहाँ बैठे हैं। विजेन्द्र गुप्ता जी की विधानसभा में किसी गाँव में किसी कालोनी में कोई सेक्सुअल हरॉसमैंट का इश्यू होता है, कोई महिला आरोप लगाती है या कुछ घटना घटती है। उसके ऑथोरिटी जाकर होम मिनिस्टर पे जाकर टिके एकाउंटेबलिटी की, ये तो वैसे ही ठीक नहीं है। देष के होम मिनिस्टर के पास में इतना समय... हम कैसे परिकल्पना में ला सकते हैं कि वो रोहिणी के किसी मौहल्ले में किसी अपार्टमैंट में होने वाले सेक्सुअल हरॉसमैंट तक का ध्यान रख लेंगे। संभव ही नहीं है, कैसे हो सकता है? देश के होम मिनिस्टर को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की बहुत सारी समस्याएं हैं। नक्सलवाद की समस्या है, उग्रवाद की समस्या है, आतंकवाद की समस्या है। बीएसएफ से लेकर सीआरपीएफ तक तमाम फोर्सेज उनके पास में हैं। दिल्ली पुलिस की एकाउंटेबलिटी वो भी इस मामले में कि दिल्ली के किसी छोटी सी गली में होने वाली किसी महिला के साथ

एक बड़ी सी घटना पे होम मिनिस्टर साहब संज्ञान लेंगे, कैसे हो सकता है ये? ये तो अनहोनी है। नहीं होने वाली बात है। भगवान को भी आप होम मिनिस्टर बना दोगे, वो भी इतना इफैक्टिव कैसे होगा कि वो दिल्ली पुलिस के वो जो छोटे–छोटे मेटर्स हैं, उनको एकाउंटेबल कर ले। वैसे तो होम मिनिस्टर देश का होम मिनिस्टर है चाहे लखनऊ में कोई क्राइम हो रहा हो बड़ा, चाहे दिल्ली में कोई ऐसा क्राइम हो रहा हो, कोई अंतर्राष्ट्रीय रेकेट काम कर रहा हो। होम मिनिस्टर की बहुत ऑथोरिटीज बनती है, हम उससे मना नहीं कर रहे, वो तो वैसे भी बनती है लेकिन किसी मयूर विहार में, किसी गली में होने वाली चैन स्नैचिंग की घटना पर कोई सोचेगा, ये एकाउंटेबलिटी किसके प्रति है जो होम मिनिस्टर के प्रति है। पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, किसको जाकर कहे आदमी? होम मिनिस्टर को जाकर कहेगा? मेरे जैसा आदमी सोचेगा, यार! होम मिनिस्टर के पास में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक तमाम वैसे ही समस्याएं हैं। चैन स्नैचिंग की घटना पर मैं क्यों... फिर सोचूँ, ''होम मिनिस्टर काम नहीं कर रहे।'' पर अगर आज दिल्ली में दिल्ली के होम मिनिस्टर के पास में ये अधिकार होता, अगर आज दिल्ली पूर्ण राज्य होती और दिल्ली को जब पूर्ण राज्य बना दिया जाएगा तो दिल्ली के होम मिनिस्टर के पास में ये अधिकार पूरी तरह से होना चाहिए और होगा। वो उसके प्रति... फिर पुलिस वहाँ की लोकल एकाउंटेबल होगी। वहाँ फिर होम मिनिस्टर को आप दिल्ली के पूछ सकते हैं। आप आज गाजियाबाद के होम मिनिस्टर को पूछ सकते हैं। आज गाजियाबाद में होने वाली किसी घटना पे लखनऊ में बैठे हुए होम मिनिस्टर को क्वैश्चन कर सकते हैं। पर गाजियाबाद में होने वाली किसी घटना के लिए आप देश के होम मिनिस्टर को क्वैश्चन नहीं करते हैं ना? फिर गाजियाबाद से दो किलोमीटर दूर आनन्द विहार में होने वाली घटना के लिए हम होम मिनिस्टर को कैसे क्वैष्चन कर

लेंगे और होम मिनिस्टर के पास कहाँ से समय आ जाएगा? ये कांसेप्ट में ही गड़बड़ है।

अध्यक्ष महोदय, 'डोर स्टेप ऑफ राशन' पे हमने कहा कि भई, दिल्ली में राशन की चोरी हो रही है। राशन पे हम लोग पुराने लंबे समय से काम करते रहे हैं। हमारे कई साथी राशन माफियाओं से भिड़े, राशन चोरी रूकवाने के लिए। राशन माफियाओं को हमने बाध्य भी किया, राशन ठीक से डिलिवर करने के लिए। आरटीआई का भी खूब सक्सेसफुली इस्तेमाल किया, राशन व्यवस्था को अकाउंटेबल बनाने के लिए। उससे अपनी एक लंबी समझ है कि राशन माफिया कैसे काम करता है या उसको कैसे रोका जा सकता है। किस तरह से गड़बड़ियाँ होती हैं। इन सबको करने के लिए 'डोर स्टेप डिलिवरी ऑफ राशन' की स्कीम ले के आए। एल.जी. साहब ने उसको भी रोक दिया। बोले, ''नहीं जी, ये तो नहीं हो सकती। ये तो फलाने फलाने है।'' आज दिल्ली पूर्ण राज्य होता तो जिस वक्त ये आइडिया आया था, उसके एक महीने से दो महीने के अन्दर अन्दर दिल्ली में राशन की 'डोर स्टेप डिलिवरी' शुरू हो गई होती। ऐसी 'डोर स्टेप डिलिवरी ऑफ सर्टिफिकेट्स'... 'ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमैंट' बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं अध्यक्ष महोदय, हमें याद है, इसी वाले मसले पे जब सरकार ने ये व्यवस्था पास करके केबिनेट से पास करके भेजी कि दिल्ली में सर्टिफिकेट बनवाने का काम दिल्ली में छोटे–छोटे जो सर्विसेज हैं, गवर्नमैंट की, वो डोर स्टेप पे दिलाने का काम सरकार इस तरह से करेगी कि लोगों को डोर स्टेप्स सर्विस मिल सके उसकी। तो एल. जी. साहब के पास फाइल गई, तो एल.जी. साहब ने बड़ा अच्छा तर्क भेजा जो मुझे लगता है कि किसी भी संवैधानिक पद बैठे हुए व्यक्ति की तरफ से अब तक का मेरे संज्ञान में, मैं पत्रकार भी रहा हूँ थोड़ा बहुत गवर्नेंस को पहले भी देखता रहा हूँ। अब तक का संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति द्वारा किसी काम

को रोकने के दिशा में दिया गया, सबसे हास्यास्पद तर्क था। सबसे हास्यास्पद तर्क... बोले, साहब अगर आप 'डोर स्टेप डिलिवरी ऑफ सर्विसिज' करोगे। मतलब एक आदमी अगर सर्विसेज देने घर जाएगा तो उससे तो सड़कों पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा, इससे पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। मतलब... आप आज की तारीख में जितने भी सक्सेसफुल संस्थाएं काम कर रही हैं, आपको होम लोन लेना हो, आदमी घर पे आता है। आपको बैंक लोन कोई और लेना हो, पर्सनल लोन है; 50 हजार का पर्सनल लोन भी लेना हो तब भी आदमी घर पे आ के फार्म भरके ले जाता है। आपको पिज्जा डिलिवरी करवानी हो, घर पे आ जाता है। जब मैंने कहा कि साहब, पिज्जा डिलिवरी भी हो जाती है। तो कहा, ''पिज्जा डाउनलोड नहीं हो सकता।'' सर्टिफिकेट तो डाइनलोड हो सकता है। तब मैं गया राजेन्द्र गौतम जी के साथ में, वहाँ उनकी विधान सभा में। चार–पाँच विधान सभाओं का जगदीश जी से ले के कई लोगों का दफ्तर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, वहाँ पे और कई सर्विसेज वहाँ लोग लेने जाते हैं। हर दफ्तर के सामने दलाल बैठे हुए हैं और उन दलालों का काम है; आदमी जब अन्दर जाए, लंबी से लाइन में लग के आए, चार खिड़कियाँ बंद मिले, चार की पे लंबी–लंबी लाइन मिले तो वहाँ से आएगा, ''क्या करवाना है?'' ''सर्टिफिकेट बनवाना है।''

बाहर बैठा है मोटर साइकिल पे, ले लो उससे, वो बनवा देता है। वो 500 रुपये लेकर। उस 500 रुपये की रिश्वत को 200 रुपये की रिश्वत को रोकने के लिए जब 'डोर स्टेप डिलिवरी ऑफ सर्विसिज' का प्रपोजल बनाया तो एल.जी. साहब ने कहा, ''घर पे डिलीवर मत करवाना, नहीं तो ट्रैफिक बढ़ जाएगा, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा इससे। करप्शन खत्म होने से किसका पॉल्यूशन बढ़ता है और किसका ट्रैफिक बढ़ता है, किसकी धमनियों में ट्रैफिक बढ़ता है, ये भी दिखता है। अगर आज दिल्ली पूर्ण राज्य होता तो अब तक तो ये सारी चीजें लागू हो गई होती।

अध्यक्ष महोदय, हमारे सभी विधायक साथियों का इस क्षेत्र में अनुभव है कि... और इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के... क्योंकि हम बात करते हैं, सबका अपना अनुभव है कि अगर दिल्ली आज पूर्ण राज्य होता तो बहुत सारे... सबके पास उदाहरण हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं बताने के लिए, पर इस संदर्भ में कुछ ऐसे उदाहरण ही रखे मैंने जो बहुत हम सब लोगों के बीच में कई बार चर्चा चुकी हैं कि अगर दिल्ली आज पूर्ण राज्य होता तो निश्चित रूप से डीडीए में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा होता। दिल्ली पुलिस उसका मॉडल बनाया जा सकता है। मॉडल बनाया जा सकता है, उसके मॉडल पे भी चर्चा की जा सकती है कि देश की राजधानी और दुनिया की राजधानियों का अध्ययन किया जा सकता है। दुनिया की राजधानियों में लोकल गवर्नमैंट जो वहाँ की, उनकी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पुलिस तक से ले के हर तरह की पॉवर्स हैं। दुनिया के जितने भी प्रोग्रेसिव कन्ट्रीज हैं, उन सबको स्टडी ले के, कि सेन्टर गवर्नमैंट के इन्ट्रेक्ट भी बाधित न हो और लोगों के पक्ष में जब चुनी हुई राज्य सरकार काम करें तो राज्य सरकार को भी पंगु सरकार न बनाया जाए, उसको उसके भी काम बाधित न हों। उसका मॉडल डेवलप्ड हैं डवलप्ड बहुत... पूरे देश दुनिया भर में हैं। उनसे हम सीख सकते हैं। अपना नया मॉडल बना सकते हैं। लेकिन आज जरूरत आन पड़ी है कि हम ये मॉडल बनाए। इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से ये प्रस्ताव सदन में रखना चाहता हूँ और सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार को भेजना चाहता हूँ। केन्द्र सरकार को जाए और केन्द्र सरकार इसपे विचार करे। मैं अब प्रस्ताव पढ़ता हूँ:

Keeping in view the aspirations of the people of Delhi for a better quality of life commensurate with their contribution to the economy;

Also keeping in view the fact that the multiplicity of agencies have created obstacles in the all round development and progress of Delhi as a world class city;

Observing with concern that vested interests with no accountability have manipulated and corrupted the existing system of governance which was guaranteed by the Constitution for the people of Delhi;

Also noting that all the major political parties have supported the idea of full statehood to Delhi in their respective manifestoes;

This House resolves that the National Capital Territory of Delhi should be granted full statehood immediately.”

Ekkuuh; v/;{k% अब माननीय सदस्य चर्चा में भाग ले सकते हैं। श्री सौरभ भारद्वाज जी।

Jh lkjHk Hkkj}kt% अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में मुझे चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, जब मनीष सिसोदिया जी, हमारे उप मुख्य मंत्री ये बता रहे थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ये कितना जरूरी है तो मैं बार बार विजेन्द्र गुप्ता जी को देख रहा था और मैं ये देखना चाह रहा था कि वो हाँ कर रहे हैं या ना कर रहे हैं। वो न हाँ कर रहे थे, न ना कर रहे थे सिर्फ कुछ कागज पढ़ रहे थे अपने और मनीष सिसोदिया जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए कि इसलिए जरूरी है पूर्ण राज्य का दर्जा, इसलिए जरूरी है पूर्ण राज्य का दर्जा... इसलिए जरूरी है कि दिल्ली वालों को इज्जत मिले। इसलिए जरूरी है कि दिल्ली को बाकी राज्यों के अनुसार इज्जत मिले। फिर मैंने सोचा कि इसके अन्दर हम किसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य मिले क्योंकि अब कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसको कन्विंस करना रह गया है कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। बीजेपी का तो ऑन रिकॉर्ड है कि बीजेपी पिछले 64 सालों से पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली के लिए माँग रही है। 64 का 62 हो सकता है क्योंकि 1956 में जब दिल्ली के अन्दर

विधान सभा स्थगित कर दी गई थी तब से लेकर अब तक दिल्ली के अन्दर भाजपा राष्ट्रीय स्तर पे भी और दिल्ली के स्तर पे भी दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा माँग रही है। ये ऑन रिकॉर्ड... वी.के. मल्हौत्रा जी ने भी कई जगह कहा है। कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टोज में बार बार कहा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। भाजपा की तो... मुझे लगता है कि पूरी की पूरी सियासत जो थी, शुरू में दिल्ली तक ही सीमित थी। दिल्ली में इनके ज्यादा नेता हुआ करते थे, जो भी नेता बाद में इनके नेशनल लेवल तक गए; चाहे वो लालकृष्ण अडवाणी हों, वी. के. मल्हौत्रा जी हो, मदन लाल खुराना हों, ये सभी लोग वो थे, जिन्होंने दिल्ली में मेट्रोपोलिटन काउंसिल से अपनी राजनीति शुरू की और जब इन्होंने अपनी राजनीति की शुरूआत की तो सबसे पहले कसमें इन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की ही खाई। मुझे नहीं लगता कि भाजपा का कोई भी वेटर्न लीडर ऐसा होगा जिसने दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने की कसम खाई... वो बात अलग है इन्होंने कसम राम की भी खाई थी, मगर दिल्ली की तो पक्का खाई थी इन्होंने।

अध्यक्ष जी, 1952 के अन्दर दिल्ली में पहली बार विधान सभा बनी। जैसे कि धीरे धीरे सब स्टेट बनाए जा रहे थे तो दिल्ली के अन्दर भी एक स्टेट गवर्नमैंट आई, चुन के आई। चौ. ब्रह्म प्रकाश जो थे, वो दिल्ली के पहले मुख्य मंत्री बने और ये बात उस वक्त अखबारों के अन्दर अक्सर आया करती थी कि अब चौ. ब्रह्म प्रकाश जो हैं, वो दिल्ली के जो हक हैं, वो माँग रहे हैं और उस वक्त के जो प्रधान मंत्री थे पंडित जवाहर लाल नेहरू और उस वक्त के जो गृह मंत्री थी गोविन्द बल्लभ पंत उनकी चौ. ब्रह्म प्रकाश से बनती नहीं थी। ये डाक्युमेंटेड फैक्ट हैं और सिर्फ एक पर्सनल लड़ाई के चलते एक व्यक्तिगत लड़ाई के चलते दो राज नेताओं की व्यक्तिगत लड़ाई के चलते पूरी की पूरी दिल्ली को इतना बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा कि 1955 में जब केन्द्र सरकार में प्रधानमंत्री जी को और

होम मिनिस्टर को ऐसा लग रहा था कि ये हमारे को ज्यादा परेशान करते हैं तो 1955 में उनसे इस्तीफा दिलवाया गया। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री के साथ 1955 में नाइंसाफी की गई, दिल्ली के साथ जो नाइंसाफी आज हो रही है, ये आज से नहीं, करीब 62–63 सालों से नाइंसाफी जो है, केन्द्र सरकार में बैठे हुए प्रधान मंत्री, गृह मंत्री... तब से ये सिलसिला चलता आ रहा है कि हम लोगों को दिल्लीवासियों को, हमारे बड़े बुजुर्गो को और हमें ये जो नाइन्साफी है, हमारे साथ की जा रही है। 1955 में दिल्ली के पहले मुख्य मंत्री से इस्तीफा करवाया गया। स्टेट रि–ऑर्गनाइजेशन कमीशन का हवाला देते हुए 1956 में दिल्ली के अन्दर विधान सभा जो है, भंग कर दी गयी। और 1956 में जो विधान सभा भंग की तो फिर दशकों तक दिल्ली के अन्दर विधान सभा नहीं बनने दी। दिल्ली के अन्दर जैसे कि बाकी देश के अन्दर लोग होते हैं। दिल्ली के अन्दर इसकी मूवमैण्ट बनी। लोगों का दबाव जो है, केन्द्र सरकार के ऊपर बना कि भाई जो दिल्ली के लोग हैं, वो अपनी प्राब्लम के लिए, अपनी समस्याओं के लिए कहाँ जाए। जवाहरलाल नेहरू जी के पास जाएं या गोविन्द बल्लभ पन्त के पास जाएं या इन्दिरा गांधी जी के पास जाए उसके बाद। तो लोगों के खड़ंजे की समस्या है, लोगों के जैसे कि माननीय उप मुख्य मंत्री बता रहे थे, सड़कों की समस्या है, पानी की समस्या है। उस वक्त डीटीसी की समस्या होती थी। इन समस्याओं के लिए लोग कहाँ जाएं। तो ना–नुकर करते हुए 1966 के अन्दर दिल्ली के अन्दर मैट्रो पोलिटन काउन्सिल बना दी गयी और बहुत पब्लिक प्रेशर के बाद इन्होंने ये मैट्रोपॉलिटन काउन्सिल बनाई। अध्यक्ष जी, उसके बाद भी ये जो नाइन्साफी थी ये जो सौतेलापन था दिल्ली के लोगों के साथ, ये चलता रहा। लगातार क्योंकि भाजपा दिल्ली के अन्दर सक्रिय थी और भाजपा कभी केन्द्र सरकार में नहीं आ पाती थी। तो लिहाजा कॉंग्रेस का ये पूरा का पूरा शययंत्र जो था, शुरूआती कुछ

दशकों में काँग्रेस का षडयंत्र रहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मत दो। यहाँ पर हमारी केन्द्र सरकार है। कल को राज्य इतना सक्रिय न हो जाए कि हमारी गर्दन तक इनका हाथ पहुँच जाए। तो दिल्ली के अन्दर जो है, भाजपा का थोड़ा मजबूत रहता था तो इसलिए काँग्रेस ने ये नाइन्साफी दिल्ली के लोगों के साथ की। लोगों को उम्मीद थी कि शायद भाजपा वाकई में ये चाहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए। ये इतने सालों से कसम खा रहे हैं। हो सकता है, दिल में कुछ हो। 1977 में जब मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी, उसमें लालकष्ष्ण आडवाणी जी मंत्री बने। वो दिल्ली की राजनीति से वाकिफ थे। उस वक्त भी दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का जो बिल है, वो पर्लियामैण्ट में आया मगर उसको उस वक्त भी पास नहीं किया गया। इतने दिनों के संघर्ष के बाद 1991 में अध्यक्ष जी, दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का जो एक्ट है, जो बिल है, वो पार्लियामैण्ट में आया और पास किया। और उस समय की जो पार्लियामैण्ट के अन्दर बहस चली थी, उसको मैं पढ़ रहा था और मेरा विशेष जो मकसद था; मैं ये जानना चाहता था कि मदन लाल खुराना जी... क्योंकि वो दिल्ली के नेता रहे हैं और दिल्ली की मुझे लगता है कि दिल्ली की लोकल राजनीति जो है, मदल लाल खुराना जी ने काफी की है और अच्छी की है। वो कह रहे हैं 1991 में, जब ये बिल जो पार्लियामैण्ट में आया, उस वक्त वो कह रहे हैं और वो जो प्रॉब्लम्स जता रहे हैं, जो बता रहे हैं, अध्यक्ष जी, वो प्रॉब्लम हू–ब–हू 1991 की जो प्रॉब्लम थी, वो आज 2018 के अन्दर हू–ब–हू वही प्राब्लम... मदन लाल खुराना जी उसमें कह रहे हैं एलजी अगर बात नहीं मानेगा तो क्या करोगे। मदन लाल खुराना जी इसमें कह रहे हैं डीटीसी के अन्दर बसें कम हैं तो इसके अन्दर केन्द्र सरकार क्या करेगी। मदन लाल खुराना जी कह रहे हैं कि जगदीश टाइटलर जी आप केन्द्र में मंत्री हो, बताओ, आपने दिल्ली के लिए क्या किया। इसमें मदन लाल खुराना जी बोल रहे हैं... केन्द्र के मंत्रियों से पूछ रहे हैं जो उस वक्त कांग्रेस के केन्द्र के

मंत्री थे, उनसे पूछ रहे हैं, जगदीश टाइटलर से पूछ रहे हैं, मुरली देवड़ा से पूछ रहे हैं और कई मंत्रियों से पूछ रहे हैं, नाम लेके पूछ रहे हैं, ''आप बताइए, आपने सीवर डिस्पोजल के लिए क्या किया दिल्ली के लिए। आपने दिल्ली की बिजली के लिए क्या किया, आपने दिल्ली के अन्दर डीटीसी बसेज के लिए क्या किया।'' और वो ही सारी की सारी समस्या जो है, आज वैसी की वैसी खड़ी हैं और आज वही बात जो है, दिल्ली के अन्दर हम लोग जो नये लोग चुनके आये हैं, हम भी वो ही सारी की सारी बातें कर रहे हैं कि दिल्ली के साथ ये जो नाइन्साफी हो रही है, ये क्यों हो रही है?

अध्यक्ष जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसके अन्दर जैसे कि आप ये बहस हो रही है तो टीवी चैनल वाले डिबेट में बुला लेंगे और बोलेंगे, ''चलो, अब बहस करो कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए।'' इस पर बहस की तो कोई जरूरत ही नहीं है अब। इस पर टीवी चैनल का कोई होस्ट जो मात्र पाँच साल पहले खुद दिल्ली में आया है, उसको क्या पता कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। दिल्ली के अन्दर जो स्थापित पार्टियाँ हैं; कांग्रेस थीं, भाजपा थीं और अब आम आदमी पार्टी है। ये तीनों अपने मैनिफेस्टों में ये बात लिख चुकीं हैं और कई बार लिख चुकीं हैं और दशकों से लिख रही हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तब इस पर बहस होनी कि मैं सिरसा जी ये करूँ कि सिरसा जी आप मेरी बात मान जाओ या जगदीश प्रधान जी मेरी बात मान जाएं या विजेन्द्र गुप्ता जी मेरी बात मान जाएं या गुजरात से अभी जो चुन के आएं हैं नरेन्द्र मोदी जी, वो हमारी बात मान जाएं कि वो अब ये समझें कि दिल्ली को अब पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ये बहस एक बेमानी वाली बहस है। इस बहस की जरूरत नहीं है। ये बात स्थापित बात है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना ही

चाहिए। बहस ये होनी चाहिए कि कैसे मिले। जो–जो पार्टी हमारे इलाके के अन्दर बीजेपी को खासकर खुराना जी को जमीनी नेता माना जाता था और कहते थे, बसों के जो वो होते थे, शीशे तोड़–तोड़के, ट्यूबलाइट फोड़–फोड़के , स्ट्राइक कर–करके मुख्य मंत्री बने, बहुत संघर्ष किया उन्होंने, मुख्य मंत्री बनने से पहले। काफी प्रोटेस्ट करने वाले नेता कहलाते थे और मैं उनकी सारी स्पीचेज पढ़ रहा था। मैं देख रहा था, जब खुराना जी मुख्य मंत्री बनके चुने गये 1993 में। पहले मुख्यमंत्री बने। इतने बड़े अन्तराल के बाद तो उनका एक इन्टरव्यू छपा हुआ है इण्डिया टूडे के अन्दर, अंग्रेजी के अन्दर इण्टरव्यू है। और उसके अन्दर लिखा हुआ है कि मदन लाल खुराना जी इतनी बड़ी विजय के बाद दिल्ली सचिवालय में पहुंचे हैं। मुख्य मंत्री बने हुए हैं। उनके पास बड़े–बड़े प्लान हैं दिल्ली के लिए, गरीबों के लिए क्या करना है, होमलेस के लिए क्या करना है। एम्प्लायमैण्ट के लिए क्या करना है। कम्पलेन्ट सेल कैसे बनाऊँगा, सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं कैसे दूँगा। इतने बड़े–बड़े प्लान्स हैं और वो कह रहे हैं मगर मेरे पास यहाँ पर पॉवर ही नहीं है, मैं क्या करूं? ये मदन लाल खुराना का 1993 का पूरा का पूरा इण्टरव्यू छपा हुआ है। जिसके अन्दर उनको लगा है कि गवर्नर से भीख माँगनी पड़ती है यहाँ पर एक–एक चीज के लिए। ऐसा है अध्यक्ष जी, ये 1993 के बाद स्थिति बदली थी। 1993 के बाद 1998 के अन्दर ये स्थिति बदली। जब ऐसा किया गया कि लेफ्टिनेन्ट गवर्नर जो है, अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। उनको चुनी हुई सरकार की एड एण्ड एडवाइज के ऊपर काम करना पड़ेगा और पुलिस, लैण्ड और अन्य जो रिजर्व सब्जेक्ट है, उस पर भी उनकी सलाह लेनी चाहिए। वो जो स्थिति थी, उसको शीला दीक्षित जी ने मुझे लगता है कि 15 साल एन्ज्वाय किया। हालांकि 1998 का जो नोटिफिकेशन आया था, वो भी कॉंग्रेस की सरकार नहीं लाई थी, वो भी जनता दल की सरकार लाई थी या यूनाइटेड फ्रन्ट की सरकार

लाई थी। मगर वो ही मदन लाल खुराना जी वाली स्थिति नरेन्द्र मोदी जी 2015 में वापस ले आये या शायद 2014 में। वो नोटिफिकेशन तो शीला दीक्षित जी के समय में आया था, उसको वापिस ले आये। अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ भाजपा के मित्रों के लिए ये बताना चाहूँगा कि कब–कब भाजपा ने और इनके बड़े–बड़े नेताओं ने दिल्ली के पूर्ण राज्य की बात कहीं है। पहले इनके पुराने नेता कालकादास जी, आलोक कुमार जी ने कई बार इस बात को दोहराया। मदन लाल खुराना जी ने तो मुख्यमंत्री बनते ही ये कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए। बाद में मुझे लगता है, वो शायद नौ सौ दिन रहे। उसके बाद साहिब सिंह वर्मा जी आये। उन्होंने फुल स्टेटहूड का ड्राफ्ट बनाके 1998 में तैयार किया और 1999 के अन्दर जब भाजपा का मैनिफेस्टो बना अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, उस मैनिफेस्टों में लिखा गया... लोक सभा के मैनिफेस्टों में कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए। उसके बाद 2003 में ये मामला आया। उस वक्त वाजपेयी जी की सरकार थी और मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि मोरारजी देसाई जी की सरकार के बाद भाजपा की दुबारा सरकार बनी और छः साल इनकी सरकार रही। मगर इन्होंने इस छः साल के दौरान भी 1998 से लेकर 2004 तक इन्होंने दिल्ली के पूर्ण राज्य के दर्जे के ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया। इन्होंने फिर धोखा दिया दिल्ली को। उसके बाद... मगर 2011 में दुबारा से भी वीकेमल्होत्रा जी ने कहा, लीडर ऑफ अपोजिशन के तहत, होते हुए कि दिल्ली को पूर्ण राज्य मिलना चाहिए। 2013 में जब नरेन्द्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे थे तो गोवा में नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में भाजपा ने ये रेजल्यूशन पास किया कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। हम केन्द्र सरकार में आएंगे तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। फिर उसके बाद जो इन्होंने 2013 का चुनाव लड़ा, उसमें इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा कि हम पूर्ण राज्य

की माँग करते हैं। उसके बाद जब नरेन्द्र मोदी जी ने 2014 के लोक सभा का मैनीफेस्टो बनाया, अध्यक्ष जी, यह खास बात है और बड़ी बारीक बात है कि दिल्ली राज्य के लिए उन्होंने अलग से मैनीफेस्टो निकाला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2014 में इलैक्शन की तैयारी करते हुए एक अलग से दिल्ली के लिए मैनीफेस्टो निकाला, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जब सरकार में आएंगे, हमारी केन्द्र सरकार बनेगी तो हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। मगर बड़े दुःख के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है, पूरी दिल्ली को यह कहना पड़ रहा है कि आज नरेन्द्र मोदी जी को आए हुए, केन्द्र की सरकार में आए हुए, नरेन्द्र मोदी जी को आज चार साल से ज्यादा हो गए हैं मगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया गया है। यहाँ तक कि जो शक्तियाँ शीला दीक्षित सरकार के पास हुआ करती थीं, उन शक्तियों को भी छीना गया है। चाहे वो एंटी करप्शन ब्रांच हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो अफसरों को तबादले करने की चीज हो, चाहे जितने भी मामले हों सब के अंदर जो शक्तियाँ हैं, उनको कम करने की कोशिश जो है, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की तरफ से की गई है। तो अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि इसके ऊपर संकोच नहीं है हमें या इसके ऊपर चर्चा की जरूरत नहीं है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना है या नहीं देना। चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि कैसे लेना है।

अध्यक्ष जी, हर राज्य जब लोक सभा के चुनाव में जाता है तो उस राज्य की कुछ एस्पेक्टेशन होती है केन्द्र सरकार से, जैसे तेलंगाना मूवमेंट चली, कई साल चली। तेलंगाना के अंदर जब भी लोक सभा का चुनाव होता था, उनका एक ही सिंगल प्वाइंट एजेंडा होता था तेलंगाना हमें कौन देगा। बीजेपी देगी या कांग्रेस देगी, कौन हमें तेलंगाना देगा। ऐसे ही जब उत्तराखंड बना, उसके बाद जब झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, अध्यक्ष जी, यह बहुत बड़े–बड़े काम थे क्योंकि

इनको एक अलग राज्य चाहिए था जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अमेंडमैंट था। ऊपर से उसके अंदर एक दूसरा ग्रुप भी रहता था जैसे अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करें तो उसके अंदर तेलंगाना के जो लोग थे, वो चाहते थे, अलग राज्य बने क्योंकि वो प्रिंसपली स्टेट ऑफ हैदराबाद से आते थे मगर जो आंध्र प्रदेश के ओरिजनल लोग थे, वो चाहते थे, तेलंगाना न बने। क्योंकि उनको लगता था कि तेलंगाना बनने से नुकसान होगा। तो उसके अंदर फिर भी दो बड़े–बड़े पक्ष थे। एक चाहता था बने, एक चाहता था नहीं बने। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के अंदर, झारखंड के अंदर मगर यहाँ पर तो कोई दूसरा पक्ष है ही नहीं। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही पक्ष है; तीन पॉलिटिकल पार्टीज हैं दिल्ली के अंदर, तीनों ने अपने मैनीफेस्टो में लिखकर दे रखा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाया जाए। कोई दूसरा पक्ष नहीं है जो कह रहा हो कि न बनाया जाए। तो दिल्ली को भी इस लोक सभा के चुनाव के अंदर यह लोक सभा का जो चुनाव दिल्ली का होगा, उसके अंदर दिल्ली को अपना सिंगल प्वाइंट एजेंडा रखना चाहिए। दिल्ली के एक–एक नागरिक को अपना सिंगल प्वाइंट एजेंडा रखना चाहिए। उस एजेंडे के अंदर यह बात नहीं होनी चाहिए कि मोदी जी 193 देशों में से 189 घूम चुके हैं बाकी चार घूम लें, उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा। वो चार घूमे या अपने खर्चे से घूम लें बाद में। दिल्ली के लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगली बार ये नोटबंदी करेंगे या क्या करेंगे, दिल्ली के लोग इनसे एक बात पर वायदा लें कि आप दिल्ली को दिल्ली का हक दोगे या नहीं दोगे? आप दिल्ली को सौतेला व्यवहार, जो आप पिछले 60–64–65 सालों से दिल्ली के लोगों के साथ यह जो सौतेला व्यवहार कर रहे हो, वो आप बंद करोगे या नहीं करोगे। दिल्ली के लोगों को आप जो सेकण्ड क्लास सिटिजन, जैसे गांधी जी के बारे में सुनते हैं कि साउथ अफ्रीका में उनको कहा गया कि आप सेकण्ड क्लास सिटिजन हो, आपको

ट्रेन से उतार दिया। अरे! हमारे देश में तो यह विकास की जो ट्रेन चल रही है, उसमें हमें 70 सालों से उतार रखा है, दिल्ली को बाहर कि आप सारे के सारे सेकण्ड क्लास सिटिजन हो, उतरो इस ट्रेन से बाहर निकलो और जो भी केन्द्र सरकार के अंदर आता है; चाहे वो काँग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, अध्यक्ष जी, यह बात मैं बड़ा साफ करना चाहता हूँ कि जब भी कोई पार्टी केन्द्र सरकार में अपनी सरकार बनाती है तो उस पार्टी के अंदर दो व्यूज बन जाते हैं। एक तो यह हो गए विजेन्द्र गुप्ता जी, जगदीश प्रधान जी, एक वो हो गया जो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमैंट में बैठ जाएंगे। वैसे ही काँग्रेस के वक्त में भी था शीला दीक्षित अपना अलग गाना गाती रहती थी, ऊपर अजय माकन जी बैठ गए थे सेंटर में, वो अपना अलग गाना गाते थे। अजय माकन जी, सुशील कुमार शिंदे जी अलग ही धुन बजा रहे होते थे और शीला दीक्षित जी नीचे अलग धुन बजा रही होती थी। दोनों एक ही पार्टी के थे मगर दोनों के ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अलग हो जाते हैं। केन्द्र में जिस भी पार्टी की सरकार बनती है, उसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अलग है। उसको कोई लेना–देना नहीं है दिल्ली के लोगों से। तो यह कहना कि केन्द्र के अंदर और दिल्ली के अंदर अगर एक सरकार बन जाएगी तो यह सुलझ जाएगा तो... तो यह कभी नहीं सुलझेगा। फिर तो वो कहते हैं, ''चुप रहो।'' जैसे शीला दीक्षित जी ने 15 साल बर्बाद कर दिए दिल्ली के। अगर शीला दीक्षित 15 साल दिल्ली के लोगों के लिए संघर्ष करती तो दिल्ली को पूर्ण राज्य मिल जाता। अगर भाजपा पाँच साल दिल्ली के लोगों के लिए संघर्ष करते, मदन लाल खुराना जी, साहिब सिंह वर्मा जी या सुषमा स्वराज जी... बाकी तो चलो, उनके बारे में नहीं कहना चाहिए पर सुषमा जी तो अभी भी हैं, वो भी बनी थी मुख्यमंत्री। उन्होंने भी कोई संघर्ष नहीं किया। आज मंत्री हैं, भूल गई वो दिल्ली को। तो दिल्ली के लोग कोई इनसे भीख नहीं माँग रहे हैं, कोई इनसे पैकेज नहीं माँग रहे हैं बाकी अगर

जगह जाओगे आप तो बिहार वाले लोग सीधा–सीधा कहते हैं कि हमें स्पेशल पैकेज दोगे मोदी जी, तो हम आपको वोट देंगे या कॉंग्रेस अगर स्पेशल पैकेज देगी तो हम आपको वोट देंगे। आँध्र प्रदेश भी स्पेशल पैकेज माँग रहा है। हम तो इनसे स्पेशल पैकेज भी नहीं माँग रहे। हम तो पूरी की पूरी दिल्ली... मुझे लगता है, चाहे वो भाजपा का दिल्ली यूनिट हो, चाहे वो कॉंग्रेस का दिल्ली यूनिट हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का दिल्ली यूनिट हो, सिर्फ एक माँग रखे कि भइया, केन्द्र में जो बैठेगा या बैठा हुआ है, वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देगा या नहीं देगा। बाकी सब चीजों से हमें कोई लेना–देना नहीं है। इन्होंने हमसे वायदा किया था, दिल्ली के लोगों ने वायदा पूरा किया। सात मेम्बर ऑफ पार्लियामैंट दिल्ली के लोगों ने भाजपा के जिताकर पार्लियामैंट में भेजें। उन सात मेम्बर ऑफ पार्लियामैंट ने अध्यक्ष जी, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, इन सात मेम्बर ऑफ पार्लियामैंट ने जो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के वायदे पर पार्लियामैंट में गए, इन्होंने आज तक एक बार भी इन चार सालों में ऐसी कोई डिस्कशन नहीं शुरू करी जिसके अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात हो। यह बहुत ही बड़ी और संगीन बात है कि जिस वायदे को करके ये सात लोग चुनकर गए, इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ वादा–खिलाफी की और अब बेशर्मों की तरह दोबारा वोट माँगने आने वाले हैं। तो इससे पहले दिल्ली के लोग जो है, वो निर्णय ले लें और दिल्ली की जो भी बड़ी–बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, आप कोई भी प्रॉब्लम सोच लीजिए, चाहे दिल्ली की आज की जो दो बड़ी–बड़ी समस्याएं हैं, वो है सीलिंग और अनऑथोराइज्ड कालोनी। सीलिंग का यह जो पूरा का पूरा राक्षस है, यह दिल्ली के ऊपर सिर्फ इसलिए मंडरा रहा है क्योंकि दस साल पहले जब इस सीलिंग के राक्षस को आपको ध्वस्त करना था तो उस वक्त के मंत्री थे अजय माकन जी, उन्होंने नहीं किया। और आज मंत्री है हरदीप पुरी जी, वो भी नहीं कर

रहे हैं। दिल्ली के जो भाजपा के लोग हैं, वो हमसे मिलते हैं, बात करते हैं, कह रहे हैं, ''कोई सुन ही नहीं रहा।'' मैंने किसी से कहा कि आपके तो दो–दो मंत्री हैं; अरुण जेटली जी दिल्ली से हैं, हर्षवर्धन जी दिल्ली से हैं। उनसे बात करो, सीलिंग रुकवाओ। केन्द्र सरकार चाहे तो एक दिन में अध्यादेश ले आए। एक ऑर्डिनेंस अगर केन्द्र सरकार ले आए तो दिल्ली के अंदर सीलिंग रुक सकती है। उन्होंने कहा, ''ऐसा है जी, अरुण जेटली जी तो बहुत बिजी हो गए, वो हमारी सुनते नहीं।'' मैंने कहा, ''हर्षवर्धन जी।'' कह रहे हैं, ''हर्षवर्धन जी हमारी सुनते हैं, मगर उनकी कोई नहीं सुनता।'' मैंने कहा, ''यह भी अजीब स्थिति है। एक आपकी नहीं सुनता, एक की कोई और नहीं सुनता।'' तो फिर ऐसे लोगों को हम दिल्ली से चुनकर भेजे क्यों? और जहाँ पर बीजेपी के खुद के लोग दिल्ली यूनिट के कहते हैं, ''हम तो बर्बाद हो गए, हमको तो मार डाला इन्होंने। सारे दुकानदार हमको गालियाँ देते हैं कि क्या करा रहे हों? तुम्हारी तो केन्द्र में सरकार है।'' तो यह जो अध्यक्ष जी, मैं कह रहा हूँ चाहे अनऑथोराइज्ड कालोनीज का भी मामला हो, यह अनआथोराइज्ड कालोनी, यह सीलिंग का मामला, ये सारे मामले वो हैं, जो केन्द्र सरकार के पास हैं। आज अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होता तो हमको किसी हरदीप पुरी के पास जाने की जरूरत नहीं होती। जगदीश जी भी खुश होते, हम ही कर देते यहाँ पर, होम मिनिस्टर, हमारे जैन साहब कर देते। सुबह लाते शाम तक कर देते। इनका कुछ कर दो जी।

जगदीश जी, एक बात बताऊँ आपको, आपके सारे काम कर देते। आपने एक दिन ना यहीं पर खड़े होकर कह दिया, ''मेरा एक भी काम नहीं किया।'' फिर उन्होंने कहा, ''चलो, ऐसे ही ले लो फिर, ठीक है तो यह हमारी आपस की मजाक की बात है।'' जगदीश जी के सारे काम...

...(व्यवधान)

Ekkuuh; v/;{k% दिल्ली में सबसे ज्यादा कमरे इनकी विधानसभा में बने हैं स्कूलों के।

Jh lkjHk Hkkj}kt% नहीं–नहीं, वो उनकी मुस्कराहट से हमें लगता है कि वो ठीक हैं और वो आदमी खराब नहीं हैं। इसके लिए उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। तो अनऑथोराइज्ड और सिलिंग अध्यक्ष जी दोनों जो हैं ये मामले भी दिल्ली के तुरंत सुलझ सकते हैं। मुझे लगता है इसके अंदर हमको पार्टी पॉलिटिक्स छोड़के एक बार ये फैसला करना चाहिए कि भई दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। फिर सब मैदान में आ जाओ। चुनाव आने वाला है दिल्ली का भी कोई दूर कोई ना है। एक डेढ़ साल संघर्ष में लगेगा फिर चुनाव आ जाएगा जो जितनी मेहनत करेगा, उसमें दिल्ली के लोग उसको जिताएंगे। अध्यक्ष जी, आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

Ekkuuh; v/;{k% अलका जी।

l|Jh vydk ykEck% धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को बशीर बद्र साहब की दो लाइनों से शुरू करुंगी।

'दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है।
जो भी गुजरा है, उसने लूटा है।।''

ये दिल्ली की सच्चाई रही है कि इसकी सत्ता पर भी जब–जब जिसको काबिज होने का अवसर मिला, उसने इस दिल्ली के साथ छल किया, कपट किया, धोखा किया है। आज दिल्ली के पूर्ण राज्य के दर्जे के ऊपर हम अध्यक्ष जी, बात कर रहे हैं। इस सदन में ये प्रस्ताव पहली बार या पहली बार चर्चा नहीं हो रही है। इससे पहले की भी भाजपा और कॉंग्रेस की सरकारों ने इस मुद्दे के ऊपर प्रस्ताव लाये, चर्चा की, लेकिन वही अभी बात कर रहे थे तो बताया कि जब

मदनलाल खुराना जी थे, तब उन्होंने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा न होने की वजह से ऐसा महसूस होता है कि एक शरीर बिना आत्मा के है। वो काम नहीं कर पाए मदनलाल खुराना जी। उसके बाद साहब सिंह वर्मा जी आए। इसी भाजपा के मुख्यमंत्री थे वो। उन्होंने ये कहा कि मैं इस सरकार का अधूरी राज्य की सरकार के मुख्यमंत्री बनने से ज्यादा वापिस अपने खेतों में जाकर खेती करना पसंद करूँगा और यही भाजपा की सरकार आज केन्द्र में है। ये सबसे पहले अगर किसी ने जहन में मुद्दा लाया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, उसके हक अधिकार मिलने चाहिए तो वो कोई और नहीं भाजपा खुद थी जो आज केन्द्र में बैठी है। जिसके सात सांसदों को लोगों ने इसी वायदे पर चुना कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा।

अध्यक्ष जी, मैं इस पूर्ण राज्य के दर्जे को महिलाओं की सुरक्षा से अगर जोड़कर बताऊँ तो ये हिंदुस्तान टाइम्स की 7 मई, 2018 इसी साल 7 मई की हैडलाइन है: 'Five women were raped every day in Delhi in first 100 days of 2018.' इसी साल के शुरू के 100 दिन जनवरी, फरवरी और मार्च के अगर आँकड़े देखें तो ये कहते हैं कि हर रोज दिल्ली के अंदर पाँच महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। मोदी सरकार आई 'बेटी बचाओ' के नारे के साथ। 2014 में इनकी सरकार बनी। अध्यक्ष जी, कुल एफआईआर हुई 11209। कुल एफआईआर महिलाओं के प्रति अपराध की एफआईआर 11209, उसमें से चार्जशीट कितने पर हुआ? 3890 और 7319 मामलों का कुछ अता पता ही नहीं कि वो कहाँ गये। वो एफआईआर, वो अपराध, वो न्याय जिनको मिलना था, वो कहाँ हैं? गायब हैं। 2015 में आ जाइए। इन्हीं की सरकार थी। हम बहुत पीछे नहीं जाते। 2015 में कुल एफआईआर हुई 7124, 7124 में से चार्जशीट किसमें हुआ? अदालत और कोर्ट तक कितने मुकदमे पहुंचे? 324। 6800 का आज तक कोई अतापता नहीं है। ये 2015 में 'बेटी बचाओ' के तहत केन्द्र शासित राज्य जिसके अधीन दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्थाएं आती हैं, ये उनके आँकड़े हैं।

अभी मनीष जी ने कहा, 'एक गृहमंत्री हर राज्य के पास आप उठाइए। हरियाणा के पास, पंजाब के पास अपना खुद का गृहमंत्री है जिसके अधीन वहाँ की कानून व्यवस्था और पुलिस रहती है।' उसकी पूरी जवाबदेही अपने राज्य के प्रति लोगों की सुरक्षा के लिए रहती है लेकिन यहां, यहाँ हमारे पास एक देश के गृहमंत्री हैं जो हर एक मुद्दे पर कड़ी निंदा उनका नाम ही रख दिया कड़ी निंदा मंत्री क्योंकि वो कड़ी निंदा करके बस छोड़ देते हैं। वही गृहमंत्री हैं, जिन्हें कश्मीर के आतंकवाद से भी लड़ना है पत्थरबाजों से... उन्हें छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से भी लड़ना है और उन्हें ही हमारी बेटियों को जो है, वो न्याय देने के लिए जैसे अभी बताया जब वो यमुनापार का सीमापुरी और मेरा चाँदनी चौक इलाका है, वहाँ अगर किसी बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है तो वो किसकी तरफ देखें? देश के गृहमंत्री की तरफ जिनके पास पूरे देश की जिम्मेदारी के साथ दिल्ली की इन बेटियों की भी जिम्मेदारी है। जो कड़ी निंदा करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। अध्यक्ष जी, हमारी माँग वही है कि दिल्ली के साथ छोटी छोटी मांगों के लिए मोहताज कर दिया है। अभी 14 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा महिला सुरक्षा के मद्देनजर पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, ''अगर दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लग जाते या लग जाएं तो महिलाओं के प्रति अपराध में यकीनन कमी आएगी।'' फैसला कर दिया, बजट पारित हो गया। बिल्कुल टेंडर हो गये, सब कुछ हो गया। सबने हमने अपनी विधानसभा में कह दिया, ''बस एक मार्च से सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे।'' पर होता क्या है? 14 मई, 2018 को मुख्यमंत्री को सारे अपने विधायकों को लेकर एलजी साहब के घर के बाहर दोपहर 3:00 बजे से 7:00 बजे तक कड़कती धूप में गर्म सड़क पर हम सबको बैठना पड़ता है और वो एलजी साहब जिन्हें मदद करनी चाहिए, वो दिल्ली के विकास में मदद नहीं कर रहे, रोड़ा बन गये हैं। एक

स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं कि कोई भी काम दिल्ली सरकार करेगी, उसका रोड़ा बनना है, उसको स्पीड ब्रेकर का काम करना है, उसे किसी कीमत पर रोकना है। अभी हमारे जो हैं, ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर कैलाश जी हैं और कैलाश गहलौत जी ने एक ट्वीट करके हम सबको जानकारी दी कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने ये पारित कर दिया है कि 1000 नई बसें जो आ रही हैं, उस हर बस में सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। उसमें पैनिक बटन लगा होगा। वो बस जीपीएस से जुड़ी रहेगी कि कहाँ वो बस जा रही है। उसमें एंटीस्किड सेफ्टी फीचर्स होंगे, मार्शल्स होंगे। फैसला हो गया, हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ, ''क्यों?'' सरकार ने एलजी साहब को भेजा और एक कापी कोर्ट को भेज दी है। अब कोर्ट या एलजी साहब फैसला करेंगे कि ये 1000 बसें खरीद कर इसको महिलाओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित बनाया जाए या न बनाया जाए। हमारा हो गया लेकिन फायदा लोगों तक नहीं पहुँच रहा है और ये बात आज से नहीं अध्यक्ष जी, 2012 में जब निर्भया हुआ था, रात को एक बस पूरी दिल्ली में घूमती रही और हमारी बेटी के साथ एक जघन्य अपराध बलात्कार होता रहा। उस पर, कब से ये चल रहा है कि हर बस को जीपीएस से जोड़ना चाहिए, उसमें सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए। उसमें मार्शल होने चाहिए और दिल्ली सरकार पिछले तीन सालों से कोशिश कर रही है पर हम, हमारा हर प्रस्ताव केन्द्र की मुहर का मोहताज होकर रह जाता है। और ये अपने आप में पहला प्रस्ताव नहीं है। मनीष सिसोदिया जी ने बहुत से प्रस्ताव बनाये; जन लोकपाल से शुरूआत की। हमने महिला सुरक्षा के कानून लेकर बात की। बहुत सी बात की लेकिन कोई प्रस्ताव आज तक यहाँ से जो पारित होकर गया है, वो वहाँ से मुहर लगकर आज तक वापिस नहीं आया। ये तो प्रस्तावों का प्रस्ताव है, महा प्रस्ताव है; 'दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा।' मुझे लगता है जो दिल्ली ने तीन साल में प्रस्ताव किए हैं, अगर वो भी पास कर दिये

गये होते, मुहर लग गयी होती, लागू हो गये होते तो अध्यक्ष जी, शायद आज ये मुद्दा इस विधान सभा में शायद न उठ रहा होता। लेकिन भाजपा के घोषणा पत्र में रहा कि हम सत्ता में आएंगे तो हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। काँग्रेस को तो बहुत स्वर्णिम मौका मिला था, अध्यक्ष जी। दस साल... इनकी पन्द्रह साल सरकार थी लेकिन उन दस पन्द्रह सालों में दस साल जब दिल्ली में थी तो दस साल केन्द्र में भी काँग्रेस की सरकार थी। उस काँग्रेस की सरकार के दौरान भी इस सदन में प्रस्ताव दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का आया पर बहुत दुःख की बात है एक धोखा एक छलाव हुआ। आज हमारे पास... मजबूरी समझ सकता है. .. दिल्ली को हम पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली के लोगों को दिलाना चाहते हैं लेकिन केन्द्र में हमारी सरकार नहीं है। एलजी साहब रोड़ा और स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं लेकिन उस समय की काँग्रेस सरकार के पास क्या बहाना है? 2015 तक के घोषणा पत्र में उन्होंने दोबारा जिक्र किया कि हम दिल्ली में आएंगे तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। लोग आज हमसे पूछते हैं, ''आपने भी तो कहा था। आपकी सत्ता जब केन्द्र में नहीं थी तो आपने क्यों घोषणापत्र में आम आदमी पार्टी ने लिख दिया कि हम दिल्ली में आएंगे तो हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे।'' हमने इसलिए कहा था क्योंकि हमारी नीयत साफ थी कि हम पूर्ण बहुमत से आएंगे तो दिल्ली के लोग, दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि एक आवाज में इस प्रस्ताव को यहाँ से पारित करके हमारा जो 50 प्रतिशत है, वो रुकने नहीं देंगे, पूरा करके केन्द्र को भेजेंगे। और ये हकीकत है कि आज वो प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और पूरी उम्मीद की जा रही है, इस सदन में इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का प्रस्ताव केन्द्र को भेजा जाएगा। अब समय है, केन्द्र की भाजपा की नीयत को देखने का कि क्या इस एक आवाज के बाद जो हमें था कि हम कर देंगे, क्योंकि हमें था कि आपके घोषणापत्रों में दिल्ली को पूर्ण राज्य

का दर्जा देने की बात है। 'बेटी बचाओ' के नारे में चंडीगढ़ भी वही मार झेल रहा है लेकिन चंडीगढ़ में अपनी विधानसभा नहीं है। यहाँ दिल्ली के पास खुद के चुने हुए प्रतिनिधि और एक विधानसभा है और पूरा उसके हिसाब से यहाँ पर मुताबिक काम होता है लेकिन चंडीगढ़ में भी आप देखिए, कानून ये अपने पास क्यों रखना चाहते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह... मैं फिर कहूंगी, उत्तर प्रदेश की तरफ अगर हम देखें, उन्नाव की तरफ देखें, भाजपा के एक विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ देखें कि किस तरीके से एक बलात्कार के आरोपी अपने विधायक को इनकी सरकार, इनके मुख्यमंत्री ने बचाने के पूर्ण प्रयास किये। ये इसलिए अपने हाथ में रखना चाहते हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा के भाजपा के बेटे को बचाने के लिए ये कानून अपने हाथ में रखना चाहते हैं। ये बेटियों की सुरक्षा के लिए नहीं अपने हाथ में कानून रखना चाहते हैं। रखते तो 2015 के 17 के आंकड़े जो मैंने आपको बताये हैं कि हर रोज दिल्ली के अंदर प्रैच हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। ये आँकड़े कुछ और होते।

अध्यक्ष जी, मुझे लगता है आज दिल्ली विधान सभा ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का मकसद उठाया है। इसमें एक और चीज कहूँगी, दिल्ली के अंदर 66 हजार पुलिस कर्मियों की कमी है। केन्द्र शासित राज्य; पुलिस–कानून आपके पास है, भर्ती आपको करनी है। एसएचओ से हवलदार से लेकर कमिशनर तक की। 66 हजार पुलिस कर्मियों की मार दिल्ली भारत की राजधानी झेल रही है। मुझे नहीं मालूम केन्द्र वो नियुक्तियाँ क्यों नहीं कर रहा है। और उसमें ये है कि अभी डिक्लेयर किया है सिर्फ तीन हजार... 66 हजार पुलिस कर्मियों की कमी है। नियुक्ति कितनों की अप्रूव की है अभी सिर्फ तीन हजार पुलिस कर्मी आपको नई दिल्ली को भर्ती करने के लिए इज़ाजत दी है। जो अभी पुलिस वाले हैं, वो कहाँ हैं? आधे से ज्यादा आपको वीआईपी सुरक्षा में दिखेंगे। देखिए, जितने सांसदों के घर हैं। पूरे देश का हर सांसद 545 राज्स सभा करे तो उससे ज्यादा और 1200

से करीब मुझे लगता है, 12 सौ या 15 सौ वीवीआईपीज जिनकी सुरक्षा में दिल्ली पुलिस सारे समय खड़ी है। और उतनी पुलिस दिल्ली सरकार के पीछे लगाई हुई है। मनीष जी के घर पहुँचे तो पाँच घंटे पूछताछ में लगा दिया उन्होंने समय। अरविन्द जी के घर पहुँचे दिल्ली के मुख्य मंत्री के तो छः घंटे वहाँ बैठ कर गुजार दिये। कभी सत्येन्द्र जी के यहाँ। तो इतना प्यार है कि हर तीसरे दिन ही पहुॅंच जाते हैं। तो आप इनके ऊपर अगर आप व्यस्त हैं कि पूरी सरकार और मुख्य मंत्री के लिए आपने पुलिस रखी हुई है, पूरा एक तबका और एक वीवीआईपी के लिए छोड़ा हुआ है। तो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किस के पास है? ये अपने आप में बहुत गम्भीर मामला है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन है, आप नहीं कर सकते। आपको पता है, अदालतों की हालत क्या है। साल पर साल तारीख पर तारीख... पर फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है। दिल्ली को हक दिया है लोगों ने आप फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करिए, तुरन्त न्याय हो। महिला थाने बनाइए। महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति करिए। कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और हमसे पूछते हैं, आप क्या कर रहे है? अच्छा है इस पर चर्चा हुई। जो लोग गुमराह थे, या जिन्हें गुमराह किया जा रहा था, अध्यक्ष जी, आज की चर्चा से यकीनन उनके सारे जो है, शक और जी, भी हमारे से शिकायतें दूर होंगी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा न देने का एक कारण है कि दिल्ली के गृह मंत्री के पास कश्मीर से छत्तीसगढ़, नक्सलवाद–आतंकवाद... लड़ने से फुर्सत नहीं है। उसमें भी वो पूरी तरह से नाकामयाब हो रहे हैं। अगर वहाँ पर भी कामयाब होते तो थोडी सी तसल्ली हम कर लेते कि देश के गष्ह मंत्री जिनके पास दिल्ली के लोगों की महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो देश के कश्मीर के आतंकवाद खत्म करने में कामयाब हुए। वो छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद को खत्म करने में कामयाब हुए। शायद हमारी शिकायतें कम होती लेकिन दोनों के साथ तीसरा मोर्चा दिल्ली में

महिलाओं को सुरक्षा देने में भी पूरी तरह से देश के गृह मंत्री नाकामयाब हुए हैं। हम जोरदार एक बार फिर से इस सदन में इस बात को उठाते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। वरना 2019 बहुत नजदीक है। भाजापा के सातों सांसदों को जब दिल्ली में दोबारा चुनाव लेने जाऐंगे तो यकीनन इस मुद्दे पर सिर्फ हमें नहीं, दिल्ली का एक–एक आम नागरिक इन खासतौर से हमारी महिलाएं जो असुरक्षित हैं जिनके रोज बलात्कार हो रहे हैं, जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, यकीनन इस मुद्दे पर हम लोग इनको घेरेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी।

v/;{k egkn;% श्री नितिन त्यागी जी।

Jh fufru R;kxh% धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। आपने एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बोलने का मौका दिया है। जाहिर है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी पार्टियाँ अपना जोर आजमाती हैं। अपने–अपने सपने लेकर आतें हैं। अपने–अपने वादे लेकर आते हैं। कुछ लोग जुमले भी लेकर आते हैं। परन्तु इस लोकतंत्र में पहली बार एक ऐसी सरकार आई जिन्होंने अपने वादों को, अपने मैनिफेस्टो को इतनी सीरियसली लिया है। एक ऐसा मुख्य मंत्री आया है जो अपने किए हुए वादों को इतनी रिलीजियसली फोलो करने की कोशिश करता है। और उस काम को रोकने के लिए दिल्ली में एक एलजी साहब बिठाए गए हैं। लोकतंत्र रहते हुए भी यहाँ पर राजशाही आज की तारीख में दिल्ली में चल रही है। ये बड़ा विचित्र है! लोकतंत्र में जहाँ पर जनता सबसे होने चाहिए और जनता के प्रतिनिधि जो चुनकर आते हैं उनको ये मौका मिलता है कि वे इस जनता की सेवा कर सकें, जिन्होंने इनको चुना है। वहाँ पर उनके हाथ बाँध दिये जाते हैं। मतलब जनता के हाथ बाँधे जाते हैं। जनता के प्रतिनिधि के अगर आप हाथ बाँधोगे, हम जो यहाँ पर आते हैं, इस सदन में आते हैं, आकर आवाज उठाते हैं तो अपने यहाँ के,

अपने क्षेत्र के लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। उन लोगों के लिए आवाज उठाते हैं जिन लोगों ने हमको चुना है। इस काम के लिए और अगर उन्हीं लोगों की आवाज बंद की जाएगी तो मतलब जनता का गला घोंट रहे है, उनका मुंह बंद कर रहे हैं आप। उनके बोलने की, उनके हकों को सबको दबाने की कोशिश कर रहे हो। और एक सैलेरीड एम्पलाइ के जरिए... सैलेरीड एम्पलाइ! वो सैलेरीड एम्पलाइ जिसकी सैलेरी इसी जनता के टैक्स के पैसों से आती है। मैं सर, पहले अपने क्षेत्र की परेशानियों से बात शुरू करूँगा। मैं इसी बारे में बताऊँगा जो हर विधायक फेस करता होगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, कॉंग्रेस है नही, अन्फॉर्च्युनेटली और अन्फॉर्च्युनेटली फॉर दिल्ली, पर जब मैं चुनाव लड़ रहा था 2014 एंड से लेकर 2015 तक बहुत सारे पोटेंशियल देखता है आदमी। अपने क्षेत्र में जो समस्या है या उसमें सुधार के जो भी... वहाँ पर क्षेत्र में सुधार के जो भी प्रावधान किए जा सकते हैं क्षेत्र के लोगों के लिए, उसके बारे में सोचता है, विमर्श करता है, लोगों से बात करता है। लोगों की परेशानियाँ पूछता है। उनसे आइडियाज लेते हैं और वो आइडियाज इम्पलीमैंट करने के लिए वादे भी किए जाते हैं और कोशिश भी की जाती है। लक्ष्मी नगर से मैं आता हूँ सर, वहाँ पर एजूकेशन का हब है सीए, सीएस स्टूडेंटस के बहुत सारे इन्स्टीट्यूट हैं। तो मैने उनसे कहा था कि एक लाइब्रेरी बड़ी सीए सीएस स्टूडेंटस के लिए बनवाऊँगा। डीडीए का एक 1200 मीटर का प्लाट पड़ा है वहाँ पर। साढे तीन साल हो गए सर वो प्लाट माँगते–माँगते। लाइब्रेरी भी बन जाएगी कि अकेले लाइब्रेरी नहीं बन सकती, ऐसा कोई प्रावधान है डीडीए में, तो उस वक्त हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हमारे कपिल मिश्रा जी थे। उनकी मदद से और उसके बाद में अब मनीष जी की मदद से हम लोग इतने दिन से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वहाँ पर कॉफी होम प्लस लाइब्रेरी प्लस एक आध चीज करके और एक

पूरा का पूरा वो प्रोजेक्ट बन जाए। ये साढ़े तीन साल हो गए हैं, ये प्रोजेक्ट नहीं आ पा रहा सर। एक और दूसरा प्लान है जहाँ पर प्रपोज किया। मेरे पास ये सब लिखित में है सर, डीडीए के साथ में जितना डिस्कशन हुआ है। एक और पीस ऑफ लैंड है जहाँ पर वर्किंग वूमन हॉस्टल बनाने का प्लान है। एड़ी चोटी का जोर लगा लिया सर, वो फाइल आगे नहीं बढ़ पा रही है। कई जगह पर पार्किंग का प्लान है। पार्किंग की मेजर प्रोब्लम है; ईस्ट दिल्ली में आप भी जानते हैं। मेरे यहाँ तो बहुत ही ज्यादा ईश्यू हैं। विकास मार्ग बीच में से जाता है और बहुत कंजैस्टेड एरिया है। ढ़ाई लाख, सवा दो लाख वोटर हैं और 12 लाख पॉपूलेशन है। पार्किंग बहुत मेजर समस्या है। बहुत बार लैंड माँगा और मैं नहीं माँग रहा सिर्फ... मेरे से पहले वालिया जी जो बड़े मंत्री रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने तक ने माँगा, वो लैंड मदर डेयरी से चिपका हुआ लैंड है। 4800 मीटर का है। उनसे तब कहा गया था... और मेरे से आज तक कहा जा रहा है, ''अगर मदर डेयरी को उस लैंड की जरूरत नहीं पड़ी तो तुम ले लेना।'' मदर डेयरी लिख कर दे चुकी है, ''उसके ऊपर हाई टेंशन वायर जाती है, हमें ये लैंड कभी नहीं चाहिए, हम कभी लेंगे भी नही।'' इसके बावजूद वो लैंड नहीं दिया जा रहा है। अनऑथोराइज्ड पार्किंग चल रही है। जो ये 1200 गज मैंने बताया आपको लैंड पहले जहाँ पर मैं लाइब्रेरी की प्लान कर रहा हूँ, वो पूरी की पूरी एक स्ट्रिप है जो कि विकास मार्ग से लेकर स्कूल ब्लॉक तक जाती है। और जब मेरी पहली डिस्कशन हुई तो उसमें एक अधिकारी ने कहा कि सर, ये तो पूरी की पूरी कमर्शियल बैल्ट के लिए थी और इसमें अब ये ही एक छोटा सा लैंड बचा है, बाकी सारा का सारा एन्क्रोच हो गया है। अगर ये करा तो हमें चेंज ऑफ लैंड यूज करना पड़ेगा। उसमें ये सारी फाइलें खुल जाएगी। ये एन्क्रोचमैंट कैसे हो गया? सिर्फ इस वजह से रोका जा रहा है। मतलब दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली की जनता... वहीं शकरपुर गाँव है, उन्हीं

लोगों की वो जमीन थी। दिल्ली की जनता का ही लैंड, दिल्ली की ही जनता के लिए, दिल्ली का ही विकास प्राधिकरण, दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई दिल्ली की सरकार को देने से मना कर रहा है। ये अपने क्षेत्र की बात बता रहा हूँ। मैने और बग्गा जी ने एक बार बग्गा जी के यहाँ पर बहुत बड़ा लैंड है जो मास्टर प्लान में ईयरमार्क्ड है, हॉस्पिटल के लिए। हम लोगों ने वो फाइल बनाकर सत्येन्द्र जी को दी। वहाँ पूरी कोशिश हो गई सर, कि किसी तरीके से ये जो लैंड है, ये हॉस्पिटल के लिए मिल जाए। वो हॉस्पिटल के लिए लैंड नहीं मिल रहा। बहुत फायदा होगा पूर्वी दिल्ली को अगर वहाँ पर एक बडा हॉस्पिटल बन जाए। वहाँ पर कूड़े का खत्ता जरूर खुलवा दिया, दो तीन दिन के लिए एलजी साहब ने। वो भी प्रोटेस्ट करके रुकवाना पड़ा। हड़ताल पर बैठना पड़ा वहाँ पर। पर वो हॉस्पिटल के लिए नहीं मिल सकती। हॉस्पिटल के लिए लैंड नहीं मिलेगा, मोहल्ला क्लीनिक के लिए लैंड नहीं मिलेगा, स्कूल खोलने के लिए लैंड नहीं मिलेगा, वूमेन्स हॉस्टल खोलने के लिए लैंड नहीं मिलेगा, लाइब्रेरी खोलने के लिए लैंड नहीं मिलेगा, किसी चीज के लिए लैंड नहीं मिलेगा। लैंड पूलिंग पॉलिसी आ जाएगी। लैंड से कमाने के जितने धंधे हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। ये तो मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा था। अगर मैं पूरी दिल्ली की बात करूँ। एक सपना लेकर आए थे कि 'जहाँ झुग्गी वहीं घर।' हर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आदमी को जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, उसको घर मिल सके। डीडीए तो आज की तारीख में कमर्शियल हो चुकी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जनता फ्लैट छोटे छोटे भी अगर मिलते हैं तो 20–20 लाख रुपये में मिलते हैं। किस तरीके की पॉलिसी हो गयी है कि वो सिर्फ ईडब्ल्युएस नहीं अप्लाई कर सकते, हरेक कोई अप्लाई कर सकता है। तो जितने इन्वेस्टर हैं, वो अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई करते हैं जिनकी सबकी लॉटरी में आ जाता है जिनका नाम आ जाता है, वो कई लाख

रुपये प्रीमियम पे बेचते हैं और वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी... किस को हम समझते हैं? 20 लाख रुपये का घर खरीद सकते हैं क्या वो लोग? अगर खरीद सकते होते तो झुग्गियों में जा के नहीं रह रहे होते? जहाँ न पानी की सुविधा, न शौच की सुविधा। न बच्चों के स्कूल की सुविधा, न अस्पताल की सुविधा। जाके रहते हैं तो मजबूरी में रहते हैं क्योंकि इतना पैसा नहीं होता। पर हमारी दिल्ली में, हमारे घरों में, हमारे शॉप्स में, हमारे ऑफिसेज में जो लोग काम करते हैं, वो वहीं से आते हैं। उन्हें दिल्ली से हटाया नहीं जा सकता पर उन्हें इज्जत जरूर दी जा सकती है। वो काम करना चाहती है दिल्ली सरकार पर उसके लिए लैंड अवेलेबल नहीं होगा कि सब लोगों को घर मिल सके, कमजोर से कमजोर जो आर्थिक रूप से, उसे घर मिल सके। ये सपना भी दिल्ली का पूरा नहीं कर सकते। लैंड चाहिए, हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ाने हैं, दिल्ली के अंदर सर हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, उन्हें और सुधारा जा रहा है लेकिन दिल्ली के हॉस्पिटल्स में सिर्फ दिल्ली के मरीज थोड़े जाते हैं, दिल्ली के हॉस्पिटल्स में अगर आप जीटीबी में चले जाइए, 70 परसेंट से ज्यादा मरीज दिल्ली के बाहर के होते हैं। जैसे ही जीटीबी आप घुसेगें, कुत्ते काटने की जो दवा, जहाँ पे लगती है, वो जो इंजेक्शन लगता है, उसका सैंटर है। अभी पीछे ही गया था। 100 से ज्यादा लोग खड़े थे सर, वहाँ पे सर, 90 से ज्यादा दिल्ली के बाहर के होंगे? अलीगढ़ से, देहरादून से लोग आते हैं क्योंकि वहाँ की सरकारें पैसा लेती हैं कुत्ते काटे के इंजेक्शन का हम लोग फ्री में देते हैं। वो 900 रुपये का इंजेक्शन में आने जाने का भाड़ा लगा के भी उनको सस्ता पड़ता है, इसलिए आ जाते हैं। उनपे टाइम है, पैसा नहीं है।

अगर वो एक इंजेक्शन लगता है जो चोट पे लगता है, वो चार हजार रुपये का होता है फिर तो वो तो तमिलनाडु से भी लोग आने को तैयार होते हैं यहाँ पे। हर जगह से लोग आते हैं सर, दिल्ली में इलाज करवाने के लिए, हॉस्पिटल में

बेड बढ़ाने की जरूरत है, हास्पिटल बनाने की जगह नहीं है। हमें पार्किंग की बार बार बात होती है दिल्ली के अंदर। एमसीडी में लेके पार्किंग चार्जिज ले लिए जाते हैं, कभी पार्किंग नहीं दी जाती। बहुत सारी समस्या होती है। पार्किंग अगर बनानी है, उसके लिए पूरी दिल्ली के अंदर लैंड तो चाहिए ना, लैंड किस से लेंगे? डीडीए से लेंगे। लैंड आप के कंट्रोल में नहीं है। दिल्ली सरकार के कंट्रोल में लैंड नहीं है। बार बार, हर चीज घूम के कितनी बार लोगों को बोलें कि तुम्हारी ये समस्या है, पर हम इसका कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि लैंड हमारे पास नहीं है। लैंड एलजी के पास होगा। तो चुनी हुई सरकार क्यों है? और अगर चुनी हुई सरकार है तो एलजी क्यों है? कॉस्टीट्यूशन कहता है कि देश के अंदर लोकतंत्र होगा तो कॉस्टीटयूशन के ऊपर कोई कैसे जा सकता है कि देश में राजंतत्र ले आए? अफसरशाही इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है कि चुने हुए लोगों को पीछे हटा दे? उनकी बात न सुने, जनता की बात न सुने। जो चलाना है, अपना चलाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है सर? मेरे पहले साथियों ने सबने बताया कि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कई बार कॉंग्रेस ने ये बड़े अच्छे सपने दिल्ली वालों को दिखाए कि भई तुम लोगों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। मुझे हर्षवर्धन जी का भी याद है कि उन्होंने बहुत जोर शोर से कहा था कि अगर केन्द्र में सरकार बन गयी तो पहला डिसीजन जो होगा, केन्द्र सरकार वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। कहाँ गए हर्षवर्धन जी? कहाँ गए सारे के सारे एमपी जो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए घूमते थे? आज एक काम नहीं करते दिल्ली के अंदर! हमारे यहाँ तो हमारे सांसद हैं, स्पीड ब्रेकर बनवाते हैं तो उसके पाँच हजार पर्चे छपवा के फिर आते हैं वहाँ पे। मैं नौ किलोमीटर की उसकी बात नहीं करता, वो तो फिर भी नौ कि.मी. है। यहाँ तो चार स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए आते हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं किया। एक

बार आवाज नहीं उठाई संसद में कि भाई साहब, हम बोल के आये थे, लोगों ने हमको वोट दिए थे। उस बेसिस पे कम से कम एक बार तो सुन लो, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो। डर किस बात का है? ये जमीन लेके कोई भाग नहीं जाएगा। इंसान अपनी जमीन लेके नहीं भाग सकता। सब यहीं छोड़ के जाना है। और ये तो दिल्ली की जनता की जमीन है, दिल्ली की जनता के काम आनी चाहिए, इसे रख के क्या करोगे अपने पास? किस तरीके का कंट्रोल करना चाहते हो? अभी लेटेस्ट सर, आपके यहाँ की प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ की भी प्रॉब्लम है, पूर्वी दिल्ली की तो कम से कम कह सकता हूँ। मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली की एक प्रॉब्लम है। मानसून आ रहा है, पीडब्ल्युडी के नालों की डिसिल्टिंग होनी है। वो सिल्ट उठा के डालने के लिए दिल्ली में हमारे पास जगह नहीं है, वो लैंड नहीं है हमारे पास, जहाँ पे हम डिसिल्टिंग करके और सिल्ट को उठा के डाल दें, सिल्टिंग–डिसिल्टिंग शुरू नहीं हुई है, नाले भरे पड़े हैं, मानसून एक महीने में आ जाएगा तब क्या करेंगे? कौन देगा ये लैंड? क्या हम लोग भी लाचार हो जायेंगे, हम कहेंगे, "हमारे पास पास काका कोई साल्यूशन नहीं है।" और ये समस्या बहुत गंभीर है। क्या मानसून आते ही फिर डेंगू आएगा, चिकनगुनिया आएगा। लोग मरेंगे। कौन जिम्मेदारी लेगा इस चीज की? सिर्फ एक लैंड न होने की वजह से कितनी मौतें हो जाएंगी, हर साल होती हैं। साल दर साल होती हैं। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? एक नाले की सफाई सिर्फ इस वजह से नहीं होगी कि हमारे पास सिल्ट डालने के लिए लैंड नहीं है और लैंड पे कब्जा एलजी साहब का है। एक एलजी उसकी जवाबदेही किसको है? हम लोग लोगों से वादे करके आए हैं, हमारी जवाबदेही लोगों के लिए है। लोग हमसे सवाल करेंगे, हम उनको जवाब देंगे। एलजी तक कौन जाएगा सवाल पूछने के लिए? कब ऐसा होगा कि एलजी खुद सड़क पे आएंगे और लोगों को जवाब देंगे। जब डिसीजन एलजी लेते हैं तो क्या

एलजी को नहीं आना चाहिए कि सड़क पे आके लोगों के जवाब दें? जवाब दें कि क्यों आज तक खत्ता नहीं बना पा रहे हैं कि कहाँ पे कूड़ा डलेगा ? कभी कृष्णानगर के बीच में... तो कभी घोंडा के पास में... कभी कहीं, कभी कहीं, रिहायशी इलाके के बीच में इस तरीके से दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ किया जाता है सर। जवाब कौन देगा इस बात का कि ये जो इतने सारे प्लान दिल्ली के लिए बनाए गए हैं, उनके ऊपर काम नहीं हो रहा, इसका जवाब कौन देगा? अब बार बार हम क्या यही कहते रहेंगे, "हमारे बस की नहीं है?" क्यों नहीं है हमारे बस की? ये होना चाहिए, हमारे बस की। हम लोगों को वोट दिया है लोगों ने? उनके वोट की कीमत कौन चुकाएगा सर? इतना फुकरा कैसे हो गया उनका वोट कि हम लोगों को ताकत नहीं दे पा रहा? बहुत जरूरी है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले सर।

सर, देखिए, दिल्ली के अंदर डीडीए के पास लैंड है। डीडीए ने अपनी जो हाउसिंग प्रोजेक्टस हैं, उनको बिल्कुल कमर्शियलाइज कर दिया है। आज की तारीख में वो आम जनता के हाथ से बाहर निकल गया है और जो यूनिट्स हैं जो थ्री बेड रूम, टू बेड रूम अपार्टमेंट्स, वो इतने एक्सपेंसिव हो चुके हैं कि एक आम आदमी नहीं खरीद सकता और जितनी रिहाइश, जितने फ्लैट्स, जितने यूनिट्स रेजीडेंशियल यूनिट्स, डीडीए को प्रोवाइड करने चाहिए सर, मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में मुश्किल से दस परसेंट प्रोवाइड कर पाया है। मात्र दस परसेंट! यही वजह है जो बार बार अनऑथोराइज़ कालोनीज कहते हैं हम लोग, हम लोग यहाँ पे फ्लोरस बनती हैं तीन की जगह चार और छह और आठ बन जाती हैं फ्लोर्स, वो भी अनऑथोराइज्ड। हमारे यहाँ पे प्लानिंग नहीं हो पाती इस वजह से नाले, सीवर, पानी की पाइप लाइन सब सब गड़बड़ हो रखा है। क्योंकि जो डेवलपमैंट अथॉरिटी है, उसकी जवाबदेही यहीं की जनता को नहीं है जिसकी

लैंड ले के, उसपे पैसे कमा के बैठे हैं। जिसकी लैंड को कब्जा होने देते हैं, बहुत मैक्सिमम लैंड डीडीए का कब्जा होके पड़ा हुआ है क्योंकि उनकी जवाबदेही किसी को है ही नहीं। सामने के सामने, मेरी आपसे... पहले भी यहाँ पे मैंने बताया था नजीब जंग साहब जब एलजी थे, मेरी उनसे बैठक हुई थी, मीटिंग में मैंने उनसे कहा था कि सर, "In such a little time I have been able to understand just one thing about DDA that it is very easy to encroach upon the land of DDA but it is very difficult to get it for public purpose." He said, "I Am agree with you Nitin, Hundred percent." And if he knew that I am hundred percent right , what had he done for it and I am sure कि अगर नजीब जंग साहब को पता होगा तो इस एलजी साहब को भी पता होगा कि लैंड को कब्जाना डीडीए के ज्यादा आसान है, जनता के लिए लेना, उसे पाना या उसे इस्तेमाल कर पाना ज्यादा मुश्किल है। अगर ऐसा है और इनको पता है तो इसमें बदलाव क्यों नहीं आयेगा क्यों ऐसा होगा कि बार बार एक के बाद एक एलजी ऐसा आयेगा जो केन्द्र का रिप्रजेंटेटिव या मोहरे की तरह से काम करेगा किसकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा हो। मैं अपने लिए क्या अस्पताल बनाऊँगा सर, अभी थोड़ा सा रुकियेगा, क्या मैं अपने लिए अस्पताल बनाऊँगा? क्या मैं अपने लिए स्कूल बनाऊँगा? मैं सीए कर रहा हूँ कि मैं लाइब्रेरी बनाऊँगा या मैं जाकर रहूँगा वर्किंग गर्ल्स होस्टल में? मुझे अगर वो चाहिए तो हमारी जनता के लिए चाहिए। उन लोगों के लिए चाहिए जिन्होंने चुना है हम लोगों को और उन्हीं लोगों के लिए चाहिए जिनके टैक्स के पैसे से एलजी साहब को तनख्वाह मिलती है, उन्हीं लोगों के लिए चाहिए जिनके टैक्स के पैसे से इन एमपी को भी तनख्वाह मिलती है जिन्हें चुन कर भेजा है हमने एमपी। और ये बात सौरभ भाई की बिल्कुल सच है

कि अगले चुनाव का मुददा यही होना चाहिए कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए और दिल्ली की जनता ये लेकर रहेगी, चाहे वो एलजी साहब हो चाहे, वो केन्द्र सरकार हो और हम सब लोग मिल कर उनका इसमें साथ देंगे, धन्यवाद सर।

Ekkuuh; v/;{k% बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सोमनाथ भारती जी। हाँ, नहीं आज करिए प्लीज। अब श्री अजय दत्त जी।

Jh vt; nRr% धन्यवाद, अध्यक्ष जी, आपने मुझे एक बहुत ही गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, देश विदेश घूमने के बाद मैं आम आदमी पार्टी ज्वाईन करने से पहले मैं बंगलोर सैटल था और एक चाहत थी कि देश को बदलेंगे। एक चाह थी कि इस देश को और अपनी दिल्ली को बदल के एक विश्व स्तर का देश और दिल्ली बनाएंगे। जब दिल्ली को देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ एक काम करने के लिए हम जैसे चुने हुए लोग जो सरकार में बैठे हैं, उन्हें भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है और हम एक क्षुब्ध होकर देखते हैं कि यार! ये इतना गड़बड़ चल रहा है, इतना घोटाला चल रहा है, इतनी परेशानी दिल्ली के लोगों को है और मैं तो यहाँ चुन के आया हूँ। मैं इसको ठीक क्यों नहीं कर सकता? तो जब उसकी तह में जाते हैं तो पता चलता है कि ये काम एक ऐजेंसी का है, वो काम दूसरी का, वो तीसरी का, वो पाँचवीं का, छठी का है और फाइनली पता चलता है, वो छठी ऐजेंसी जिसे काम कराना है, वो एलजी के द्वारा गवर्न की हुई ऐजेंसी है या तो वो दिल्ली की पुलिस है या वो डीडीए है, जो हमारी सुनेगी नहीं। तो अंदर से एक बहुत बड़ी झुंझलाहट होती है और लगता है कि हम कहाँ बैठे हैं और क्यों बैठे हैं! हम करने क्या आये थे और हो क्या रहा है!

आज हमारे देश की जब बात करते हैं; मैंने एक छोटा सा डेटा निकाला कि दिल्ली क्या है। अगर हम दिल्ली में स्पेसिफिक बात करते हैं दिल्ली के बारे में तो

अध्यक्ष जी, एक बहुत आशचर्यजनक डेटा मैं कुछ देशों का नाम मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ। आस्ट्रेलिया एक बहुत नोन देश है और उस देश की जो पोपुलेशन है वो सिर्फ 2.4 मिलियन है जब कि हमारी दिल्ली की पोपुलेशन 20 मिलियन प्लस है सिंगापुर की 5.6, श्रीलंका की हमारी दिल्ली के बराबर की पोपूलेशन है। श्रीलंका जैसी कंट्री सिंगापुर जैसी कंट्री, आस्ट्रेलिया जैसी कंट्री, दुबई जैसी कंट्री, हांगकांग जैसी कंट्री से बहुत बड़ी हमारी दिल्ली है और उसको गवर्न करने का, उसको चलाने का अधिकार इस सरकार के पास जहाँ पर 67 एमएलए चुनकर आये, वो नहीं है। एक तानाशाह, एक कॉस्टिट्यूशन के मुताबिक जहाँ पर पूरे देश की सरकार बैठी है, जहाँ पर दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, उसको काम करने का अधिकार नहीं है, अध्यक्ष जी। क्योंकि मैं पहले से ही इच्छा ये थी और बहुत सारी संस्थाओं के साथ सेवा करने की भावना थी तो मैं एक संस्था के साथ जुड़ा, जिसका नाम अक्षयपात्रा है। मैं उन्हें काफी पहले से जानता हूँ। करीबन बारह साल से और क्योंकि दिल्ली में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो शिक्षा में बदलाव किए हैं तो हरेक स्तर पर बदलाव किए हैं और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हुआ, अध्यापक जिन्हें बहुत ज्यादा मोटिवेशन दिया गया, उनके कार्य में बदलाव हुआ और वहाँ की सफाई व्यवस्था में बदलाव हुआ और उसका रिजल्ट देखा कि आज दिल्ली में बारहवीं कलास के बच्चों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूल के बच्चों से अच्छा आया है। तो ये बदलाव की जब नीति चल रही थी तो एक विश्वस्तरीय संस्था जिसे जो कि भारत में करीबन दस राज्यों में मिड डे मील देती है... और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये संस्था 17 लाख 14 हजार 40 बच्चों को प्रतिदिन मिड डे मील प्रदान करती है और 14 हजार से ज्यादा स्कूलों में वो इस कार्यक्रम को चलाते हैं और ये एक बहुत ही बड़ी विश्व स्तर की एनजीओ है जिसके कार्य करने की शैली के बार में मैं कुछ बताना चाहूँगा। ये एनजीओ ऐसी

है जो हाईजीन में नंबर वन कही जाती है और इसके जो खाने बनाने के तरीके हैं, उसमें बगैर हाथ लगाये बच्चों को जो हाईजीन का खाना बनाकर दिया जाता है तो इसका हम इस एनजीओ को लाना चाह रहे थे कि भई, जो मिड डे मील में घपले चल रहे हैं, जो मिड डे मील के खानों को ठीक से नहीं दिया जा रहा है, जो हमारे बच्चों को जो इस देश का भविष्य हैं, जो मेरे देश का भविष्य हैं, उसको पौष्टिक भोजन दिया जाये, उसके लिए हमने इस एनजीओ को नॉमिनेशन बेसिस पर हमारी सरकार ने उनको एक नॉमिनेशन बेसिस पर लैंड देकर एलजी साहब को फाइल भेज दी गई और ये हरेक स्टेट में चाहे वो बीजेपी के स्टेट हों चाहे वो और किसी पार्टी के दस स्टेट हों, वहाँ पर सब जगह उनको बुला बुलाकर काम दिया जाता है क्योंकि उसके मानक पूरी विश्व में सबसे अच्छे हैं। उसके जो आडिट हैं, वो केपीएम जी जैसी संस्थान कर रही है जो पूरे विश्व में अपने ऑडिट के लिए जानी जाती है और उनको हमारी सरकार ने कहा है कि भई आप यहाँ आओ और मिड डे मील आप करो तो एलजी साहब के साथ फाइल भेजी गई। पहले वाले एलजी साहब थे, उन्होंने उस फाइल को रखा बहुत दिन। बार बार कहने के बाद फाइल नहीं दी और उस पर कुछ काम हुआ नहीं। दूसरी बार उनसे पूछा गया और अल्टीमेटली आज तक अक्षयपात्रा जैसी विश्वस्तर की जो संस्थांन है, जो पूरे भारत वर्ष में नहीं, पूरे विश्व में जानी जाती है जिसमें बिलगेट जैसे लोगों ने ओबामा जैसे लोगों ने कमैंट किया है कि ये जो संस्थांन है, विश्व की सबसे अच्छी संस्थांन है, इसके मानक सबसे अच्छे हैं। इसको पूरे विश्व में बच्चों को खाना देने के लिए लगाया जाये। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे सरकारी स्कूलों में अच्छा खाना जाये और ऐसी संस्था को हम यहाँ पर लायें और उसको काम दें जिससे कि हमारे बच्चों को पौष्टिक और स्वच्छ भोजन मिले, स्वच्छ मिड डे मील मिले और उनकी पढाई में और अच्छा डेवलेपमैंट हो। लेकिन

अध्यक्ष जी, इस देश में एक इतना बड़ा राज्य... आधा राज्य कह सकता हूँ जिसमें दो करोड़ से ज्यादा लोग रहते हों और सरकारी स्कूलों का डेटा मेरे पास है, करीबन बीस लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढते हों जिनके भविष्य के लिए हमारे सरकार दिन पर दिन कार्य कर रही हैं, उनके भविष्य को ताक पर रख कर एलजी महोदय ने उस संस्थान को अप्रूवल नहीं दिया और उस संस्थान को जहाँ किचन बनाना है, पूरा ऑटोमैटिक है, उसमें वो सिर्फ सब्जियाँ डालते हैं और उसके बाद पूरा सब्जी बन के और पैक हो जाती है और कोई हाथ नहीं लगाता। उसके बाद इस तरीके के उसके टैक्नीकस हैं और जब हमने एलजी साहब को हमारी सरकार ने एप्रोच किया...

Ekkuuh; v/;{k% अजय दत्त जी कन्क्लूड करिए, प्लीज।

Jh vt; nRr% अध्यक्ष जी, कहने का मेरा मतलब है कि अगर दिल्ली की सरकार काम कर रही है और उसको काम नहीं करने दिया जा रहा, एलजी साहब को बिठाया जा रहा है तो जब हम दो करोड़ लोगों के भविष्य को यहाँ पर ध्यान में रखे हैं, दिल्ली की जनता ने जो वोट दिया, इस सरकार को चलाने के लिए अगर ये राज्य ऐसे ही चलता रहा और अगर इस राज्य को डेवलपमैंट को रोका गया, जैसे कि रोका जा रहा है, क्या हम अपने बच्चों को भविष्य दे पाएंगे? एक बात तो हम बार–बार लगातार जैसे सौरभ भाई ने बताया कि बीजेपी के लोग जिन्होंने पूरी जिदंगी ये लड़ाई लड़ी कि हम भई दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, मोदी साहब के 2013 के मेनिफेस्टो में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना था, वो नहीं दिया गया। उन्होंने कमिटमैंट किया था तो क्यों आप दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्यों आपने दिल्ली की जनता को धोखा दिया और क्यों आप बीजेपी के लोग जो आपने कमिटमैंट किया था, जो आपने वादा किया था, उसको पूरा नहीं कर रहे? क्या आपको लगता है, दिल्ली की जनता आधे वोट

देकर आपको लेकर आती है? क्या आपको लगता है कि दिल्ली की जनता को अच्छे से जीने का अधिकार नहीं है? क्या आपको लगता है कि यहाँ सरकार नहीं होनी चाहिए? क्यों? तो ये दिल्ली की जनता आपसे बार–बार हमारे माध्यम से और अदरवाइज भी पूछ रही है कि आप इतने झूठे, वादा खिलाफी कैसे कर सकते है और काँग्रेस ने... मैं तो वो समय भी जानता हूँ जब शीला दीक्षित ने दिल्ली के नगर निगमों को तीन भागों में बाँटा था, उस समय उसके तुरंत बाद शीला दीक्षित कहती थी कि अब हमारी लड़ाई दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की है जब कि उनकी सरकार केंद्र में भी थी। तो ये दोनों पार्टी का क्या जुमलों की और झूठे वादों की सरकार है?

तो अध्यक्ष जी, हम ये माँग करते है कि अगर दिल्ली, अगर नहीं हमें दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाना ही पड़ेगा, ये इस देश की राजधानी है, हमें अपनी दिल्ली को पूरे विश्व में दिखाना है, इसको वर्ल्डक्लास सिटी बनाना ही है। मैं आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने अपना प्रस्ताव दिया है, इसके माध्यम से कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य दें और ये बीजेपी की ये जो सरकार केंद्र में बैठी है, उसको अभी के अभी उसको पास करें, नहीं तो पूरी दिल्ली की जनता आपसे इसको पूछेगी और पूछेगी क्या आपकी सारी सीटें दिल्ली में और बाकी सीटें इस पूरे देश में हरवाएगी। ये हम आपको कहकर जा रहे हैं, धन्यवाद, जय हिंद।

Ekkuuh; v/;{k% श्री सिरसा जी।

Jh euftnj flg flj lk% धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मेरे को इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, बिल्कुल दिल्ली को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, हम इसके पक्ष में हैं और इसका समर्थन भी करते

हैं। अध्यक्ष जी, जिस पार्टी से मैं हूँ, हम तो यह तक भी कहते है कि पूर्ण राज्य तो दिल्ली नहीं है, बाकी स्टेट तो हैं, हम तो इसके बाद भी कहते हैं कि ज्यादा अधिकार स्टेट्स को मिलने चाहिए। हम इस पक्ष के हैं कि स्टेट्स के पास ज्यादा अधिकार होने चाहिए क्योंकि स्टेट जिम्मेवार है अपने लोगों की सुरक्षा से लेकर उनकी रोजमर्रा की जिदंगी को खुशहाल और बहाल करने के लिए। हम यह भी मानते हैं कि दिल्ली के अंदर जो इतनी कॉम्पलीकेशंस हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण दिल्ली का पूर्ण राज्य न होना है। दिल्ली में जो पिछले कई साल से मेरे सारे एमएलए भाइयों ने बताया; अलग–अलग समय की अलग–अलग बातें, मैं उनमें न जाकर लेकिन जितनी भी अभी तक की प्रॉब्लम सामने आती हैं, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम इसलिए हैं क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला, पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, लेंड हो और इसमें भी कोई शक नहीं कि दिल्ली डेवलपमैंट ऑथोरटी जो है, उसका बहुत बड़ा रोल है दिल्ली को नुकसान पहुंचाने में। अगर दिल्ली के अंदर अनऑथोराज्ड कॉलोनीज का बहाव आया तो इसलिए आया क्योंकि डीडीए ने... एक नक्शा ही नहीं पारित करने के लिए नाकाम हुई, लेंड भी थी और लोग लेने वाले भी थे, जगह भी थी, खरीदने वाले भी थे, मकान भी थे और मकान बनाने के लिए भी लोग तैयार थे। लेकिन उनका बहुत बड़ा फेल्योर था कि वो दिल्ली को न तो कभी मास्टर प्लान प्रॉपर दे पाए, न कभी लोगों को मकान मुहैया करा पाए। लोगों ने अपनी जरूरतों के मुताबिक प्राइवेट लेंड्स के ऊपर कॉलोनियाँ डेवलप होनी शुरू हो गई। पिछले सदन के दौरान किसी भाई ने ये भी कहा, मुझे याद नहीं किसने कहा, शायद मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि दिल्ली के डीडीए के पास 25 हजार करोड़ रुपये की एफडी है, मुझे जानकारी नहीं है, है या नहीं है, पर मैंने सुना था यहाँ किसी से। इसमें कोई शक नहीं है कि वो पैसा तो हम दिल्ली के लोगों का है, हमारे दिल्ली के लोगों की भलाई के

लिए वो काम आना चाहिए। अगर कोई ऐसी एफडी है तो उस पर राइट जो है, दिल्ली के लोगों का है, दिल्ली सरकार का है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार है, दिल्ली के लोगों का है। डीडीए ने वो पैसा जो है, जितना भी एकत्रित किया, वो दिल्ली से ही एकत्रित किया। लैण्ड बैंक खड़े किये, फिर उनको बेचा और वहीं से पैसा इकट्ठा किया, कोई उसको बाहर से पैसा नहीं आया। इसमें भी कोई शक नहीं कि दिल्ली में आज जब भी हम किसी लैण्ड की बात करते है तो दिल्ली की डीडीए एक ऑथोरटी जो है, उसके साथ काम करना, उससे लैण्ड लेना, उसके साथ डील करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का घर बना हुआ है और कोई आसान काम नहीं है।

दिल्ली पुलिस जिसके पास लॉ एण्ड ऑर्डर है, वो भी दिल्ली सरकार के पास नहीं है, दिल्ली के लोग वे भी चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी भी बार–बार इस बात को कहती रही कि हमें इस स्टेट को पूर्ण दर्जा देना चाहिए, लेना चाहिए।

आज तीन साल बाद ये सरकार बात कर रही है और अध्यक्ष जी, जितनी मैंने बातें सुनी, उनमें मैंने ये देखा कि बहुत सारी चीजें जो हैं, दिल्ली सरकार के पास जो थी, उसमें दिल्ली सरकार बिल्कुल नाकाम रही है। दिल्ली सरकार... आज ऐसा लग रहा है कि तीन साल बाद जो अपनी नाकामियाँ हैं, उनको छिपाने के लिए ये एक नया मौका ढूँढ़ा, दिल्ली के लोगों की फ्रस्ट्रेशन देखी, दिल्ली में पीने का पानी नहीं है, क्या, इसमें पूर्ण राज्य का तो कोई काम नहीं है? पीने को पानी भी आप नहीं दे पा रहे। दिल्ली के अंदर 40 परसेंट बच्चे अगर फेल हो जाते हैं दसवीं के अंदर, 30 परसेंट जो अभी मैं डेटा पर मैं नहीं... आंकड़ों पर मेरी गलती भी हो सकती है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें पूर्ण राज्य का कोई रोल था। दिल्ली के अंदर हॉस्पीटल्स हैं, फेल हो गया, हमारा हेल्थ सिस्टम, इसमें पूर्ण दर्जे का कोई रोल नहीं...

...(व्यवधान)

Jh euftnj flag flj lk% देखिए आप सब लोग बोले, मैंने किसी की बात में बोला नहीं। और अगर आप इस तरह काटेंगे, बाकियों ने बोलना है, हम भी इस तरह करें, अच्छा नहीं लगता, हमें बात रखने दीजिए और

...(व्यवधान)

Ekkuuh; v/;{k% ऋतुराज जी, सदन आज बहुत बढ़िया चला है, ऋतुराज जी, प्लीज।

Jh euftnj flag flj lk% दिल्ली के अंदर हेल्थ सिस्टम के अंदर...

...(व्यवधान)

Ekkuuh; v/;{k% कल हमारे लोग बोलेंगे, वो उत्तर देंगे उसका। उनको नोट करना चाहिए, जिनकी बारी है कल।

Jh euftnj flag flj lk% पूर्ण राज्य का रोल कोई हेल्थ के अंदर तो नहीं रूकावट लेकिन लोग सड़कों पर बैठे हैं, दवाई उनको मिल नहीं पा रही। हेल्थ सिस्टम फेल हो गया, एजुकेशन सिस्टम फेल हो गया, पीने का पानी नहीं, मैं नहीं कह रहा, मेरे पहले मेरे भाइयों ने 280 में भी ये सवाल उठाया कि पानी नहीं है पीने को, रो रहे है दिल्ली के अंदर लोग, पानी के लिए। लोगों ने यह भी बताया कि पीडब्लुडी काम करने में असमर्थ है, सड़कें बनाने में हम असमर्थ है, इसमें भी कोई स्टेट का रोल नहीं है।

अध्यक्ष जी, आज समझने की बात क्या है, जो मैंने सारा देखा, इसमें क्या बात हुई, जितनी भी आज चर्चा हुई, अभी अखबार में खबर भी छपी कपिल मिश्रा

जी ने ट्विट किया और किसी ने उसको अभी तक डिनाइ नहीं किया। पिछले साल का मैं बजट देख रहा था जब मनीष सिसोदिया जी पीठ थपथपा रहे थे। सत्येंद्र जैन जी की जगह पर कपिल मिश्रा जी बैठे थे। तो मुझे याद है, मैंने वो विडियो आप भाई साहब की सुनी तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि 178 करोड़ रुपये का हमने जल बोर्ड के अदंर मुनाफा कमाया है और हमने पानी भी दिया है, फ्री में दिया है और फिर भी हमने मुनाफा कमाया है और इसकी पीठ थपथपा रहे थे कि इसका सबसे ज्यादा श्रेय दिल्ली जल बोर्ड को और दिल्ली जल बोर्ड के मंत्रियों और अधिकारियों को जाता है तो फिर क्या पूर्ण राज्य का दर्जा में ये क्या हो गया कि 800 करोड़ रुपये का इस साल नुकसान आ गया? अब इसमें क्या पूर्ण राज्य के दर्जे ने आपकी रूकावट की कि जो 178 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, वो एक साल के अंदर–अंदर 800 करोड़ रुपये के नुकसान के अंदर तब्दील हो गया। जितनी भी चर्चा यहाँ पर हुई, उस चर्चा का मूल एक निकल रहा था कि चुनाव है–चुनाव है, वोटें हैं, चुनाव है। तो यही समझ में आया कि तीन साल बाद लोग जितने फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, शिक्षक को बच्चों को एड नहीं मिल रहीं, एससी/एसटी को उनके बेनेफिट्स नहीं मिल रहें, किसी को भत्ता नहीं मिल रहा तो किसी को फीस रिएम्बर्समैन्ट नहीं हो रही, किसी को दवाई नहीं मिल रही तो कोई बिजली के बिल के लिए रो रहा है। किसी के घर पानी नहीं आ रहा फिर भी बड़े–बड़े बिल आ रहे हैं। मंत्री जी को बड़ी गाड़ी चाहिए लेकिन लोगों के पास बस भी जाने को नहीं है। सड़क घर के आने को नहीं है लेकिन हम फिर भी यह कहे जा रहे हैं। हमने देश में मोदी जी को गाली निकालनी है और फिर राष्ट्रपति जी को और फिर दूसरे मुल्कों को उसके लिए जिम्मेवार ठहराना है। क्या अब ये चुनाव आ गया और ये समझ में आने लगा कि अब लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं अब कौन सी नई बात निकाली जाए

जिससे लोगों को ये भरमाया जाए कि हम नाकाम तो हैं, नाकामी तो हमारी है, हम काम करने मे असमथ रहे है लेकिन अगर ये वाली चीज हमें और मिल जाती तो शायद हम कामयाब हो जाते।

अध्यक्ष जी, 15 साल मेरे से पहले... मैं नहीं कर रहा, ये जितनी बातें कह रहा हूँ आपके मेम्बर साहिबान ने यहाँ पर कही। 15 साल तक दिल्ली के अंदर जिन शीला दीक्षित जी, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि उन्होंने सरकार चलाई। जब उन्होंने सरकार चलाई, तो ये सारे फ्लाईओवर बने, आप तो एक भी नहीं बना पाये। ये सारे हॉस्पिटल बने, आप एक बना नहीं पाये। यूनिवर्सिटीज बनी, हम नहीं बना पाये, तो 15 साल में ऐसा क्या अंतर था कि जो कॉंग्रेस ने सरकार चलाई, जिसको शीला दीक्षित जी आज कल मैंने सुना है, ट्विटरों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से कि अलायंस करने की बाते हो रही है। अच्छा कीजिए, जिसको आप बार बार जिस पार्टी को आप चोर कहते थे, करप्ट कहते थे, महाकरप्ट कहते थे, चोरों की पार्टी कहते थे और मेरे भाइयों ने आज भी यहाँ पे कहा कि दिल्ली को बर्बाद करने में सबसे बड़ा कॉंग्रेस का योगदान है और मैं भी उनका समर्थन करता हूँ इसमें कि दिल्ली को बर्बाद किया है कॉंग्रेस ने, पर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कितने रंग बदलेंगे हम! अरे! आप ट्वीट पे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि कॉंग्रेस का अलायंस होने जा रहा है आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन उसको कोई बस उसकी कोई मना नहीं कर रहा है उसको। कोई किसी ने ये नहीं कहा कि ये झूठ है, जिस पार्टी ने दिल्ली को तबाह कर दिया, जिस पार्टी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, आज उस पार्टी के घिरे लग रहे हैं और फिर कोस किसको रहे हैं? कौन है जिसको आप कोस रहे हैं? अगर दिल्ली का आपने ही कहा, अभी मेरे भाई ने यहाँ कहा कि जवाहर लाल नेहरू जी ने इसको पूर्ण राज्य का दर्जा इसका खत्म करके आपसी लड़ाई में इसको बर्बाद किया था, तो वो भी कॉंग्रेस से थे। जिस दिल्ली में वो लूटा आपने

कहा, शीला जी ने लूटा, वो भी कॉंग्रेस से थी, तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, हम इसके योग साथ में हैं, लेकिन आप एक बात बताइये, जिनके पास जो दर्जा है, वो भी नहीं काम कर पा रहे, तो क्या पूर्ण दर्जा मिलने से कुछ कर पायेंगे? आज विषय पूर्ण दर्जे का इसलिए लड़ाई पूर्ण दर्जे का नहीं है। अगर ये लड़ाई होती। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम यह भी बताना चाहता हूँ कि इस विधान सभा में जितने बिल पास किये, उनमें से एक बिल की चिंता हमारे पार्टी के विधायकों ने की है? किसकी विधायक की है। न तो टीचरों की बिल की चर्चा... बतायें, आज तक किसी ने चिंता की है? कॉलेजों का कहा; एडमिशन मिलनी चाहिए बच्चों को, रिजर्वेशन होनी चाहिए, उसके लिए बिल पास किया, लेकिन आज तक किसी ने फोलो–अप नहीं किया। कोई न मिनिस्टर से मिला, न वीसी से मिला, बिल पास किया, अपनी जान छुड़ाई, काम खत्म किया, अखबार में खबर लगी। हाँ, एक चीज को फोलो–अप किया; एमएलए की तनख्वाह बढ़े, उसको हमने जरूर फोलो–अप किया, होम मिनिस्टरों को मिलने तक गये। क्या कभी टीचरों के लिए हम मिलने गये? क्या दिल्ली के बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटी के बच्चों का रेजलूशन हमने इस हाउस में पास की थी? क्या उसके भी आज तक हम एचआरडी मिनिस्टर से मिलने गये? नहीं गये। आज जब हमें ये समझ में आने लगा कि हम हर तरफ से फंस...

...(व्यवधान)

Jh euftnj flg flj lk अध्यक्ष जी, बीस–बीस मिनट बोले, मैं तो वैसे ही बात करता हूँ।

Ekkuuh; v/;{k आप 10 मिनट बोले हैं। दस, दस।

Jh euftnj flg flj lk चलो, आज जब हमें यह सामने आने लगा, मैं बंद कर दूँगा। जब सामने आने लगा कि हम तरफ से फंस गये हैं, तो पूर्ण राज्य का दर्जा! हम समर्थन करते हैं पूर्ण राज्य का, पर हम इस सरकार से यह भी

पूछना चाहते हैं, जो आपके पास हकूक थे, जो आपके पास पॉवर थी, न आप पानी दे सके, न बिजली दे सके, न लोगों को हैल्थ सर्विसेस दे सके, न एजुकेशन दे सके, आज लोग सड़क पे जब आपके विरोध के लिए उतर के आ गये हैं, तो आपने ये बहाना ढूँढा और क्या कह रहे हैं कि लोग वोटों में पूछेंगे पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा? वोट डालेंगे। मकसद क्या है? वोट। इलेक्शन आ गयी लोक सभा की। मैं आज एक बात कहके अपनी बात को समाप्त करूँगा। मैं चाहूँगा, मेरे आम आदमी पार्टी के विधायक इस विधान सभा के अंदर ये घोषित करें कि जिस काँग्रेस को उसने चोर कहा, बेईमान कहा, दिल्ली को लूटा, दिल्ली को कूटा, दिल्ली को बर्बाद किया और 1984 में हमारे परिवारों को बर्बाद किया, आज ये हिम्मत है तो जबाव दे के कहें, हम ऐसी गंदी बात इंसाफ मैं न कभी रिलायंस करने का सोचेंगे, न किया है, न करेंगे और धोखेबाजी, रंग बदलते हैं, सुबह–शाम रंग बदलते हैं। यह दिल्ली के लोगों के लिए पूर्ण दर्जा नहीं माँगने आये, ये दिल्ली के लोगों को भरमाने के लिए आये हैं। जैसे इन्होंने बार–बार पहले बेवकूफ बनाया, दिल्ली के लोगों में... तो मैं बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने नया षडयंत्र तो रचा है, अपनी नाकामियों का ठीकरा किसी और के सिर फोड़ने का। अध्यक्ष जी, दिल्ली के साथ ये धोखा होने दीजिए। ये फ्रॉड के कारण दिल्ली आगे... पिछले तीन साल से भुगत रही है और आगे से दिल्ली के ऊपर और एक कहर ढायेंगे, यही काम करने हैं, इंसाफ नहीं देंगे, केवल बेईमानी करेंगे, धन्यवाद, धन्यवाद।

Ekkuuh; v/;{k% बहुत बहुत धन्यवाद। अब सदन की कार्यवाही वीरवार दिनांक 7 जून, 2018 को अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है, सभी सदस्यों का धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही बृहस्पतिवार दिनांक 7 जून, 2018 तक के लिए स्थगित की गई।)